राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या: 16

गुरुवार,

25 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में चर्चा गरिमापूर्ण हो

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, देश के सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन सबका सम्मान करना, हम सभी का उत्तरदायित्व है। कल की चर्चा के संबंध में उत्तेजना में अगर ऐसी कोई बात हो गयी हो, तो मैं और अपोजिशन के लीडर कटारिया जी बैठकर प्रोसीडिंग देख लेंगे। उसमें उन चीजों को डिलीट कर देंगे।

मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि हम सब मिलकर सदन में गरिमापूर्ण डिस्कशन करें। सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनके संबंध में यदि कोई बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनको उचित सम्मान मिले। इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। विपक्ष के जो नेता हैं, उनसे भी निवेदन है, जैसा मैंने कल कहा कि 10 बजे हम बैठकर चर्चा करेंगे। आप मेरी बात से सहमत होंगे और हम सब मिलकर सदन की गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे। प्रश्न काल शुरू करते हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में राशन का वितरण

332. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य वितरण का कार्य प्रत्येक माह सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में किये जाने

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

का निर्णय लिया है? यदि हां, तो पूर्ववर्ती व्यवस्था व वर्तमान व्यवस्था में राशन डीलर्स के विरुद्ध शिकायतों में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राशन की दुकानों पर कई वर्षों से एक ही राशन डीलर द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है?

(3) राशन की दुकान आबंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं प्रदेश में ऐसे कितने राशन डीलर्स हैं जो विगत बीस वर्षों से लगातार डीलर बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी नहीं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में राशन सामग्री वितरण किये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु दिनांक 17.03.2016 को नवीन दिशा-निर्देश एवं मापदंड जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में राज्य में 20 वर्षों से लगातार राशन वितरण करने वाले डीलर्स की संख्या जो इसमें 8425 लिखी है, यह त्रुटि लिपिकीय गलती से हो गयी है। एक्चुअल में 8285 हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आपने 17.03.2016 को नवीन निर्देश एवं मापदंड जारी किये थे। यह नवीन निर्देश 20 वर्ष पुराने राशन डीलर पर लागू होंगे या नहीं? राशन डीलर की दुकान की समय सीमा क्या रहेगी? एक राशन डीलर कितने समय तक अपनी राशन डीलर की दुकान रख सकता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, एक साथ 4 प्रश्न पूछ लेंगे तो।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 17.03.2016 के संदर्भ में जो पुराने डीलर हैं, जिनकी नियुक्ति हो गयी है, उन पर लागू नहीं होगा। 17.03.2016 के बाद में जो भी आबंटित दुकानें होंगी, डीलर बनेंगे, उन पर यह नियम लागू होगा। दुकान खुलने का समय सर्दी में 9 से 2 बजे और गर्मी में 8 से 1 बजे है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): जैसे कि इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी है और अधिकतम 45 वर्ष रखी गयी है। वैसे ही कार्य मुक्ति की अवधि में भी कोई प्रावधान है या नहीं? आखिर में, जो पिछली सरकार में दुकानें अलाट की गयी थीं, वे आप निरस्त करेंगे या रखेंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी जो आपने कहा है कार्य मुक्त करने का, हमने आगे आयु 60 वर्ष रखी है। पुराने वालों पर वही लागू नहीं हो सकती। आगे जो भी प्रक्रिया होगी कि किसी भी प्रकार की अगर कमप्लेंट आती है, कोई गंभीर मैटर आता है तो उसके खिलाफ हम सस्पैंशन की कार्यवाही करते हैं। निरस्त की कार्यवाही करते हैं। ज्यादा गंभीर मामला है तो उसको टर्मिनेट करते हैं।

दूसरा बिन्दु आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन?

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 18 वर्ष से 45 वर्ष आबंटन की उम्र।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह हमने 18 से 45 वर्ष आवेदन की और 60 वर्ष की अधिकतम। जैसे हमारे सरकारी कर्मचारियों की होती है, उसी तरह इनको रखा है। हमने इसमें आगे जो कर्मचारी हैं और उनकी मृत्यु हो गयी है उस पीरियड में, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। हम इसमें कुछ समीक्षा भी कर रहे हैं। नया सिस्टम भी ला रहे हैं। जो विधवा महिलाएं हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी हैं। हम उनकी जो शैक्षणिक पात्रता है, उसमें भी शिथिलता देने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें 21 से 45 साल का राइडर डाल रखा है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: इसमें ऐज बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? वह उनका प्रश्न है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यही रहेगी 21 से 45 वर्ष। 18 से 45 है। मिनिमम 18 साल और अधिकतम 45 साल।

श्री अध्यक्ष: आप बढ़ाएंगे कि नहीं 45 से आगे, यह उनका प्रश्न है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 18 से 45 ही रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): I am fine, satisfied.

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 333

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री बलवान पूनियां।

गोगामेड़ी मंदिर का चढ़ावा

334. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी मंदिर में मेले के दौरान कुल कितना चढ़ावा आता है तथा शेष ग्यारह माह में कितना चढ़ावा आता है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी, गोगामेड़ी में मेला भरने के दौरान मेला अवधि वर्ष, 2018 में गल्लों व रसीदों से चढ़ावे के रूप में राशि 1,95,39,489/- रुपये, सोना 5,090 ग्राम एवं चांदी 7172.00 ग्राम प्राप्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेले के अलावा शेष 11 माह में भेंट, गल्लों व रसीदों से चढ़ावे के रूप में राशि रुपये 97,99,884/- रुपये, सोना शून्य एवं चांदी 4327.00 ग्राम प्राप्त हुए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए और करोड़ रुपयों की आय को देखते हुए मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। गोगामेड़ी में करोड़ रुपयों की आय के बावजूद पेयजल के लिए आज 42 लाख रुपये का एस्टीमेट पैंडिंग है। वह कब मंजूर करोगे? नम्बर दो, लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक हजार शौचालय बनाने की मांग है। यह दोनों मांग हमारी कब पूरी करोगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इसका हम परीक्षण करवा लेंगे। आवश्यकता हुई तो पाइप लाइन का कार्य शीघ्र ही जो भी एस्टीमेट बनेगा, उसको स्वीकृत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की आवासीय योजनाएं

335. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलजीत यादव)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक कितनी आवास योजनाएं बनायी गयी हैं? क्या सभी आवास योजनाओं को विकसित कर दिया गया है? क्या उक्त आवास योजनाओं में बिजली आपूर्ति, पेयजल, सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: नगरीय आवास मंत्री जी।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): सारी सर। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही खंड है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक 30 आवासीय योजनाएं निकाली गयी हैं। इन आवासीय योजनाओं में सड़क, बिजली आपूर्ति, पेयजल, सीवरेज एवं वृक्षारोपण आदि की उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जेडीए का जब प्लाट मिलता है, उसकी लाटरी निकलती है तो सारे पैसे जमा होने के बाद आप उनसे यह कहते हो कि 5 साल में मकान बनाना जरूरी है। यह 2014 में आपने कालोनियां काटीं और अब 2019 आ गया, 5 साल पूरे हो गये। इसके बाद भी वहां पर न बिजली है, न पानी है, न कोई और सुविधाएं हैं। ज्यादातर में यह जवाब आया है कि रहवासी न होने के कारण, विद्युत सामग्री चोरी होने की आशंका को देखते हुए, वित्तीय संसाधन होने पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, सीवरेज नहीं, 5 साल हो भी गये, आप कह रहे हो कि फिर पैनल्टी लगेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि यह कब हो पाएगा?

श्री अध्यक्ष: कब हो जाएगा, इस संबंध में। यह पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, बसेंगे कैसे? मैं तो यह कह रहा हूं कि करोगे तभी तो बसेंगे न। बिजली, पानी होगा तभी तो कोई मकान बनाएगा।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, भाषण नहीं प्रश्न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही। 2014 और 2018 के बीच में जेडीए का जो वर्किंग रहा, वह यह रहा कि अपना खजाना भरो। प्लाट बेच दिए लेकिन पूरी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं कराईं। उसी की वजह से पहले यह हुआ करता था कि प्लाट लेने के बाद में आपको 3 साल के अंदर-अंदर मकान बनाना पड़ता था। अगर मकान नहीं बनाते तो फिर जुर्माना होता था।

अब हमने उसको चेंज इसीलिए किया है कि जहां तक इन कालोनियों का सवाल है, इन कालोनियों में कुल मिलाकर 34360 भूखंड बिके और निर्मित सिर्फ 53 हुए। न होने के कारण जो माननीय सदस्य ने बताए हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं। विद्युत भी नहीं पहुंच पाई। सड़क भी नहीं बन पाई। पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। सीवरेज की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके कारण लोगों ने अपने मकान वहां नहीं बनाए। उसी को देखते हुए 3 साल के पीरियड को हमने बदलकर अभी यह कर दिया कि भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि की गणना भूखंड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा योजना के जिस सैक्टर में आबंटित भूखंड नीलामी में क्रय किया गया है, भूखंड स्थित है, उसमें सड़क, पेयजल, विद्युत वितरण व्यवस्था संबंधी विकास कार्य करने के दिनांक से, उसके बाद में उसकी गणना मानी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा और जानना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि 2014-18 के बीच में भूखंड काटकर उनके हाल पर छोड़ दिया, पर उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी जिसने प्लाट लिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह development करने के बारे में कोई विचार रखती है? यदि रखती है तो क्या planning है और कब तक कुछ करने का सरकार सोचती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार बनने के बाद इन 30 योजनाओं में से 28 में सड़क बना दी गयी है। विद्युतीकरण किया गया है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

14 colonies में। sewage system नहीं बन पाया, जलापूर्ति भी 8 colonies में पहुंचा दी गयी है। वृक्षारोपण पर भी 2 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। लगातार इसमें काम चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जिन 34360 भूखंड की बात कही, इनमें कितने भूखंड विक्रय हो गये और कितने भूखंड अभी जेडीए के पजेशन में हैं। जो भूखंड अब जेडीए के possession में हैं उनको नीलामी से या किसी और योजना से विक्रय करने की आप क्या योजना रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं colonies में दो colonies ऐसी थीं, पन्नाधाय और गजाधर नगर जो कि वन विभाग में थीं। वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही इन पर विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। विकासीय योजनाओं में sewage outfall उपलब्ध नहीं होने के कारण sewage system के कार्य कई जगह नहीं करवाए जा सके। जहां तक आपने पूछा कि कितने तो पास थे और कितने हैं तो तीस के तीस में ही बिक गये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

किसानों के वीसीआर भरने के मानदण्ड

336. श्री रूपा राम (मकराना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत निगम को चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्र व घरेलू कृषि उपभोक्ताओं के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं वीसीआर भरने का कानूनी अधिकार है? यदि हां, तो वीसीआर किस मानदण्ड के अनुसार भरी जाती है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विजिलेंस टीम द्वारा विद्युत चोरी रोकने के बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां।

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत चोरी, विद्युत दुरुपयोग व मीटर की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके लिए निगम के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सतर्कता जांच की जाती है। सतर्कता जांच के दौरान किसी भी परिसर/स्थल में चोरी/दुरुपयोग का मामला पाया जाता है, तो चैकिंग अधिकारी द्वारा मौके पर साक्ष्य लिए जाकर, संबंधित उपभोक्ता/व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत वीसीआर भरी जाती है एवं उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाती है। मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विद्युत चोरी हो रही है, निश्चित रूप से रुकनी चाहिए नहीं तो विद्युत विभाग कमजोर हो जाएगा। आप जो vigilence team बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं तो अठीन्बठीन बोलूं ही कोनी।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी पकड़ने की टीम बना रहे हैं उसमें उन अधिकारियों की कार्य शैली की या जिम्मेदारी की पारदर्शिता को परखकर बना रहे हैं या चोरी पकड़ने के लिए किसानों या उपभोक्ताओं के पीछे चोरों को ही कर दिया जाता है? प्रश्न एक।

दूसरा प्रश्न है, कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो किसी भी उपभोक्ता से किस आधार पर आप जुर्माना वसूलते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। आपके अधिकारी, कर्मचारी दिए हुए..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर वह देंगे, उत्तर आप दे रहे हैं?

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर चोरी के लिए दंडित किया जाता है या जुर्माना वसूला जाता है?

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका पहला प्रश्न यह था कि कौन अधिकारी हैं? अधिकृत अधिकारी ही होते हैं। इनमें हमारे Additional SP, vigilance, सम्बन्धित Ex.En, इनकी पूरी टीम जाकर जहां meter tamper किया हो, direct किसी ने jumper लगाकर बिजली ले ली हो अथवा कोई device लगाकर मीटर के साथ छेड़छाड़ करके अथवा लोड है उससे ज्यादा load का उपयोग कर रहा है। connection domestic consumer के हिसाब से लिया है और commercial उपयोग कर रहा है। इन आधारों पर जब भी कोई शिकायत होती है तो vigilence team जाकर वहां पर वीसीआर भरती है और वीसीआर में मान लीजिए किसी को कोई शिकायत हो तो इसके लिए सक्षम स्तर पर VCR review एवं मानिटरिंग कमेटी बनी हुई है उसके आधार पर एईएन 10 हजार तक के मामले सुनता है, एक्सईएन 25 हजार तक, एसई 3 लाख तक और 3 लाख से ऊपर कोरपोरेट लेवल पर सुनवाई होती है और उनका निपटारा किया जाता है।

श्री रूपा राम (मकराना): एक्सईएन तो सुनता ही नहीं है। मेरी एक बात का माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलवा दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चोरी पकड़ने के लिए कोई तो आधार होगा, जिस आधार पर हम विजिलेंस टीम बनाएं। इसमें तो मेरा सुझाव रहेगा कि ऐसे ही चोरों को चोरी पकड़ने के लिए लगा दिए जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इससे चोर तो बच जाते हैं और जो साहूकार हैं उनके पैनल्टी हो जाती है। मेरा सुझाव है कि कमेटी बनाते समय कम से कम अच्छे और सच्चे लोगों का चरित्र और कार्य शैली देखकर बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का अधीक्षक, एडिशनल एसपी, उसके साथ एक्सईएन लेवल का सक्षम अधिकारी जाता है। इनके पास कोई स्पेसिफिक केस हो, किसी जगह कोई वीसीआर गलत भरी गयी हो तो मेरे पास आएं, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बताएं कि हर साल वीसीआर भरने से सरकार की आय बढ़ रही है, क्या उसी अनुपात में चोरियां घट रही हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अभी तक मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर...

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न है कि जितनी आपकी आय हो रही है उसके मुकाबले में केस कम हो रहे हैं क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केस कम नहीं हो रहे हैं। 2018-19 में कुल वीसीआर 35297 भरी गयी थीं और 2019-20 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों को मिलाकर 24216 केस अभी तक पकड़े गये हैं। इनके आधार पर चोरी पर रोक लगी है। वीसीआर नहीं भरेंगे तो मैं समझता हूं कि छीजत का 15 percent optimum है। आज कम से कम 23-24 परसेंट तक छीजत हो रही है। इसलिए जहां-जहां हम लोगों ने वीसीआर भरी है, चोरी को पकड़ा है, वहां पर छीजत धीरे-धीरे कम हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) आप बैठे, आप नीचे बैठें प्लीज। नोट अलाउड, कटारियाजी ने पूछ लिया, फिर भी पूछ रहे हो।

सिरोही में मनरेगा के कार्य

337. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 2019 में मनरेगा में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? इनमें व्यक्तिगत लाभ के कितने कार्य हैं?

(2) मनरेगा में कार्य स्वीकृत करने के क्या मानदंड निर्धारित कर रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जून 2019 तक 298 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजनानुसार अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी, पंचायत समिति/ कार्यकारी संस्था द्वारा प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ convergence की स्थिति में राशि रुपये 5 लाख तक की स्वीकृति ग्राम पंचायत तथा रुपये 10 लाख तक की स्वीकृति पंचायत समिति द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में

(श्री संयम लोढ़ा)

कितने प्रतिशत कार्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के convergence की स्थिति में स्वीकृत करने के निर्देश दे रखे हैं? 2019 में सिरोही और शिवगंज पंचायत समिति में convergence की स्थिति में आपने कितने काम सैंक्शन किये?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, convergence के लिए जो मापदंड तय किये गये हैं, भारत सरकार ने भी किये हैं। 20 परसेंट काम convergence के साथ होने चाहिए ताकि optimal utilisation पैसे का हो। जहां तक माननीय सदस्य ने सिरोही के बारे में पूछा है, 298 काम टोटल किये गये थे। इसमें जहां तक सूचना मेरे पास प्राप्त है, 64 के आस पास काम convergence में किये गये थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्फ्ष्ट पूछा है कि सिरोही और शिवगंज पंचायत समिति में कितने किये गये? मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पंचायत समितिवार बता दें कि कंवर्जेंस में कितने काम सैंक्शन किये गये?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल था वह सिरोही विधान सभा क्षेत्र में नरेगा में कितने काम किये गये थे, यह था। specific पंचायत समिति में convergence के कितने काम किये गये, वह सूचना लाकर माननीय सदस्य को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में मंत्रीजी ने खुद उत्तर दिया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के साथ convergence की स्थिति में, और मैं convergence पर ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि नरेगा में मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ कन्वर्जेंस में जो आपने 20 परसेंट के डाइरेक्शन दिये हुए हैं उन्हें आपका डिपार्टमेंट फालो नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, शिवगंज पचायत समिति में एक भी काम,...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं, जब उत्तर यह नहीं मिल रहा है, एक जनरल उत्तर मिल रहा है कि इतने किये, मैं बता रहा हूं कि शिवगंज पंचायत समिति में एक भी काम कन्वर्जेंस में सैंक्शन नहीं किया गया है। आपके पास एसएफसी और स्कीम्स का पैसा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह डाइरेक्शन है कि 20 परसेंट काम आपको कन्वर्जेंस पर करने हैं तो उसकी कम्प्लायंस क्यों नहीं हो रही है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत जानकार सदस्य हैं। अपने प्रश्न को एक बार पढ़ लें, इसमें कन्वर्जेंस का जिक्र आपने एक बार भी नहीं किया है, लेकिन आपने पूरक प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया और जो भारत सरकार के मापदंड हैं, उन्हें पूरी तरह हमारी सरकार लागू करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमीन खां।

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद

339. श्री अमीन खां (शिव): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कितने विद्यालयों में उर्दू विषय खोला गया है?

(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उर्दू अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद अब कब तक भर दिए जाएंगे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित ऐसे 656 राजकीय विद्यालय जिनमें उर्दू विषय अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पृथक् से उर्दू विषय स्वीकृत नहीं है, अपितु तृतीय भाषा के रूप में उर्दू विषय पढ़ाया जाता है। पृथक् से किसी भी विद्यालय में उर्दू विषय प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत और रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
उर्दू (व.अ.)	76	26	50
उर्दू (लेवल-द्वितीय)	305	274	31

उक्त अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा तथा शिक्षक भर्ती, 2018 लेवल द्वितीय अन्तर्गत उर्दू विषय के 150 पदों पर सीधी भर्ती की गयी। वर्तमान में विद्यालयों में शैक्षिक पदों के पुन: निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के अधिशेष/कमी के आधार पर भी आवश्यकता वाले विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में उर्दू अध्यापक रखने का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या अपर क्लास में बगैर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते हैं तो आपकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है? आप इन प्राइमरी स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो कक्षा 6 से 8 होती हैं, उनमें तृतीय भाषा के रूप में उर्दू को पढ़ाया जाता है। कोई संस्कृत लेने वाला होगा तो संस्कृत लेगा, हिंदी लेने वाला हिंदी लेगा, उर्दू लेने वाला उर्दू लेगा। माध्यमिक शिक्षा जो है, उसमें उर्दू वैकल्पिक विषय होता है, लेकिन जो माननीय सदस्य की भावना थी कि उर्दू के साथ पिछले पांच

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

साल में भेदभाव हुआ, इसका ताजा उदाहरण यह है कि स्टाफिंग पैटर्न जो दो साल में आपको करना चाहिए था, वह आपने नहीं किया और उससे पहले जब हमने स्टाफिंग पैटर्न किया तो पता लगा कि उर्दू के जहां बच्चे हैं, वहां उर्दू के अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां नहीं की गयी थीं, इसलिये हमने इसको स्टाफिंग पैटर्न पर किया।

अब कक्षा 6 से 8 के जो उर्दू के अध्ययनरत विद्यालयों की संख्या है, वह 279 है। हमने 284 जगहों पर टीचर्स को लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जो कक्षा 6 से 8 में या वैकल्पिक विषय में आगे उर्दू पढ़ना चाह रहा है तो हम अध्यापक और लगा देंगे तुरंत प्रभाव से।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महादेय, मेरा एक सवाल है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उर्दू के मास्टरों को बढ़ाने के लिए एक एसटीसी ट्रेनिंग सेंटर अजमेर में खोला था। क्या वह सेंटर अभी है? अगर नहीं तो क्या आप उसे वापस वहां खोलेंगे और उर्दू के मास्टर कहां से आएंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि अल्पसंख्यक मामलात विभाग से कोई कार्यवाही हुई होगी तो वह उनसे सम्बन्धित है, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण

340. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) यह सही है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर में भूगोल शास्त्र विषय का संकाय संचालित नहीं है?

(2) यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में उक्त संकाय नहीं होने के कारण लगभग जनजाति बहुल क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में वांछित संकाय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(श्री अमृतलाल मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में अध्ययनरत लगभग 5000 छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु स्थान अपर्याप्त है? यदि हां, तो छात्रों की असुविधा को दृष्टिगत रखकर क्या सरकार अतिरिक्त कमरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हैं एवं कला संकाय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत एवं समाजशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य विषय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर से लगभग 24 किमी की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय, झाड़ोल एवं 25 किमी की दूरी राजकीय महाविद्यालय, सराड़ा में भूगोल विषय संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर में भूगोल शास्त्र विषय प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। प्राचार्य से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु महाविद्यालय भवन में कक्षा-कक्षों की संख्या पर्याप्त है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी वहां से आते हैं। सलूम्बर और झाड़ोल की दूरी कम से कम 130 किलोमीटर है और आपके अधिकारियों द्वारा लिखे हुए बिना सोचे-समझे आप 24 किलोमीटर बता रहे हैं। 25 किलोमीटर सराडा जो बता रहे हैं, वह सत्य है, लेकिन वहां स्नातक का विद्यालय है, स्नातकोत्तर नहीं है। कृपया आप इस बारे में स्पष्ट करते हुए जानकारी दें। जिस अधिकारी ने आपको सूचना दी है और सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, यह तो समझ में आ गया। प्रश्न पूछें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): हमने यह कहा कि सलूम्बर 100 किलोमीटर दूरी पर है। आस पास किसी कालेज में एमए में जाने के लिए, अध्ययन करने के लिए सब्जैक्ट नहीं होने की वजह से जा नहीं सकते हैं तो इसके लिए आपने उत्तर दिया झाड़ोल।

श्री अध्यक्ष: समझ आ गया माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, मैं इनकी तरफ से प्रश्न कर देता हूं। कम्पीटिटिव एग्जाम में ज्यादातर बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं और ट्राइबल इलाके में यदि ज्योग्राफी सब्जैक्ट पीजी में नहीं है तो बच्चों को कम्पीटिटिव एग्जाम में सब्जैक्ट लेने में तकलीफ आती है, क्या सरकार उस पीजी कालेज में भूगोल सब्जैक्ट चालू करने का विचार रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सलूम्बर से आने वाले विधायक जी ने बताया और भूगोल विषय चालू करने की मांग की है, भूगोल विषय चालू करने के विषय में माननीय सदस्य द्वारा जो मांग की गयी है, विषय चालू करना, संकाय चालू करना एक सतत प्रक्रिया है और उसके तहत माननीय सदस्य ने मांग की है, उस पर पूरा विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से आगामी समय में विषय चालू करने पर सरकार विचार करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह जो झाड़ोल का नाम आ रहा है, यह झाड़ोल सराड़ा, इसमें कालेज ही नहीं है। यह झाड़ोल फलासिया है जिसमें कालेज है और ज्योग्राफी विषय है। ये दो झाड़ोल हैं, आप तो जहां कालेज ही नहीं है, वहां बता रहे हैं 24 किलोमीटर दूर।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विभाग के द्वारा सूचना दी गयी है, मैं उसमें यदि कोई कमी रही है तो परीक्षण करवा लूंगा और इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न का ओमिशन हो गया। प्रश्न संख्या 338, श्री रफीक खान।

रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना

338. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने का

(श्री रफीक खान)

विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है और उक्त योजना कितने समय में पूर्ण होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के भराव क्षेत्र में कितने एनिकट हैं जिनसे बारिश का पानी बांध तक नहीं पहुंच पाता है? उक्त एनिकटों को हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जयपुर जिले के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित किये जाने हेतु बांध के कैचमेंट में वर्षा के पानी का आंकलन करने हेतु 5 रेनगेज स्टेशन स्थापित किये गये हैं। बांध के कैचमेंट में अतिक्रमणों, नदी नालों पर जमीन आबंटन से संबंधित रैफरेन्स प्रकरणों की सतत निगरानी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जा रही है तथा चंबल बेसिन में उपलब्ध अधिशेष जल को न्यून जल उपलब्धता वाले अन्य बेसिनों में अपवर्तित करने की योजना "राजस्थान पूर्वी नहर" की डी.पी.आर. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के अन्तर्गत परीक्षणाधीन है। इस योजना में रामगढ़ बांध में भी पानी अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में परीक्षण, स्वीकृति एवं बजट उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में कोई एनिकट स्थित नहीं है परन्तु बांध के कैचमेंट क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की सर्वे रिपोर्ट अनुसार कुल 415 जल संग्रहण ढांचे बने हुए हैं जिनमें विभाग द्वारा निर्मित कुल 35 एनिकटों में से जो 2.0m से अधिक ऊंचाई में थे उनको तोड़ा जाकर माननीय उच्च न्यायालय की पालना में 2.0m ऊंचाई तक सीमित कर दिये गये हैं। उपयोगिता के मद्देनजर इनको हटाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, रामगढ़ डैम के भराव क्षेत्र में तो एनिकट नहीं है लेकिन जो उसका कैचमेंट एरिया है, जिस जगह से उसका हमेशा से फ्लो बनता है वहां पर है। यह डैम हमारा सबसे पुराना और जयपुर की पेयजल सप्लाई का सबसे बड़ा अंग है तो इसमें जो एनीकट बने हुए हैं, क्या उनको हम कमप्लीट हटाएंगे? अगर उनको 2-2 फीट रखेंगे तो वह पानी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, एज इट इज ही रह जाएगा। जब तक हम इसका पूरा रास्ता क्लीयर नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रश्न यही है कि एनिकट कमप्लीटली हटाएंगे या नहीं हटाएंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हाई कोर्ट में भी जो रिपोर्ट भेजी है उसमें 2 मीटर तक के एनिकट नहीं हटाने के बारे में लिखित में रिपोर्ट दी हुई है। हाई कोर्ट का उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ। जो 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, ढाई मीटर के एनीकट थे उनको तोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में 636 अतिक्रमण के मामले थे, उन सारे अतिक्रमणों को हटाकर रिपोर्ट दे दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, बहाव क्षेत्र में पानी अभी भी नहीं आता है। दो मीटर अगर हम रख देंगे तो पानी तो वहीं रुक जाएगा। हाई कोर्ट नहीं, हमें तो खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वापस इसका रिवाइवल करें और पानी बहाव क्षेत्र से वापस डैम में आ सके इसलिए दो मीटर भी हटना चाहिए। जो भी पानी आने में रूकावट है वह सारी रुकावट हटनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कमप्लीटली एनीकट हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? कमप्लीट एनीकट हटना चाहिए सर। हाई कोर्ट की इसमें बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां एनीकट बने हुए हैं उनकी भराव क्षमता ज्यादा नहीं हैं बहुत छोटे-छोटे एनीकट्स हैं जहां उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। उसमें गांव वालों का भी प्रतिरोध। जब हम चार मीटर, तीन मीटर के हटाने गये थे तो पुलिस बल के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ जाकर हटाया गया था और दो मीटर को करने में भी बहुत दिक्कत आई थी। दो मीटर तक के एनिकट्स हैं, बहुत छोटे-छोटे एनीकट्स हैं जो गांव की आवश्यकता और गांव की मांग के अनुसार बने हुए हैं। जब अच्छी बारिश हो जाएगी तो उन एनीकट्स से बहाव पर असर नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। बाकी नहीं, एक ही प्रश्न। बैठें, प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा प्रश्न यह है कि रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में किन-किन प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण हैं और उनको आप कब तक हटाएंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि 636 अतिक्रमण के मामले थे, 244 हैक्टेयर को अतिक्रमणमुक्त कर दिया है और इसके अलावा 732 मामले रैफरेंस के आए थे जो रेवेन्यू बोर्ड को भेजे उनमें से 160 निर्णीत हो गये और 158 की पालना कर दी गयी है। रैफरेंस के मामले जैसे-जैसे हमारे पास आएंगे वैसे-वैसे हम तत्काल उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया। नहीं, हो गया, बैठें प्लीज।

झुंझुनूं जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का सामाजिक अंकेक्षण

341. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़) क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय किये जाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले के ग्राम पंचायतों में कौन्कौनसे दिवस सामाजिक अंकेक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सामाजिक अंकेक्षणों के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं पर क्या निर्णय लिए गये? निर्णयों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपूर्ति एवं उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में क्या शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायतों में दिनांक 26 जनवरी, 2019 को सामाजिक अंकेक्षण किया गया। मात्र 2 ग्राम पंचायतें परसरामपुरा (पं.स. नवलगढ़), चनाना (पं.स. चिड़ावा) में कोरम के अभाव में ग्राम सभा स्थगित होने से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य नहीं हो पाया।

(2) झुंझुनूं जिले में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कोई सुझाव एवं अभिशंसा प्राप्त नहीं हुई।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) झुंझुनूं जिले में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों में से 28 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष पर जांच विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायतों में हर माह 5 और 20 तारीख को मीटिंग फिक्स है, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनमें डीलर को जाने के लिए पाबन्द कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो क्यों?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल आडिट खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 28 के तहत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5857/2015 के निर्देशित अभी 17 जनवरी को पालना के लिए जिला कलेक्टर्स को भिजवायी गयी। उसके बाद आपके नोडल इन्चार्ज और जो मीटिंग हुई, प्रथम मीटिंग थी तो इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं कि पूरी तरह से नहीं हो पाई है पर अगली मीटिंग जो हमारी 15 अगस्त को होगी उसमें पूरी तरह से जो सोशल आडिट के नार्म्स हैं, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का जो एक्ट है, उसकी पूरी तरह से पालना कराई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): जो राशन डीलर समय पर राशन नहीं उठा रहे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की क्या और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं की?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो भी हमारे पास शिकायत आई है उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम कार्यवाही करते हैं। कोई स्पेसिफिक आपकी प्राब्लम हो तो हमें बता दें, निश्चित रूप से डीलर के खिलाफ या कोई अधिकारी/कर्मचारी, ईओ या डीएसओ जो भी उसमें सम्मिलित होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हमीर सिंह भायल। आपका झुंझुनूं से क्या लेना-देना? प्लीज, नहीं।

बालोतरा को जिला बनाने की कार्य योजना

342. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये जिले बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के बालोतरा को नया जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी नहीं। वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के active consideration में नहीं है।

(2) नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के active consideration में नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र में नया जिला बनाने का प्रावधान है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे बालोतरा को इस सत्र में आप जिला बनाएंगे?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि एक्टिव कंसीडरेशन के अन्दर राजस्थान में कोई भी जिला बनाना नहीं है। जन घोषणा पत्र के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, राजस्थान की जनता ने पांच साल हम लोगों को सरकार चलाने के लिए दिए हैं तो पांच साल के बाद में जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो कोई भी राजस्थान की जनता के बीच में हम लोगों ने वादे किये हैं उसके सन्दर्भ में आपका फिर जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वजह से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि दूसरे जिले में जैसे एडीएम किया हुआ है तो बालोतरा में अगर एडीएम आफिस आप बना दोगे तो जनता को राहत मिलेगी। क्या आप एडीएम आफिस खोलने का विचार रखते हैं?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एडीएम आफिस के बारे में जो यहां मांग रखी है उसके बारे में प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता देखते हुए जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमीर सिंह जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य से बोलो आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर जो कुछ भी बालोतरा के सन्दर्भ में फैसले नहीं हुए हैं, आने वाले समय के अन्दर वे फैसले लिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि आज दिन तक रेवेन्यू मंत्री गंगाराम जी हों, हेमाराम जी हों, अमरा राम जी बीजेपी सरकार में थे और आज वर्तमान में हरीश जी हैं....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व भाजपा सरकार में मिठाइयां बांटी गयीं कि 15 दिन में डिक्लेयर होने वाला है.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई कार्यवाही नहीं है तो आप बताओ कि किस प्रक्रिया में है और कब जिला बन रहा है? मेहरबानी करके आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं कि परमेश चन्द्र जी की अध्यक्षता में पिछली बार एक कमेटी बनाई गयी थी जिला, तहसील बनाने के बारे में। उनकी बाउंड्री के बारे में उस कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सरकार को दे दी क्या?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जिस कमेटी के बारे में बात की है, परमेश चंद्र जी के बारे में, उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। कमेटी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक रिपोर्ट है। कमेटी के अध्यक्ष का रिपोर्ट देना और कमेटी की रिपोर्ट देने के अंदर अन्तर है। जहां तक कमेटी की बात आप पूछ रहे हो, कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में पर्यटन सेवा केन्द्र की स्थापना

343. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पर्यटन को विकसित करने हेतु यातायात सेवा शुरू करने एवं पर्यटन सेवा केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): विधान सभा क्षेत्र मालपुरा वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यातायात बस सुविधा से जुड़ा हुआ है।

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में पर्यटक सेवा केन्द्र स्थापित करने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मालपुरा और टोडारायसिंह में काफी पुराने महल हैं, बीसलपुर बांध है और बहुत सी ऐतिहासिक बावड़ियां हैं। इनके विकास के लिए आप कुछ बजट देना चाहते हैं या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले तो जो आपने प्रश्न पूछा, उसका आपने पूरक प्रश्न नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था। पर्यटक सेवा केन्द्र नाम का कोई संस्थान नहीं होता है। ये पर्यटक स्वागत केन्द्र होता है या पर्यटक सूचना केन्द्र होता है। आपकी सरकार ने 2017 में 20 पर्यटक सूचना केन्द्र पूरे राजस्थान प्रदेश में बंद किये थे। गंभीरता के साथ इनको खोलने पर हमारी सरकार विचार कर रही है।

दूसरा आपके टोंक जिले में राज्य योजनान्तर्गत गत वर्षों में कराये गये पर्यटन विकास कार्य सुनहरी कोठी टोंक में विकास, टोंक स्थित पौराणिक अखिलेश्वर मंदिर, आवां में आधारभूत सुविधाएं, इसके लिए 137.61 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, 213.91 लाख रुपये सैंक्शन किये गये थे। फिर भी, दिखवा लेंगे, जो भी आप बता रहे हैं, कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण नगरपालिका में सीवरेज कार्यों की जांच

344. श्री अविनाश (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) नगरपालिका जैतारण द्वारा करवाये जा रहे सीवरेज कार्य की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या एवं कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गुणवत्ता की कमी, घटिया क्वालिटी की सामग्री काम में लेने के कारण पाइप लाइनें गंदे पानी से भर चुकी हैं?

(3) क्या सरकार उक्त नगरपालिका में लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत की सीवरेज योजना में घटिया क्वालिटी की सामग्री काम में लेने, डी.पी.आर. के विरुद्ध कार्य करवाने और बिना तकनीक के करवाये गये कार्यों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। सीवरेज कार्य की गुणवत्ता हेतु दिनांक 30.05.2017 को एक शिकायत माननीय लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित की गयी जिसकी जांच तृतीय पक्ष द्वारा करवायी गयी। जांच रिपोर्ट माननीय लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित की गयी, जिस पर माननीय लोकायुक्त सचिवालय के पत्र दिनांक 02.02.2018 के द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा की गयी कार्यवाही संतोषप्रद मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। समस्त कार्य गुणवत्ता के साथ, डीपीआर के अनुसार करवाया गया है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सीवरेज कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री सीवर पाइप, मैन होल, प्रीकास्ट मैन होल एवं मशीनरी (पम्प्स, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन, डिकेन्टर, स्लज हैण्डलिंग यूनिट, पीएलसीसी स्काडा सिस्टम) आदि का तृतीय पक्ष निरीक्षण RITES (रेलवे के उपक्रम), एसजीएस, एबीएस (अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी) द्वारा किया गया है। तदुपरान्त ही मैटिरियल को साइट पर उपयोग में लिया जाता है। कार्य स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला में प्रतिदिन सीमेन्ट कंक्रीट क्यूब्स, फाइन एग्रीकेट, कोर्स एग्रीकेट की गुणवत्ता की जांच की जाती है। सीवरेज योजना का कार्य आधुनिक तकनीक एवं अनुमोदित डिजाइन एवं ड्राईंग के

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनुसार करवाया गया है एवं प्रतिदिन गुणवत्ता निगरानी हेतु सलाहकार एजेन्सी नियुक्त है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री ने जवाब दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीवरेज के अंदर आपने कह दिया कि ये सारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के द्वारा जांच किया गया। उसके बाद में काम में लिया गया। लेकिन मौके पर जो स्थिति है, उसमें जो सीसी सड़कें बनीं, जो चैम्बर लगे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिना तकनीकी से, जो मात्र कनिष्ठ अभियंता के भरोसे पूरा किया गया था। यह कार्य आज की स्थिति में, जो आपने बताया अधिकारियों ने बिलकुल गलत उत्तर दिया...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि बिना तकनीकी के जो कार्य करवाया गया, आज की तारीख में चैम्बर भर गये हैं। उससे गांव वालों को परेशानी होती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि क्या अब आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाने का विचार रखते हैं क्योंकि आपने जवाब तो दे दिया...

श्री अध्यक्ष: सदस्य, प्रश्न हो गया। बार-बार नहीं।

श्री अविनाश (जैतारण): कि हां यह ठीक है। क्या निष्पक्ष जांच कराकर मेरी जो मांग है, उसका निस्तारण करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: लोकायुक्त की जांच हो गयी है, फिर जांच कराएंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त ही नहीं जिन दो एजेंसियों से जांच करवायी गयी है, वे अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं। आपको तो शिकायत इस बात की हो सकती है कि वहां पर जो वर्तमान में नगर परिषद् की अध्यक्षा है, उसके द्वारा किये गये कामों के बाबत आप वक्त-वक्त पर शिकायत करते रहते हैं। मोटी बात आपने अभी यह पूछी थी कि गुणवत्ता को लेकर के कोई शिकायत प्राप्त हुई क्या, तो उसकी लोकायुक्त की ये रिपोर्ट जो आपको दी गयी है, साफ है कि शिकायत को नस्तीबद्ध किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। धर्मेन्द्र कुमार।

सौर/पवन ऊर्जा हेतु आबंटित भूमि का प्रावधान

345. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए किस-किस कम्पनी व संस्था को कितनी-कितनी भूमि किन शर्तों पर कहां-कहां आबंटित की गयी है? आबंटियों/फर्म/कम्पनियों के नाम तथा शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट कब तक लगाने थे व कौन-कौनसे प्रोजेक्ट का कार्य तय समय सीमा पर शुरू नहीं हो पाया है? उक्त पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आबंटित भूमि बंजर थी अथवा कृषि योग्य थी? उक्त भूमि में से किस-किस किस्म की कितनी-कितनी, किस-किस कम्पनी, संस्था को आबंटित की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किस-किस कम्पनी/संस्था को प्रोजेक्ट के लिए कितनी-कितनी भूमि आबंटित करने का प्रावधान था? भूमि आबंटन नियमों व प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राजस्थान में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में पंजीकृत कम्पनियों को आबंटित भूमि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि का आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007 के तहत किया गया था। उक्त नियमों की प्रति परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु राजकीय भूमि निम्न नियमों के अनुसार आबंटित की गयी है:-

1. राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम-1959
2. राजस्थान भू-राजस्व (पवन फार्म स्थापित करने के लिए भूमि आबंटन) नियम-2006
3. राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त नियमों की प्रति परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007 के नियम 7 (1) के अनुसार आबंटन के दो वर्ष की अवधि में संयंत्र स्थापित किये जाने की शर्त थी। उक्त उप नियम के परंतुक में राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम की अभिशंसा पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 के द्वारा उक्त अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गयी।

नियत अवधि में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं करने वाली कम्पनियों एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "य" पर उपलब्ध है।

नियत अवधि में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं करने वाली कम्पनियों एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "र" पर उपलब्ध है।

(3) सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्र हेतु आबंटित भूमि के प्रकार का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" में उपलब्ध है।

(4) राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.06.2007 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007 जारी किये गये। इस अधिसूचना में भूमि आबंटन की सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.07.2013 के द्वारा भूमि आबंटन की अधिकतम सीमा 2.50 से 3.50 हैक्टेयर प्रति मेगावाट निर्धारित की गयी। इस नियम की प्रति मय संशोधन परिशिष्ट "द" के पृष्ठ संख्या 23 पर उपलब्ध है।

पवन ऊर्जा नीति-2012 में विकासकर्ता को पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 मेगावाट/हैक्टेयर भूमि आबंटित करने का प्रावधान है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ल" पर उपलब्ध है।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.06.2007 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007 जारी किये गये। इस अधिसूचना में भूमि आबंटन की सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। उक्त नियमों में अधिसूचना दिनांक 01.07.2013 के द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन

(ऊर्जा मंत्री)

की अधिकतम सीमा 5 हैक्टेयर/मेगावाट निर्धारित की गयी थी। जिसे अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पुनः संशोधित कर 3 हैक्टेयर/मेगावाट कर दिया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "द" के पृष्ठ 28 पर उपलब्ध है। राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम-2007 के नियमों के अलावा अन्य नियमों में अधिकतम भूमि आबंटन सीमा का प्रावधान नहीं था।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं.-1 पवन ऊर्जा प्लांट के लिए प्रदेश में कौन-कौनसे क्षेत्र का चयन किया गया है? नंबर-2 - क्या ये अपनी व्यक्तिगत भूमि पर लगा सकते हैं? नंबर-3...

श्री अध्यक्ष: काफी है, दो-दो ही पूछो अभी।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): ठीक है। क्या यह व्यक्तिगत भूमि में लगा सकते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पवन ऊर्जा के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों को चयनित किया गया था और उसमें खास तौर से बिलानाम, गैर मुमकिन, मगरा, बंजर, बारानी, गैर मुमकिन भाखर, बाड़, गैर मुमकिन पहाड़, इस तरह की भूमि है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सौर ऊर्जा के लिए, साहब?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सौर ऊर्जा के लिए भी इस प्रकार की भूमि है जिसमें बिलानाम, चरागाह, गैर मुमकिन...

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एरिया, साहब। एरिया सौर ऊर्जा के लिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): एरिया बताता हूं, सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला नहीं है क्या इसमें, साहब? हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में स्थापित करना चाह रहे हैं,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

जो हो सकता है क्या? इसकी व्यवस्था क्या है, सरकार से कितना सहयोग मिलेगा यदि स्थापित करना चाहें तो और हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में सौर ऊर्जा के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो जाएगी क्या?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है जो किस्म मैंने बताई है इस प्रकार की भूमि वहां उपलब्ध होने पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड1 में कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए भूमि आबंटन की बात की। क्या यह सही है कि सौर ऊर्जा के लिए कुछ कंपनियों को भू आबंटन किया गया था? आपके कोलायत और लूणकरणसर में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गयी थी? अगर हां, तो उन कंपनियों के क्या-क्या नाम हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, देखिये इन्होंने प्रश्न से अलग प्रश्न किया है। आप मेरे से अलग प्रश्न कर लें, मैं बता दूंगा। वैसे मेरे पास यह सूचना है कि जिन कंपनियों को जमीनें आबंटित की गयी थीं उनमें से सौर ऊर्जा के लिए जो जमीनें आबंटित की गयी थीं उनमें से 15,549.60 बीघा भूमि शर्तें पूरी नहीं करने पर निरस्त कर दी गयीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नाम बताओ न। कंपनियों के नाम बताओ न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। नहीं, माननीय मंत्री जी बैठें। माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा है। देखते ही नहीं अध्यक्ष की तरफ और प्रश्न पूछ रहे हो आप। अंकित नहीं होगा। आप अध्यक्ष को देखते ही नहीं। बिलकुल गलत परम्परा है। अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

श्रीगंगानगर जिला परिषद् में विकास कार्यों हेतु आबंटित बजट

346. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में श्रीगंगानगर जिला परिषद् में विकास कार्यों हेतु कुल कितना बजट आबंटित किया गया था? उक्त बजट किस-किस योजना में कितना-कितना आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश चन्द्र)

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की पंचायत समिति सादुलशहर में विगत पांच वर्षों में कुल कितना बजट किस-किस योजना हेतु आबंटित किया गया है? उक्त में से किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना बजट व्यय किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) श्रीगंगानगर ज़िला परिषद् में विकास कार्यों हेतु गत 5 वर्षों में कुल रु. 1483.60 करोड़ आबंटित किये गये। उक्त बजट संलग्न सूची (परिशिष्ट-1) अनुसार अलग- अलग योजना में आबंटित किया गया है।

(2) पंचायत समिति सादुलशहर में गत पांच वर्षों में कुल रु. 142.44 करोड़ आबंटित किये गये एवं अलग-अलग योजना मे आबंटित बजट की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त बजट से स्वीकृत कार्यों पर व्यय की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि बीएडीपी में सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के 17 गांव आते हैं जीरो लाइन से दस किलोमीटर में। क्या सरकार की आगे मंशा है कि सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के और गांव इसमें बढ़ाये जाएंगे या नहीं बढ़ाये जाएंगे?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह इस सवाल से अतिरिक्त बीएडीपी के बारे में है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम अन्तरराष्ट्रीय बार्डर पर जो दस किलोमीटर की सीमा के क्षेत्र हैं उनको विकसित करने का प्रोग्राम है। इसमें चालीस प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देती है और साठ परसेंट पैसा भारत सरकार देती है। इस कमेटी की अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं और जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है अपने क्षेत्र के बारे में, मैं इनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सादुलशहर इस योजना में नहीं आता है क्योंकि वह उस सीमा के बाहर है लेकिन 17 पंचायतें इनके विधान सभा क्षेत्र की गंगानगर में लगती हैं इसलिए वह टच करता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कि अन्तरराष्ट्रीय बार्डर पर हमारा जो विकास का फोकस है वह अधिक केन्द्रित किया जाए ताकि वहां के लोगों को

(श्री सचिन पायलट)

सही सहूलियत मिल सके और मैं अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले को पिछले वर्ष जो पैसा आबंटन हुआ था उसमें थोड़ी कमी आयी है उसके अनुपात में ही इन 17 पंचायतों में भी पिछले वर्ष जहां मिले थे 5 करोड़ 40 लाख रुपये, इस बार मिले हैं 4 करोड़ 94 लाख रुपये इसलिए पैसा प्रपोर्शनेटली कम हुआ है लेकिन इस बार्डर क्षेत्र में प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी और मुझे लगता है कि हमारे जो अन्तरराष्ट्रीय बार्डर पर इलाके पड़ते हैं चाहे वह गांव हो चाहे शहर हो, उनको पूरी ताकत देकर उनको सम्बल बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार 2018-19 में 36 करोड़ 32 लाख रुपये गंगानगर जिले को दिये थे। क्या इस वर्ष सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो बताएं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा चूंकि यह 60:40 का रेशो है, पिछली बार 36 करोड़ मिला था इस बार 35 करोड़ किया है इसलिए उसमें कुछ मार्जिनल डिक्रीज हुआ है लेकिन सरकार की मंशा बार्डर इलाकों को कभी-भी वंचित करने की नहीं है। खासकर माननीय सदस्य का जो विधान सभा क्षेत्र है और आस-पास के जिलों में पूरी ताकत, पूरे पैसे के साथ वहां पर उस एरिये को डवलप करेंगे, लेकिन सरकार ने जान बूझकर किसी भी क्षेत्र में पैसा कम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द राम जी।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भी दस किलोमीटर तक बीएडीपी में है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है। बैठें आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): नहीं, मैं इससे संबंधित ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप प्लीज। अलाउ नहीं है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं है, बैठें आप। अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

जवाई बांध को सिंचित क्षेत्र में शामिल करने की योजना

347. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जवाई बांध के अधीन सिंचित भूमि को जवाई बांध के नहरी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो पूर्व में रकबा क्षेत्र के पाइपों के गेज बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जवाई बांध के सी.सी.ए. में सम्मिलित चाही भूमि की किस्म परिवर्तित कर जवाई नहरी दर्ज किये जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किये जाने पर, किस्म परिवर्तित भूमि को सिंचाई हेतु जारी बाराबंदी में सम्मिलित किया गया। इस अतिरिक्त जवाई नहरी किस्म की भूमि को सिंचाई हेतु पानी, स्थापित पाइप आउटलेटों के माध्यम से ही संबंधित जल उपयोक्ता संगमों की सहमति से दिये जाने से पाइप आउटलेट्स की साइज गेज नहीं बढ़ायी गयी।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के हित में फैसला करके चाही की किस्म परिवर्तन करके नहरी क्षेत्र जवाई नहर में लिया, लेकिन रकबा बड़ा है। पाइप की साइज वही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री छगनसिंह (आहोर): तो किसानों के हित में आप पाइप की साइज बढ़ाने का कब विचार करोगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू-शुरू में जिस रकबे की ये बात कर रहे हैं वह चाही भूमि थी। चाही भूमि का मतलब जहां पर पहले से कुए और ट्रेडिशनल सोर्सेज से सिंचाई हो रही थी। फिर धीरे-धीरे कुओं का पानी सूख गया तो ये लोग उपखण्ड एसडीएम के पास गये। उन्होंने एक फैसला लिया चूंकि इनके कुओं का पानी सूख गया है इनको जवाई बांध से पानी दिया जाए तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया गया और जो हमारे पास पहले से आउटलेट थे उन आउटलेट्स के माध्यम से 58 परसेंट इंटेंसिटी से हम पानी दे रहे हैं और बराबर पानी पहुंच रहा है जो इंटेंसिटी स्थापित है उसमें 58 परसेंट की सघनता पूरी मानी जाती है उससे किसान के खेत में पानी पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, रकबा बड़ा है। पहले 15 हैक्टेयर का रकबा था और अब 20 हैक्टेयर हो गया है तो आउटलेट से जो पहले 15 हैक्टेयर को पानी मिल रहा था और अब 20 हैक्टेयर को देना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं पानी की कमी हुई है इसके लिए आप क्या विचार रखते हैं, पाइप का गेज कब बढ़ाओगे? पाइप का गेज बढ़ाने की बात है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ज्यादा पानी से ज्यादा सिंचाई नहीं होती। आजकल बूंद-बूंद सिंचाई सिस्टम, फव्वारा सिस्टम और एक तरीके से यह कहना चाहिए कि कम पानी में अच्छी खेती की जाती है।

(12.00 बजे)

लेकिन जो इसमें सघनता का सवाल है, 58 परसेंट इंटेंसिटी से पानी पहुंच रहा है। यदि इसमें किसी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो हम इसके आउटलेट्स के बारे में विचार कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार किसान के खेत में इस इंटेंसिटी से पानी पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पोकरण-फलसुण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा कस्बे को उप तहसील एवं भाद्राजून कस्बे को तहसील बनाये जाने के संबंध में।

(3) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में वर्ष 1998 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से हाड़ौती क्षेत्र में फसल बुआई के बाद सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द जिले में महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 60 अन्य सदस्यों की ओर से अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में पेचीदगियां होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से महिला बाल विकास विभाग केशोरायपाटन में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(8) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश के पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों की दवाइयां उपभोक्ता संघ की दुकानों पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर व जयपुर शहर में अवैध मांस की दुकानें व ढ़ाबों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में नगर परिषद् व नगर विकास न्यास में स्टाफ की कमी व अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ से बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

कटारिया जी के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, यह मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं।

(14) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं तेरह अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की आदिवासी बहुल पंचायतों के मजदूरों में सिलिकोसिस व ट्यूबरक्लोसिस बीमारियां होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग-61 आलीघाटी क्षेत्र में आये दिन हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किये जाने से काश्तकारों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ एवं नीमराणा में बीयर फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट खुले में डाले जाने से बरसात के मौसम में भयंकर बीमारियों के फैलने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री खुशवीरसिंह, श्रीमती अनिता भदेल एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत नोन टी.एस.पी. क्षेत्र के कार्मिकों को कार्य मुक्त किये जाने के संबंध में।

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के भविष्य से किये जा रहे खिलवाड़ के संबंध में।

(3) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के

(श्री अध्यक्ष)

विजयनगर व मसूदा के सामान्य चिकित्सालयों में व्याप्त असुविधाओं के संबध में।

(4) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा में वन विभाग द्वारा गाड़ियों को जब्त किये जाने के संबंध में।

(5) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने के संबंध में।

(6) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(7) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय तिजारा में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने तथा रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(8) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में।

(10) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश के राज्यकर्मियों के तीसरी सन्तान होने पर पदोन्नति एवं एसीपी विलम्ब से देने के दोहरे दण्ड के प्रावधान को हटाये जाने के संबंध में।

(11) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(12) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश में संभाग मुख्यालयों पर पृथक् से जिला कलेक्टर (ग्रामीण) की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(पढ़ी मानी गयीं नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं :-

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य द्वारा सामोद से वीर हनुमान मंदिर तक बनाये जाने वाली सड़क की एनओसी वन विभाग से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से राज्य में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के अध्यापक नहीं होने के संबंध में।

(3) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जैतारण विधान सभा के मगरा क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को कब्जाशुदा भूमि का नियमन करने के संबंध में।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में पोलीथिन/ प्लास्टिक के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

क्रम संख्या-2 का विषय जो श्री अमीन खां जी ने उठाया है वह प्रश्न में आ गया है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी, तीन पर्चियों पर ही चर्चा होगी। स्थगन प्रस्ताव पर श्री पुष्पेन्द्र सिंह। एक मिनट, पुष्पेन्द्र जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कोई तारीख तय कर दीजिए कि मुख्य मंत्री जी कब जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: कल आपको तारीख बता देंगे। श्री पुष्पेन्द्र जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बाली की आदिवासी बहुल पंचायतों के मजदूरों में सिलिकोसिस व ट्यूबरक्लोसिस बीमारियां

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जिस बाली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां 13 पंचायत और लगभग 40 गांव ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में आते हैं और ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जीरो आवर की महत्ता नहीं है। माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर जाएं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): लगभग 95 परसेंट वहां की आबादी जनजाति है। गरासिया, भील और मीणा लोग वहां रहते हैं। इन 13 पंचायतों में लगभग 10 हजार से ज्यादा बीपीएल परिवार हैं और लगभग सभी परिवार लघु काश्तकार हैं। उनके 1-2 बीघा खातेदारी जमीन है जिससे वह अपनी काश्तकारी करते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं इस पूरे क्षेत्र में ये लोग 10-15 किलोमीटर चलकर बड़े कस्बों में मजदूरी के लिए आते हैं और भवन निर्माण का काम करते हैं। मंदिर गढ़ाई का काम वहां अच्छी संख्या में लोग करते हैं। हमारे क्षेत्र में पिण्डवाड़ा एक हब है, बहुत बड़ेबड़े मंदिरों का निर्माण वहां के कारीगरों द्वारा किया जाता है। स्वामीनारायण के जितने भी मंदिर हैं या जितने भी मंदिर राजस्थान में बन रहे हैं, उनकी गढ़ाई का काम पिण्डवाड़ा में होता है और पिण्डवाड़ा के क्षेत्र में बहुत बड़े कारखाने लगे हुए हैं। इसमें एकएक कारखाने में लगभग एक हजार से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको रोजी रोटी तो मिल गयी, पर सबसे बड़ी बीमारी सिलिकोसिस उनके गले लग गयी। आज प्रत्येक गांव में सैकड़ों लोग इस सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हैं। उस पूरे क्षेत्र में दो पीएचसी सैंटर हैं और पीएचसी सैंटरों में आपका डाक्टर नहीं है। वहां जीएनएम है, लैब टेक्निशियन है, लेकिन डाक्टर नहीं होने के कारण उनको आगे के लिए एडवाइज नहीं करते हैं कि आपको कहां जाना है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा उनको रिलीफ भी दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस का सर्टिफिकेट मिल जाए तो तुरंत प्रभाव से उसको एक लाख रुपये की सहायता मिलती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए उसको चार लाख रुपये मिलते हैं लेकिन आज की तारीख में उनका सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण, क्योंकि उनको पाली जाना पड़ता है, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर सीएचसी बाली में सिलिकोसिस का कैम्प लग जाए तो ऐसे सैकड़ों आदिवासी भाइयों को जो आज मजबूर हैं, वह कोई काम कर नहीं सकते हैं, सिलिकोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें यह तयशुदा है कि दो-तीन साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। उनके लंग्स एक तरह से खराब हो जाते हैं। वे काम करने लायक नहीं होते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिलिकोसिस के व्यक्ति को पालनहार योजना से भी जोड़ा जाए, क्योंकि उस व्यक्ति की दो-तीन साल बाद मृत्यु निश्चित है। मेरा आपसे निवेदन है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कैंप आप

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

प्रत्येक पंचायत में रख दें। दो-तीन परिवार में आपको एक व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस का मिलेगा। मेरे यहां सैकड़ों लोग सिलिकोसिस की बीमारी से ग्रसित हैं। आप पंचायतवाइज ट्यूबरक्लोसिस का कैंप लगाएं, उनको अगर पर्याप्त दवाएं मिल जाएं, उनके सर्टिफिकेट मिल जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। धन्यवाद।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। खनन क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, यह उनकी सेहत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंड स्टोन की जो माइंस हैं, उनमें जो सिलिका निकलता है, वह श्वसन तंत्र के माध्यम से मरीजों के फेफड़ों में चला जाता है और सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। चूंकि राजस्थान में माइनिंग एरिया बहुत है, इसलिए राज्य सरकार ने तीन विभागों को मिलाकर सिलिकोसिस नीति बनाने की पहल की है। इसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, खान विभाग है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग सिलिकोसिस से बीमार हो जाते हैं, उनको एक लाख रुपया बीमारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था, यह राज्य सरकार की नीति थी।

मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद 30.05.2019 को माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर उक्त राशि को बढ़ाकर अब दो लाख कर दिया गया है और जो मृतक के आश्रित हैं, उनको 3 तीन लाख रुपये की राशि देय है। जहां तक आपने बाली विधान सभा क्षेत्र की बात उठायी है। बाली में सिलिकोसिस की पहचान के लिए न्यूमोकोनोसिस बोर्ड गठित किया हुआ है। सिलिकोसिस के जो मरीज हैं, उनका आनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। यह बात सही है कि जिला स्तर पर जाकर उनको यह सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन इस सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा सिलिकोसिस की बीमारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमारा डीएमएफटी फंड है, जहां-जहां माइनिंग एरियाज हैं, उस फंड के माध्यम से उक्त राशि वर्तमान में दी जा रही है। पाली जिले में 2015 से मई, 2019 तक सिलिकोसिस के 40 कैंप लगाये गये हैं जिनमें 472 मरीज इस बीमारी के

(श्री रघु शर्मा)

हमने चिह्नित किये हैं। सभी राजकीय अस्पतालों में सिलिकोसिस मरीजों के लिए सिम्पटोमेटिक नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि उन इलाकों में कुछ पीएचसी, सीएचसी में डाक्टर्स की कमी है। उस कमी को हम पूरा करेंगे ताकि बीमार लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड है, उसके द्वारा 2016 से 2019 तक बाली विधान सभा क्षेत्र में कुल 210 सिलिकोसिस के मरीज चिह्नित किये गये थे, उनमें से 4 की मृत्यु हो गयी है। बजट घोषणा 2019-20 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिलिकोसिस पालिसी लागू करने के निर्देश दिये हैं। श्रम विभाग द्वारा सिलिकोसिस पालिसी बनायी जा रही है। माननीय सदस्य, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, केन्द्रीय क्षय अनुभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार राजस्थान राज्य में यह कार्यक्रम सन 2000 से चलाया जा रहा है। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणुओं द्वारा इसमें टीबी भी हो जाती है। इन दोनों बीमारियों पर सरकार गंभीर है। मैं सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में न केवल बाली में, बल्कि राजस्थान में जहां-जहां सिलिकोसिस के मरीजों की गंभीर स्थिति है। राज्य के माइनिंग क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं, वहां निरंतर यह बीमारी आ रही है। जहां-जहां प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर राज्य सरकार कैम्प लगाएगी, जो पीएचसीज वहां पर कार्यरत हैं, उनमें जो चिकित्साकर्मियों की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी मेडिसन हैं, चाहे टीबी है, चाहे सिलिकोसिस है, हम सबकी व्यवस्था करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से मरने न पाये। यह आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। विराजें। अंकित नहीं होगा। यह तरीका नहीं है। आप नीचे बैठें। श्री खुशवीरसिंह। आप दूसरी बार सदस्य हैं। आप लिखकर भेज दें।

मारवाड़ जंक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित दुर्घटनाएं

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की राज्यीय राजमार्ग 61 और राज्यीय

(श्री खुशवीरसिंह)

राजमार्ग 62, पिछली सरकार में माननीय गहलोत साहब और कुंदनपुर से आने वाले मंत्री जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आपने दोनों सड़कें स्वीकृत की थीं, लेकिन 2013 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद रिव्यू के नाम पर दोनों ही सड़कें निरस्त कर दी गयीं।

श्री अध्यक्ष: दुर्घटना पर बोलें, आप कहां आ गये?

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी पर निवेदन कर रहा हूं कि राज्यीय राजमार्ग 61 पर, जो जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन, धल्लो देवड़ी होते हुए जोजावर और जोजावर से कालीघाटी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर मिलता है और आगे भीलवाड़ा के लिए जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस काली घाटी क्षेत्र में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आये दिन ट्रैक्टर पलट जाता है। बसें पलटी खा जाती हैं। बड़े-बड़े ट्रक आते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह देसरी की नाल में 2006 में दुर्घटना हुई थी, विश्व का सबसे बड़ा सड़क हादसा था, एक सौ से ज्यादा व्यक्ति मर गये थे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो काली घाटी है, उसमें आईआरसी के नोर्म्स से डबल चढ़ाई है। 16 फीट पर एक फीट का सैंक्शन होना चाहिए लेकिन वहां पर 16 फीट पर लगभग दो फीट की ऊँचाई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका सुदृढ़ीकरण करवाया जाए, ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सचिन पायलट।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, वह सड़कों की चौड़ाई से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि काली घाटी का जो क्षेत्र है, एक्चुअली उसमें बहुत घुमाव है और बहुत विकट मोड़ है। इसे देखते हुए जो सड़क सिंगल लेन थी, उस पर ढ़ाई करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं। यह 7 किलोमीटर का टुकड़ा है। इसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी हम बढ़ाकर साढ़े पांच मीटर कर देंगे। इस 7 किलोमीटर के टुकड़े का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करने का काम जो अभी चल रहा है, वह अगले पांच महीने में खतम हो जाएगा। इस क्षेत्र में पिछले पांच साल में 20 दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन रोड सेफ्टी फंड से ब्लाइंड स्पोट आइडेंटिफाई करके हम चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे अभी हादसा जयपुर में जेएलएन

(श्री सचिन पायलट)

रोड पर हुआ है। हमें लगता है कि सड़क दुर्घटना अनएक्सपैक्टेबल है। जीरो टोलरेंस करेंगे। सरकार की पूरी ताकत लगेगी, ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सदन के नेता जी ने 10 जुलाई को बजट भाषण पढ़ते समय पैरा नंबर 169 में जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत होने वाली अपील का क्षेत्राधिकार परिवर्तित करके संभाग मुख्यालय और संभागीय आयुक्त को देने के संबंध में प्रस्ताव रखा। मैं इसके संबंध में आपको तीन-चार निवेदन करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह जो सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के पीछे उनका क्या मंतव्य है, यह तो मैं नहीं समझ पायी, पर मैं इतना जरूर समझ पायी हूं कि शायद सरकार का मंतव्य यह रहा होगा कि हम कम समय में सस्ता न्याय काश्तकारों को दे सकें। सोच जरूर यह है लेकिन यह व्यवहार में प्रैक्टिकल नहीं है। यह व्यावहारिक रूप से बिलकुल उचित नहीं है क्योंकि संभाग मुख्यालय पर जो अदालत होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बार आपको भी ध्यान होगा कि यह प्रशासनिक कार्य भी उनके पास होते हैं। प्रशासनिक कार्य होने से अनेक बार कोर्ट जिस दिन निर्धारित होती है, उस दिन भी कई बार उनको एक्सटेंड करनी पड़ती है, निरस्त करनी पड़ती है। यह कहते हैं कि प्रशासनिक कारणों से वह बाहर गये हैं क्योंकि उनके पास तीन-तीन, चार-चार जिले होते हैं। कई बार एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता है। इस वजह से उनका कोर्ट में ही न्याय नहीं हो पाता और काश्तकार छोटे-छोटे मामलों के लिए, कोई जरूरी मामले हैं, उनके लिए महीनों चक्कर काटते रहते हैं। यह व्यावहारिक बिलकुल नहीं है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

दूसरा, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक जिले में, राजस्थान में जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जिलों में अपील अधिकारी का पद है और वहां अधिकारी पदस्थापित भी है, जहां नहीं है वहां भू-प्रबन्ध अधिकारी को यह राइट दिया हुआ है। लेकिन अगर यह हम संभागीय आयुक्त को दे देते हैं तो इसमें सीधे-सीधे दो फर्क पड़ेंगे। एक तो यह पड़ेगा कि जो काश्तकार है, उसको अपना जिला छोड़कर, क्योंकि अपील अधिकारी तो जिले में ही बैठता है। जब भी उसकी डेट पड़ती है, वहां जा सकता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उसको संभागीय मुख्यालय पर जाना पड़ेगा। अपने जिले को छोड़कर उसको दूसरे जिले में जहां संभागीय मुख्यालय है, वहां पर जाना पड़ेगा। इससे उसका धन भी खर्च होगा, पैसा भी लगेगा और समय भी बर्बाद होगा। शीघ्र न्याय भी उसको नहीं मिल पाएगा।

तीसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं यदि सरकार की यह सोच है कि कलेक्टर जो निर्णय करते हैं, उन निर्णयों के खिलाफ अपील अधिकारी के पास जो निर्णय जाते हैं, चूंकि वहां कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का है और उस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा है, वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उनकी यह सोच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अपील राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी सुने तो यह जूडीशियरी का जो डेकोरम है, वह मैन्टेन नहीं होता। इस वजह से शायद यह निर्णय करना चाहते हैं।

मैं एक ध्यान और दिलाना चाहती हूं। चूंकि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड है। रेवेन्यू बोर्ड में सभी कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों के निर्णयों की अपील होती है और निर्णय सुने जाते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी वहां नोमिनेट होते हैं, पहले परम्परा थी रेवेन्यू बोर्ड में कि सीनियर आईएएस आफिसर को वहां नियुक्त किया जाता था लेकिन पिछले पच्चीस-तीस सालों से यह परम्परा बन गयी है कि वहां जूनियर और ऐसा लगता है कि जिसको डंप करना है, उस अधिकारी को रेवेन्यू बोर्ड भेज दो। ऐसी स्थिति में जब रेवेन्यू बोर्ड जैसी उच्च संस्था जो काश्तकारों के बड़े-बड़े निर्णय करती है, यदि उस संस्था में ही आरएएस अधिकारी को आप पोस्टिंग दे रहे हैं तब तो फिर यहां जो आप सोच रखते हैं, यदि यह सोच रखते हैं तो फिर वहां पर आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसीलिए सरकार का मैंने ध्यान आकर्षित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सैंसेटिव विषय है। इसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ने वाला है। काश्तकारों को न्याय नहीं मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य हो गया। प्लीज। बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं निवेदन करूं कि पच्चीस कोर्ट में जो सुनवाई होती है, वह आप सात कोर्ट में दे रहे हैं तो कैसे, इतने सारे मामले तो पहले ही लंबित पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह मामले कैसे निस्तारित होंगे? यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: बलजीत यादव। बोलना है आपको? बलजीत जी, एक मिनट रुकिये।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की, वह बड़ी गंभीर चिंता है। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि जो राजस्व केस पैंडिंग पड़े हैं पूरे राजस्थान में, उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी कैसे हो? लगातार हर जगह से यह मांग आती रहती है कि राजस्व के जो केसेज हैं वह जल्दी से जल्दी कैसे निपटें। पूरे सदन की भी यही मंशा हर बार जाहिर होती है कि राजस्व के जो केसेज हैं, उनको जल्दी से जल्दी प्राथमिकता से सरकारें एड्रैस करें। परंतु दुर्भाग्य से राजस्व केसेज जो पैंडिंग हैं, उनकी संख्या कम होने की जगह उन केसेज की संख्या ज्यादा होती रही है।

जहां तक आज जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत यह सवाल उठा है, वह है अजमेर के अंदर वकीलों की हड़ताल। वकीलों की तरफ से मुझे भी ज्ञापन दिया, उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट महोदय को भी ज्ञापन दिया गया और शायद वह आपके पास भी आएं। मेरी आपके मार्फत सभी लोगों से यह अपील है कि हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए काश्तकारों के साथ न्याय कैसे हो और उनके केसेज की पैंडेंसी कम कैसे हो? इस पर सभी लोग सहमत हैं। अब सवाल यह आ रहा है कि जिला कलेक्टर के किये गये फैसलों की अपील आरआरए करे या डिवीजनल कमिश्नर करे, यही एक विवाद का मुद्दा है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं मुख्य मंत्री

(श्री हरीश चौधरी)

महोदय से इस बारे में चर्चा करूंगा और सभी पक्षों से चर्चा करूंगा। आप सब लोगों से यह अपील करता हूं कि हम लोगों की सोच से पहले काश्तकारों की प्राथमिकता रहनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

बहरोड़ एवं नीमराणा में बीयर फैक्ट्रियों के अपशिष्ट की रोकथाम

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़, नीमराणा और लगते हुए शाहजहांपुर मोलेड़ा में शराब बीयर की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जो इस बात के लिए पाबंद होती हैं कि शराब और बीयर बनाते वक्त जो अपशिष्ट युक्त पानी होता है, उसको ट्रीट करेंगी और उस ट्रीट किये हुए पानी को पुनः शराब बनाने में यूज करेंगी। चूंकि पानी को ट्रीट करने में खर्चा बड़ा आता है इसलिए वह बिना ट्रीट किये हुए अपशिष्ट पानी को खुले में डाल देते हैं जिसमें भयंकर संख्या में मक्खियां पैदा होती हैं, सड़ांध मारता है पूरा इलाका। वर्षा के समय में भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण अनेक बीमारियां वहां पर फैलती रही हैं। वर्तमान में भी यही स्थिति है कि खुले में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पानी को इन कंपनियों के द्वारा छोड़ा गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनेक बार पशु मारे गये पक्षी मारे जाते हैं इस पानी को पीने से। लंबे समय तक यह पानी भरा रहता है और भूजल जो होता है, वह भी खराब हो जाता है। इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, जो देखता है, ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और सरकार इन फैक्ट्रियों को पाबंद करे या इन पर जुर्माना लगाना हो तो वह लगाएं। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट पानी को खुले में न छोड़ें। उसको ट्रीट करके शराब बनाने के काम में लें। मेरा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन में है, वैसे ही पानी की कमी है और ये कंपनियां अत्यधिक पानी का दोहन भी कर रही हैं। बीमारियां फैलने से जनमानस को इससे बहुत ज्यादा हानि भी हो रही है। इसलिए आशा रखता हूं कि सरकार इनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी और जनता को राहत देगी। वर्षा ऋतु में जो बीमारियां फैलती हैं, वह मेरे इलाके में नहीं फैलेंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सामोद से वीर हनुमान मंदिर तक सड़क के लिए वन विभाग की अनापत्ति

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा 2014-15 के अंदर सामोद से लेकर वीर हनुमान जी के पहाड़ के ऊपर 7.1 किलोमीटर सड़क बनाने की अनुमति जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गयी। 36 करोड़ रुपये की पीडब्ल्यूडी के अंदर स्वीकृति जारी की गयी। उसी समय एक करोड़ रुपये की राशि वन विभाग को ट्रांसफर की गयी। वन विभाग के अंदर साढ़े नौ हैक्टेयर जमीन आती थी, उस जमीन को प्रोसेस करने के लिए जेडीए ने एक करोड़ रुपये वन विभाग को दिए।

अध्यक्ष महोदय, लगभग दो-ढ़ाई साल से प्रक्रिया चालू होकर साढ़े नौ हैक्टेयर जमीन का डायवर्जन जिला कलेक्टर के माध्यम से कमप्लीट हो चुका है। बाद में वन विभाग ने कम से कम चार-पांच बार आपत्तियां लगाईं। जेडीए ने वह सारी की सारी आपत्तियां पूर्ण करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद आज भी सामोद से लेकर वीर हनुमान जी की सड़क का काम शुरू नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर जाने का काम करते हैं, जनेऊ पहनने का काम करते हैं, मानसरोवर की यात्रा का काम करते हैं। लेकिन चुनाव सम्पन्न होने के बाद में बहुसंख्यक समाज की इन आस्था के केन्द्रों के प्रति, मेरे वीर हनुमान जी के मंदिर के अंदर रोप-वे शुरू हुआ था, उस रोप-वे को भी इन्होंने बंद कर दिया। बार-बार हिन्दुओं की आस्था के केन्द्रों पर यह सरकार प्रहार कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार तत्काल इस सड़क की स्वीकृति जारी करे। वन विभाग एनओसी जारी करे। तत्काल इस सड़क को शुरू करके ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की जो बात सरकार कर रही है, उसको पूरा करने का काम करे। नहीं तो मैं फिर आपको चेता रहा हूं जो कर्नाटक के अंदर हुआ है, वीर हनुमान जी, बालाजी आपको बख्शेंगे नहीं। चेत जाओ, अभी भी समय है। आने वाला समय आपका संकट का रहेगा। अध्यक्ष महोदय, बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

जैतारण के मगरा क्षेत्र में बसे ग्रामीणों की कब्जाशुदा भूमि का नियमन

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जीरो आवर में बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के एक प्रमुख मुद्दे की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैतारण में एक तरफ मारवाड़ और दूसरी तरफ मगरा क्षेत्र है। मगरा क्षेत्र में अधिकांश रावत व मेहरा जाति के लोग रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से मगरा क्षेत्र में विकास के लिए मगरा विकास बोर्ड बना हुआ है। पूर्व में अभी तक मगरा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी पैसा दिया गया है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मगरा क्षेत्र में अधिकांश लोग आधा बीघा, एक बीघा, अधिकतम डेढ़ बीघा से ज्यादा की जमीन के मालिक नहीं हैं। मगरा क्षेत्र में अधिकांश सेना के जवान रहते हैं, सबके मकान पहाड़ों पर बने हुए हैं। जब छुट्टियों में घर आते हैं तो छोटा-मोटा मकान बनाकर वह वहां रहते हैं। उनके परिवार छोटी-मोटी खेती करके अपना गुजारा करते हैं। मगरा क्षेत्र के लोगों के पास मकान और खेत हैं उनका नियमन पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है कि आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ, न ही उनके मकानों का पट्टा दिया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों द्वारा धारा 91 की कार्यवाही के द्वारा उनको परेशान भी किया जा रहा है।

मैं राज्य सरकार से पुरज़ोर मांग करता हूं कि मगरा क्षेत्र के लोगों का मकान व कब्जा काश्त खेतों व जमीन पर उनका वर्षों से कब्जा व काश्त है, उनका नियमन करके उनको पट्टे जारी किये जाएं। नियमित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाएं। मैं मांग करता हूं कि सीलिंग लिमिट तक अतिक्रमण होता है उसको नियमित करने का अधिकार राज्य सरकार को है।

मैं साथ में एक और मगरा क्षेत्र से जुड़ी हुई मांग रखता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मगरा क्षेत्र में बगड़ी पंचायत के पास भोमादा बांध बना हुआ है पूर्व में इस बांध की वाटर सप्लाई पाली ज़िले से बाहर भीम विधान सभा क्षेत्र के लिए की गयी। इसमें कोई आपत्ति नहीं। चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह बांध बना हुआ है, पानी की बहुत दिक्कत है, इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र के...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): कोट किराना, बगड़ी, कलालिया, खाडापरा, बेलपरा इत्यादि गांवों में पानी की सप्लाई, उपरोक्त बांध से जोड़ी जाए तो वह सारी समस्या खतम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो बातें नहीं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा। बात कर रहे हो, बोल क्या रहे हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

प्लास्टिक पोलीथिन से बढ़ता प्रदूषण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। स्वच्छ भारत के लिए भारत सरकार की तरफ से नारा दिया गया था। उस नारे से पंचायतों को ओडीएफ करके, ऐसे मान रहे हैं जैसे पूरा देश स्वच्छ हो गया है। गंदगी का आरोप सिर्फ और सिर्फ गांवों पर थोप दिया। गांवों को दोषी मान लिया। लेकिन असली जो धरा की सफाई करनी थी, जो धरा की गंदगी है, जो इस धरती मां को गंदा कर रही है वह प्लास्टिक और पोलीथिन है। स्वच्छ भारत के संबंध में पिछली सरकार ने पांच साल तक टीवी और अख़बार में एड तो बहुत सारे दिए, लेकिन इस धरा की सफाई के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लाभ देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जमीन का उपजाऊपन गांवों में है। इसके कारण गांवों में उपजाऊपन समाप्त होता जा रहा है। अगर देश के नेता इसके लिए पोल्यूशन मुक्त और पोलीथिन मुक्त भारत करके, मृदा कार्ड की जगह, अगर धरा की सफाई गंदगी से मुक्त कार्ड देते, तो हम भी धन्यवाद दे देते।

अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है। पोलीथिन आज जहर बनी हुई है। अगर गांवों में देखें तो पोलीथिन, खेतों में देखें तो पोलीथिन, शहरों में पेड़ों की जड़ों में पोलीथिन पड़ी है, नदी पोलीथिन से ढकी हुई है, गार्डन में पोलीथिन है, नाले-नालियां, सड़कें, सब जगह पोलीथिन। आज यह एक सोचनीय विषय है कि पोलीथिन से गंदगी हो रही है, पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, पोल्यूशन युक्त हो रहा है। उससे भी बड़ा विषय है कि हमारी गाय माता, जो भारत देश में पूजी जाती है, उसके पेट में 50-50 किलो पोलीथिन निकल रही है। पोलीथिन खाने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सरकार कानून बनाती है, विधेयक

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बनाती है लेकिन उसका क्रियान्वयन कठोरता से लागू हो, जिससे राजस्थान पोलीथिन मुक्त बन सके, इस जहर से, इस गंदगी से हमें निजात मिल सके। कम्पनियों को बंद कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास पोलीथिन की क्वालिटी जांचने की कोई मशीन है या नहीं है। जब किसी जगह पर छापा डालते हैं, जब उनको पकड़ लेते हैं तो किस मशीन से उस पोलीथिन की जांच होती है? चाहे वह दुकानदार जीएसटी बिल से या पचास माइक्रोन से ज्यादा कैपेसिटी वाला प्लास्टिक ला रहा है, जो मान्य है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अपने पास मशीन है ही नहीं तो किस आधार पर जांच होती है? इसके लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिससे राजस्थान की इस धरा और धरती को स्वच्छ बनाया जा सके। पोलीथिन मुक्त राजस्थान बनाना होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आधे घंटे की चर्चा। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

आधे घण्टे की चर्चा

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 दिनांक 11.7.2019

आवारा पशुओं से हुई मृत्यु के शिकार परिवारों को आर्थिक सहायता

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न गायों के संबंध में किया था, कोटा से संबंधित था। कि आवारा पशुओं से स्मार्ट सिटी कोटा में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें आंशिक सच्चाई थी। तथ्यों को दबाया गया था, छुपाया गया था। दो लोगों की मृत्यु होना बताया गया और एक व्यक्ति का घायल होना बताया गया गायों के कारण। दो लोगों की मृत्यु हुई थी, दो वाहन गायों को बचाने के कारण उलट गये थे, उसमें दो व्यक्ति मरे उनका उल्लेख। उनका प्रकरण पुलिस में दर्ज था जिसको छिपाया नहीं जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय, अतारांकित प्रश्न था। प्रश्न पूछने के पीछे दो भावना होती है, एक तो जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, जो शासन में है, जो सरकार का नियंत्रण करते हैं उनके सामने उस समस्या को उजागर करना, जिसका समाधान शासन में बैठे लोग निकालें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मैंने यह प्रश्न किया था। मैं कोटा शहर से आता हूं। सौभाग्य की बात है मंत्री जी, आज इसका उत्तर देंगे, वह भी कोटा शहर से ही आते हैं। दो लोगों की मृत्यु हुई, वह तो बाहर के थे। मगर इसी संबंध में एक प्रश्न पिछली विधान सभा के सदस्य थे और अभी वर्तमान में भी कोटा साउथ से सदस्य हैं, उन्होंने किया था। यह प्रश्न उन्होंने 2017 में किया था और वह तारांकित प्रश्न था। मुझे तो फिर भी उत्तर में इस बात को स्वीकारा कि दो लोगों की मृत्यु हुई है। मगर कोटा दक्षिण से जो सदस्य आते हैं, उनको उत्तर दिया गया है, उसमें एक भी मौत होना नहीं स्वीकारा। यह कहा गया कि किसी की मौत नहीं हुई। दूसरा, कोई घायल भी नहीं हुआ।

हम जो प्रश्न करते हैं यह पूरे प्रश्न पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं। पत्रकारों को, समाचार पत्रों में इसकी प्रतिक्रिया होती है। जब यह खबर कोटा में छपी, समाचार पत्रों में इसकी प्रतिक्रिया जाहिर हुई। यह प्रश्न मैंने अभी यहां पर पूछा, जिसका उत्तर इस महीने की 11 तारीख को प्राप्त हुआ। उसके बाद ही, शायद मेरे प्रश्न के समर्थन में, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि दुर्घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं, प्रति माह घटना घटित होती है। 11 तारीख को तो उत्तर प्राप्त हुआ और 13 तारीख को लोकेश जैन उम्र 33 वर्ष, उनको गाय ने उठाकर फेंका, हफ़्ते भर वह अस्पताल में भर्ती रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी, यह 13 तारीख की घटना है। यह भी उसी विधान सभा क्षेत्र से हैं, जहां से हमारे माननीय मंत्री जी हैं।

उसके बाद 21/7 को राजकुमार निरंकारी, कुन्हाड़ी के निवासी हैं, वह भी उसी क्षेत्र के हैं, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के, जो इस विभाग को देख रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं प्रति दिन, यह घटना कोटा की नहीं, पूरे प्रदेश में मवेशियों के कारण, पशुओं के कारण कहीं न कहीं दुर्घटना हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे कोटा दक्षिण के विधायक हैं, उनका 2017 का प्रश्न था। उसके सम्बन्ध में जो कोटा में समाचार छपे, उसके अनुसार सरकार ने तो उत्तर दिया था कि कोई मृत्यु नहीं हुई। मगर माननीय अध्यक्षजी, आपकी जानकारी में लाने के लिए कि यह समस्या कितनी गम्भीर है, 2013 में कोटा में 07 लोगों की मृत्यु हुई, 2016 में 11, 2017 में 03 और 2018 में 08 एक्सीडेंट्स हुए हैं। मेरे पास नामों की भी सूची है। मैं उल्लेख इसलिये करना चाहूंगा माननीय अध्यक्षजी, कि जब यह समाचार-पत्रों

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

में पूरी डिटेल्स के साथ छपते हैं, 2013 में 24 जून को एक एडवोकेट कृष्ण गुर्जर, उनकी मृत्यु हुई, 30 दिसम्बर को छात्र गजेन्द्र सोलंकी की मौत हुई, 30 अगस्त को राधेश्याम, मुरारी, द्रोपदी इनकी मौत हुई, 30 सितम्बर को एक व्यापारी राजेन्द्र राणावत की मौत हुई है। ये सब फिगर्स कोटा के हैं। 03 जुलाई को रामगोपाल की मौत हुई 05 जुलाई को रेलवे कालोनी के विद्यानन्द शर्मा की मौत हुई, 23 अगस्त को लाडपुरा निवासी अशफाक की मौत हुई। 2016 में 28 जुलाई को छात्रा आंजना की मौत हुई, 10 अगस्त को टीचर कमलेश की मौत हुई, 01 सितम्बर को त्रिभुवन श्रीवास्तव, लीलाधर रैगर की मौत हुई, 25 सितम्बर को दुलीचन्द जैन की मौत हुई, 12 अक्टूबर को चेतन, खेमराज सिद्धू की मौत हुई, 19 अक्टूबर को भैरूलाल की मौत हुई, 17 नवम्बर को मदनमोहन शर्मा की हुई, ये 2016 में हुई। 2017 में तीन मौतें हुई, प्रेमप्रकाश गुप्ता की 29 जून को हुई 03 जुलाई को मधु देवी की हुई, 26 अगस्त को शिशु, एक अधेड़ की हुई। 2018 में छह हादसे हुए। इस 2019 में तो मौतें हो ही रही हैं।

जयपुर में, जयपुर का उल्लेख इसलिये करना चाहूंगा कि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। हम हैरिटेज सिटी का यूनेस्को से अवार्ड मिलने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न के संदर्भ में ही आधा घण्टे की चर्चा। (व्यवधान) आधे घण्टे की चर्चा जिस प्रश्न में आपको है, उसी के अंतर्गत है। आपके पास विस्तृत स्कोप नहीं है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, मैं उसी के अन्दर इस की भूमिका बता रहा हूं कि एक तो प्रश्न के जो उत्तर दिये, वे सच्चाई से परे हैं। मैं तो अर्द्ध-सत्य का प्रयोग करता हूं कि आधा सच है। यह जब खबर, एक अतारांकित प्रश्न की सहायता से पूछे गये प्रश्न की खबर, जिसको मैंने पत्रकारों को नहीं दिया, मगर जैसे ही यह खबर कोटा में पत्रकारों को मिली, माननीय अध्यक्षजी, यह फुल पेज का, और क्या बोलते हैं, हम जिसको यहां 'झूठ' नहीं बोलते हैं। 'झूठा' शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम 'असत्य' बोलते हैं। मगर समाचार-पत्रों पर तो यह पाबंदी नहीं है। "सरकार का सफेद झूठ, आवारा मवेशियों से छह साल में सिर्फ एक घायल, दो की मौत।" माननीय अध्यक्षजी, 36 मौतों का उल्लेख किया है।

यह मैं इसलिये कह रहा हूं यहां पर आधे घण्टे की चर्चा करके आपको

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

संतोष हो जाएगा कि मैंने विधान सभा के अन्दर यह बात रखी, अखबारों में छप गयी। उसके लिए मैं यह जिक्र नहीं कर रहा हूं। अध्यक्षजी, गाय जिसको हम गऊ-माता बोलते हैं, गाय जिसको हम संरक्षण प्रदान करते हैं। आज परिस्थितियां इस प्रकार की हो गयीं कि पहले समाज में गाय को सम्पन्नता के एक प्रतीक के रूप में माना जाता था, आज आर्थिक दृष्टि से गाय की उपयोगिता नहीं होने की वजह से सड़कों पर गाय एक समस्या बन गयी है। और, क्यों बन गयी है कि इसका सीधा सम्बन्ध, एक विभाग के मंत्री इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसको एड्रैस करना पड़ेगा तो आपको लोजिकल रूप में सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों को बैठकर करना पड़ेगा। मैं इसका उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि पिछली सरकार पलट गयी। उस समय विभाग के सैक्रेटरी अलग थे। कोटा में अधिकारी अलग थे। मंत्री अलग थे, आज अलग हैं। सरकार आई और गयी, समस्या बदस्तूर वहां बनी हुई है, जो प्रदेश की एक गम्भीर समस्या है, जिसको हमें एड्रैस करना है। मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न में, आप सीनियर सदस्य हैं, आधा घण्टे की चर्चा का मतलब यह है कि आपने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के उत्तर में यह है। उसी स्कोप में चर्चा करके मंत्री जवाब देंगे। (व्यवधान) जनरल डिबेट नहीं होगी। आपने प्रश्न कर दिया, ज्यादा वहां मौत हुई है, रिपोर्ट कम हुई है और सरकार का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना है। इसकी जनरल डिबेट नहीं होगी। हम सब इसकी चर्चा इसलिये करवा रहे हैं सदन के सब माननीय सदस्य समझें कि आधा घण्टे का महत्व क्या है। इसको डिबेट में कर दिया तो परपज defeat हो जाएगा।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): No, I'd not like to ….

श्री अध्यक्ष: Please conclude it.

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): I have concluded it, Sir.

श्री अध्यक्ष: Yes, you said it very categorically.

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): Okay. Thank you for permitting me to raise this issue and bring it to the notice but we should reach to a logical conclusion where we can take care of

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

this problem. आज गाय को हम कह रहे हैं, मरने भी नहीं देंगे और सड़क पर जीने भी नहीं देंगे। यह समस्या है। इसका समाधान निकले। प्रदेश में सरकार पलट गयी। नहीं तो यह धोखा है प्रदेश की जनता के साथ, जो इस उम्मीद में हैं कि सरकार पलटेगी, समस्या का समाधान होगा। समाधान नहीं हो रहा है, माननीय अध्यक्षजी। मैं आपको समाधान का रास्ता बता रहा हूं। अब कह रहा हूं कि इसके बारे में, धन्यवाद, आपने मुझे अनुमति दी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, आप बताएं, बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपकी और उनकी चर्चा नहीं है। चर्चा नियम से होगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सदन को समझना पड़ेगा। आधे घण्टे की चर्चा इसलिये कराई है सभी माननीय सदस्य समझें कि आधे घण्टे की चर्चा का इस नियम में क्यों प्रोविजन किया गया। आपने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया। उन्होंने लिखकर भेजा, इसमें मैं चर्चा करना चाहता हूं। रूल के अंतर्गत यह प्रोविजन है, इसलिये हमने चर्चा कराई। उस चर्चा के सम्बन्ध में ही मंत्री महोदय को और उनको प्रश्न करना है। जनरल डिबेट नहीं करनी है। इसलिये माननीय सदस्य ने प्रश्न उठा लिया, आप अपना जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरीके से यह प्रश्न उठाया है, निश्चित तौर पर मैं इस समस्या को बड़ी गम्भीर समस्या मानकर चलता हूं। जो कुछ आपने बताया है, माननीय सदस्य ने बताया है, मैं शत-प्रतिशत उससे एग्री करता हूं इस बात के लिए कि वाकई नगर निगम के द्वारा, पुलिस के द्वारा और दूसरे अधिकारियों के द्वारा भी इस तरह की हरकतें छिपाई जाती हैं।

जब अतारांकित प्रश्न आया तो जिला कलेक्टर से भी पूछा गया, कोटा पुलिस अधीक्षक से भी पूछा गया, नगर निगम के अधिकारियों से भी पूछा गया। जैसा उन्होंने जवाब दिया, वह अतारांकित प्रश्न के तौर पर मैंने आपको उत्तर दिया था। चूंकि मैं कोटा का रहने वाला हूं और इसमें जितनी मौतें हुई हैं, उसमें निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र में ज्यादा मौतें हुई हैं और कोई ऐसा मरने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसके यहां जाकर मैं नहीं बैठने गया हूं। आंदोलन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपने भी किये, आंदोलन मैंने भी किये। 2014 में भी किये, 2015 में भी किये, 2016 में भी किये और 2017 में भी किये, इस बात के लिए कि इस समस्या से किसी तरीके से पीछा छूटे लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने कोई ध्यान इस बात पर नहीं दिया। दु:ख तो इस बात का है कि नगर निगम ने तो कतई ध्यान ही नहीं दिया बल्कि एक बार तो मुझे अपने भाषण में यह तक कहना पड़ा कि सड़कों पर सांड लड़ रहे हैं और नगर-निगम में पार्षद सांड के जैसे लड़ रहे हैं। वहां पर यह हालत थी। इसमें कोई दो राय नहीं है।

अब समस्या किस तरीके से सुलझे, इसके लिए एक विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है। विस्तृत प्लान में यह है कि कोटा में जितने भी पशु आते हैं, बाहर से जो पशु आते हैं, वे किस रास्ते से आते हैं, वहां काउ-कैचर लगाने का प्लान यू.आई.टी. के द्वारा बनाया जा रहा है। दूसरा प्लान यह है कि कोटा शहर के अन्दर जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको शिफ्ट करके उनको दूसरी जमीन दिये जाने का भी यू.आई.टी. के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है ताकि डेयरियां अगर वहां से निकल जाएंगी तो मैं यह समझता हूं कि यह समस्या न के बराबर रह पाएगी। इतना ही मेरा निवेदन है कि आप विश्वास रखिये, निश्चित तौर पर, उस सरकार से तुलना तो कर ही दी आपने, और नतीजा भी देख लिया आपने कि उस सरकार ने क्या किया था और यह सरकार क्या करेगी। मैं यह समझकर चलता हूं कि आपके जो मूल्यवान सुझाव हैं, उनको जरूर मुझे लिखकर दें, निश्चित तौर पर उन पर हम काम करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उन्होंने गऊ-माता कहा है। आप मान रहे हो क्या है। उन्होंने गऊ को माता कहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, क्या सीख रहे हैं आप? माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जल के सम्बन्ध और पीने के पानी के सम्बन्ध में कल स्टेटमेंट देना था। कल्ला साहब साढ़े चार बजे उसका स्टेटमेंट देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय धारीवाल साहब आज बिजी हैं। देवनानी साहब का कल का जो प्रश्न था, उसका स्टेटमेंट कल आयेगा।

नियम 131, श्री ज्ञानचंदजी पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली में टैक्सटाइल उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर नियंत्रण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाली के टैक्सटाइल उद्योग एवं उससे जुड़े 25 हजार परिवारों के ऊपर मंडरा रहे रोजी-रोटी के संकट की ओर, और सरकार से उनकी मदद करने के लिए माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 131 के अंतर्गत जो चिंता व्यक्त की है, वह कुछ हद तक उनकी चिंता सही है। आपकी अनुमति हो तो इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है, आप चिंता के बारे में बताएं, सरकार क्या कर रही है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो भी चिंता व्यक्त की है कि वहां पर प्रदूषण इकाइयां हैं, उनमें सी.ई.टी.पी. नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में भी यह घोषणा की है और यह कहा है कि इस संबंध में हम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें मैं इंटरवीन करूंगा। सोरी, बहुत ही सिम्पल प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट आप बैठें। माननीय सदस्य का सिम्पल प्रश्न है कि पोल्यूशन के संबंध में एक नई तकनीकी आई है। उस तकनीकी को यदि सरकार सब्सिडाइज करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, मोटा प्रश्न यह है। क्या विभाग यह जो नई तकनीकी जिसके अंतर्गत वहां पर पोल्यूशन नहीं हो, उस तकनीकी को एडोप्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देने का मन बनाता है या नहीं बनाता है? जिससे बड़े पैमाने पर रिलीफ मिल सके। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से आप इस पर चर्चा करेंगे तो सार्थक चर्चा हो पाएगी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नई तकनीकी ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं उनको तथ्य बता दूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आप इनकी बात सुन लीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में यह होगा कि तीन दिन पहले माननीय एन.जी.टी. ने बहुत तल्ख टिप्पणी की और अल्टीमेटम दे दिया कि तीन महीनों में सुधार हो वर्ना बंद कर दिये जाओगे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दे दी। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी एम.एस.एम.ई. स्कीम बनी हुई है। पहले उसमें यह प्रावधान था कि जो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई भी अपनी ओर से उपकरण लगाएगा उसमें सरकार की ओर से 25 परसेंट अनुदान या सब्सिडी देंगे और बाद में इसमें रैस्ट्रिक्शन कर दिया 25 लाख की सीमा तक।

माननीय मंत्री महोदय, आपको पता है कि एन.जी.टी. सरकार के भी पीछे पड़ी हुई है और इंडस्ट्री के भी पीछे पड़ी हुई है। पिछली पेशी में 31.01.2019 की पेशी में एक करोड़ की अंतरिम पैनल्टी तो लगायी सी.ई.टी.पी. पर और 20 करोड़ की अंतरिम पैनल्टी, यह फाइनल नहीं है, टोकन लगायी है अभी तो, फाइनल तो बहुत बड़ी होगी तो एन.जी.टी. वैसे ही आपसे बड़ी-बड़ी पैनल्टी लगाकर राशि ले रहा है।

अच्छा, एन.जी.टी. में एक प्रकरण और चल रहा है कि जो प्रदूषण की वजह से जमीनों का खराबा हुआ और फसल का खराबा हुआ है सरकार को यह निर्देश दिये हैं कि उसका भी आकलन करो और उसका भी बाद में मुआवजा देने की बात भी एन.जी.टी. कर रही है तो वह भी करोड़ में जाएगा। जब करोड़ रुपये अपन यूं ही उन कामों के लिए दे रहे हैं जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर वह करोड़ रुपया हम इन कामों में लगा दें जिससे समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, यह आपकी जानकारी में होगा कि एक नई तकनीक का संयंत्र पाली में लगा है, एम.बी.आर., आपके अधिकारी, आर.पी.सी.बी के अधिकारी, सारे के सारे अधिकारी देखकर गये। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री भी देखकर गये। यह इतनी बेहतरीन तकनीक है कि उसमें 98 परसेंट पानी वापस पहले की तुलना से भी ज्यादा शुद्ध होगा। अगर कोई हजार टी.डी.एस. का पानी उपयोग में ले रहा है, ट्रीट होकर बाद में जो पानी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

निकलता है वह मात्र 15 टी.डी.एस. का है मतलब, पहले से भी बेहतर और 98 परसेंट पानी वापस रिकवर हो रहा है। समस्या प्रदूषण की समाप्त होगी, समस्या पेयजल की समाप्त होगी और उसे बड़ी समस्या जो 25 हजार परिवार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अगर आप बंद करवा देंगे तो मालिक तो अहमदाबाद, सूरत आदि जगह है, वहां पर चला जाएगा, पर जो 25 हजार मजदूर हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जब ऐसी तकनीक आ गयी कि उससे समाधान निकल सकता है तो हमको उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमको पेयजल की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, प्लस रोजी-रोटी का जो संकट 25 हजार परिवारों के सामने है, उसमें सरकार की ओर से कुछ न कुछ प्रावधान करके मदद बढ़ानी चाहिए।

मुझे पता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अगर आप यह बात उन तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है चूंकि, पाली की टैक्सटाइल के बारे में उन्होंने एक बार नहीं कई बार पाली के उद्यमियों से चर्चा की है और कोई न कोई प्रस्ताव उन्होंने मांगा है और कहा कि कोई ठोस प्रस्ताव लाओ कि सरकार की ओर से क्या कर सकें? एक मुद्दा तो मेरा यह है।

माननीय मंत्रीजी, एक और। पिछले बजट में यह बजट घोषणा थी कि 50 करोड़ रुपये तो रीको देगा और 50 करोड़ रुपये आर.पी.सी.बी. देगा और 100 करोड़ रुपये की राशि से हम प्रदूषण की समस्या के समाधान की ओर कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। रीको ने अपनी बोर्ड मीटिंग में इस 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी। आर.पी.सी.बी. ने भी अपनी बोर्ड मीटिंग में इस 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी। 100 करोड़ रुपये तो यह हो गये और बाकी जो पैनल्टी आप वहां पर बार-बार भर रहे हो, यह इतना पैसा हो जाएगा तो पाली, बालोतरा और जोधपुर, इन तीनों की टैक्सटाइल की इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मात्र ऐसा नहीं है बल्कि यह उद्योग और ज्यादा पनपेगा भी तो आपने जो सब्सिडी की सीमा 25 लाख रुपये तय कर रखी है वह 50 परसेंट जो पहले प्रावधान था, आपकी ही अपनी सरकार में, जो पहले दिया भी है, वह 50 परसेंट का वापस प्रावधान कर दो और उसके बाद में यदि कोई इंडस्ट्री वाला नहीं लगाये तो उसके आप ताला ठुकवा दो, कोई मना नहीं है पर सैकड़ों इंडस्ट्री वाले लगाने को तैयार बैठे हैं, सरकार की ओर मदद के लिए वह ताक रहे हैं तो आप उनकी मदद करवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है और एन.जी.टी. ने भी राज्य सरकार पर जोधपुर, पाली और बालोतरा के लिए 20 और 30 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई है, यह सही बात है और तीन महीने का अल्टीमेटम दिया है, यह भी सही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर नई तकनीक का जो प्लांट लगा है, उसको शायद लगे अभी एक महीने के करीब हुआ है, एक या डेढ़ महीना हुआ है। यह जो भी है उसको हम एक बार दिखवा लेते हैं और अभी 25 लाख रुपये तक का जो अपग्रेडेशन का है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पर भी चिंता व्यक्त की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने यह कहा है कि इसके अपग्रेडेशन के लिए, इसकी तकनीक के लिए जो भी है, अभी 25 लाख रुपये की जो सीमा है, सरकार के समक्ष यह विचाराधीन है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। हम भी यह चाहते हैं कि एन.जी.टी. के कारण हमारी कोई भी औद्योगिक इकाइयां बंद नहीं हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम एम.एस.एम.ई. का नया एक्ट लेकर आए हैं, उसका भी अगर, बालोतरा है, जोधपुर, है, सांगानेर है, पाली है, यहां पर नदियों का जो प्रदूषित पानी है, नई तकनीक को निश्चित रूप से माननीय सदस्य, हम अपनाएंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं और सरकार की जो सब्सिडी है, वह भी बढ़ाना विचाराधीन है। हम यह बजट पास होने के बाद आपको, सबकी चिंता माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी है, हमको भी है कि हमारी इकाइयां कोई बंद नहीं हों, लोग बेरोजगार नहीं हों, हमारी इकाइयां चलती रहें और सरकार को जो भी करना है, निश्चित रूप से हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। तीन महीने का ...(व्यवधान) आप जल्दी करवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय पारख साहब, अब नहीं। श्री मदन दिलावर, 131 पर बोलिए।

प्रदेश में कृषि भूमि के नामांतरण, पैमाइश आदि कार्यों में विलम्ब

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कृषि भूमि के नामांतरण, पैमाइश आदि कार्यों के समय पर पूर्ण

(श्री मदन दिलावर)
नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरोप-प्रत्यारोप और हा-हुल्लड़ के बीच में आपने किसानों की इस पीड़ा को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन के अंदर उठाया। आपने जो चिंता जाहिर की है इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद अध्यक्ष को नहीं जिसने यह अलाउ किया?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सदन को, माननीय अध्यक्ष महोदय को, सभी को धन्यवाद।

सबसे बड़ी चिंता आपने जाहिर की है कि पटवारियों के पद रिक्तता के कारण जो तकलीफ आम किसानों को हो रही है। आपने सुझाव भी दिये कि व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए, किसान की पैमाइश अपनी जमीन की और नामांतरण खुलवाने के लिए भी बात की। आपने इस बात की भी चर्चा की कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वह पटवारी है। चाहे हम जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएं या एस.डी.एम. के पास जाएं, वह मार्क करके तमाम अपनी बात, अपने फैसले पटवारी तक पहुंचा देते हैं।

आपने एक और चिंता जाहिर की कि जो मान-सम्मान किसानों को मिलना चाहिए दफ्तरों के अंदर, वह मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं सार्वजनिक तौर पर आपकी इस चिंता को एन्डोर्स करता हूं कि जो मान-सम्मान इस व्यवस्था के अंदर भी मिलना चाहिए, वह किसानों को मान-सम्मान नहीं मिल रहा है चाहे वह सरकारी दफ्तरों के अंदर हो या चाहे फैसलों के अंदर हो।

पटवारियों के संदर्भ में मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही अपने बजट घोषणा के अंदर और 2000 पटवारियों की भर्ती के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां हो चुकी हैं और आने वाले समय के अंदर पटवारियों की भर्ती से इस क्रम के अंदर आपकी जो चिंता है, उसमें कुछ न कुछ समाधान होगा। म्यूटेशन के लिए भी आपने चिंता जाहिर की है कि म्यूटेशन के लिए दर-दर घूमना पड़ता है।

(श्री हरीश चौधरी)

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राजस्थान सरकार में राजस्व विभाग के अंदर तहसीलों का आनलाइन करवाने का क्रम जारी है, उसमें 314 तहसीलों में से 142 तहसीलें आनलाइन हो गयीं। पायलट के तौर पर चौमूं तथा गोविन्दगढ़ उप-पंजीयक कार्यालय के अंदर ई-धरती साफ्टवेयर से लिंक करके म्यूटेशन का कार्य वहां शुरू कर दिया गया और आने वाले समय के अंदर जो तमाम बची हुई तहसीलें हैं, उनको भी आनलाइन कर दिया जाएगा और उसको सब-रजिस्ट्रार आफिस से जोड़कर म्यूटेशन स्वत: ही खुलने की व्यवस्था कर ली जाएगी, जिससे किसान को म्यूटेशन के संदर्भ में दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा।

आपने दूसरी चिन्ता किसान को पैमाइश के लिए या पत्थरगढ़ी की जाहिर की है। मैं आपकी इस चिन्ता से सहमत हूं कि किसान को बहुत ज्यादा अपना मानव श्रम और संसाधन लगाना पड़ता है, चाहे वह पैमाइश हो, चाहे पत्थरगढ़ी हो। उसके लिए भी सरकार ने जो यह व्यवस्था डिजिटाइजेशन की की है, उस व्यवस्था के अंदर पहले तो उन तमाम तहसीलों को आनलाइन करेंगे। आनलाइन करने के बाद, जो तमाम खाते हैं, उनमें तरमीमें करेंगे और उसके बाद में सर्वे-रीसर्वे करेंगे। सर्वे-रीसर्वे एक तरह का सैटलमेंट है, उसके अंदर खाते की स्थिति और मौके के ऊपर उस राजस्व गांव के अंदर जो कुल जमीन है, कुल रकबा है और सैटेलाइट के माध्यम से जो इमेजेज हैं, उन तीनों को मिलाकर राजस्व गांव को इकाई मानकर उस गांव के अंदर तमाम जो खातेदार हैं, उनके पास राजस्व के जो कर्मचारी हैं, वह लेकर जाएंगे और उनसे आपत्ति मांगेंगे। अगर कोई आपत्ति होगी तो तुरन्त वहीं उसका निस्तारण करेंगे। सर्वे-रीसर्वे होने के बाद में जब यह पूरी की पूरी व्यवस्था आनलाइन हो जाएगी, तब जाकर इसका स्थायी हल हम लोग निकाल पाएंगे और स्थायी हल यह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल के अंदर जो जी.पी.आर.एस. की व्यवस्था होगी, किसी भी जमीन के ऊपर अगर वह खड़ा होगा तो उस जमीन की किस्म, उस जमीन की स्थिति उससे पता चल जाएगी और सीमा ज्ञान स्वत: ही अगर वह खुद करना चाहेंगे तो अपने मोबाइल के मार्फत से सीमाओं के ऊपर अगर वह खुद घूमेगा तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह खुद खातेदार हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसकी सीमा का ज्ञान हो जाएगा। यही स्थायी, इस समस्या का समाधान है।

(श्री हरीश चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से तमाम माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वेरीसर्वे तक की जो व्यवस्था है, आप उसकी जानकारी लें और उसकी मदद करें कि कैसे नीचे हम लोग इसको लागू कर सकें। अगर यह लागू हो जाएगी तो माननीय सदस्य की जो चिंता है किसानों के बारे में, तो समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नामान्तरण के बारे में इन्होंने जानकारी दी रजिस्ट्री के संबंध में, पर जिस जमीन का मालिक स्वर्गवासी हो जाता है तो उसके वारिसान के नाम जो नामान्तरण खुलता है, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गयी, क्योंकि उसी को लेकर ज्यादा परेशानियां होती हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा, क्योंकि पटवारी के जाब कार्ड में यह होता है कि उसको उसके एरिये की मिनट-टू-मिनट की जानकारी होनी चाहिए। जब मिनट-टू-मिनट की जानकारी होती है कि उसके गांव में अमुक आदमी एक्सपायर हो गया तो उसको स्वत: ही जाकर अपने खाते में नामान्तरण दर्ज करना चाहिए। वह नहीं हो पा रहा है। वह यह कहता है कि मेरे पास दरख्वास्त लेकर आओ। वह तहसीलदार के पास घूमता है, कलेक्टर के पास घूमता है, पटवारी मिलता नहीं है और मिल भी जाए तो उसको यह भी नहीं पता रहता कि इसकी फीस जमा होती है कि नहीं होती, तो फिर भटकता रहता है। मेरा इतना-सा निवेदन था इसमें यह व्यवस्था करें कि वह नामान्तरण स्वत: ही खोले और एक्सपायर होने के 12 दिन के अंदर-अंदर खोल दे, यह निर्देश होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने बताया पैमाइश के बारे में। पैमाइश के बारे में इन्होंने कहा हम डिजिटलाइज व्यवस्था कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर वह कब होगी? दूसरी बात, वह हो भी जाएगी तो कैसे होगी? क्योंकि उन लोगों के नक्शे कटे-फटे हैं, उनके नक्शे बहुत पुराने हो गये हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी काफी लम्बे समय तक यह उस व्यवस्था को पूरा कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन था कि जहां तक वह आपसे व्यवस्था पूरी नहीं होती है, वहां तक पैमाइश के संबंध में आप महीना तय कर दें या महीने के कुछ दिन तय कर दें, वह आपके पटवारी या तहसीलदार को एस.एम.एस. करें, वाट्सएप करें या ई-मेल करें। जैसे ही उनको सूचना मिलती

(श्री मदन दिलावर)

है, वह उनको इकट्ठी कर लें और इकट्ठी करके एक दिन बैठें। चाहे सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन और सबको तारीख दे दे कि यह तारीख आपकी है, उस दिन हम पैमाइश करने के लिए आएंगे तो मैं समझता हूं कि सबकी पैमाइश ठीक तरह से हो जाएगी। अदरवाइज वह चक्कर ही काटता रहता है। मेरा निवेदन यह है कि किसान को नामान्तरण खुलाने के लिए न कलेक्टर के पास जाना पड़े, न तहसीलदार के पास जाना पड़े, न पटवारी के पास जाना पड़े, स्वत: ही होना चाहिए। उसको एक समस्या यह आएगी कि वारिस कौन है? क्योंकि वारिस का प्रमाण-पत्र सरपंच देते थे। पटवारी उसी गांव में रहता है, उसी सर्किल में रहता है, वही जाकर ग्राम पंचायत से वारिसान का प्रमाण-पत्र ला सकता है और लाकर उसको स्वयं खोल सकता है। इस तरह से आसानी से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरमीम का और मामला है। इस तरमीम के कारण से काफी झगड़े होते हैं और झगड़े इतने हो जाते हैं कि लोग खेत में ही मर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज्यों ही नामान्तरण खुलता है, त्यों ही तरमीम उसके खाते में या उसके नक्शे में हो जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो जाए कि कौनसी जमीन किसकी है। मेरा इतना-सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, बहुत अच्छा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक मिनट और लूंगा। एक निवेदन और था कि 25 साल का पटवारी भी 50 साल के किसान को मथुरा, धन्या और पन्या कहकर बोलता है। मैं चाहता हूं चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, वह सम्मानजनक तरीके से पेश आएं। इस प्रकार की ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग न करें तो ठीक रहेगा। इस प्रकार के आदेश प्रसारित करें और सम्भव हो यदि बिल लाना पड़े तो वह भी लाएं, कानून बनाएं ताकि आम किसानों का सम्मान हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अन्त में माननीय सदस्य ने जो पीड़ा जाहिर की है, उस पीड़ा से हम लोग, मेरा खुद का परिवार भी इस पीड़ा से गुजरा हुआ है कि जो मान-सम्मान नाम के माध्यम से मिलना चाहिए समाज के अंदर, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष के बाद चाहे राजस्व रिकार्ड के अंदर और चाहे अपने आपस के अंदर रोजमर्रा की भाषा के अंदर वह मान-सम्मान, आज थोड़ा-बहुत तो हम लोगों को मिल

(श्री हरीश चौधरी)

रहा है और जितना मिलना चाहिए, आम किसान को मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। उसका पूरा नाम और उसके नाम के आगे जीकारा लगाना, वह राजस्व रिकार्ड और सरकारी कर्मचारियों के अलावा पूरे समाज की भी जिम्मेवारी बनती है और आपने जो चिन्ता जाहिर की है, उस चिन्ता के अंदर मैं भी अपने आपको शामिल करना चाहता हूं। आपने जहां तक एक एडवाइजरी राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी करने के लिए कहा है तो मैं अध्यक्ष महोदय, वह एडवाइजरी जल्दी ही जारी करके, कोई भी आये तो उसको मान-सम्मान मिलना चाहिए, उसकी एडवाइजरी भी राजस्व विभाग के अंदर जल्दी ही जारी कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरी बात की म्यूटेशन के लिए। आपने बहुत लम्बा ध्यानाकर्षण के अंदर बातें की थीं। मैं क्षमा चाहता हूं कि तमाम बिन्दुओं के अंदर, समय कम है और अध्यक्ष महोदय समय की जो टाइम मानिटरिंग है, वह बड़ी सख्त रखते हैं इसलिए मैं आपकी तमाम चिन्ताओं के बारे में चर्चा नहीं कर सकता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो माननीय मंत्रीजी, जो चार पाइंट माननीय सदस्य ने बताये हैं, म्यूटेशन के संबंध में बताये हैं, तरमीम के संबंध में बताये हैं और पटवारी के जो फंक्शन हैं, वह खुद जाकर कर लें। विभाग में यह आदेश दे दें और यह लागू हो जाए तो आधी समस्या तो खतम हो जाएगी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): मृत्यु के बाद जो स्वत: ही पटवारी खुद म्यूटेशन खोले। जो आनलाइन की मैंने आपको पहले प्रक्रिया बतायी, वह यही है कि स्वत: ही मृत्यु के अंदर जैसे ही वह इन्द्राज होगा, उसका जो हिस्सा है, वह हिस्सा अपने आप ही म्यूटेशन के मार्फत से और तरमीम भी आटोमैटिक उसके अंदर हो जाएगी। जब तक तरमीम नहीं होगी, तब तक उसका राजस्व रिकार्ड सही नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका पाइंट वैलिड है कि जब आदमी के घर में डैथ हो जाती है, जमीन का जो बंटवारा करना है, उस बंटवारे में सरपंच के साथ बैठकर वहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो न तो आपका यह म्यूटेशन खुल पाएगा और न ही तरमीम हो पाएगी। इसलिए विभाग यह आदेश दे कि उस पटवारी की रेस्पांसिबिलिटी है उस गांव में डैथ हो तो सरपंच के साथ बैठकर उसका वारिसाना का सर्टिफिकेट भी ले, तब जाकर यह चीजें सही

(श्री अध्यक्ष)

होंगी। तब आपका आनलाइन का सिस्टम इफैक्टिव होगा, अदरवाइज आनलाइन का सिस्टम माइनस दिस, इफैक्टिव नहीं होगा। उस तरह की व्यवस्था करने का श्रम करें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो मूल इसका कारण है, वह इससे और गहरा है। मूल कारण यह है कि पटवारियों की संख्या पटवार हलके के अंदर उतनी नहीं है। एक पटवारी को तीन-तीन, चार-चार पटवार हलकों के अंदर कार्य करना पड़ता है। मूल समस्या तो वह है। उसका समाधान पटवारियों की भर्ती से ही होगा। अगले चरण के अंदर यह चीज की जाएगी। वैसे चारों जो...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, फिर मैं निवेदन कर रहा हूं पटवारी संख्या भरो या मत भरो, पटवारी का जो फंक्शन है उस फंक्शन में यह चीज एड करो कि पटवारी की जिम्मेदारी है कि उस पटवार सर्कल में किसी आदमी की डैथ होती है तो उस डैथ पर उसका वारिसाना कौन है, वो पंचायत के सरपंच के साथ बैठकर आइडेंटिफाई करे। ये इम्पोर्टेंट चीज है, नम्बर कम ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं समझता हूं विभाग को यह करना आवश्यक है पटवारी का जो फंक्शन है उसमें वन आफ द फंक्शन यह है कि उसकी यह जिम्मेदारी है यदि वहां पर उसके इलाके में डैथ होती है तो वारिसाना का काम भी वह पंचायत के साथ बैठकर करे, तब सारा रिकार्ड ठीक होगा। आप इसको दिखवा लें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिया है, मैं जल्दी ही सर्कुलर के माध्यम से अपने विभाग के अन्दर प्राथमिकता से कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बाबुलाल।

झाड़ोल के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में मान्यता

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रक्रिया के नियम 131 - ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के धार्मिक स्थल, कमलनाथ, रामकुंडा, राणा पूंजा जन्म स्थली वहां के लोगों की श्रद्धा का केन्द्र हैं। रामकुंडा, कमलनाथ, दो स्थान क्षेत्र के लोगों के आस्था केन्द्र हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं अत: उक्त स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता देने हेतु निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: बस, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण किया है उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार के द्वारा या पर्यटन विभाग के द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

दूसरा जो आपने अपनी झाड़ोल की बात उठाई है, मैं समझता हूं जो कमलनाथ मंदिर, रामकुंडा है, राणा पूंजा है, ये नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर क्षेत्र हैं, आपके जो आदिवासी लोग वहां रहते हैं उनके अस्थि विसर्जन का भी स्थान है। मैं समझता हूं, जब भी कोई सरकार आती है तो प्रयास जरूर करती है लेकिन ये जो आपके पर्टिकूलर क्षेत्र हैं ये वन क्षेत्र के अन्दर आते हैं, फोरेस्ट के अन्दर आते हैं। पहले भी इसके कार्य करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल सर्किट में झाड़ोल की फुलवारी की नाल के पर्यटन विकास का कार्य हमने प्रस्तावित कर रखा है, बजट की उपलब्धता के आधार पर इसके ऊपर काम करने का करेंगे। जो आप कमलनाथ मंदिर वगैरह बता रहे हो, ट्राइबल सर्किट के तहत भारत सरकार को यह भेजा था लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को ड्रोप कर दिया क्योंकि वह जगह वन क्षेत्र के अन्दर आती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ईकोटूरिज्म के तहत अगर वन विभाग इस पर कोई प्रस्ताव लाता है, आपके द्वारा सुझाव दिये जाते हैं तो उसके तहत यहां पर कार्य कराये जा सकते हैं। लेकिन पर्यटन मंत्रालय इसमें इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भूमि वन विभाग में है और वन विभाग हमें परमिशन देता नहीं है इसलिए बार-बार, जब भी सरकार आती है तो चाहे आपकी सरकार रही चाहे हमारी रही, केन्द्र में भेजते हैं लेकिन वे प्रोजेक्ट ड्रोप हो जाते हैं। इसलिए आपकी चिंता जायज है, होना भी चाहिए लेकिन कानून से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम पर्यटक स्थल घोषित कर नहीं सकते, वन क्षेत्र में आने के कारण वहां पर कार्य हो नहीं सकते इसलिए ईको-टूरिज्म के माध्यम से इस पर आगे अपन चल सकते हैं, विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं इनकी बात को समझ रहा हूं। पर्यटन नीति में मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। ट्राइबल पर्यटन का कांसेप्ट अलग है और हम दूसरे आदमी जो नोन ट्राइबल हैं उनके पर्यटन का कांसेप्ट अलग है। ट्राइबल सब-प्लान इलाके में ट्राइबल आदमी ट्राइबल धार्मिक

(श्री अध्यक्ष)

स्थानों के अलावा बाहर कहीं नहीं जाता, बाकी व्यक्ति पर्यटन करने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे कोने में जाते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में जाते हैं, आदिवासियों की दुनिया उस ट्राइबल सब-प्लान में ही है जहां पर उसकी धार्मिक जगह है, चाहे उनके संस्कार के हों, चाहे उनके और कोई हों। सरकार को ट्राइबल के लिए पर्यटन की एक नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे ट्राइबल सब-प्लान के इलाके का हम विकास कर सकें और उन आदिवासियों की जो पर्यटन की भावना है उसको हम इनकोरपोरेट करें बनिस्पत कि हमारा जो पर्यटन का कांसेप्ट है, वह उन पर डालें। इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं यही माननीय सदस्य की भावना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नई पर्यटन नीति बन रही है, आपने आसन से जो निर्देश दिये हैं उसको भी हम उसमें दिखवा लेंगे कि क्या किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना में हम लोग नई पर्यटन नीति बना रहे हैं, उसमें विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य के विचार सुन लें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसका लोक महत्व क्या है रामकुंडा और कमलनाथ। झाड़ोल एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। वहां पर झाला मान जैसे व्यक्ति जन्मे और जिन्होंने महाराणा प्रताप इस धरती पर जिंदा रहें, समाज की सेवा करें, ऐसे योद्धा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और महाराणा का बचाव किया। जब मुगल सेना के बीच घिर गये तो उन्होंने कहा कि अब इनको बचाना चाहिए, उनकी शक्ल हमशक्ल थी तो इसलिए उनका मुकुट पहन करके उनको सुरक्षित निकाल दिया और स्वयं बलिदान हो गये।

दूसरा, कमलनाथ का महत्व क्या है? अध्यक्ष महोदय जी, कमलनाथ का महत्व यह है कि वहां पर त्रेता युग में रावण के द्वारा तपस्या की गयी थी। आज यह स्थान है सुल्तानजी का खेरवाड़ा, आज भी कमल तलई है। वहां से वे जाते और 108 कमल लाते और कमल लाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते थे। एक दिन फूल लाए, एक फूल कम पड़ गया, 107 ही निकले। उन्होंने देखा कि एक फूल कम पड़ गया तो क्या करना चाहिए, उन्होंने स्वयं अपना सिर काट करके फूल के रूप में चढ़ाया। वहां पर उनको यह वरदान प्राप्त हुआ, वरदान

(श्री बाबुलाल)

मिला, आज हम दस माथे का रावण कहते हैं, दस मुखी कहते हैं, वह वरदान वहां प्राप्त हुआ था।

अध्यक्ष महोदय जी, वहां के जितने भी आदिवासी लोग हैं वे सब लोग अपना हरिद्वार मानते हैं। अपनी अस्थियां बैसाख के महीने में वहां जाकर विसर्जन करते हैं, हजारों लोग जाते हैं और श्रावण मास में लोग हजारों की संख्या में वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे स्थान को हम लोग अगर पर्यटक स्थल के रूप में नीतिगत निर्णय लेकर विकसित करते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश-विदेश के लोग आकर उस स्थान को जानने का भी प्रयास करेंगे।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राणा पूंजा के विषय में। आप सब लोग जानते हो राणा पूंजा का इस धरती के लिए, मेवाड़ की धरती के लिए क्या त्याग रहा था। जब महाराणा प्रताप की सेना खतम हो गयी थी, संकट आ गया था तो महाराणा प्रताप ने उसी कमलनाथ की शरण ली। इसके बाद में पानरवा देवली पर शरण ली, वहां पर शरण लेने के बाद में राणा पूंजा से सम्पर्क हुआ और राणा पूंजा ने सैकड़ों भीलों को साथ लेकर महाराणा की मदद के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। अध्यक्ष महोदय जी, और अपने परम्परागत शस्त्र गोफन, तीर आदि के द्वारा उस धरती के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसलिए मैं चाहूंगा, आपने कहा कमलनाथ फोरेस्ट में है, ठीक है, वन क्षेत्र में आता है, नहीं करोगे, हमको कोई नीतिगत निर्णय लेकर, आजकल फोरेस्ट विभाग भी हमको अनुमति देता है। आज जो पानरवा है वह फोरेस्ट में नहीं है, उसको तो आप कहेंगे उसको तो हम पर्यटन में लेंगे।

दूसरा विषय रामकुंडा का है, उसका क्या महत्व है। रामकुंडा में जब भगवान राम का वनवास हुआ था तब भगवान राम वहां गये, ऐसी दंत कथा है, और वहां जाकर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी रहे। अध्यक्ष महोदय जी, वहां पर दो कुंड हैं, एक राम कुंड और एक सीता कुंड, जो राम कुंड है उस कुंड में भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों स्नान करते थे, उससे नीचे सीता कुंड है उसमें सीता स्नान करती थीं। ऐसे लोक महत्व के स्थान हैं, हम लोगों को चाहिए कि इस पर कोई न कोई नीतिगत निर्णय लेकर पर्यटक स्थल

(श्री बाबुलाल)

के रूप में विकसित करेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। इतना ही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वैरी गुड। माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ठीक बात कही है कि वह स्थान हम सबके लिए आस्था के केन्द्र भी हैं और इतिहास के हिसाब से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आसन की तरफ से भी निर्देश मिला है। मैं, मेरे विभाग के अधिकारियों को आज ही यह निर्देश दूंगा कि माननीय सदस्य का जो वक्तव्य आया और माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसकी प्रोसीडिंग को लेकर जो नई पर्यटन नीति बन रही है, उसमें इसको किस प्रकार से सम्मिलित कर सकते हैं, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री अर्जुन बामनिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,00,21,99,000/- (एक सौ तिहत्तर अरब इक्कीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवरलाल।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना की प्रस्तुति

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,76,37,36,000/- (दो सौ आठ अरब छिहत्तर करोड़ सैंतीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 51 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। एक मिनट, माननीय सदस्य।

सूचना

शेरगढ़ (जोधपुर) के सरपंच द्वारा आत्महत्या

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं इन्फोर्मेशन के माध्यम से आपको सूचना देना चाह रहा था कि 'सरपंच ने दी जान, लिखा मेरी फर्जी सील से किया भ्रष्टाचार'। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में सोलंकिया तला गांव एक पंचायत है। सरपंच गोपाल सिंह, 45 साल, जहर इसलिए खा लिया कि पंचायत के एक ग्राम विकास अधिकारी ने उसके नाम की फर्जी सील बनाकर भ्रष्टाचार कर दिया। सरपंच पर आडिट आ गयी।

मेरा सदन के माध्यम से राजस्थान के पंचायती राज मंत्री जी को निवेदन है कि जो कल, परसों बहस में बात उठी थी, सारे साथियों ने यह आरोप लगाए थे कि बीडीओज और ग्राम सेवा अधिकारी, सरपंचों के साथ, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप उस सरपंच की आत्मा को न्याय दिलवाने का काम करें। इसकी जांच करवाकर न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(13.22 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं जिस वर्ग से आती हूं, खासकर एससी वर्ग के लिए, किस तरह से योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इन सारी बातों के लिए आज यहां पर मुझे चर्चा करने का मौका मिला। इसी के साथ यहां तक आने का जो अधिकार मुझे जिस व्यक्तित्व ने दिया, मैं उस महान आत्मा को, देश के संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर को नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने इस वर्ग के उत्थान के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। आज उसी का नतीजा है कि हम सब यहां राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आकर बोल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी और सम्माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि यह मेरा सौभाग्य रहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से मैं आती हूं, उस भारतीय जनता पार्टी ने डा. भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। यह मेरे लिए और सभी सदस्यों के लिए बड़े गौरव की बात है वर्ना हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिस व्यक्तित्व ने इस देश को सुदृढ़ संविधान दिया, उसे यह सम्मान भी नहीं मिले। लेकिन यह भारत रत्न देकर इस देश के लाखों लोगों के दिलों में राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, दूसरी मैं चर्चा करना चाहूंगी आज के दिन कि पक्ष और विपक्ष हमेशा यहां तकरार करते रहते हैं कि जो धारा 370 कश्मीर में लगी हुई है, उस धारा का क्या किया जाए, किस तरह से उस धारा को हटाया जाए। इस पर विपक्ष भी बोलता है और पक्ष भी बोलता है। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूं यह आप भी जानते होंगे और मैं भी जानती हूं कि अगर उस समय डा. भीमराव अम्बेडकर जी का कहा माना जाता, जब उन्होंने संविधान बनाया तो धारा 370 जिसके लिए हम आज तक जूझ रहे हैं, उससे हमें क्या उस समय मुक्ति नहीं मिल सकती थी? वह कौन लोग थे जिन्होंने इस धारा 370 के लिए विरोध किया कि नहीं, यह धारा कश्मीर में लागू होनी चाहिए? यह बात किन्होंने कही, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि यह मेरी आदत में नहीं है। फिर भी आप सब समझ जाएं कि यह किसने क्या किया? यह हम सभी के सामने है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को भी यहां उजागर करना चाहूंगी हमारा सौभाग्य है कि डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश से प्रेम किया।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इस भारत माता की धरती से, इस मिट्टी से प्रेम किया। उनका यह स्नेह इस बात से उजागर होता है कि जब उन्हें लगा मैं किस धर्म को अपनाऊं, जब उनके मन में यह विचलता आई तो उन्होंने सिर्फ हमारे भारतीय धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया। यह उनके मन में इस देश के प्रति सच्ची भावना थी। इस बात को यह उजागर करता है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को आज कहना चाहूंगी, लगातार तीसरी बार विधायक हूं। कई बार मुझे पूर्व में भी यहां मीडिया के माध्यम से भी पता लगा, कई बार सदस्यों के द्वारा इस बात को उठाया भी गया कि डा. भीमराव अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर कालिख पोत देना, यह बड़ी शर्म की बात है। जिस व्यक्तित्व ने इस देश की दिशा और दशा तय करने का मार्गदर्शन दिया, उनके नाम के ऊपर इस तरह से कालिख पोत दी जाए, मैं कहूंगी कि अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी इस तरह का आपको ज्ञान भी देता है तो उन सभी के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह मैं आज इस सदन में कहना चाहूंगी।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने एससी के बेरोजगार युवाओं को ऋण देने के लिए जो 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया, यह इस वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम है। इस वर्ग का व्यक्ति जो दूरदराज के गांवों में बैठा है, जो बेरोजगार है, वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे पूरे जीवन काल में मैं किस तरीके से 2 लाख रुपये एकत्रित कर सकता हूं लेकिन सरकार ने इस ऋण को माफ किया। यह बहुत ही अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था।

सभापति महोदय, पोप योजना के माध्यम से आपको भी मालूम है, इसमें कोई असत्य बोलने की बात नहीं है। पोप योजना के माध्यम से आज भी ऋण मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे उन्हें लाभ मिल रहा है। मैं तो इस बात के लिए सम्माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं पिछले ही कार्यकाल में मैंने भी नगरपालिका में शिलान्यास किया था, वहां पर 50 लाख रुपये की लागत से अम्बेडकर भवन बनेंगे, यह पूरे राजस्थान में बनाए गये हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, चाहे कांग्रेस का विधायक था, यह हर जगह बने हैं। मैं कहूंगी कि उनके नाम को वहां तक ले जाना,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उनकी विचारधारा को वहां तक ले जाना, यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह बहुत अच्छा काम सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी और याद करना चाहूंगी हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति, पूर्व सीएम, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को, जिन्होंने पंचायती राज में एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण देकर गांव और ढाणी तक इस वर्ग के लिए काम किया। यह बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया।

माननीय सभापति महोदय, मीडिया के माध्यम से पता लगा कि जिस व्यक्तितत्व ने देश का संविधान बनाया उनके कपड़ों तक दीमक लग रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हम लेट जगे, पर जगे, उन सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किया, यह हम सभी के सामने है। जयपुर से हम दूर जाएंगे तो अम्बेडकर पीठ बनाने का काम किया जहां पर पढ़े-लिखे बच्चे जाकर शोध कर सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जमाना बदल रहा है, इस बदलते हुए जमाने के अनुसार, समय के अनुसार इन सब चीजों की महती आवश्यकता है। नए स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, नई जनरेशन है उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, वह चाहता है कि मैं किसी ऐसी चीज पर शोध करूं जिससे कोई नई चीज निकलकर सामने आए। मैं कहूंगी डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ बनाई सम्माननीय वसुन्धरा राजेजी ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि यह काम भी बहुत अच्छा किया जिससे कम से कम आने वाली नई जनरेशन को शोध करने के लिए, वहां जाकर देखने के लिए और कुछ अच्छे अनुभव वह ले सकें, इसका उन्हें लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज के दिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं लगातार 15 वर्ष से जन प्रतिनिधि हूं। गांवों में जाने का आपका भी काम पड़ता है, हमारा भी काम पड़ता है। मैं जिला परिषद् में जब 2005-06 में सदस्य थी उसके बाद पिछली बार भी मैं एससी कमेटी की सभापति थी। मैंने उस समय देखा, मैं इन छात्रावासों में जाकर देखूं कि किन हालातों में वहां हमारे भाई जीवन यापन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इस सदन में असत्य नहीं बोलना चाहती, असत्य नहीं बोलना चाहती, सत्य बोलकर आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं बप्पा और सांगोद के छात्रावास में गयी, वहां मैंने देखा,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मात्र नमक की थैलियां और पोहे के कुछ पैकेट पड़े हुए थे, पीने के पानी के लिए बच्चे इधर-उधर जा-जाकर पानी एक दूसरे के नलकूपों से ला रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं कि भले ही डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजी ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी हो लेकिन इसमें कोई असत्य बात नहीं है, सबसे ज्यादा राज अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया और कम समय मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन इस बात की ओर हमारा ध्यान ले जाकर आज भी हम देखें समाज कल्याण विभाग के हास्टलों की क्या हालत हो रही है? भले ही हमने कुछ समय से ऐसा प्रावधान किया कि हमारे कुछ बच्चे जनरल भी उसमें रहेंगे ताकि कहीं न कहीं सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो। लेकिन आज भी जो हालात हैं, कोई जाकर देख ले किस तरह के बिस्तर हैं, किस तरह के उनके बैड हैं, बैड टूटी-फूटी हालत में, लाइट की अगर व्यवस्था हम देख लें तो पंखे किस तरह से वहां चलते हैं, बिलकुल आधे से ज्यादा तो आपको बंद मिलेंगे, यह हालात हैं। क्या सरकार ने कभी प्रावधान किया कि एक बार हम सिर्फ और सिर्फ बजट इस बात के लिए देंगे कि उन समाज कल्याण विभाग के हास्टलों का चाहे वह माडा योजना में बने हुए हास्टल हों, उन हास्टलों का नवीनीकरण किया जाए। मैंने देखा जब 2008 से 2013 तक मैं विधायक थी, बालिका छात्रावास रामगंजमंडी की धरती पर बना हुआ था। एक हास्टल को बनने के लिए दस से ग्यारह साल लग जाएं और दस से ग्यारह साल लगने के बाद भी हम वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं कर पाएं तो मुझे लगता है कि इस वर्ग के लिए हम लोग न्याय नहीं कर रहे हैं।

अगर हम देखें गांव ढाणियों में जाकर, आज भी इस वर्ग की जमीनें किसके कब्जे में हैं, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूं क्या सरकार यह मन बनाना चाहती है एक बार शिविर लगाकर इन जमीनों को मुक्त करवाने के लिए यह प्रयास किया जाए कि जितनी भी जमीनों पर कब्जे हैं वह इस वर्ग को दिलाये जाएं क्योंकि यह वर्ग इतना सक्षम नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि लाठी के जोर पर अपनी जमीनों को छुड़ा ले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग करना चाहती हूं कि जब एससी, एसटी की जमीनें बिकती हैं किसी जनरल भाई को नहीं बेच सकते, नहीं बेचेंगे तो हम यह भी जानते हैं कि उसकी कीमत क्या मिलती है तो क्या सरकार यह मन रखती है या यह विचार बनाती है कि एससी, एसटी की जमीनें जनरल भाइयों को बेच सकें ताकि उनकी जमीन का जो वाजिब दाम है

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वह उनको मिले और इससे उनका जीवन सुधरे, यह मैं आज आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपसे मांग करना चाहती हूं कि जितनी भी हमारी प्राइवेट सैक्टर की फैक्ट्रियां हैं, सरकार उनके डाटा मंगवाए, आंकड़े मंगवाए, ईमानदारी से कितने एससी, एसटी के बंधुओं को उनमें नौकरियां दी गयीं। भले ही मन बनाया है विधेयक लाने का, बहुत अच्छा काम करेंगे, अगर ऐसा होता है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि एससी के वर्ग को, एसटी के वर्ग को प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण देने का प्रावधान हो ताकि उन्हे नौकरियां मिल सकें और अपना जीवन यापन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे तो उन्हें राशि दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। विधवा अपनी बेटी का विवाह करेगी तो उसको भी राशि दी जाती है। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने एससी, एसटी के विगत 11 साल में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए जिनकी राशि सरकार के पास आज तक पैंडिंग चल रही है? क्या कारण है? क्यों नहीं उनको हम समय पर मदद दे पाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले, कुछ फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सम्माननीय दिलावरजी भाई साहब, उस समय मंत्री थे, उस समय प्रावधान था कि एससी के बच्चे जो आईआईटी करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, एमबीबीएस करने जाते हैं, उनको कहीं न कहीं छात्रवृत्ति के रूप में पैसा देकर रिलीफ मिलेगा और उनका खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। यह स्कीम अभी वर्तमान में बंद है। मैं मांग करना चाहती हूं कि ईमानदारी से हम उस वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें उस स्कीम को चालू करना पड़ेगा। आज भी कोई बंधु मेरे से इस बात के लिए बहस करना चाहे कि देश आजाद होने के बाद से आज तक अगर कोई एससी का पूरा गांव हो उस गांव में जाकर देखिए, ईमानदारी से आज भी उनके मन में एक ही बात रहती है जब हम चर्चा करते हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की होने के नाते इन चुनावों में उन मोहल्लों में जाती हूं और वहां जाकर बोलती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।

हमारे गांवों में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, उसके मन में एक ही

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बात रहती है, मैं भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दूं? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। यह जरूर एक बदलाव नयी जनरेशन में हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तब से लेकर आज तक क्या हमने इनके जीवन को सुधारने का काम किया? आप गांवों का सर्वे करवाइये कि ऐसे कितने मौहल्ले एससी के हैं जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। सीसी सड़क क्या होती है, इस बात के लिए तरस रहे हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और जहां से मैं वर्तमान में विधायक हूं, वहां लाखेरी के नजदीक एक झूपड़िया गांव है। पूरा गांव एससी का है। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां आज तक सड़क नहीं बनी, एक महिला एक हैण्ड पम्प के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा कि आप एक हैण्ड पम्प के लिए मुझसे बात कर रहे हैं, वह तो आपका सरपंच ही लगा देगा या सरकार इतने हैण्ड पम्प देती है, वे क्यों नहीं लगाये जाते। तो वह बोली, बहन जी कभी-कभार लोगों के मन में पाप आ जाता है, चाहे विधायक बनकर चला जाए और उसके मन में यही बात रहती है कि यह वर्ग हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। मैं मान सकती हूं कि अभावों में जीवन जीने की वजह से यह वर्ग काफी दूर है आज, लेकिन इस वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता है।

आज मैं बड़े दु:ख के साथ इस बात को बोल रही हूं कि सरकारी आंकड़ों में अगर हम जाएं और उन आंकड़ों को भी यहां आपके सामने बताना चाहूंगी तो बड़े शर्म की बात है कि हम इस वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ हम इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या इस वर्ग की बेटी के मन में यह भाव पैदा नहीं होता कि मैं भी स्कूटी पर बैठकर कालेज जाऊं पढ़ने और मेरे मां-बाप के सपनों को पूरा करूं? क्या इस वर्ग की बेटी को स्कूटी चलाने का अधिकार नहीं है? मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूं कि एससी-एसटी की बच्चियों को भी स्कूटी दी जाए ताकि वे भी दुनिया में ऊंची उड़ान भर सकें।

मैं कहना चाहती हूं, क्या हालात हो रहे हैं पालनहार योजना के? एक हजार रुपये के लिए बहनें अपने बच्चों को लेकर बीस-बीस बार चक्कर काट रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आप इन छह-सात महीने के आंकड़े ही ले लें कि आपने पालनहार योजना में कितना बजट दिया। क्या उन विधवा महिलाओं को इधर-उधर चक्कर कटवाने में अधिकारियों को मजे आते हैं कि वे अपनी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मजदूरी छोड़कर आएं और बच्चों को लेकर दिनभर आफिस में चक्कर काटती रहें। क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब हम एक हजार रुपये उन बच्चों को देते हैं तो उस एक हजार रुपये में हम यह सोचें कि अगर हम उसे होस्टल में भी रखेंगे तो भवन, बिजली का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, यह सारा खर्चा भी अगर मिलाया जाए तो सात हजार रुपये से कम नहीं होता। मैं यह भी मांग करना चाहती हूं कि कम से कम पालनहार योजना में जो एक हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान है, उसे सात हजार रुपये किया जाए।

दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार हमें बजट देती है। हमारा काम है कि उस बजट का समुचित उपयोग हो। आपको आंकड़े बताना चाहती हूं एससी का बजट जो व्यक्तियों की दक्षता, विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से खर्च किया जाता है। आप देखिए, लक्ष्य आपका 3432 का और उसमें आपके विभाग की उपलब्धि है 355, हम किस ओर जा रहे हैं? आपने लक्ष्य रखा 3432 का, फिर दोबारा उसमें आपने 546 की उपलब्धि हासिल की और आप देखिए कि हमने 3260 की उपलब्धि में मात्र और मात्र 1394 की उपलब्धि हासिल की है। यह हालत इस बजट की हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि क्या जा रहा है हमारा? क्या कहीं न कहीं हम अधिकारियों के ऊपर निर्भर हैं जो इस बजट को खर्च नहीं करना चाहते? इसका जीता-जागता उदाहरण आपको मिलेगा।

आप देखिए, राष्ट्रीय निगम, नई दिल्ली में ऋण अग्रिम के पेटे अब तक आपको दिये 58 लाख 21 हजार की राशि और उसमें से आपने 12 लाख रुपये की राशि वापस लौटा दी। क्या कारण है इसका? अगर हम यही इस वर्ग के साथ करते रहे और इसी तरह इस वर्ग को गुमराह करते रहे तो निश्चित रूप से मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस वर्ग के साथ हम कुठाराघात करेंगे।

मैं अगर आंकड़ों के तौर पर भी आपको बताऊं तो 2002 से 2016 तक जो आपने ऋण वितरित किया, उसमें देखिए 2093 के मार्फत हमने कितना किया, 909, यह शर्म की बात है। जो कृषि के क्षेत्र में आप देते हैं, आप लघु व्यवसायी के लिए जो ऋण देते हैं, उसमें हमारे पास 3021 लाभार्थी थे और उसमें से हमने सिर्फ 1290.57 दिया। मैं कहूंगी कि यह काम जो हम

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कर रहे हैं, यह अधिकारियों के मार्फत हम जो चल रहे हैं, कहीं न कहीं हमें इस विभाग को टटोलने की जरूरत है, वर्ना जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हम जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कब तक गुमराह करेंगे?

हमने बोल दिया, छात्रवृत्ति नहीं आ रही, नहीं आ रही। बार-बार चक्कर काट रहे हैं। क्या हालात हो रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आज भी बच्चों की नहीं आ रही? लगातार तीन-तीन, चार-चार साल से चक्कर काट रहे हैं और अभी भी जो छात्रवृत्ति उनकी आनी चाहिए थी, वह उन्हें बिलकुल नहीं मिल पायी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि आज भी अगर आप लोन देते हैं इस वर्ग के लिए उसमें आपने सीमा रख दी, गरीबी की रेखा के नीचे और उसमें कर दिया ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार और शहरी क्षेत्र में 21 हजार की सीमा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब हम दूसरे वर्ग के लिए तीन लाख रुपये तक की सीमा रखें, लेकिन इस वर्ग को मात्र 20-21 हजार रुपये में समेट दें, यह हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या हम इन होस्टल को सही ढंग से संचालित करना चाहते हैं? क्या हम इन होस्टल में रहने वाले गरीब बच्चों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं? सरकार ने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा और हमारे इन होस्टल में भी बायोमैट्रिक मशीन से हाजिरी लगेगी। सरकार बदली, अधिकारी बदले और मशीनें गायब।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ा समय दें।

श्री सभापति: समय आपका तीस मिनट का था, पूरा-पूरा तीस मिनट हो रहा है। दो मिनट आप और बोल सकती हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि उन होस्टल की स्थिति सुधरे, बायोमैट्रिक मशीन से हाजिरी लगे, उनमें वितरित की जाने वाली भोजन सामग्री, सब कुछ संख्या के आधार पर अगर आएगा तो क्या इस वर्ग के साथ न्याय नहीं होगा? मैं वापस मांग करना चाहती हूं कि बायोमैट्रिक मशीन का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

प्रावधान समाज कल्याण विभाग के होस्टल में हो ताकि उन्हें कहीं न कहीं न्याय मिले।

दूसरा, मैं आपके मार्फत बताना चाहती हूं, मैटर बहुत सारा है, आप देखिये, 2 अप्रैल, 2018 को आन्दोलन हुआ, एससी वर्ग के लोगों ने आन्दोलन किया। जो हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 था, सुप्रीम कोर्ट की जो छेड़छाड़ थी, कहीं न कहीं मन में इस वर्ग के प्रति उद्‌गार थे उन सबको लेकर सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, 17 जानें भी गयीं और उसमें एक राजस्थान का पवन कुमार भी शामिल था। आप देखिये, सरकार ने कुछ गलत किया है, मैं यह आरोप नहीं लगा सकती क्योंकि अधिकारियों ने क्या किया है आफिस में बैठकर, इस ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं। आप देखिये, दस वर्ष पूर्व जिसकी मौत हो गयी उसको अपराधी बना रहे हो, जो कालेज में परीक्षा दे रहे हैं उनको अपराधी बना रहे हो, जो कहीं नौकरी कर रहा है और जिसकी उपस्थिति वहां दर्ज हो रही है उसको अपराधी बना रहे हो।

श्री सभापति: समाप्त करें अब। प्लीज, समाप्त करें। बहुत ज्यादा आपका समय हो गया है। नहीं, अब समाप्त करें। श्री दयाराम जी परमार।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): दो मिनट दीजिए। समाप्त कर रही हूं साहब। क्या सरकार एससी, एसटी के बैकलाग को भरना चाहती है जो वर्षों से आज भी पड़ा हुआ है? मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग करना चाहती हूं हाथ जोड़कर कि मेरा एससी, एसटी का बैकलाग भरा जाए। जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पदोन्नति होगी, उन पदोन्नति में नौकरी भी उनको दी जाए ताकि इस वर्ग को न्याय मिले। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 30 पर बोलने के लिए परमिशन दी।

सभापति महोदय, यह बड़ा संयोग है कि एक भील मंत्री ने मांग पेश की, एक भील चेयर पर विराजे हुए हैं और तीसरा भील उस मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति से

(श्री दयाराम परमार)

सम्बन्धित मांग है और आप जानते हैं कि राजस्थान का आदिवासी पांच भागों में बसावट के आधार पर बंटा हुआ है, टाडा, माडा, माडा क्लस्टर, बिखरी हुई आबादी और सहरिया क्षेत्र। इन समुदाय के विकास के लिए भारत सरकार ने 1975 में ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट को बनाते वक्त यह व्यवस्था की गयी थी कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर होगा और वह कमिश्नर समय-समय पर ट्राइबल एरिया की पंचायत समितियों की बैठक में जाएगा, ट्राइबल की समस्याओं की जानकारी करेगा और जानकारी करने के बाद में सरकार से अपनी बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करेगा। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 1975 से लेकर आज तक कोई भी कमिश्नर ट्राइबल एरिया की पंचायत समिति की बैठक में नहीं गया। मैं 1965 में सरपंच बन गया था और तब से लगातार पंचायत समिति से मेरा सम्पर्क है, पर मैंने कभी भी कमिश्नरों को उस एरिया में जाते हुए नहीं देखा। यह नहीं जाने का कारण यह है कि हमारा जो ट्राइबल एरिया कमिशनर है वह रीजनल कमिशनर भी है, सम्भागीय आयुक्त भी है। आप जानते हैं कि सम्भागीय आयुक्त को 5-6 कलेक्टरों पर रौब मारकर राज करने का अधिकार होता है तो वह अपनी रौब मारने की जगह छोड़कर ट्राइबल के बीच में नहीं जाना चाहता। इसलिए आज तक ट्राइबल्स की जो अधिकारी के माध्यम से सरकार तक खबर आनी चाहिए थी, जो समस्याएं उन तक आनी चाहिए थीं, उन समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढना था, वह कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट रीजनल कमिश्नर से अलग करके किसी अन्य व्यक्ति चाहे आईएएस हो, आरएएस हो, लेकिन उसको लगाया जाए।

माननीय सभापति जी, इस डिपार्टमेंट के बनने के बाद में डिपार्टमेंट को चलाने के लिए भारत सरकार से भी पैसा आता है। संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय विशेष सहायता और उस राशि के साथ-साथ राजस्थान की सरकार ने ट्राइबल सब-प्लान की व्यवस्था की। सभापति जी, आप जानते हैं कि वह ट्राइबल सब-प्लान क्या था। सब-प्लान में यह व्यवस्था थी, प्लान और सब-प्लान, राजस्थान की सरकार का वार्षिक प्लान और उस प्लान में यह व्यवस्था थी कि आदिवासी एरिया अभी तक अन्य एरिया से पिछड़ा है। फोर एग्जाम्पल, एक प्राइमरी स्कूल सामान्य एरिया में खुलता है तो

(श्री दयाराम परमार)

ट्राइबल एरिया में दो प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। सामान्य एरिया में एक किलोमीटर डामर रोड होता है तो ट्राइबल एरिया में दो किलोमीटर रोड बनेगा। इस तरह से प्रत्येक डिपार्टमेंट को ट्राइबल एरिया में काम करना था ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से। लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं हुई, आदिवासी एरिया का विकास नहीं हो सका और पूरे देश में 9 राज्यों में यह ट्राइबल सब-प्लान थे, उनमें विकास नहीं हुआ। तब पहली बार महाराष्ट्र की सरकार ने सोचा ट्राइबल के विकास के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी कि इनका विकास करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके आधार पर वहां के चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने यह फैसला करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और कहा कि सरकार की वार्षिक योजना का 8 परसेंट रुपया ट्राइबल डिपार्टमेंट को एकमुश्त दे दिया जाए। उस डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया कि ट्राइबल एरिया में विकास के क्या काम करने हैं वह करता रहे। भारत सरकार ने इस व्यवस्था को महाराष्ट्र पैटर्न नाम दिया और भारत सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न के लिए कहा कि यह सबसे बढ़िया व्यवस्था है। भारत के सभी राज्य 1996 तक इसको अपने राज्य में लागू कर दें।

इसी सोच के आधार पर हमारे यहां 2001-02 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का कैबिनेट ने, राजस्थान की सरकार ने फैसला किया। उस फैसले के आधार पर कहा कि कमिटेड लाइबिलिटीज को छोड़कर 8 परसेंट ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाए। पहली बार 30 करोड़ रुपया मिला, दूसरे साल 80 करोड़ रुपया मिला और फिर सरकार बदल गयी। फिर वह महाराष्ट्र का पैटर्न कहां चला गया, बम्बई चला गया, मुझे अभी तक वह समझ में नहीं आया। सभापति जी, सैंटर का जो पैसा आता है उसी पर आपका डिपार्टमेंट चल रहा है और फिर हम यहां भाषण देते हैं कि ट्राइबल एरिया में आदिवासी लड़के गिरवी रखे जा रहे हैं। गिरवी नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? खाने के पैसा चाहिए, बच्चा गिरवी रखे या टांके में कूदकर मर जाए।

(14.00 बजे)

इसलिए, मैं सभापति महोदय चाहता हूं कि सरकार को महाराष्ट्र का पैटर्न अच्छा नहीं लगता है, आंध्र का पैटर्न अच्छा नहीं लगता है तो राजस्थान का कोई पैटर्न तो बनाओ। राजस्थान का पैटर्न बनाकर ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को सरकार बड़ी से बड़ी राशि बजट के रूप में उपलब्ध करवाए ताकि

(श्री दयाराम परमार)

ट्राइबल एरिया का समुचित विकास हो सके। यदि पैसा नहीं मिलेगा तो बिना पैसे से हम क्या करेंगे। आप भी मंत्री रह गये, मैं भी रह गया और बैठे हैं फिर चौथा आ जाएगा, लेकिन ठाले पांच साल कार में घूमने से क्या होगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि किसी पैटर्न के आधार पर ट्राइबल एरिया डवलपमेंट को पैसा दे, किसी न किसी पैटर्न पर तो पैसा देना पड़ेगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के फिफ्थ शिड्यूल में एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का प्रोविजन है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष संबंधित मंत्री हुआ करता है। वह कमेटी समय-समय पर अपनी मीटिंग करके ट्राइबल एरिया की समस्याओं पर विचार करती है और सरकार को एडवाइज करती है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करे। लेकिन, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस फिफ्थ शिड्यूल का वायलेंस हुआ और कहा कि ट्राइबल मिनिस्टर अध्यक्ष नहीं होगा, उसका अध्यक्ष राजस्थान का मुख्य मंत्री होगा। अब मैं यह नहीं समझ पाया कि मुख्य मंत्री एडवाइज किसको करेगा कि यह काम करो। यह कहीं न कहीं ट्राइबलों को जो संविधान में अधिकार दे रखा है, उसको कमजोर करने का कदम है। इसलिए सभापति जी, इस पर सरकार विचार करे, चाहे वह भारत सरकार ने किया हो, चाहे किसी और सरकार ने किया हो, लेकिन इस कमेटी को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, फिफ्थ शिड्यूल में यह भी व्यवस्था है कि ट्राइबल एरिये में शराब की दुकान नहीं होगी, ठेका नहीं होगा, लेकिन ट्राइबल का कल्चर है दारू पीने का, उस कल्चर को बनाये रखने के लिए सरकार को दारू की समुचित व्यवस्था करनी है। यह व्यवस्था लम्बे समय तक चलती आई और 2003 में सरकार ने उसका भी वायलेंस किया और ट्राइबल एरिया में हर पंचायत मुख्यालय पर एक-एक दारू की दुकान खोली। अब दुकान खुल गयी और सरकार कहती है कि हमारी आय का मुख्य साधन है। अब बंद करें या नहीं करें लेकिन हमारी परेशानी दूसरी है। सभापति महोदय, हम दारू पीकर सड़क पर निकलें तो जेल में चले जाओ, एक पेटी दारू लेकर गाड़ी में जाओ तो जेल में चले जाओ। मैं सभापति जी, चाहूंगा कि सरकार अपनी दारू की

(श्री दयाराम परमार)

नीति में स्पष्टीकरण करे कि ट्राइबल एरिये में आदमी एक साथ एक पेटी, दो पेटी कितनी दारू खरीद सकता है, जिससे कि पुलिस उसे पकड़कर जेल में नहीं रखे।

मेरा एक कार्यकर्ता था, वह एक पेटी बीयर ले गया, तीन पी गये, नौ बजे तक पीते-पीते आए, पुलिस पहुंच गयी, पकड़कर ले गयी, मुझे फोन किया साहब बीयर है, मुझे ले गये। मैंने थानेदार जी से बात की तो बोले अभी थाने आ जाओ, फिर बात करता हूं। सभापति महोदय, थाने जाकर क्या किया? पांच बोतल महुआ की दारू का केस लगाकर कहा साहब, सुबह मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। इससे बड़ा आदिवासी के साथ क्या अन्याय हो सकता है। इसलिए सभापति जी, मैं चाहता हूं कि या तो ट्राइबल एरिया में सरकार दारू बंद कर दे या फिर उसकी बिक्री के बाद में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। आपका क्या नुकसान हुआ? हम एक पेटी दारू पैसा देकर ले गये। किस बात का केस बना रहे हो? इस व्यवस्था को सरकार को ठीक करने की जरूरत है।

माननीय सभापति जी, ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट के पास दो-तीन संस्थाएं और हैं। एक राजस संघ, दूसरा टीआरआई और तीसरी स्वच्छ परियोजना। माननीय सभापति जी, ये राजस संघ आदिवासी के लिए करता क्या है? मेरे समझ नहीं आया, मेरी इतनी उम्र निकल गयी, समझने की कोशिश करते-करते। पांच लगेंगे आईएएस आफिसर, पांच, दौ, सौ और छोटे-मोटे, राजस संघ बनाया क्यों था, लघु वन उपज खरीदेंगे, और लघु वन में सफेद मूसली, महुआ, डोलमा उसको खरीदेंगे, क्योंकि व्यापारी इनका शोषण करते हैं, शोषण से बचाने के लिए, महुआ दारू पीने के काम आती है।

सभापति जी, राजस संघ खरीदकर क्या करता है? हमने गुजरात का भी देखा है राजस संघ, एक आदिवासी के घर तक लाइट ले जाने का खर्चा आता है वह वहन करता है। राज्य सरकार कुछ नहीं करती आदिवासियों के लिए। इसी तरह स्वच्छ परियोजना, वह क्या करती है? उसका भी काम काज समझ में नहीं आता है। टीआरआई, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मैं शुरू में समझ रहा था इस संस्थान को देखकर कि ऐसा कोई जादुई फार्मूला निकलने

(श्री दयाराम परमार)

वाला है और फिर आदिवासी पर उसको लागू कर देंगे तो सब आदिवासी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन आज तक मुझे वह फार्मूला कहीं नजर नहीं आया और लम्बा-चौड़ा परिसर लेकर कितने आदमी आफिस में बैठे हैं, उसका पता नहीं। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये सारा रुपया इन संस्थाओं पर खर्च होता है और सरकार को चाहिए कि उस पर गंभीरता से विचार करे, समीक्षा करे कि इन संस्थाओं की आवश्यकता है या नहीं? और आवश्यकता है तो ये आदिवासी के जीवन को किस तरह से आगे बढ़ने में मदद करती है।

सभापति जी, आदिवासियों का आरक्षण, राजस्थान में कुल जनंसख्या का ट्राइबल 12 प्रतिशत है और उसका आरक्षण 12 परसेंट है लेकिन, ट्राइबल एरिया में ग्रेड 1 से लेकर 9 तक आपने आदिवासियों के लिए 45 परसेंट रिजर्वेशन कर दिया, 5 परसेंट एससी के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया, आपने मेडिकल में भी रिजर्वेशन कर दिया, उससे 300 डाक्टर, डाक्टरनियां घूम रहे हैं आदिवासी and will be in the hospital only.

सभापति जी, सरकार प्रशासनिक सेवाओं में आरएएस, आरपीएस में रिजर्वेशन नहीं कर पाई, यह कोई कानूनी मसला नहीं है। यह सरकार की इच्छा शक्ति का काम है। मैं समझता हूं सभापति जी, कि सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और इसलिए दिखानी चाहिए कि आज ट्राइबल का रिजर्वेशन है। उसमें एक गरीब आदमी का बेटा सड़क पर मजदूरी कर रहा है और एक आईएएस, आईपीएस, आरपीएस के लड़के के साथ कम्पीटिशन होता है। निश्चित रूप से आईएएस, आईपीएस, आरपीएस के लड़के का ही सलैक्शन होगा, उस गरीब के बेटे का सलैक्शन नहीं होगा। सभापति जी, मैंने 1975 में आरएएस क्वालीफाई कर लिया था और मेरे को अगर साठ नंबर मिलते तो आज इस सदन में नहीं आता मैं फिर कहीं अफसर बन जाता। लेकिन मेरे को 55 नंबर मिले तो आउट होकर फिर अब आपके बीच में आने का मौका मिल गया। इसलिए सभापति जी, मैं चाहता हूं कि आरक्षण का बंटवारा प्रशासनिक सेवाओं में राज्य सरकार करने का मानस बनाये और उसको लागू करे ताकि आदिवासियों को समय पर मौका मिल सके।

सभापति महोदय, टीएसपी एरिया का जो रिजर्वेशन है उसको भी थोड़ा सुधारने की जरूरत है। सुधारने की जरूरत इसलिए है कि 45 और 5, पचास।

(श्री दयाराम परमार)

शेष पचास परसेंट रह गया। आप तत्कालीन मंत्री थे। आपकी सरकार ने फैसला किया कि स्थानीय लोगों की भर्ती की जाएगी। पचास परसेंट और पचास परसेंट स्थानीय शब्द का इस्तेमाल करके हमने यह रिजर्वेशन किया। लेकिन उस भर्ती में हुआ यह कि मैरिट के आधार पर होता था तो ट्राइबल वहां टिक नहीं पाया और नोन ट्राइब के कैंडिडेट का सलैक्शन हुआ। ट्राइबल में एक इस तरह का वातावरण पैदा हो गया कि हमारे जो नेता थे, नोन ट्राइब तीस परसेंट थे, हमारा रिजर्वेशन बेचकर खा गये और इसी वातावरण के आधार पर पूरे ट्राइबल एरिये में वातावरण गंदा हो गया। सभापति जी, मैं चाहता हूं कि इसका किस तरह से सुलटारा करें। उसके दिमाग से वह बात कैसे निकाली जाए, 33 परसेंट और हम 73 परसेंट। हमको 45 परसेंट और उनको पचास परसेंट कैसे मिला। इस बात को सभापति जी, समझने की जरूरत है और मैं चाहता हूं सरकार उसको गंभीरता से विचार कर जल्दी से फैसला करे कि इनके दिमाग में जो है हम तीस वालों को पचास कैसे दिया उसको निकालने के लिए क्या कदम उठाना है, क्या फैसला करना है सरकार करे लेकिन निश्चित रूप से सरकार को इसको करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति जी, ट्राइबल एरिया को आगे लाने के लिए निश्चित रूप से जो भी नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है और समय-समय पर हम लोग सरकार में भी सम्मिलित होते आये हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को सरकार से कहकर फिर से पुनर्गठित करने की जरूरत है। किस विभाग की जरूरत है, किसको हटाने की जरूरत है, डिपार्टमेंट को सशक्त बनाने की जरूरत है। धन से भी और पावर से भी सशक्त बनाने की जरूरत है तब हम ट्राइबल एरिया और ट्राइबल का विकास कर सकेंगे। अन्य लोगों के समान उनको ला सकते हैं। बिना धन से, बिना पावर से, बिना विल पावर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

सभापति जी, लास्ट में कहना चाहता हूं कि हमारे आवासीय विद्यालय चलते हैं। यह अच्छा है लेकिन हमने यह व्यवस्था की कि जो लड़का भर्ती होगा वह फर्स्ट क्लास होगा और उनको पढ़ाने वाले मास्टर, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांगते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से वही मास्टर मिलता है। मेरे जमाने में एक प्रिंसिपल था जिसको छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था, वह उस आवासीय विद्यालय का प्रिंसिपल हुआ करता था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आवासीय विद्यालयों में

(श्री दयाराम परमार)

पढ़ाने वाले टीचर आप सरकार से मांग करके लोक सेवा आयोग से चयनित करके टीएडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के रूप में इनको लें, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर तैयार कर सकें। कभी कालान्तर में अगर यह डिपार्टमेंट बंद होता है तो प्रशिक्षित टीचर हैं, लोक सेवा आयोग से चयनित हैं, शिक्षा विभाग में समाहित हो जाएंगे, लेकिन अभी ये उधार मांग करके इस डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश नहीं करें। माननीय सभापति जी, मेरे को आपने समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल जी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में चर्चा में भाग लेने का मुझे आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए नमन करना चाहूंगा। बाबा साहब ने इन वर्गों के लिए समानता से जीने की व्यवस्था की और आरक्षण का प्रावधान रखा। संसद में, राज्य विधान सभा में हमारे लोगों को जाने का अवसर दिया। मैं याद करना चाहूंगा स्व. राजीव गांधी जी को जिन्होंने सबसे पहले इस देश में कल्पना की कि गांवों में चाहे ग्राम पंचायत हो, कस्बों में नगरपालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद् हो, जहां इन वर्गों के लोगों का सामान्य सीट पर चुनाव जीतकर पहुंचना बहुत असम्भव सा था, उस जमाने में राजीव गांधी जी ने बाबा साहब की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश की पार्लियामेंट में सबसे पहले एससी/एसटी के लिए पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग में आरक्षण लागू करने की कल्पना की।

सभापति महोदय, वे लोक सभा में बिल लेकर आये। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के दल ने जो राजीव गांधी जी बिल लेकर आये उसके खिलाफ मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के दल ने व्हिप जारी की और जो लोग लोक सभा में, विधान सभा में आरक्षण के बूते पर चुनाव जीत-जीतकर गये वे लोग रोते-रोते आंसू बहाते-बहाते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि आवश्यक रूप से इस बिल के खिलाफ मत डालना पड़ेगा, अनुपस्थित नहीं रह

(श्री बाबूलाल नागर)

सकेंगे, उन्होंने रोते-रोते मत दिया और एक मत के अन्तर से वह बिल पास नहीं हो सका। स्व. नरसिम्हा जी प्रधान मंत्री बने और फिर स्पष्ट बहुमत से इस देश में चाहे पंचायती राज हो, नगरपालिका हो, स्वायत्त शासन हो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की और इस देश में आरक्षण लागू हुआ। उस जमाने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केन्द्र सरकार ने जो बिल पास करके इस देश में व्यवस्था लागू की उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने राजस्थान में लागू किया। सही रूप में अगर यह कोई सोच था तो स्व. राजीव गांधी जी का सोच था। आज नगरपालिका, ग्राम पंचायतों में वार्डों में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत मैम्बर, प्रधान, जिला प्रमुख, चेयरमैन पदों पर आज एससी/एसटी के लोगों को आने का मौका मिला।

सभापति महोदय, बाबा साहब ने व्यवस्था की आरक्षण की और कांग्रेस की सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया। भारत सरकार द्वारा 2005 में एक मैमोरेण्डम जारी हुआ था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और 2001 की जनसंख्या के अनुसार उस समय एससी की जनसंख्या इस देश में सत्रह प्रतिशत थी, एसटी की जनसंख्या तेरह प्रतिशत थी तो मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय भी यहां बैठे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत जी लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार हमेशा दलितों का भला चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि जब पूरे देश में जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लागू करने की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की मंशा है, सरकार की मंशा है, दलितों का भला करना चाहते हैं। हमारे लोग बड़ी मुश्किल से हमारी जो परिस्थितियां हैं बहुत ही गरीबी में गांवों में पैदा होते हैं। उनको वातावरण नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ लिखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या 2001 में एससी की 17 परसेंट थी, एसटी की 13 परसेंट थी और आरक्षण 16:12 प्रतिशत से आज तक आगे नहीं बढ़ाया गया। सभापति महोदय, 2011 की जनगणना भी आ गयी, उसके अनुसार एससी की जनसंख्या आज देश में 18 प्रतिशत है, एसटी की जनसंख्या 14 परसेंट है और आज भी आरक्षण की जो व्यवस्था है वह 16:12 परसेंट है। आज कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज 70 साल के बाद भी दलित समाज के लोग हमारा आरक्षण, बैक-लाग यही चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारा समीक्षा

(श्री बाबूलाल नागर)

का समय है और निश्चित रूप से हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिये। एससी, एसटी का आरक्षण निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में और हिन्दुस्तान में लागू होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रदेश में 10 फरवरी, 1975 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण का पैमाना था 40 पाइंट के आधार पर 16:12 प्रतिशत। सभापति महोदय, यह 20.11.97 तक चलता रहा। 40 पाइंट के आधार पर एससी का रोस्टर बिन्दु 1, 7, 14, 21, 28 और 35 नंबर पर है। इस तरह से हमारे 40 में अनुसूचित जाति के 6 लोगों का नंबर आता था और अनुसूचित जनजाति का जो रोस्टर का पैमाना था उसमें वह 7, 13, 19, 26 और 38 नंबर पर आता है। उस जमाने में 5 का नंबर आता था। 20.11.97 को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा काला आदेश उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्मिक विभाग ने निकाला, उससे पहले रोस्टर का पैमाना 40 का था और इसके बाद 100 का मापक मानते हुए रोस्टर का पैमाना राजस्थान में लागू किया गया। पहले जो 40 पाइंट के आधार पर एससी के 6 आते थे, आज उस 100 के आधार पर एससी के 5 आते हैं। एसटी के जो 5 आते थे, आज उस 100 के पैमाने के आधार पर एसटी के 4 आते हैं। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि इस देश में अगर गरीबों के लिए, दलितों के लिए कभी भी कोई ऐसी योजना लेकर आये हैं, तो जब-जब देश में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब-तब लोक कल्याणकारी फैसले हुए हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो काला आदेश राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 20.11.97 को निकाला गया है, यह ऐसा कौनसा अंतिम आदेश हो गया जिसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मैं चाहूंगा कि इसको दुरुस्त किया जाए। एससी, एसटी के लोगों के साथ इस आदेश के द्वारा बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी 11.09.2011 को राजस्थान की सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने एससी, एसटी के लिए एक मजबूत आदेश राजस्थान में लागू किया और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अगर कहीं पालन हुआ है तो वह सिर्फ राजस्थान में हुआ

(श्री बाबूलाल नागर)

है। अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में इसकी पालना की। भटनागर कमेटी का गठन किया और भटनागर कमेटी के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण देने का काम राजस्थान में हुआ। जब पूरे देश में राजस्थान की सरकार और यहां के मुखिया अशोक जी गहलोत अग्रणी होकर इसे लागू कर सकते हैं तो दलित समाज के विपरीत कार्मिक विभाग ने जो-जो आदेश निकाले हैं, उनको दुरुस्त करने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिये।

सभापति महोदय, आप जानते हो हर विभाग में आजकल संविदा के आधार पर नियुक्तियां करते हैं। इसमें कोई आरक्षण का मामला नहीं है। संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के बाद इनको नियमित के रूप में भी भरा जाता है। ऐसी स्थिति में एससी, एसटी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसी भी विभाग में अगर संविदा के आधार पर कहीं भी नियुक्ति की जाती है तो आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना चाहिये।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश किया था कि राजस्थान के जितने भी विभाग हैं उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिए हर विभाग में एक लाइजन आफिसर की नियुक्ति होगी। सभापति महोदय, मुझे दु:ख है जिस कार्मिक विभाग ने राजस्थान में यह आदेश लागू किया, उस कार्मिक विभाग में ही आज तक लाइजन अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें। जब तक आप हर विभाग में लाइजन अधिकारी नहीं बनाएंगे तब तक उस विभाग में जितने भी हमारे हित हैं, उनकी पूरी तरह रक्षा नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, अभी एक मेरी बहन सदस्य ने 2018 को भारत बंद के संबंध में चर्चा की है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के एससी, एसटी के दलित समाज के संगठनों के प्रति आज बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसे-ऐसे नौजवान बच्चे जिन्होंने प्री आईएएस पास कर लिया, आरएएस पास कर लिया, उनका कोई लेना-देना नहीं है और पुलिस ने जान बूझकर उन लोगों पर असत्य प्रकरण दर्ज करा दिये। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा जब बड़े-बड़े केस विड्रा हो जाते हैं, इसी सदन में चर्चा होती है तो यह बेकसूर लोग

(श्री बाबूलाल नागर)

जिनको तरह-तरह के मुकदमों में फंसा दिया है, गिरफ्तार हो गये हैं, कई के चालान पेश हो गये हैं, कई के प्रकरण विचाराधीन हैं, इन लोगों के प्रकरण वापस होने चाहिये। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने इस ओर प्रयास किया है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने प्रयास तो शुरू किया है लेकिन अभी तक प्रयास कारगर नहीं हुए हैं। थोड़ी-बहुत उनको सहायता मिली है, थोड़ी-बहुत लोगों को राहत मिली है लेकिन आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग पूरे राजस्थान में भटक रहे हैं।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कालेज हैं इनमें प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विभिन्न टैक्निकल कालेज हैं, इनमें प्रोफेसर वगैरह की भर्ती होती है, इन भर्तियों में विषय के आधार पर काउंट करते हैं, पद के आधार पर काउंट करना चाहिये। जब प्रोफेसर के दो पद खाली हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद खाली हैं, वहां एक भी एससी, एसटी का आदमी नियुक्त नहीं हो पाता है और हमारे एससी, एसटी के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। इसमें टोटल संख्या के अनुसार, पदों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज रोज एससी, एसटी के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके विभागों की क्या प्रक्रिया है लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा साफ है और सरकार ने स्पेशल निर्देश दिये हैं कि इन दलित बच्चों के चाहे वह एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, एसबीसी के हों, इन सब बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर होना चाहिये। लेकिन इसमें बहुत मकड़जाल है बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। लोग तरह-तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस दलित विद्यार्थी को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो एससी, एसटी की जमीनें हैं, सभापति महोदय, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, इनमें ताकतवर लोगों ने बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि राजस्थान में एक अभियान जारी कराएं और पटवारी व गिरदावरी

(श्री बाबूलाल नागर)

की रिपोर्ट के आधार पर उसकी भूमि का कब्जा उस एससी, एसटी के खातेदार को दिलाया जाए। एससी, एसटी की भूमियों में जाने का रास्ता नहीं है, मेरा आपसे आग्रह है कि इनको रास्ता उपलब्ध कराया जाए।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं कनक्लूड करता हूं। सभापति महोदय एससी, एसटी के अत्याचार के जो मुकदमे हैं, इनमें सहायता राशि प्रदान की जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आज समीक्षा करने की आवश्यकता है राजस्थान में कितने प्रतिशत समाज के लोगों द्वारा मुकदमे कराये गये, कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी गयी। आज अगर इसका मूल्यांकन कराएंगे तो इसका पूरा मुखौटा सामने आ जाएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इस अवसर पर मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा लेकिन बैकलॉग वगैरह जो भी समस्या है, आज दर-दर भटक रहे हैं और जब हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, हमारे मुख्य मंत्री दलितों के हितैषी हैं, हमारी सरकार दलितों की हितैषी है तो इस सरकार को समीक्षा करके निश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, एससी, एसटी की महत्वपूर्ण बहस हो रही है। एससी, एसटी के दो मंत्रियों के अलावा यहां कोई भी दूसरा मंत्री नहीं है। कम से कम कोई दूसरा एक मंत्री यहां होना चाहिए। ज्यादातर सदस्य भी वे ही बैठे हैं। मैं देख रहा हूं। मुझे इधर से भी नजर नहीं आ रहे, उधर से भी नहीं आ रहे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): यह साबित हो रहा है कि सरकारें एसटी, एससी के लिए चिंतित हैं। न तो विपक्ष में कोई है, न पक्ष में कोई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ये दोनों नहीं हैं तो चिंता मत करो मैं बैठा हूं। सभापति महोदय, जाति और घृणा ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। हम नजर डालें, हमारा उद्घोष था - वसुधैव कुटुम्बकम्। वेदों में कहा है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत'।

(श्री संयम लोढ़ा)

मानननीय सभापति महोदय, इतिहास की तरफ नजर डालेंगे तो दलित आदिवासी समाज के ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनके योगदान से हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। माननीय सभापति महोदय, भगवान श्री राम जब जंगल में गये तो वे कोई जहरीला फल न खा लें, इसलिए एक-एक फल चखकर खाने वाली वह माता शबरी इसी आदिवासी समुदाय से आती थी। उसके बाद भी आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। राजा हरिशचंद्र का सब कुछ लुट गया, परिवार छूट गया, राज छूट गया, पत्नी छूट गयी। उस वक्त भी उनको शरण देने वाला आदमी, उनकी सहायता करने वाला आदमी इसी दलित समुदाय में पैदा हुआ। माननीय सभापति महोदय स्वाधीनता आंदोलन का मैं आपको स्मरण कराऊं। वह मंगल पांडे जो अंग्रेजों की सेना में सैनिक था, अंग्रेजों के लिए काम करता था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के जज़्बात मंगल पांडे के अंदर पैदा करने वाला आदमी कौन था, वह मातादीन भंगी व्यक्ति था, जिसने अंदर सोयी हुई मंगल पांडे की आत्मा को जगाया और उनको स्वाधीनता संग्राम का सेनानी बनाया।

माननीय सभापति महोदय, हम मुगलों का वह जमाना याद करें। भले-भले लोग धर्म छोड़कर जा रहे थे। अपना धर्म छोड़ रहे थे, पलायन कर रहे थे। मुगलों के उस दौर में भी वे कौन लोग थे, जिन्होंने इस सनातन धर्म की ध्वजा को खड़ा रखकर इस देश को एक नयी रोशनी देने का काम किया। कबीर, जात-पात पूछै न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रविदास, रैदास। ये सारे वे लोग हैं, जिन्होंने उस जमाने में मुगलों के सामने धर्म प्रचार का काम किया। सती मीरा, जिनके भजनों से पूरे राजस्थान की धरती अनुप्राणित है, उनके गुरु कौन थे? इसी दलित समाज में जन्म लेने वाले रैदास, सती मीरा के गुरु थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ अपना राज-पाट छोड़कर जंगल में चले गये और जब एक पेड़ के नीचे ध्यान के लिए वे अपना आसन लगाने वाले थे तो एक छोटा-सा बच्चा घास का भारा लेकर आया। उस बच्चे से उन्होंने कहा कि यह मुझे दे दे। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। सिद्धार्थ ने उनसे कहा कि क्यों नहीं दे सकते? उसने कहा कि मैं अछूत हूं इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूं। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, इसी पर मैं बैठूंगा। उस पर आसन लगाया और ध्यान लगाया। इसी तरीके से वे देश के पहले समता सैनिक देश के हुए। आज हर जगह

(श्री संयम लोढ़ा)

दलित समाज के लोग अपने बैनर पर महात्मा बुद्ध की फोटो लगाते हैं। वे क्षत्रिय थे, राजपूत थे, लेकिन ढ़ाई हजार साल पहले उस कुप्रथा के ऊपर चोट करने वाले वे पहले व्यक्ति हुए, इसलिए वे महात्मा बुद्ध कहलाए।

इसके बाद का इतिहास गवाह है। महामानव डा. भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जन्म से लेकर लगातार उस अत्याचार को भोगा, उस पीड़ा को भोगा, जो एक गलत व्याख्या के कारण इस देश में मान ली गयी थी। क्या कठिनाइयां नहीं देखीं? वे किससे नहीं लड़े? क्या अंग्रेजों से नहीं लड़े? क्या तत्कालीन सरकारों से नहीं लड़े? क्या कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़े? क्या हिंदू महा सभा के लोगों से नहीं लड़े? माननीय सभापति महोदय, देश का संविधान हमको दिया, जिसके बूते आज देश के सवा सौ करोड़ लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब हिंदू समाज के सुधार के लिए, उसमें प्रगति के लिए नारी जाति को ताकत देने के लिए वे एक के बाद एक कानून ला रहे थे। वे कौन लोग थे, जिन्होंने उसका विरोध किया। 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान लागू हो रहा था, तो वह आर्गेनाइज अख़बार किन लोगों का है, जिसमें 25 जनवरी, 1950 को एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ने उस संविधान के खिलाफ आर्टिकल लिखा कि यह संविधान भारत मूल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेगा। आज उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। कोई इस सदन में बताएगा कि वे कौनसे कारण थे जिससे बाबा साहब अंबेडकर को अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाना पड़ा था। माननीय सभापति महोदय, ये सब इतिहास की बातें होंगी, लेकिन हम इतिहास से सीखते हैं।

मैं आज की इस मांग पर आना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान डवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 70 साल बाद भी हमारा दलित आदिवासी समाज कहां पर खड़ा हुआ है? माननीय सभापति महोदय, इम्पैक्ट मोर्टलिटी रेट भारत की 34 है, राजस्थान की 41 है और शिड्यूल्ड एरिया की 63 है। आप अंदाजा लगाइये कि हमारा आदिवासी समाज कहां पर खड़ा है? मैटरनल मोर्टलिटी रेशो इंडिया का 130, राजस्थान का 199 और शिड्यूल्ड एरिया का 265 है। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। अंडर 5 मोर्टलिटी रेट, इंडिया का इंडिकेटर 50 है, राजस्थान का 51 और शिड्यूल्ड एरिया का 95 है। क्रूड बर्थ रेट, भारत का इंडिकेटर है 20.8, राजस्थान का 24.3, शिड्यूल एरिया का 30.3,...

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, टोटल फर्टिलिटी रेट भारत की 2.3 है, राजस्थान की 2.7 है और शिड्यूल एरिया की 3.9 है। माननीय सभापति महोदय, ये सारे आंकड़े देखने के बाद हम लोगों के सामने पूरी तस्वीर आ जानी चाहिए। इन 70 साल में हमने किस तरीके से आदिवासी समुदाय की उपेक्षा की है। उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा की है। उनके परिवार की उपेक्षा की है। हमें इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। पिछले 70 साल में हम लोगों में जो कमजोरियां रही हैं, राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, अपने साधनों का त्याग करके उस समुदाय को हमारी बराबरी पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको पीएचईडी का विकास सूचकांक का तुलनात्मक विवरण आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित गांव - राजस्थान का फीगर 16.85 परसेंट है, शिड्यूल्ड एरिया का 4.81 परसेंट। हम आदिवासी भाइयों को साफ पानी नहीं पिला पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पाइप योजना से लाभान्वित गांव में राजस्थान का रेशो 8.22 परसेंट है, शिड्यूल्ड एरिया का 2.74 परसेंट। अब बताइये ये सारे विकास के दावे कितने खोखले हैं। हम आदिवासियों भाइयों को पाइप से साफ पानी पहुंचाने में भी भेदभाव कर रहे हैं। उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के एरिये का पैसा है, वह भी खर्च करने की हमारी मानसिकता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सतही स्रोत आधारित योजना से लाभान्वित मुख्य गांव, इसमें राजस्थान का फीगर 21.4 परसेंट है और शिड्यूल्ड एरिया का फीगर 5.4 परसेंट। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं मंत्री रहे हैं। वैसे भी सब आपकी जानकारी में है। आपने प्रयास किये होंगे, लेकिन उन प्रयासों को और अधिक ताकत से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि सूचकांक का निवेदन करूंगा। प्रमुख कृषि फ़सलों की उत्पादकता का स्तर कितने किलोग्राम एक हैक्टेयर के पीछे प्रोडक्शन है। मक्का, स्टेट का फीगर है 1.1564 केजी प्रति हैक्टेयर और हमारे शिड्यूल्ड एरिया का फीगर है 1308 केजी। गेहूं, स्टेट का फीगर है प्रति हैक्टेयर 3683 केजी और शिड्यूल्ड एरिया का फीगर है 3097 केजी। अरहर में भी प्रति हैक्टेयर राजस्थान 1088 किलो पैदा करता है

(श्री संयम लोढ़ा)

और ट्राइबल एरिया का फीगर 940 है। इसी तरीके से सब्जियों में उत्पादकता प्रति हैक्टेयर 10656 किलोग्राम और शिड्यूल एरिया के अंदर 5256 किलो। यह सारे इंडिकेटर इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता में कमी है, हमारी प्रतिबद्धता में कमजोरी है, हमारी क्रियान्विति में कमजोरी है और इन सबको ठीक करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित एवं व्यय की गयी राशि का विवरण, अभी बढ़-चढ़कर बहुत बातें कर रहे थे। 2014-15 का मैं फीगर पढ़ दूं आपके सामने, टार्गेट था 50,482 और अचीवमेंट क्या है 28,631, 56.72 परसेन्ट। 2015-16 का टार्गेट था 47,885, अचीवमेंट क्या है 25,275, 2016-17 का टार्गेट था 47,885, अचीवमेंट है 24265, 50.67 परसेन्ट। यह सारे आंकड़े क्या प्रदर्शित करते हैं? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, जिसने रिपोर्ट दी थी कि आदिवासियों के हित के अंदर देश में क्या करना चाहिए। उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उनकी क्रियान्विति अभी बाकी है। आदिवासियों के भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों को राजस्व विभाग के स्थान पर जनजाति विभाग से हैंडल करवाएं। इससे ज्यादा बेहतर निर्णय नहीं हो सकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरीके से एक सदस्य ने तो अभी सुझाव दिया था कि एससी/एसटी की लैंड बेचने दो जनरल को, दूसरे सबको। मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि भूरिया कमेटी ने क्या कहा है इस बारे में। भूरिया कमेटी ने कहा है कि राजस्थान राज्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आवासीय व वाणिज्यिक भूमि के हस्तांतरण पर भी लागू किये जाने चाहिए। ये भूरिया कमेटी ने कहा है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं इर्रिलेवेंट नहीं बोलूंगा। 70 साल हो गये लोगों को। मेरे दस मिनट बोलने से कुछ चीजें सरकार के ध्यान में आएंगी। आप कृपा करें।

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, स्कूटी योजना, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभाग स्कूटी बांटते हैं। उनमें भी एकरूपता नहीं है। मानदंड में एकरूपता नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

ट्राइबल लड़की को आप स्कूटी कब देते हैं? जब वह 65 परसेन्ट लाए। सही है और देवनारायण योजना में आप देते हैं, 50 परसेन्ट लाने वाली लड़की को। मंत्री जी, सही कह रहा हूं। आदिवासियों के साथ यह फर्क क्यों? क्या हमें यह ठीक नहीं करना चाहिए? इसके अलावा आप ट्राइबल को देते हैं, क्राइटेरिया क्या है, इनकम टैक्स पेयी नहीं होना चाहिए और देवनारायण में क्या है? दो लाख रुपये। मेरी बात सुनिए। राजस्थान सरकार के लिए सारे बच्चे समान हैं। जिनको वह इसका पात्र समझती है तो उसमें फर्क नहीं करना चाहिए। जब आप देवनारायण में दो लाख कर रहे हैं तो उसमें इनकम टैक्स पेयी क्यों? ट्राइबल इनकम टैक्स पेयी क्यों? क्या इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा कानून है, इनकम टैक्स पेयी और गवर्नमेंट सर्वेंट दो को छोड़कर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के सारे लोगों को आप फूड सिक्योरिटी में जोड़ दें, तभी उनका कल्याण होगा। लड़कियों को तो आप कोचिंग दे रहे हैं। होस्टल आपने लड़कियों के बनाएं हैं, उनको आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग देने के लिए। लड़कों ने क्या गुनाह किया है, आप उनके लिए भी खोलें। उनको भी वह फैसिलिटी प्रोवाइड करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा लड़के जो प्राइवेट मेडिकल कालेज में एडमिशन लेते हैं, ट्राइबल के। क्या देते हैं उनको? दस हजार रुपये। यह आपका फीगर दिया है इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राजकीय इंजीनियरिंग-मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दस हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। 2017-18 में आपने दिए 910 को और 2018-19 में आ गये आप 788 पर। मैं प्रतिपक्ष के उप नेता, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपकी मुख्य मंत्री ने 2017 के बजट में यह घोषणा की थी, 152 नंबर बिंदु पर, राज्य के एससी एवं एसटी वर्ग के ऐसे मेधावी बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रुपये से कम है, उनको निजी मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एवं पीजी का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पृथक् से योजना लाई जाएगी। कहां गयी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, लोग धन्यवाद देंगे, आप जाएंगे। मैं आज बच्चों के ही मुद्दे उठा रहा हूं। आज क्या फीस है प्राइवेट मेडिकल कालेज की? वह सीटें खाली रह जाती हैं और प्राइवेट कालेज के मालिक उन एससी/एसटी की सीटों को बेच रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा। पांच मिनट और लूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं साहब। आप समझिए। एक मिनट में समाप्त कीजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक-दो पाइंट, आप तो जानते हैं मैक्सिमम क्राइम शिड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में होते हैं। क्या नहीं होता है? क्या सहायता देते हैं पीड़ित प्रतिकर में? क्या बजट है? अगर आप इसमें प्रावधान नहीं बढ़ाएंगे तो हम ट्राइबल लोगों की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ट्राइबल के मैक्सिमम मैटर पुलिस बाहर ही दलाल बनकर सौदे करती है। मौताणे के नाम पर, दूसरे के नाम पर वन थर्ड हिस्सा पुलिस लेती है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खतम करूंगा कि यह आर्थिक समीक्षा की किताब आपने राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई है। मैं इसमें से सिर्फ एक फीगर कोट करना चाहता हूं विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2018-19 पैकेज आफ प्रोग्राम, क्या टार्गेट था? 6000, उपलब्धि क्या है? 1337, पैकेज आफ प्रोग्राम ग्रामीण क्या था 16,500, उपलब्धि क्या है? 3879, आटोरिक्शा बांटने थे 250, उपलब्धि क्या है? जीरो।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिरी बात, एक तो कहने दें, वनवासी अधिकार की बात कहने दें। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है।

श्री सभापति: समाप्त हो गया। आप शुरू करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप रिव्यू पिटीशन करने जा रहे हैं। राजस्थान में हजारों आदिवासियों की सुनवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के सबसे ऊंचे सदन में मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के तहत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आप भी मंत्री रहे और शिड्यूल क्षेत्रों को आप भली भांति जानते हैं। खेरवाड़ा से आने वाले सदस्य भी मंत्री रहे। वर्तमान में माननीय दो-दो मंत्री बैठे हुए हैं, हमारे बीच में, जनजाति मंत्री महोदय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय, भारतीय संविधान की सूची 5 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा 1975 में क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है। समूचे टीएसपी, जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, उन सभी का समग्र विकास होना चाहिए। सड़कें बनें, घर तक रास्ता बने। शिक्षा मिले, लाइट पहुंचे, पानी की व्यवस्था हो। यह सारी योजना, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिए यह विभाग देखता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य का दक्षिण भाग 8 ज़िले, 45 तहसीलें और 5 हजार 96 से अधिक गांव टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। दूसरे क्षेत्र में, बांसवाड़ा की सम्पूर्ण 11 तहसीलें, डूंगरपुर ज़िले की सम्पूर्ण 9 तहसीलें, प्रतापगढ़ ज़िले की 5 तहसीलें, उदयपुर ज़िले की 14 में से 9 तहसीलें आती हैं। सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली ज़िलों के भी कुछ गांव-ढाणियां इसमें आती हैं।

मैं बहुत चौकाने वाला आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 2007-08 से 2019-20 के बीच का है। राजस्थान की सम्पूर्ण जनसंख्या का शिड्यूल्ड एरिया को, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सरकार यहीं काटकर, अपनी अन्य योजनाओं के उपयोग में ले लेती है, जिसकी वजह से टीएसपी को मानदण्ड के अनुसार हिस्सा राशि का आबंटन नहीं हो पाता, राशि खर्च नहीं हो रही है, उसे मैं सदन में पेश करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, 2007-08 में प्लान 10987.37 करोड़ का बना था और 12.56 परसेंट के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर 1380, यह करोड़ में है, हमें उस क्षेत्र का विकास करने के लिए 423 करोड़ 76 लाख रुपये

(श्री अमृतलाल मीणा)

मिले। 956.25 करोड़ रुपये सरकारों ने यहां पर रोक लिए। वह शिड्यूल्ड एरिया का पैसा था।

सभापति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण पेश करना चाहूंगा, 2008 का, पूरे राजस्थान का 12190 करोड़ था। शिडयूल्ड एरिया को 1531.8 मिलना चाहिए था, 384 करोड़ दिया और 1146.54 करोड़ रुपये बजट राशि से वंचित रखा गया। 2009-10 की बात है, 12568.73 था, 1578.63 रुपये मिलने चाहिए थे इस राशि को 729.10 पूरी जनसंख्या का 5.14 परसेंट 1780.06 राशि बनती थी, 1050 करोड़ से अधिक की राशि। सभापति महोदय, जनगणना 2011 के अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस एरिया में 9 राज्य हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत निम्न राज्यों में से हमारा राजस्थान भी एक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि तेलंगाना व उत्तराखण्ड सरकारों द्वारा अपने राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति योजना के लिए कानून बनाया गया है, राजस्थान में भी बनना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उदयपुर में आफिस है। जनजाति उप योजना की 1975 में स्थापना हुई। उदयपुर में अलग से जनजाति आयुक्त का पद है जिस पर आज तक अलग से अधिकारी नहीं लगाया गया है। संभागीय आयुक्त के पास चार्ज रहता है, जो आदिवासी विकास पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। जनजाति आयुक्त के अलावा निदेशक का पद भी है। 1975 से आज तक नहीं भरा गया है। उस पद पर किसी अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास के लिए राज्य की योजना का पैसा महाराष्ट्र पैटर्न पर मिलता है लेकिन सरकार उस पैसे को दूसरे कामों में ले लेती है। जैसे शिक्षकों का पेमेंट करना है, पटवारी का पैमेंट करना है, कम्पाउण्डर का करना है, तनख्वाह, टीए, डीए इन सबमें, स्केल 1 से 9 तक के, जनजाति ट्राइबल क्षेत्र घोषित होने के बाद, पूरे जनजाति क्षेत्र में कोई डाक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, आर ए एस, आई ए एस, नायब तहसीलदार यह सारी भर्तियां, शिडयूल्ड ट्राइब का क्षेत्र घोषित होने के बाद।

(श्री अमृतलाल मीणा)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण से पहले और आरक्षण के बाद, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा कि टीएसपी एरिया में आरक्षण लागू किया। आज ट्राइबल एरिया का सरपंच है, ट्राइबल का प्रधान है, ट्राइबल का पंचायत समिति सदस्य है, ट्राइबल का जिला परिषद् सदस्य और जिला प्रमुख है। एमएलए, एमपी ट्राइबल के हैं। मैं भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा। आज वह हमारे बीच नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आज वह हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 2000 में पार्लियामेंट के क़िले पर खड़े होकर भाषण दिया, देश के तमाम एरिया में, टीएसपी एरिया में राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

सभापति महोदय, आपको भी ध्यान है मंदसौर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, बिछीवाड़ा रमदान का जो नेशनल हाईवे है, क्या वहां ट्राइबल का विकास नहीं हो रहा है? हमारा रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, खेरवाड़ा होते हुए स्वरूपगंज रोड जा रहा है जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के लोगों की कायापलट हो गयी।

ट्राइबल मिनिस्टर साहब हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आपको वह दिन भी याद दिलाना चाहूंगा, हमारे बांसवाड़ा का गर्ल्स कालेज अगर खुलता है तो सब प्लान के अंतर्गत खुलता है। सलूम्बर की कालेज, खेरवाड़ा के कालेज, गोगुन्दा के कालेज, झाड़ौल के कालेज, डूंगरपुर का मेडिकल कालेज, धरियावद, कोटड़ा का कालेज, यह सारे हैं। धीरे-धीरे यह विकास हो रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा।

(15.00 बजे)

बिजली के क्षेत्र में, हमारे उस क्षेत्र में खीण बजती है, दूर-दराज घर हैं, कभी उस गरीब घर को, रहने वाले परिवार को भी पता नहीं था कि हमें एक दिन लाइट मिलेगी लेकिन आज पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत, सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों को लाइट पहुंची है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जनजातीय क्षेत्र विभाग में जो 45 प्रतिशत आरक्षण किया है, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आपने काम बहुत किया है। आवासीय छात्रावास का संचालन किया, आवासीय विद्यालय का

(श्री अमृतलाल मीणा)

काम, माडल पब्लिक स्कूल, एकलव्य, रेजीडेंसी का, पब्लिक का किया, बहूद्देशीय छात्रावासों का किया, कालेज छात्रावासों का संचालन कर रहे हैं। आश्रम छात्रावासों का, जनजातीय छात्राओं का, जनजातीय एक से 12 तक, नि:शुल्क स्कूटी बांटना, यह सारा हमारा जनजातीय विभाग का है।

मैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। यह सुझाव, उपरोक्त विभिन्न सरकारों द्वारा जो गैर योजना बजट वर्गीकरण की समाप्ति के उपरांत उप योजना के आधार पर आयोजन समाप्त होने के परिणामस्वरूप, लगभग समाप्त हो गया, हमारा सुझाव है, माननीय मंत्रीजी कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजातीय उप योजनाओं को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर हमें कानून पारित करना चाहिए। सभी विभागों में दलितों और आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजना बना करके इस कोष से क्रियान्वित की जानी चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। उप योजना की राशि न तो लैप्स की जाए और न ही अन्य मदों में हस्तांतरित की जाए, बल्कि शेष बची हुई राशि को अगले वर्ष उपयोग में लाने की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): एक मिनट, बस।

माननीय सभापति महोदय, उक्त विधेयक के अंतर्गत बजट खर्च किया जाए। नियमित निगरानी रखी जाए। आज जितना भी टाडा जो बजट दे रहा है, कोई निगरानी नहीं है। पैसा आबंटित कर दिया, निगरानी कुछ नहीं है। क्या स्थिति आई या नहीं आई, कहां पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ अभी हमारे इस विभाग के माध्यम से कोई निगरानी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक डेटाबेस तैयार किया जाए योजना तैयार की जाए।

मेरा अंतिम और आधे मिनट का समय है। राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की तरह उप योजना के अंतर्गत किये जाने वाले बजट आबंटन को दर्शाते हुए स्टेटमेंट 21 एवं 21ए जारी करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करिये। माननीय रूपारामजी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय, अनुसूचित क्षेत्र में बजट की स्वयं निगरानी करनी चाहिए, ऐसा कानून ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय, बहुत बोलना था, लेकिन आपने जो भी किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक दिन अपन सब अलग से ही बैठक बुला लेंगे।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा खुला-खुला यह निवेदन है कि हमारे उस क्षेत्र में आज जो ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जाने के रास्ते नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, यह सारा बैठ करके, अधिक से अधिक इनको सड़कें मिलें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पुलियाओं का निर्माण हो, ज्यादा से ज्यादा पानी के हैण्ड-पम्प हों, सोलर पनघट की बात हो, यह सारी व्यवस्था ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रूपारामजी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद, सभापतिजी, आपने मुझे मांग संख्या 51 और 30 पर बोलने के लिए अनुमति दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश की आजादी से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति का जो जीवन था वह पशुधन से भी बदतर था। यह सबको विदित है। उस वक्त के अधिकतर लोग आज संसार में नहीं हैं। वे अगर आज हम लोगों को विधान सभा में, लोक सभा में, अधिकारियों में, व्यवसाय करते हुए देखते तो शायद उनको आठवां आश्चर्य लगता। यह सब आज कोई भी ज्यादा कहे, हमने यह किया, वह किया, वह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, उस वक्त भी कुछ लोग जो शोषणकर्ता थे, उनको यह सुहाया नहीं था। बाबा साहब ने सिर्फ एस.सी., एस.टी. के लिए नहीं, बल्कि महिलाएं जो देश की आबादी की आधी, 50 प्रतिशत हैं, पशुओं के लिए, वृक्ष तक के लिए भी प्रावधान किया। चूंकि एस.सी., एस.टी. सबसे नीचे के पायदान पर थे, नारकीय जीवन जी रहे थे तो उनके लिए प्रावधान डाले।

संविधान बना, लागू हुआ, और 1951 से लेकर आज अपन यहां तक पहुंचे हैं। 76 सालों में 50 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, 20 वर्ष भा.ज.पा. ने अकेले या जनता दल से मिल कर राज किया। एस.सी., एस.टी. की अधिकतर उत्थान की योजनाएं लागू हुईं, चालू कीं, उनका बैनिफिट मिला, वह कांग्रेस

(श्री रूपाराम)

शासन में अधिक रहा। उन लोगों के दिल में यह जगह थी, स्थान था कि ये लोग भी उठकर हमारी बराबरी पर आएं। मैं यह नहीं कहता कि एस.सी., एस.टी. के उत्थान में सिर्फ एस.सी., एस.टी. वाले ही काम आये। मैं भी यहां पहुंचा हूं एक छोटी-सी नौकरी करते हुए चीफ इंजीनियर बना, फिर यहां आया। मेरे को पढ़ाने में गांव के ठाकुर और आगे लाने में जोधपुर के ब्राह्मण समाज ने सहयोग किया, नहीं तो मैं पटवारी ही रहता। ऐसा नहीं है कि एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए सिर्फ एस.सी., एस.टी. वाले ही अधिकारी, कर्मचारी या व्यवसायी काम करते हैं। ऐसा नहीं है। और भी लोग हैं।

आज, मैं योजनावार भी आऊंगा, लेकिन अगर एस.सी., एस.टी. के ही लोग या दूसरे जो उनके दिल में दर्द रखते हैं, वे चाहे राज के नौकर हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे नेता हों, उनको रोकथाम की, पूरी ठान लें, जो योजनाओं में प्रावधान हैं, प्रावधान कर रखा है, फील्ड पर लागू होता है, नहीं होता है। यहां दो सौ माननीय सदस्य बैठते हैं, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसमें एस.सी., एस.टी. के मतदाताओं का बहुत अच्छा सहयोग न रहता हो। विशेष करके कांग्रेस में नम्बर वन पर वोट देने में मुस्लिम रहते हैं और दो पर एस.सी., एस.टी. रहते हैं। लेकिन यहां जब उनके काम होते हैं तो पायदान पर उसी जगह खिसक जाते हैं, जहां आजादी से पहले थे। ऐसा क्यों? आज कई लोग, हम लोग यहां बैठे हैं। एस.सी., एस.टी. के कई विधायक हैं। हमारे पास लोग आते हैं, पूरे राजस्थान से आते हैं। मैं अभी डूंगरपुर गया था। एक तहसीलदारजी का रिटायरमेंट था। मैं वहां चीफ गैस्ट था। वहां के पूर्व एम.एल.ए., प्रधान वगैरह भी थे। वे लोग भी आते हैं। कई और लोग भी आते हैं कि हमारे एम.एल.ए. साहब को वोट दिया, एम.एल.ए. साहब अब हमारी सुनते नहीं हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन सबको धारना चाहिए कि अपने जो मतदाता हैं, जो नीचे बैठे हैं उनको ऊपर लाना चाहिए।

मैं थोड़ा सा योजनावार बताऊंगा। पहले भी बताया है। एस.सी., एस.टी. के लिए जो छात्रावास खुले थे। सभापति महोदय की अनुमति से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आज जो महंगाई बढ़ी है, उसको देखते हुए छात्रावास में रहने वाले बच्चे को दो हजार रुपये महीने के मिलते हैं। उसमें क्या-क्या प्रावधान है। भोजन उसी में करना है, नाश्ता उसी में करना है, हफ्ते

(श्री रूपाराम)

में एक स्पेशल डाइट मिलती है, वह भी उसी में सम्मिलित है। स्कूल की यूनिफार्म उसमें सम्मिलित है। सिर चुपड़ने के लिए तेल, साबुन, बाल की कटिंग करवाना भी सम्मिलित है, चादर, तकिया, खोली, तोलिया और इनको धोना, प्रेस करना, यह भी सम्मिलित है। बिजली और पानी, जो छात्रावास में बिल आये, वह भी इससे पेमेंट होगा। अगर कोई समाचार पत्र पढ़ना चाहे, कोई मैग्जीन लेना चाहे, वह भी इसमें सम्मिलित है। कैसे हो सकता है? आज आदमी दो हजार रुपये लेकर बाजार जाता है, लूण-मिर्च लाता है, एक दिन में खर्च होता है। बीड़ी लेता है, कोई गुटखा लेता है, नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों?

1952-53 में छात्रावास खोले थे। कांग्रेस की यह सोच थी। बीच-बीच में राज आते गये, बदलते गये। आनुपातिक रूप से उनकी संख्या भी नहीं बढ़ी। जिस प्रतिशत से पापूलेशन बढ़ती है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। आज के जमाने में अगर इसको एसेस करें, बीच-बीच में कई बार पैसा बढ़ा, अधिकतर कांग्रेस के समय में बढ़ा, मेरा इसमें यह निवेदन रहेगा, महंगाई को ध्यान देते हुए मंत्री महोदयजी इस पर ध्यान देंगे। ये बच्चे ही, एस.सी., एस.टी. को अगर आगे बढ़ाना है, आज हम लोगों को, मंत्री महोदय, यहां विराजे हुए हैं, किसी न किसी ने यहां तक पहुंचाया था। आज भलाई करने की लोग हमसे आशाएं रखते हैं। सब अगर नीचे ही बैठे रहेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे? यह राशि दुगनी की जाए। दो हजार की जगह चार हजार की जाए। जहां छात्रावास में बच्चे रहते हैं, अभी बहन चन्द्रकान्ताजी मेघवाल बता रही थीं कि हालत बहुत ही बुरी है। मैं भी एस.सी. छात्रावास में पढ़ा हुआ हूं तो उन छात्रावासों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। साफ-सुथरा किया जाए, नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, पानी चू रहा है। बिल्लियां अंदर घुस रही हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, चिटकनी नहीं है तो क्या क्वालिटी एजुकेशन देंगे? वह ठीक होनी चाहिए। आज गांव के अंदर एक चौराहा भी होता है, गारा लीपकर उसको सही करते हैं तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक-ठाक होना चाहिए जिसमें बच्चे रहते हैं। खाना बनाने के लिए कर्मचारी नहीं होते हैं। किसी को बुला लिया, रख लिया। आज आप इतना करते हो तो परमानेंट वहां पर रसोइये रहने चाहिए, वह वहां पर काम करे। उनका भी भोजन ढंग से बनाएं और जितनी लेटेस्ट जानकारी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है तो कुछ पैसा बढ़ाकर कोचिंग की व्यवस्था करें। जो नवीनतम चीजें हैं,

(श्री रूपाराम)

वह उनको बताई जाएं। वह एक ही जगह पर रहते हैं इसलिए उनको वह बताई जाए।

खेलों के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। कई छात्रावास अपने ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर खेल का मैदान है तो उसके लिए कोई उपकरण वगैरह, जो भी खेलों की सामग्री खेलने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए, वहां पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसका पैसा भी अलग से रखें।

बीच में भाजपा सरकार ने छात्रावास में रिजर्वेशन किया। अगर कोई एस.सी. का छात्रावास था तो 60 परसेंट सीटें एस.सी. की और 40 परसेंट आल कास्ट के लिए। उसमें दिक्कत नहीं है, सबको वसुधैव कुटुम्बकम, साथ रहना चाहिए लेकिन अब उन्हीं सीटों में से, जनसंख्या एस.सी. की बढ़ी है। आप जो रिजर्वेशन से अधिक दे रहे हो 40 परसेंट तो आप उतनी सीटें बढ़ा दो। साथ में सभी जातियां रहें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसी हिस्से में से, आज किसी को आधी रोटी मिलती है, उसी में से कोई हिस्सेदार बन जाए तो यह चीजें ठीक नहीं हैं। कहीं पर वार्डन नहीं है, कोई धणी-धोरी ही नहीं है। क्या मतलब है आपका? आप क्या दिखाना चाहते हैं? वार्डन हो, वैल डिसिप्लिन हो और यह जो परसेंटेजवाइज अलग-अलग जातियों का भी उसमें दिया है, वह भी वहां पर रहें, पर उस अनुपात में आप सीटें बढ़ाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): साहब, थोड़ा-सा पांच मिनट दे दें। शॉर्ट में बता रहा हूं।

श्री सभापति: कुल मिनट ही पांच हैं।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): साहब, पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति: आप जल्दी से जल्दी खतम करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): हां, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा, चर्म उद्योग के लिए इनको व्यवसाय सिखाने के लिए स्टाइपेंड देते हैं 500 रुपये और टूल्स के देते हैं हजार रुपये तो यह काफी कम हैं तो इसको बढ़ाया जाए। स्टाइपेंड को 25 हजार रुपये किया जाए, टूल्स के लिए एक लाख का ऋण दिया जाए और उसमें 25 परसेंट सब्सिडी दी जाए। इनको सामग्री बेचने के लिए विपणन केन्द्र दिये जाएं।

इसी प्रकार आपकी जो स्कीम्स हैं, 6 हजार रुपये अपन देते हैं, इसमें

(श्री रूपाराम)

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, उसके लिए भी 6 हजार की जगह पर 15 हजार किये जाएं। पांच लाख का लोन देते हुए उसमें 25 परसेंट की सब्सिडी दी जाए और रियायती दर भूखंड दिये जाएं, जो इंजीनियर्स हैं उनको।

दो मिनट में बताऊंगा, साहब। शिक्षा में, जो छात्रवृत्ति है स्कूलों के लिए जो दसवीं और बारहवीं के लिए है, उसमें संस्थान के केटेगरीवाइज 1200 और 800 रुपये यह करके दी हुई है दस महीने के लिए। इस राशि को, अब जो स्टैंडर्ड बढ़ा है तो इस ढंग से इस राशि को तिगुनी की जाए और जो इसमें ढाई लाख की सीमा रखी है तो ढाई लाख की जगह जैसे दस परसेंट आरक्षण अभी पिछड़ों का जो किया है, कमजोर का, उसमें आठ लाख है और मुख्य मंत्री की जो योजना है उसमें पांच लाख है तो इसको कम से कम ढाई की जगह पांच लाख की जाए।

श्री सभापति: आप समाप्त करें। श्री जोगेश्वरजी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): थैंक यू। सब माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहूंगा, ज्यादा पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं, पढ़े-लिखे लोग बोल लिए, इंजीनियर साहब बोल लिए। बाकी आप बोल लेना।

कुछ भ्रम इस देश में फैलाए गये, मैं उनके निवारण का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा भ्रम तो यह फैलाया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग का, विशेषकर मैं मांग संख्या-51 पर ही अपने आपको सीमित रखूंगा। अनुसूचित जाति वर्ग का हितैषी कौन? भ्रम यह फैला दिया कि हमने ही सब कुछ किया। सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हजारों साल से इस वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ इस समाज के द्वारा और उसके कारण यह समाज पीछे रह गया, बाकी की तुलना में कमजोर रह गया। पिछड़ गया तो उसको बराबरी पर लाना है तो बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष प्रोविजन उनके लिए करने चाहिए, इस कांसेप्ट के तहत, इस विचार के तहत यह सारा कुछ किया गया। विचार कहां से आया? सरकार कहती है कि हमने, कांग्रेस सरकार ने ही सारा आरक्षण लागू किया। आरक्षण का कांसेप्ट हम लाए।

माननीय सभापति महोदय, आरक्षण का कांसेप्ट आ गया था 1901 में। 1901 में कोल्हापुर के शाहूजी महाराज ने, वह वहां के महाराजा थे, उन्होंने

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सबसे पहले अपने स्टेट में आरक्षण लागू किया था। रिवर्स आर्डर में किया था। उनका आदेश था कि मेरे शासन में, मेरे इस राज्य में सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। हंड्रेड परसेंट ब्राह्मण होते थे, 50 पर उन्होंने उनको बांध दिया। यह पहली बार आइडिया आया, जहां से डाक्टर अम्बेडकर ने शायद इसको उठाया कि यह तरीका हो सकता है बराबरी पर सबको लाने का। वह तरीका जब उन्होंने एस्टेब्लिश किया, अपनी सरकार तो 1947 में बनी, संविधान 1950 में लागू हुआ। आरक्षण 1950 में लागू हुआ लेकिन आरक्षण लागू करना है, यह पाबंद कर दिया था डाक्टर अम्बेडकर ने 1935 में पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डाक्टर अम्बेडकर के बीच में। स्वर्गीय महात्मा गांधी के निर्देश पर और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठे, टेबल टाक हुई और जब अम्बेडकर से यह कहा गया कि आप आजादी के आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। उन्होंने कहा कौनसी आजादी आप लाना चाह रहे हैं? आजाद भारत में हमारे साथ क्या होगा? जैसा अभी हो रहा है, वैसा बाद में भी होगा क्या? वैसा ही होना है तो हम यहीं ठीक हैं, हमको आजादी की जरूरत नहीं है। तब उन नेताओं ने यह आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं होगा, कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा यानी, क्या? तो लिखित में समझौता हुआ। डाक्टर अम्बेडकर को विश्वास नहीं था कि आज बोलेंगे और कल बदल जाएंगे इसलिए लिखित समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। उस पूना पैक्ट में स्पष्ट लिखा है कि जब कभी देश आजाद होगा, हमारे हाथ में कुछ पावर आएंगे तो तब हम यह-यह चीजें लागू करेंगे। इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था करेंगे कि जो पीछे रह गये, वह सबके बराबर पर आ जाएं, समता आ आए, समानता आ जाए, यह लक्ष्य देश के सामने 1935 में तय हो गया था और डाक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से हुआ था, उनकी जिद के कारण से हुआ था। इस पैक्ट को हमने भुला दिया।

1947 में जो सरकार बनी, बहुत जोरशोर से यह कहा जाता है कि वह कांग्रेस की सरकार थी, पर वह कांग्रेस की सरकार नहीं थी। वह मिली जुली सरकार थी। उसमें सब पार्टियों के नेता मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें उद्योग मंत्रालय के मिनिस्टर थे। नहीं थे वह कांग्रेस के। डाक्टर अम्बेडकर नहीं थे कांग्रेस के, वह भी उसमें विधि मंत्री थे। ऐसे कई नाम गिनाये जा सकते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के नेता नहीं थे,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसके बावजूद सरकार में शामिल थे, मंत्री थे और सहयोग कर रहे थे, वह मिली जुली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी वह और जो संविधान पास हुआ, मंजूर हुआ, वह भी उस मिली जुली सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आरक्षण जो लागू हुआ, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जारी रखें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आरक्षण जो लागू हुआ वह दो तरह का हुआ। माननीय सभापति महोदय, एक नौकरियों में आरक्षण और एक राजनीतिक आरक्षण। दोनों में एक फर्क है। राजनीतिक आरक्षण सिर्फ दस साल के लिए और हर दस साल बाद हमको हाथ जोड़ना पड़ता है कि बढ़ा दीजिए, फिर आप कृपा करते हैं और बढ़ा देते हैं। यह क्यों हुआ? वह लाइफ लोंग, यह दस साल, ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत रोचक तथ्य है। माननीय सभापति महोदय, संविधान सभा की जब बैठकें हो रही थीं, जिस संविधान सभा की जिस बैठक में नौकरियों का आरक्षण लागू हुआ, उस संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू उपस्थित नहीं थे। जिसमें राजनीतिक आरक्षण लागू हुआ, उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू मौजूद थे। उन्होंने आब्जेक्शन किया और दस साल का राइडर लगाया उसमें। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। मिनिट्स में है। संविधान सभा की मिनिट्स में है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। आप आगे चलें, टाइम हो जाएगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उसके बाद माननीय सभापति महोदय, मुख्य बात यह है आरक्षण लागू हुआ। सबको बराबरी पर लाना है, समानता पर लाना है। यदि ईमानदारी से आरक्षण व्यवस्था लागू हो गयी होती तो सब बराबरी पर कभी के आ चुके होते। जब यह देश अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहा था, 50 वर्ष पूर्ण कर लिए थे आजादी के, तब एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह पता करने की कोशिश की कि एस.सी., एस.टी. के कितने लोगों को आरक्षण मिल गया, कितने लोगों को नौकरियां मिल गयीं। सभापति महोदय, यह आंकड़ा था 5 परसेंट के आस-पास। आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। देश की उस समय आबादी 15 और साढ़े 7, साढ़े 22 परसेंट, साढ़े 22 परसेंट नौकरियां मिल जानी चाहिए थीं, 50 साल में तो मिल जानी चाहिए थी,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

5 परसेंट मिलीं। नीयत में खोट है हमारी। देना नहीं, केवल बातें करना। बातें करना कि देंगे, देंगे, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जब देने की नौबत आए तो कोई न कोई किंतु, परंतु डालकर उसे बचाकर ले जाओ और सीटें खाली छोड़ दो, भरो मत। बैकलाग पड़ा है, अब भी पड़ा है। यहां तक कि जब भी हमारे पक्ष में कोई बात आती है, लागू करने में बहुत देर लग जाती है और हमारे खिलाफ की बात आती है, तुरंत लागू हो जाती है।

मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 1997 में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया था इंदिरा साहनी केस में। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर उसमें कोई फैसला था और वह फैसला यदि लागू होता तो बहुत सारा जो कैडर नौकरियों में लग गया, वह वापस नीचे आता। इंदिरा साहनी केस 1997, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला राजस्थान पर लागू नहीं था। यहां आया, उस समय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री के रूप में विराज रहे थे, मैं भी विधायक था। चर्चा हुई, यहां लागू कर सकते हैं क्या, करना चाहिए क्या? हमने कहा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने विरोध किया, उन्होंने उसको पैंडिंग छोड़ दिया।

एक ऐतिहासिक तथ्य मैं वर्णन कर रहा हूं, कोई चेलेंज करना चाहे, कर लें मुझे। बहुत सारे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. यहां बैठे हैं, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। इंदिरा साहनी केस के फैसले की जो शर्तें थीं, पूरे हिन्दुस्तान में केवल और केवल राजस्थान में लागू हुईं। वह किसके हाथ से लागू हुईं? कौन था 1999 में यहां पर मुख्य मंत्री? माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में वह लागू हुई। हर जिले में सैकड़ों की संख्या में लोग रिवर्ट हुए। जो यू.डी.सी. बनकर दस-दस साल काम कर चुके थे, वह एल.डी.सी. बने। जो ओ.ए. थे, वह यू.डी.सी. बने। यहां तक कि दस आई.पी.एस. आफिसर, एस.पी. के रूप में जिलों में लगे हुए थे, उनको वापस एडीशनल एस.पी. बनाकर, उनकी बेइज्जती करके सी.आई.डी., सी.बी. में डाला गया। चुन्नीलाल मेघवाल मेरे वहां जालौर में एस.पी. लगे हुए थे। एक साल एस.पी. रहे, वह अलग बात है और उनको एडिशनल एस.पी. बनाकर सी.आई.डी., सी.बी. जयपुर में लाकर बिठाया। यह किसने किया? यह कलंक आपके माथे पर है, हमारे माथे पर नहीं।

उसके बाद भारत सरकार में इन्द्र कुमार गुजराल साहब प्रधान मंत्री हुए, देवेगौड़ा साहब प्रधान मंत्री हुए, यह दोनों किसके सहयोग से थे? आपके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सहयोग से थे। बाहर से समर्थन दे रहे थे, अंदर से दे रहे थे, वह आपकी आप जानो, पर आपके समर्थन से थे। उन दोनों प्रधान मंत्रियों के काल में भारत सरकार के पांच ओ.एम. जारी हुए, जिनके कारण हमारा आरक्षण प्रभावित हुआ। पांच आफिस मैमोरेण्डम जारी हुए जिनके कारण हमारा आरक्षण प्रभावित हुआ और हमारे हितों पर कुठाराघात हुआ। वह आपके समर्थन से सरकारें चल रही थीं। आप उसमें चुप रहे, कुछ नहीं बोले, रोका नहीं उनको। आपकी वह दोनों सरकारें जाने के बाद जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री के रूप में आए, तब उनको पूरा कार्यकाल मिला 1999 में। प्रधान मंत्री बनने के बाद सबसे पहले तीन संविधान संशोधन उन्होंने किये, लगातार तीन संविधान संशोधन और उन पांचों ओ.एम. को उन्होंने नल एण्ड वाइड किया। उनके प्रभावों को समाप्त किया, यह क्रेडिट हमारे खाते में है। जो पाप आपने किया था, उसको हमने धोया, हमने उसको साफ किया। इस प्रकार की और कई बातें बता सकता हूं मैं।

श्री पदमाराम (चौहटन): आराम से बताना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आराम से ही बताऊंगा मैं। इससे तकलीफ आपको ही होने वाली है, मेरे को नहीं होने वाली है। अनुसूचित जाति और जनजाति को यह जो आज बोलने लायक बनाया है, वह बनाने वाले डा. अम्बेडकर थे, उनके साथ क्या व्यवहार किया आप लोगों ने, वह भूल गये क्या?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): आर.एस.एस. ने विरोध किया था बाबा साहब का। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बता रहा हूं, बता रहा हूं। 1952 के चुनाव में और 1953 के चुनाव में जब बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने जी-जान से उनको हराने की कोशिश की। 1952 में पंडित जवाहर लाल नेहरू दो बार गये उनको हराने के लिए, दो सभाएं करके आए। उस जमाने में कहां सम्भव था इतना, पर गये और आप आर.एस.एस. की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप कहां जा रहे हो, पिछले सत्र में आपके एक विधायक ने यह कहा था कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण नहीं किया और तीन दिन सदन बन्द रहा। स्थगित रहा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी आपको। आप काहे को बाबा साहब की बातें कर रहे हो?

श्री सभापति: विराजें, माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, यह समय मेरे समय में से काटा जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप चलिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से दोनों चुनाव लड़ रहे थे, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट संभाल रहे थे स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिन्होंने भारतीय किसान संघ की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। वह स्वयं पूरे समय वहां बैठकर चुनाव मैनेजमेंट संभाल रहे थे। संघ के और बाबा साहब के संबंध क्या थे, वह इतिहास में दर्ज है और बाबा साहब के प्रति जो दुर्भावनापूर्ण रवैया कांग्रेस का रहा, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य, समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मुझे बीस मिनट का समय दिया है। बीस मिनट का समय दिया है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): दो मिनट तो विधायकजी वाली बात में चली गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप थोड़ा-बहुत समय और खराब कर लो। आप विराजें। आप विराजिए। आप थोड़ा जल्दी करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वह बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में जब मंत्रि-परिषद से हट गये, हिन्दू कोड बिल के नाम पर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उसके बाद उनको नोटिस दिया गया। बंगला खाली करो। उनके पास दिल्ली में रहने की जगह नहीं थी। हम लोगों का भला करना जरूरी था, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उनके लिए, नोटिस पर नोटिस आ रहे थे कि खाली करो। उस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय आत्मा को, सिरोही के महाराजा स्वर्गीय सुलतान सिंहजी साहब ने उनको अपना बंगला 26, अलीपुर रोड रहने के लिए दिया। आप इसमें रहिए। जब तक जीवित रहे, उस बंगले में नि:शुल्क रहे। सारी व्यवस्थाएं वह सिरोही दरबार संभालते थे और अंतिम श्वांस भी उसी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भवन में ली। जब उन्होंने अंतिम श्वांस ले ली, उसके बाद सिरोही दरबार ने लिखित में पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र दिया कि जिस तरह से बिरला हाउस को आपने महात्मा गांधी का स्मारक बनाया है, उसी तरह इस 26, अलीपुर रोड को अम्बेडकर स्मारक बनाइए। मेरा बंगला मैं नि:शुल्क सरकार को भेंट करता हूं। निशुल्क मिल रहा था, नहीं लिया और उसके बाद परेशान होकर उन्होंने वह बंगला बेच दिया। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने, हम लोगों ने मांग की तब सरकार ने वह बंगला वापस एक्वायर किया। वापस एक्वायर करके अम्बेडकर स्मारक बनाने की घोषणा की। तब हमने कहा कि नहीं, यह छोटा स्मारक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करिए, और बंगले लीजिए। उस प्रक्रिया में थोड़ा-सा समय लग गया, फिर 2004 में हमारी सरकार चली गयी। 10 साल तक आप लोग रहे, उसमें कुछ नहीं हुआ। वापस जब नरेन्द्र जी मोदी आए, आस-पास के चार-पांच बंगले और एक्वायर किये। ढाई-तीन एकड़ जमीन उसकी बनाकर 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मारक बनाया है और आज वह...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब समाप्त करें, श्री गणेश घोघरा। अब समाप्त करें, सब ठीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इस प्रकार से अम्बेडकर को अपमानित, भारत रत्न देने के मामले में 34 साल लगा दिये। भारत रत्न देने में 34 साल लगा दिये।

श्री सभापति: अब समाप्त करें। श्री गणेश घोघरा। अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। बहुत सारी चीजें आ गयीं, बहुत अच्छा बोले। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: अब आप विराज जाइए। विराज जाएं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू की और मेरे विपक्षी सदस्य बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा जो आज यहां सदन में चिल्ला-चिल्लाकर बाबा साहब, बाबा साहब कह रहे हैं लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले भी ये सामने बैठे हुए हैं यह मैं कहना चाहता हूं। ये गांधी जी को नहीं पूजते हैं, ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाले हैं, यह भी मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस सरकार को, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इन्होंने आज एससी., एस.टी. को आगे बढ़ाया और आज जो अधिकार दिया यह कांग्रेस की देन है, यह मैं सदन के माध्यम से सभापति जी को कहना चाहता हूं। एससी. और एस.टी. को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार दिया है तो कांग्रेस सरकार ने दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जनजाति उप योजना क्षेत्र लागू की इसमें लगभग 34 वर्ष हो गये अभी तक टी.ए.डी. का कमिश्नर नहीं लगाया गया है, टी.ए.डी. का चार्ज हमेशा संभागीय आयुक्त के पास ही रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर हमारा टी.ए.डी. कमिश्नर अलग लगाया जाए तो हमारे टी.एस.पी. एरिया में विकास हो सकेगा। सभापति महोदय, संभागीय आयुक्त टाडा-माडा, बिखरी हुई बस्ती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सहरिया क्षेत्र है। वहां पर कभी जाते भी नहीं हैं, क्षेत्र इतना फैला हुआ है, बिखरी हुई आबादी है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर टी.ए.डी. कमिश्नर का पद अलग से होना चाहिए।

सभापति महोदय, जो टी.ए.डी. बजट अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक पूरा खर्च नहीं हुआ है और आज तक होता भी नहीं है तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारे टी.ए.डी.

(श्री गणेश घोघरा)

का मद पूरा क्यों नहीं खर्च हो रहा है, आदिवासियों पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है, हमारा जो टी.ए.डी. का मद है वह आदिवासियों पर ही खर्च होना चाहिए, अन्य विभागों पर खर्च नहीं होना चाहिए।

पिछली सरकार ने, माननीय सी.एम. साहिबा ने जो घोषणा की थी एक हजार करोड़ की, उन्होंने एक रुपया भी कुछ नहीं दिया, खाली घोषणा की। इन्होंने खाली कलर मारा और साइकिलों का कलर बदला, ये ही काम किया है। टी.एस.पी. के लिए कोई बजट नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी लोकप्रिय सरकार से मांग करूंगा कि बजट का 13 प्रतिशत फंड फ्लो टी.ए.डी. को स्थानान्तरित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. एरिया में पांचवी अनुसूची की पालना नहीं हो रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि टी.एस.पी. एरिया में पांचवीं अनुसूची के पूरे नियम, कानून जो भी है, उसकी पालना हो और लागू कराया जाए।

सभापति महोदय, टी.एस.पी. एरिया में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने एस.टी. के लिए 45 प्रतिशत, एस.सी. के लिए 5 प्रतिशत और शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित वरीयता पर नौकरियों में प्रावधान किया था, लेकिन पिछली सरकार ने आते ही उसमें सब कबाड़ा, खतम कर दिया। एस.टी. को एस.टी. कोटे में डाल दिया एस.सी. को 5 परसेंट में ही रखा गया और एस.टी. के छात्र-छात्राएं जो 50 में ओपन जा रहे थे उनको वापस एस.टी. कोटे में डाला गया तो मेरी सरकार से यह मांग रहेगी कि जो 50 प्रतिशत ओपन है उसमें एस.टी. का भी जाना चाहिए, एस.सी. का भी जाना चाहिए और हर वर्ग का जाना चाहिए जिससे टी.एस.पी. में बेरोजगारों में अभी जो आन्दोलन हो रहा है, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। यह मेरी सरकार से मांग रहेगी। टी.एस.पी. में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में पृथक से 5.5 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए तो ही टी.एस.पी. एरिये का, हमारे जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी छात्रावासों की स्थिति काफी खराब है, जर्जर अवस्था में है, पानी

(श्री गणेश घोघरा)

टपक रहा है, बच्चों को सही खाना नहीं मिल रहा है, सही व्यवस्था नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए, सही कमेटी होनी चाहिए कि वहां पर छात्रों को अच्छी सुविधा मिले। यह मेरी सरकार से मांग रहेगी।

इसके बाद जो टी.एस.पी. एरिया में मां-बाड़ी खुलनी चाहिए जिससे वहां जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। ढाणियों में जो बच्चे हैं, जो दूरदराज पहाड़ी बिखरा हुआ क्षेत्र है वहां बच्चे मां-बाड़ी में जाकर लाभ ले सकें और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। यह मेरी सरकार से मांग रहेगी।

सभापति महोदय, एस.टी. के, एस.सी. के जो भी छात्र-छात्राएं हैं आज तीन-तीन, चार-चार साल हो गये उनको आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। रोज बैंकों के चक्कर मारने पड़ रहे हैं। वहां पर गरीब बच्चे रहते हैं, जैसे-तैसे करके अपना गुजारा करते हैं, छात्रवृत्ति समय पर मिल जाए तो उनकी सामग्री, कुछ पुस्तकें हैं, कोई छोटा-मोटा सामान खरीद सकते हैं। मैं आपकी माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले और पुरानी जो बकाया छात्रवृत्ति है वह भी तुरंत उनके खातों में जमा हो।

सभापति महोदय, पिछले साल नरेगा में टी.ए.डी. मद से लोगों ने कुए खुदवा दिये, चरखी लगा दी, ब्लास्टिंग करवा दिये। अब वह जो चरखी वाला ठेकेदार है, ब्लास्टिंग वाला है, रोज चक्कर मार रहे हैं, पंचायत के चक्कर मार रहे हैं, पंचायत समिति के चक्कर मार रहे हैं और लोगों को उन कुओं का अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। मैं आपसे मांग करूंगा कि टी.ए.डी. क्षेत्र में जितने भी कुए गहरे कराये हैं उनका जल्दी से जल्दी भुगतान हो और उन गरीब, बेसहारा आदिवासियों को लाभ मिले सके।

मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, गुरू गोविंद जनजाति यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में खुली है, खाली नाम बदल दिया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थी उसको गुरू गोविंद यूनिवर्सिटी कर दिया और उदयपुर में मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी संभाग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज तक वहां पर एस.सी., एस.टी. का कोई प्रोफेसर गैस्ट फैकल्टी में क्यों नहीं लिया गया? यह मेरी सरकार से मांग रहेगी कि मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एस.सी., एस.टी. के भी भर्ती किये जाएं, क्यों नहीं लिए गये? यह मेरी सरकार से मांग

(श्री गणेश घोघरा)

रहेगी कि उनको जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए। गुरू गोविंद विश्वविद्यालय में ...

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): गोविंद गुरू है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हां गोविंद गुरू, जो भी हो, आपने तो खाली नाम बदलने का काम किया है। (व्यवधान) पहले राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद आपने बांसवाड़ा में ले जाकर उसका नाम चेंज किया है। साइकिलों का कलर बदला। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): राजीव गांधी का अटल सेवा केन्द्र कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आप खाली असत्य बोलते हो और जोर से बोलते हो। इसके अलावा कोई काम नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): आप खाली राम मंदिर पर वोट मांगते हो, धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, जाति के नाम पर वोट मांगते हो। आप लोगों का भला नहीं कर सकते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): आप खाली असत्य की राजनीति करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यहां बात कर रहे हो राजीव गांधी की, उन्होंने क्या कर दिया हमारी जनजाति के लिए? हमारा अत्याचार किया (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इतने वर्षों के अन्दर जनजाति

(श्री फूल सिंह मीणा)

के ऊपर जी रहे थे कांग्रेसी और आज राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। गोविंद गुरू की बात करो गोविंद गुरू की। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): कांग्रेस ने ही आदिवासियों का, एस.सी. का भला किया है, बी.जे.पी. कभी नहीं ...(व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): गुरू गोविंद की बात करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फूल सिंह जी, आप विराजें। चलिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी है उसमें भी एस.सी., एस.टी. के प्रोफेसर लिए जाएं और जो संकाय बंद कर दिया है, उसको वापस चालू किया जाए। सभापति महोदय, मेरी आपसे यह मांग रहेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, कांग्रेस ने ही देश का इतिहास बनाया है। कांग्रेस ने ही सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेकर काम किया है। आप धर्म की राजनीति करते हो। आप जाति की राजनीति करते हो और बात करते हो कि हम विकास कर देंगे। आपने जो विकास किया 5 साल में, खाली कलर किया है। इसके अलावा कोई विकास नहीं किया है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में, सदन के ध्यान में कुछ बिंदु लाना चाहता हूं। एससी, एसटी के बारे में सभी एकमत हैं कि यह आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन आपको ध्यान है कि 1970 के पहले रोस्टर 1-3 था। पहली यदि नियुक्ति होती थी तो शिड्यूल्ड कास्ट की होती थी। तीसरे नंबर की नियुक्ति होती तो एसटी की होती। उसके बाद में उसको बदला गया।

सभापति महोदय, यह मानसिकता की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। जो

(श्री रामनारायण मीना)

भी हो, जिस पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर हो। उसके बाद 1-4 रोस्टर हुआ। उसके बाद 1-7 हुआ। अब तो 13 पाइंट रोस्टर हो गया है। यह किसने दिया? यह मैं नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी इन जातियों के खिलाफ हो रहा है, भावना, दुर्भावना, जातिगत फैसले, वह रुकने चाहिए।

सभापति महोदय, 2 तारीख के बारे में बात आई। आपको भी ध्यान है, हमें भी ध्यान है कि 2 तारीख के मुकदमे किसने दर्ज किये? हमारी केशोरायपाटन से आने वाली माननीय विधायिका जी नहीं हैं, 2 तारीख के मुकदमों में कौन सरकार में था? किसने उसको दर्ज किया? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह सरकार के ध्यान में लाएं, कैबिनेट में निर्णय लें। 2 तारीख का जो माहौल था, वह जातिगत माहौल था। बड़े-बड़े मुकदमे, यहां तक की रेप के केसेज भी विदड्रा हुए हैं। हमारी उस कमेटी के एक मेम्बर हैं माननीय खाद्य मंत्री जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब आप ऐसे केसेज विदड्रा कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने विदड्रा किये हैं, मैं यह नहीं कहता कि आपने मैरिट में किये या डी-मैरिट में किये, तो फिर आदिवासी, दलितों के, हरिजनों के, वंचित वर्गों के खिलाफ जो मुकदमे हैं, वे भी हों।

सभापति महोदय, आपके ऊपर जिनकी मूरत है, वे तो जातिवाद से परे थे। गांधी जी और विनोबा भावे, उस जमाने में जब बांस की खपच्ची में हमारी बहनें मैला ढोया करती थीं, आज की स्थिति नहीं थी, उस समय महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे उन गंदी बस्तियों में रुका करते थे। वह मूरत यहां है। जातिगत भावना से केसेज विदड्रा हुए हैं। नेताओं के खिलाफ केसेज विदड्रा होते हैं। उस वर्ग के खिलाफ जो केसेज हैं, वह क्यों नहीं विदड्रा हो रहे हैं?

सभापति महोदय, आपको पता है हिंडौन में क्या हुआ? हिंडौन से आने वाले विधायक शायद यहां हैं। घरों को तोड़ा गया। लोगों को पीटा गया। नंगा किया गया। उनके खिलाफ फिर भी मुकदमे दर्ज हुए। जिन्होंने पिटाई खाई और जिनके मकान टूटे। ऐसे मुकदमे विदड्रा होने चाहिए। मैं सदन से भी आशा करूंगा कि ऐसे मामलों में सभी को एकजुट होकर, एकमत होकर इस जातिगत दुर्भावना के खिलाफ यदि हम नहीं बोलेंगे, नहीं उठ खड़े होंगे तो शायद प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी हितकारी नहीं होगा।

सभापति महोदय, जैसा अभी बताया गया, आज संविधान की हम बात

(श्री रामनारायण मीना)

करते हैं। संविधान की रक्षा की कौन बात कर रहा है? वंचित वर्ग बात कर रहा है। हम कम बोल रहे हैं। कौनसा संविधान, यह वह संविधान नहीं है जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया था। संविधान को तोड़ा-मरोड़ा गया और जातिगत भावना से अदालतों से फैसले हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बोल रहे हैं माननीय सदस्य? जिस संविधान की शपथ लेकर इस विधान सभा में हैं। उस संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं वही बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह रिकार्ड पर जा रहा है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं वही बोल रहा हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संविधान की शपथ लेकर आप आए थे।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, विराजें। ...(व्यवधान)

(15.45 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप माननीय विराजिए। माननीय राठौड़ साहब, मैं वही बोल रहा हूं और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आप शिक्षा मत दीजिए। आप सुनिए ...(व्यवधान) मैं वही बात बोल रहा हूं। मैं जिम्मेदार हूं। आप सीनियर सदस्य होंगे, मैं भी कल का नहीं हूं। आप मंत्री रह गये। आपने फैसले किये हैं। जिस मंत्रिमंडल में वह फैसला किया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें हम तो कोई मंत्री नहीं थे। माननीय घनश्याम तिवाड़ी, आज सदस्य नहीं हैं। आप और मुख्य मंत्री से क्या बात कर रहे थे? मैं गया था, मैंने वह कागज फड़वाया। आपकी मुख्य मंत्री से पूछ लीजिए, वह नहीं हैं। आज लीडर भी नहीं हैं हाउस में। आपकी पार्टी उनके साथ क्या व्यवहार करती है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं केवल आदिवासी, दलितों और वंचितों के पक्ष में बात कर रहा हूं। आप सुनिए।

माननीय, उनकी तस्वीर को देखकर बात किया कीजिए। उनकी भावना का संविधान है। उसको कहीं न कहीं तोड़ा-मरोड़ा गया है। आपकी सरकार है। आप बड़े-बड़े पदों पर बिना रिजर्वेशन के मर्जी आए जिसको अपाइंटमेंट करने के आर्डर्स नहीं निकालते? दिल्ली में सरकार है। यह वंचित वर्ग के साथ

(श्री रामनारायण मीना)

अन्याय हो रहा है। इनको कमजोर किया जा रहा है। इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनको वापस उसी जातिगत भावना से नीचे लाया जा रहा है। यह गलत है।

अब आप दीजिए जवाब। संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने लिखा है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी है, यह कहने का हमारा अधिकार है कि किस वर्ग को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं बनाया गया। यह हिन्दुस्तान है। आपकी सरकार है। आप बनाइए। एक मुस्लिम सदस्य को चीफ जज बनाना था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, किसने रोका? किसकी सरकार है? कौन विधि मंत्री है? कौन मुख्य मंत्री है? आप जानते हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है। उस भावना से आप मत चलिए। आप राजस्थान के बाशिंदे हैं, उस जात-पांत से परे हटकर चलिए। आपको सब लोग वोट देते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसा हमारे माननीय साथी ने, जो सरकार में भी रहे हैं, उन्होंने जो बात बताई, उस आधार पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में निर्णय कौन करता है? संविधान की समीक्षा कौन करता है? हम जो आर्डर्स निकालते हैं उसकी समीक्षा कौन करता है? हम जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसकी समीक्षा कौन करता है? सरकार जो अध्यादेश लाती है, उनकी समीक्षा कौन करता है? हमें यह सोचना पड़ेगा कि समीक्षा सही हो रही है कि नहीं हो रही है। यह पार्लियामेंट में भी सोचना पड़ेगा। विधान सभा में भी सोचना पड़ेगा। हमें हमारी आत्मा को टटोलना पड़ेगा कि हम जब कहते हैं तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि संविधान की भावना के खिलाफ होता है और संविधान की भावना को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, उस भावना के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है। यदि हम विधान सभा में और पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? मुझे यह बताएं। बाहर तो हम बोल नहीं सकते। मेरा अनुरोध है कि आप उस भावना से चलिए।

सभापति महोदय, माननीय जोगेश्वर जी गर्ग यहां नहीं हैं। उन्होंने कुछ बातें बताईं। चूंकि वह यहां नहीं हैं इसलिए मैं पूना पैक्ट के बारे में तो बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि हमने ट्राइबल एरिया डवलपमेंट बनाया और आदिवासियों को 5 हिस्सों में बांटा। यह सही

(श्री रामनारायण मीना)

निर्णय है कि पोलिटिकल निर्णय है, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे शाहबाद, किशनगंज के भील जाति के व्यक्ति को, आप मीणा जाति की बात मत करिए, आप किसी दूसरी जाति की बात मत करिए, ट्राइबल्स में बहुत सी जातियां आती हैं, उस भील जाति के सदस्य को कृषि भूमि में, जिसके 1 बीघा जमीन है, बिजली का कनेक्शन प्रायोरिटी में नहीं मिला। उसको 8-10 साल कृषि कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह कौनसा कानून है? बाड़मेर में भील समाज के लोगों ने, मीणा समाज के लोगों ने आंदोलन किया। आज उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। यह किस सरकार ने निर्णय किया था? पहले तो मिलता था। मैं यह नहीं कहता कि 1977 में किसकी सरकार थी। सन 1977 से पहले पूरे राजस्थान में, ट्राइबल्स में प्रायोरिटी से कृषि कनेक्शन मिला करते थे। यह 1977 से 1980 के बीच में किसने आर्डर किया? कौन सदस्य था इस सदन का? कोई न कोई तो होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह अनजस्टिस है।

माननीय सभापति महोदय, अभी भील समाज ने आंदोलन किया था और यह वह भील समाज था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नारे लगाया करता होगा। लेकिन आपने देखा होगा, मैं नहीं कहता कि पार्लियामेंट का क्या रिजल्ट था लेकिन पार्लियामेंट में और विधान सभा में भील समाज आपसे अलग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपने उसको भुलावे में रखा। समता आंदोलन के नाम से उनसे लैटर पैड छपवाए, उस भील समाज को ट्राइबल समाज को राजस्थान में एक छोटे से एरिया को छोड़कर, वहां तो मिलना चाहिए, गरीबी है, बेरोजगारी है, उनका अधिकार है मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में भी किसानों को, जो गरीब किसान हैं उनको यदि बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो वह अपनी खेती कैसे करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज कर रहा था कि आपने टीएडी, माडा, माडा क्लस्टर, बिखरी जनजाति, सहरिया आबादी, पांच भागों में इनको बांट रखा है। चार भागों में आप कोई ध्यान इन पर दे नहीं रहे हैं। माडा में एक भी सड़क पूरे राजस्थान में नहीं बनी है। न वह जालौर में बन रही है, न वह पाली में बन रही है, न वह पूर्वी राजस्थान में बन रही है, कहीं भी एक सड़क माडा में नहीं बन रही है फिर यह पैसा कहां जा रहा है? माडा के नाम से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? माननीय

(श्री रामनारायण मीना)

सदस्य, जोगेश्वर जी, आप तो जानते हैं कि जिस तरह से दुर्भावना है, दो हैंड पम्प यदि किसी जिले में जाते हैं माडा के नाम से, ट्राइबल्स के नाम से, आप तो मंत्री भी रहे हैं, आपके बाद में खतम हो गया। आज कोटा जिले में चार हैंड पम्प या पांच हैंड पम्प गये हैं और कहते हैं कि ट्राइबल्स के नाम पर, लोगों से कहा जाता है कि आप तो माडा में हो, आपका तो विकास वैसे ही होगा, आपके तो स्कूल बन जाएगी और कितने हैंड पम्प गये? पांच। कितना पैसा गया? दो लाख, तीन लाख, पांच लाख। दस लाख से ज्यादा किसी जिले में जा नहीं रहे हैं, ऐसा इनजस्टिस हो क्यों रहा है? यह सरकार देखे, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जिसने भी यह बदला, बजट को तोड़ा-मरोड़ा गया, उसमें बढ़ोतरी कहां से हो सकती है। भारत सरकार से निवेदन करें, अपने संसाधनों में से लोगों को आगे बढ़ाने की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, कहीं एनीकट नहीं बन रहा है, यदि एनीकट माडा एरिया में नहीं बनेगा, बिखरी जनजाति में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? यह सही है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं। माननीय मंत्रीजी, आप गर्दन क्यों हिला रहे हैं, आप यह तो कह ही नहीं रहे कि हमारे बच्चों का 80 प्रतिशत रिजर्वेशन, आपने तो 45 परसेंट में ही टिका दिया। 45 में तो टिकाया जो टिकाया, हमको और आपको अलग-अलग कर दिया। एक भाई कह रहा था कि आदिवासी मुख्य मंत्री बनना चाहिए, वह यहीं बैठे हैं। मैंने कहा कि कैसे बनोगे, यह राजनीति है, 3 टुकड़ों में कर दिया आदिवासियों को। कैसे किया कि आप एक दूसरे से लड़ते रहो। 45 परसेंट इधर के ट्राइबल्स को यदि 45 के बाद कोई बच्चों को लेना था तो वह सामान्य को दे दिया, ट्राइबल्स को बायकाट कर दिया। यह कानून किसने बनाए थे? आपने किया तो आप जिम्मेदार हो, मैंने किया तो मैं जिम्मेदार हूं। आज देश के प्रधान मंत्री ने, केन्द्र सरकार ने दस्तखत किये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जिम्मेदार है। आदिवासियों को बांटने के लिए वह सरकार जिम्मेदार है जिसने फाइनली डिसीजन लेकर गजट नोटिफिकेशन करवाया। मेरा यह मानना है कि आदिवासियों को लड़ाने में जो साहस दिखाया है उसको मैं तो अच्छा नहीं मानता, उचित नहीं मानता क्योंकि दिल्ली से स्कालरशिप के पैसे ही समय पर नहीं आ रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यह सही है कि ट्राइबल्स का पैसा शहरों में क्यों लगाया जाता है, बजट को क्यों तोड़ा-मरोड़ा

(श्री रामनारायण मीना)

जाता है, इसमें भी कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। यदि सरकार में है तो सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। लगा कि नहीं लगा जयपुर में पैसा? क्यों लगाया आपने? यह बहुत गलत हो रहा है, इस पर हम सबको मिलकर कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में क्या हो रहा है, जहां 50 प्रतिशत आबादी है, वह गांव भी बिखरी जनजाति में और माडा में नहीं है। अब क्लस्टर की आप बात करें। मुझे क्या दोष, पैदा किया जो भगवान ने, जब जाति उनकी है। यदि भीलों का छीपाबड़ौद में पूरा गांव है, वह माडा में भी नहीं है। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में छोड़ दीजिए, और में छोड़ दीजिए, ऐसे गांवों को सरकार को चाहिए कि किसी भी जाति का आदिवासियों की श्रेणी में, ट्राइबल्स की श्रेणी में है, उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार चिन्हित करे, सर्वे करवाए, जानकारी करे। उन सब गांवों को भले आप एक हैंड पम्प नहीं दें लेकिन हमें कहने का अधिकार तो हो कि माडा में आपका विकास हो रहा है। वहां के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं फिर भी हम कहेंगे कि आपका विकास हो रहा है। भूखे मर रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे कि आपका विकास हो रहा है। रिजर्वेशन की बात करेंगे, मनरेगा में भी रिजर्वेशन नहीं है तो ये चीजें करनी चाहिए सरकार को, उन सबको मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूं। ट्राइबल्स के डोमिनेटेड एरिया में चकतोड़ी जैसा गांव जो मेरे क्षेत्र में है, दीवी चम्बल पंचायत है, पांचवीं तक स्कूल है और दो कमरे बने हुए हैं, दोनों ही टूटे हुए हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अभी बरसात में बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। अभी मैं उस क्षेत्र में नया-नया गया हूं और देख रहा हूं। कहां जाता है पैसा? इतनी दुर्दशा ठीक नहीं है। विकास की बात करते हैं तो पूरी तरह से उसको देखना चाहिए। अभी माननीय विधायकजी कह रही थीं, यह हो गया, वह हो गया, उन्होंने तारीख नहीं बताई। यदि वह तारीख बतातीं तो शायद यह पता चलता कि उस समय कौनसी सरकार थी और कब क्या हुआ? जहां तक हम सर्वश्रेष्ठ लोगों की बात करते हैं, बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं। माननीय सभापति महोदय, दो उदाहरण दूंगा, पहला, मंच्छाराम है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, वह व्यक्ति 2009 में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बना था, उसके बाद में जो लोग जेईएन बने वह आज चीफ इंजीनियर हैं, चूंकि वह रिजर्व क्लास का था, ट्राइबल्स का था, रिप्रजेंटेशन देते-देते पिछली सरकार में थक गया।

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय मंत्रीजी, आप नाम लिख लीजिए, जांच कर लीजिए, यह द्वेषतापूर्ण जो निर्णय हो रहे हैं, वह कोर्ट में जाता है, कोर्ट तो न्याय का मंदिर है माननीय राठौड़ साहब, लेकिन डिसीजन्स कैसे आते हैं? आपको पसंद आते होंगे, रिजर्वेशन के बारे में जो डिसीजन्स आते हैं मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को वह पसंद नहीं आते। इसकी मंशा? आप कहें तो मैं आपको अम्बेडकरजी की मूर्ति पर चलकर गिना सकता हूं, डिसीजन्स पढ़कर सुना सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा केस, और ऐसे अनेकों केस हैं। आपका हाउसिंग बोर्ड है पास में, जो आदमी नम्बर एक पर वरिष्ठ निजी सहायक था, निजी सचिव बनना चाहिए था, सातवें आदमी को, वहां बीसवें नम्बर के आदमी को प्रमोशन दे दिया, वह व्यक्ति आज भी वरिष्ठ निजी सहायक है। ऐसा करीब-करीब सभी डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है, यह आप जांच कर लीजिए, सरकार को जांच करना चाहिए। सदन को भी जांच करना चाहिए जब गांधीजी की मूर्ति लगा रखी है तो, हमारे राष्ट्रपिता हैं, सब कुछ हैं, उन्होंने देश को आजाद करवाने में ही नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं और इसलिए उनको मानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर कथनी और करनी में अंतर करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि कितने वाइस चांसलर हैं, कितने जजेज हैं, कहीं भी इस वर्ग का आदमी नजर नहीं आएगा। हम जाति विकास की बात करें तो मुझे तो समझ में नहीं आता, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, खामियां बहुत हैं बातें बहुत हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता हुआ एक ही बात अर्ज करूंगा। एक बात आई थी कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? बौद्ध धर्म हमारा आदि धर्म नहीं है, आदि धर्म तो सनातन है, लेकिन इसी सदन में, इसी सरकार में हमारे राजस्थान में भूत प्रेत के नाम पर छुट्टियां होती हैं। हिन्दू धर्म का प्रथम अवतार मत्स्य भगवान था, चूंकि मत्स्य भगवान को आदिवासी आज भी ज्यादा मानते हैं, जिस प्रकार से गोविन्द गुरू को देवता स्वरूप गुरू मानते हैं, मत्स्य अवतार की चैत्र तृतीया की छुट्टी नहीं हो रही है। गाडगे जयंती, दूसरी जयंती की छुट्टी होती है, जब हम हिन्दू की बात करते हैं तो धर्म का नाम लेकर वोट मांगने वाला कोई भी दल है, कोई भी पक्ष है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, कोई भी वर्ग है।

(श्री रामनारायण मीना)

(16.00 बजे)

हम सबको मिलकर यह भी कहना चाहिए कि प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की छुट्टी होनी चाहिए और आदिवासियों को,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय, मैं सीकर का नहीं हूं, इसलिये आप मेरे साथ पक्षपात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, सारी बातों पर हमें सारगर्भित ढंग से सोचना पड़ेगा और आपका सहयोग अपेक्षित है। हम सब मिलकर इस भावना के बनें कि इस वर्ग के प्रति वोट लेने की भावना न हो, यह वर्ग तो सभी को वोट देता है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है, लेकिन इस वर्ग का भला जो कांग्रेस के शासन में हुआ, गांधी जी से लेकर आज तक, अभी कहा गया था, हमारी जमीनों पर कब्जे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय में शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन पर यदि कोई कब्जा करता था तो थानेदार नहीं, डीवाईएसपी जांच करता था। वह भावना हममें आएगी तो दलित-आदिवासी आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आशा है कि यह सदन इन बातों को ध्यान में रखेगा और कम से कम राजस्थान हाई कोर्ट में एक-दो जज तो हों, भले ही वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा का कोई गरीब आदिवासी भील ही हो। इसी भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जहां महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था और उनके साथ में भील सेना ने काम किया। मेरे इस विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ा की एक पंचायत समिति की कुछ ग्राम पंचायतें भी आती हैं। मेरा जो गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र है और गोगुन्दा का जो उप-खंड है, वह पूर्व में टीएसपी क्षेत्र में नहीं

(श्री प्रताप लाल भील)

था। 2014 की कैबिनेट मीटिंग में टीएसपी क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा गया और 2018 की मई में टीएसपी क्षेत्र के विस्तार की घोषणा की गयी। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी एवं हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया को कि हमारे क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र में जोड़ा गया। टीएसपी क्षेत्र में जोड़े जाने के बाद मेरे इस क्षेत्र में बहुत से विकास के काम हुए। यहां पहले कालेज नहीं था, वह खुला। जनजाति का आवासीय विद्यालय नहीं था, वह खुला। पंचायत समिति की स्थापना हुई। आईटीआई केन्द्र खुले और 250 की जनसंख्या वाले गांव सड़कों से भी जुड़े। इसी प्रकार पूर्व के गत बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगभग एक हजार मां बाड़ी केन्द्र खोले, जिसमें से पचास मेरे क्षेत्र में भी खुले और उससे जो वंचित हमारे आदिवासी बच्चे थे, उन्हें पढ़ने का मौका मिला।

इसी प्रकार मेरे कोटड़ा की भी कुछ पंचायतें हैं और वे भी पूर्व से टीएसपी क्षेत्र घोषित हैं। टीएसपी घोषित होने के बाद में पंचायती राज में बहुत सारे हमारे सरपंच भी बने, प्रधान भी बने और धीरे-धीरे वह जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पहाड़ी पर है, जंगल है, उसका विकास धीरे-धीरे हुआ, लेकिन हमने सारे प्रयास भी किये और प्रयास करने के बाद कुछ परिणाम भी आये। पिछली बार आपने बच्चों को गिरवी रखने की स्थिति बतायी थी, लेकिन हमारे उस कोटड़ा बैल्ट में उस परिवार में जो जंगल में निवास कर रहा है, उसके पास में आज की तारीख में एक जोड़ी कपड़ा मिलेगा। उसके घर में पांच बर्तन मिलेंगे, रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, आटा रखने का। इस प्रकार से कुल-मिलाकर अभी भी हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। पूरे सदन से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर उस बैल्ट के लिए भी कुछ विचार करें। आज जब वह टीएसपी एरिया घोषित हो गया, लेकिन जो कृषि के कनेक्शन में पूरी छूट दी जाती है, आप जैसे ही आवेदन करेंगे, आपका कनेक्शन तुरंत ही जारी हो जाएगा। फिर भी जागरुकता नहीं होने से आज वहां पर कृषि कनेक्शंस नहीं हैं। पिछली बार मैंने कोटड़ा एईएन साहब से पूछा कि आपके पास कुल कितने कनेक्शंस के आवेदन हैं, उन्होंने बताया कि पूरे कोटड़ा ब्लाक में चालीस फाइलें आयी हैं। 45 पंचायतें हैं पूरे कोटड़ा ब्लाक में। कहने का मतलब यह है कि

(श्री प्रताप लाल भील)

गोगुन्दा में टीएसपी एरिया 2012 से 2018 तक 8000 कनेक्शंस एक साथ हुए और कोटड़ा में आपके चालीस कनेक्शंस। आप तुलना कीजिए। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोटड़ा क्षेत्र के लिए हमें कुछ और करने की योजना बनानी चाहिए।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कोटड़ा में हमारे कोई गांव है अंदर, रोड से आपको दस किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर हमने विद्यालय खोल रखा है और उसमें हमने अध्यापक भी लगा रखे हैं, लेकिन वे अध्यापक आपके यहां दो घंटे भी नहीं रुकते हैं। मुझे वहां एक-दो विद्यालय में जाने का मौका भी मिला और पता किया कि आपके यहां कौन-कौन सी कक्षाओं में बच्चे हैं। कक्षा 1, 2 और 3, इसके आगे आपकी कक्षा ही नहीं मिलेगी। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं, इसकी भी हमें चिंता करने की जरूरत है।

इसी प्रकार अभी हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना बनायी। उसमें जैसे कोई गांव जंगल में है, उसकी सड़क स्वीकृत हो गयी, लेकिन बीच में आपका वन विभाग का एरिया आता है और वन विभाग वाले उस कार्य को रोक देते हैं। पहले ऐसा प्रावधान था कि उप-खंड से आपका प्रस्ताव बनकर जिला कलेक्टर के पास जाएगा और उसकी परमिशन मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान में यह जो परमिशन कलेक्टर तक मिलने वाली थी, वह अब वापस लखनऊ तक जाने लग गयी है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा उस जंगल में रहने वाला आदमी जो एक स्थान पर रहता है और वहां पर पीने का पानी, जैसे अभी आपके बारिश हो गयी, बारिश से जो आपका गंदा पानी है, वही पीएंगे, क्योंकि वहां पर न तो हैण्ड पम्प की व्यवस्था है, न कोई सार्वजनिक कुआ है। मेरा इसमें थोड़ा सुझाव है कि ऐसे पांच-दस-पंद्रह करके ऐसी बस्ती हो जहां पर जनजाति विभाग से यदि सार्वजनिक कूप का निर्माण हो जाएगा तो उससे वह कुछ पानी पीएंगे भी और कुछ पानी जो बचेगा, उसे वह अपने खेतों तक ले जाने का काम भी करेंगे। यह काम भी हमें करना है।

बिजली की जहां तक मैं आपको बात बताऊं, देश के प्रधान मंत्री जी भी टापरे में जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है वहां पर खम्भे से लाइट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वहां पर वन विभाग का एरिया आता है और वन विभाग

(श्री प्रताप लाल भील)

के एरिया में जब तक परमिशन नहीं देता है तब तक वहां कनेक्शन नहीं करा सकते, पर सौर ऊर्जा से उस घर तक भी लाइट पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना या दीनदयाल योजना में किया है। ये सारे काम किये हैं।

एक मेरा निवेदन खेल के क्षेत्र में है। आप सबको पता है कि अपने यहां झाड़ोल से लिम्बाराम जी तीरंदाज निकले थे, इसी प्रकार हमारे इस बैल्ट में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि गोगुन्दा के पास में हमारी एक ग्राम पंचायत नाल है और वह पहले ग्राम पंचायत नहीं थी, नई ग्राम पंचायत बनाई। वहां पर 12वीं तक का स्कूल खोला, वहां पर एक तुलसी गमेती, जिसके पिताजी नहीं थे, केवल अकेली उसकी विधवा माता थी और वह जिला स्तर पर जाकर तीन स्वर्ण पदक जीतकर आती है। अब बताओ कि उसने कहां प्रैक्टिस की। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार खेलों के मामले में भी जनजाति विभाग से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहां पर वैर प्रथा भी है। वैर प्रथा ऐसे है कि किसी परिवार के आदमी का मर्डर हो गया तो दूसरा परिवार जब तक दूसरा मर्डर नहीं करेगा तब तक उनका समझौता नहीं होता है। इसके ऊपर भी अपने को विचार करने की जरूरत है। जनजाति विभाग को इस पूरे बैल्ट में इस प्रकार का जन-जागरण पैदा करना चाहिए कि यह जो पुरानी परम्परा है इसको कैसे तोड़ सकें, यह भी करने की जरूरत हे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): इसके अलावा मेरी सरकार से कुछ मांग भी है कि हमारे यहां गोगुन्दा में एक एकलव्य मॉडल स्कूल खोल दिया, वर्तमान में वहां कक्षा 6, 7, 8 और 9 में बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उसको भी तुरन्त करें। आज मेरे पास फोन आया है कि उसी विद्यालय में पुस्तकों का भी अलाटमेंट नहीं हुआ तो वह भी आप कराएं। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण

(श्री मुरारी लाल)

विषय जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या 30 व अनुसूचित जाति कल्याण मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

मान्यवर, वैसे तो हमारे सामने वाले साथी बाबा साहब का नाम बड़े बढ़-चढ़कर ले रहे थे और कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई कह रहा था कि हमने यह कर दिया, हमने भारत रत्न दे दिया। कई साथी यह भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया। साथियों, जो संसार का सबसे अच्छा संविधान है और जिसकी वजह से हम सब लोग यहां पर विराजमान हैं उस संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी। हमें सोचना चाहिए कि संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौनसी पार्टी ने बनाया था। यह कांग्रेस का सोच था कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिजीवी है, दलितों के बारे में समझता है, आदिवासियों के बारे में समझता है, यदि उसको संविधान सभा का चेयरमैन बनाया जाएगा तो निश्चित ही हम सबके लिए एक बहुत अच्छा संविधान लिखेंगे। इससे उनकी भावना का पता लगता है कि हमारे नेता चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे और हों, उनकी भावना क्या थी और इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया। बाबा साहब ने फिर हम लोगों के लिए कल्पना की थी कि हमारा सामाजिक उत्थान हो, हमारा आर्थिक उत्थान हो, हमको समानता का अधिकार मिले और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण मिलने के बाद में धीरे-धीरे हमारी प्रगति तो हुई लेकिन उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। इसमें हम लोगों की कमी रही होगी चाहे आप हों चाहे हम हों और परिणाम यह हुआ कि काफी लम्बे समय के बाद में ये सारे समाज अपने अधिकारों व कर्तव्यों के मामले में जागरूक हो गये।

मान्यवर, एससी, एसटी के जो भी पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं वे अपने अधिकारों के बारे में समझने लग गये और यह इस बात को सिद्ध करता है। हम सबको यह बात महसूस करनी चाहिए कि 2 अप्रैल, 2018 को जो घटना हुई थी वह इस बात का संकेत है। वह एक स्वाभाविक घटना थी, उसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। जब यह महसूस किया एससी, एसटी के लोगों ने कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है तो पूरे देश में एससी, एसटी के लोग। एकदम सड़कों पर आ गये और खड़े हो गये,

(श्री मुरारी लाल)

अपने अधिकार के लिए। इसलिए, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि देश को आजाद हुए इतने दिन हो गये लेकिन फिर भी उनको अभी तक वे अधिकार नहीं मिले, उनको अभी तक वह समानता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। हम सबको इस पर काम करना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक आदिवासियों का सवाल है, पूरे देश के अन्दर आदिवासियों की जनसंख्या करीब 9 प्रतिशत के आस-पास है जो करीब 10 करोड़ होती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी पूरे देश में करीब 20 करोड़ के आस-पास 18 प्रतिशत है। इतने बड़े समाजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से देश इतनी उन्नति नहीं कर पायेगा। मान्यवर, जहां तक अपने प्रदेश का सवाल है, अपने प्रदेश के अन्दर भी आदिवासियों की जनसंख्या 13.5 प्रतिशत है और एससी की जनसंख्या हमारे 17.5 प्रतिशत है। मान्यवर, उसमें भी जो क्षेत्र है, आपको पता है दो भागों में क्षेत्र को बांटा हुआ है टीएसपी और नोन टीएसपी। नोन टीएसपी में क्लस्टर है, बिखरी आबादी है, सहरिया है, माडा के लोग आते हैं। आरक्षण को नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में 45:55 में बांटा हुआ है। 45 प्रतिशत टीएसपी और 55 प्रतिशत नोन टीएसपी की सुविधा है वह आरएएस को छोड़कर अन्य नौकरियों की टीएसपी क्षेत्र को दी हुई है। मान्यवर, जब यह विभाजन हुआ था उस समय हमारे बहुत से आदिवासी समाज के माननीय सदस्य थे, हमने हमेशा ही यह कहा कि वे भी हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी के तहत सबकी सहमति से 45 परसेंट नौकरियों की व्यवस्था उनके लिए की गयी और बाकी अदर टीएसपी के लोग थे वे 55 परसेंट में रह गये। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि टीएसपी क्षेत्र में 70 से 75 परसेंट जनसंख्या आदिवासियों की है लेकिन मात्र 45 परसेंट में रह गये, 5 परसेंट एससी को दे दिया गया और 50 परसेंट अदर को दे दिया गया। मैं समझता हूं कि यह मामला भी ठीक नहीं हुआ। उसमें भी जो हमारे वहां के ट्राइबल भाई हैं उनकी जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जो सीटें खाली रह जाती हैं उसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम उन सीटों को अदर एसटी, नोन टीएसपी वालों से ही भरा जाए, उनको जनरल से क्यों भरा जाता है या उनका पूरा बैकलाग लम्बा रखो। एक सोची समझी नीति के तहत स्टेप उठाये जाते हैं।

(श्री मुरारी लाल)

मान्यवर, राजनीतिक हिसाब से भी, आपको पता है और आप इसी से अंदाज लगा लो कि नौकरियों में आरक्षण 12 परसेंट है, अभी जब परिसीमन हुआ था तो राजनीति में 12.5 कर दिया तो फिर नौकरियों में क्यों नहीं बढ़ाते इस आरक्षण को? जब संविधान में यह लिखा हुआ है कि एससी, एसटी का आरक्षण प्रपोर्शनल टू पापुलेशन होना चाहिए। जब आज हमारी जनसंख्या प्रदेश के अन्दर 13.5 परसेंट है तो हमारा 13.5 परसेंट आरक्षण होना चाहिए, एससी की जनसंख्या 17.5 परसेंट है तो 17.5 परसेंट आरक्षण होना चाहिए तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आने वाले समय में हमारा आरक्षण, एसटी वालों का 13.5 और एससी वालों का 17.5 परसेंट होना चाहिए। मान्यवर, जैसा मैंने बताया एसटी, एससी की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जिस प्रकार से देश में कई स्टेट में यह नक्सलवाद पनप रहा है, कहीं क्या पनप रहा है क्योंकि समाजों में पहले वाली बात नहीं है, उनमें जागृति आ गयी, वे अपने अधिकारों के लिए सजग हो गये इसलिए यदि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो धीरे-धीरे स्थिति यहां भी खराब होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कुछ प्रमुख बातें निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, जब सम्माननीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे और महाराष्ट्र पैटर्न हमारे यहां लागू हुआ था तो हमारे यहां भी सम्माननीय गुलाब सिंह जी शक्तावत के नेतृत्व में कमेटी बनाई गयी थी। उन्होंने भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के लिए यहां सुझाव दिये थे। उसमें जो फण्डिंग था, विभागों का बजट था उसमें यह कहा था कि 8 परसेंट बजट सम्बन्धित विभाग का ट्राइबल के ऊपर खर्च होना चाहिए लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हुई। उसको खर्च करना चाहिए, ताकि उनका विकास हो सके।

दूसरा, मान्यवर सबसे बड़ी दुःखदायी घटना यह है, आप यह बताइए विकास कैसे होगा। पिछली बार मान्यवर मंत्री महोदय थे, उस टाइम यह बात उठी थी, आज तक हमारा कैडर ही नहीं है कर्मचारियों का, हमारा कोई कर्ताधर्ता ही नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हमारे कर्मचारियों का विभाग का कैडर होना चाहिए। वहां हमारे अधिकारी बैठें, कहीं से उधार लेकर आते हैं, डेपुटेशन पर लेकर आते हैं। मावली साहब ने इसके लिए प्रयत्न किया था, पता नहीं क्यों मामला बैठ नहीं पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा कर्मचारी कैडर हो, कैडर होगा तो हमारे लोग काम करेंगे, वहां पोस्टिंग

(श्री मुरारी लाल)

होगी, नियुक्त होंगे, उसके बारे में सोचेंगे, दो-चार साल के लिए लाते हैं फिर चले जाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं।

दूसरी मेरी एक बहुत बड़ी मांग आपके माध्यम से यदि सरकार वास्तव में आदिवासियों की हितैषी हैं, यूएनओ ने 1994 में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित किया, पूरे संसार में इसको मनाया जाता है। भारत में भी मनाया जाता है, राजस्थान में भी मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश के आदिवासी अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पिछड़ेपन के बारे में, अपनी और बातों के बारे में विचार-विमर्श करते हैं, इसको मनाते भी हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि पूरे प्रदेश में 9 अगस्त की छुट्टी घोषित होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय, पिछली बार आपने क्या किया, ये आपकी नीतियों को जाहिर करता है, ये भाई-भाई लड़ते रहें और हम फायदा उठाते रहें। आप बताओ टीएसपी वालों की तो आपने 9 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी और नोन टीएसपी की छुट्टी घोषित क्यों नहीं की? क्या हम आदिवासी नहीं हैं? आप हमको बांटना चाहते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): करवाएंगे, मांग है हमारी, आपने क्यों नहीं की? आपकी तो हर जगह बांटने की परिपाटी रहती है। बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, आप तो दिलावर जी, खुद ही एससी से बिलोंग करते हो। अभी पता है क्या किया देश के प्रधान मंत्रीजी ने? मान्यवर, आईएएस की नौकरियों में भी परीक्षा से नहीं लेकर, डायरेक्ट ले रहे हैं फैक्ट्रियों से, अभी जाइन्ट सैक्रेटरी डायरेक्ट लगा दिये, आप बताओ कितने एससी, एसटी के लोगे? जो टाटा बिडला के नौकरी करते हैं, एक भी नहीं है। ये आपकी क्या भावना है हमारे प्रति, नहीं लगाया क्या बताओ? 11 तो जाइंट सैक्रेटरी पिछले टर्म में लगा दिये। अब तो लोग बता रहे हैं, तीन-चार सौ और लगा रहे हैं, ये इनकी भावना को सिद्ध करता है।

दूसरा, सुन लो ये जो 20.11.1997 का रोस्टर पाइन्ट लागू किया गया था और उसके बाद में इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अफसरों के दर्शन भी नहीं होते। ऐसा रोस्टर लागू कर दिया, हमारे लड़के तो पास हो रहे हैं। आईएएस, आईपीएस में तो आपकी नहीं चल रही है, लेकिन रोस्टर पाइन्ट ऐसा लागू कर दिया कि एससी, एसटी वालों को अपना होम स्टेट तो मिलता

(श्री मुरारी लाल)

ही नहीं है। बताइए आप, 20.11.1997 को इस प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी? आपने जो ये किया और उसकी वजह से आज हमारे लड़कों को राजस्थान होम स्टेट अलाटमेंट नहीं होकर दूसरे स्टेट अलाट होते हैं, यह आपकी भावना है। मेरे दो-तीन निवेदन और हैं मान्यवर, संविधान में...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मान्यवर, आज तो मांग हमारी ही है, आज तो हमको बोलने दो। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या, विशेषकर आदिवासियों में जो जातियां उसमें जो मीणा जाति के लिए लागू हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है आप यह बताइए मीणा, मैणा और मीना, यहां सारे सदन में लोग बैठे हैं, इनमें कोई फर्क है क्या, फर्क है क्या कोई बताइए आप। कोई फर्क नहीं है। फर्क है बोली भाषा का, कोई मीणा कह देते हैं, कोई मीना कह देता है, कोई मैणा कह देता है। जैसे मान लो रानी-राणी एक ही बात है, पानी और पाणी एक ही बात है। भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया, वह मीना जाति को दिया हुआ है। मेरा निवेदन है जो हमारी लिस्ट आई है स्टेट गवर्मेंट में, उसमें भी मीना जाति को आरक्षण है। अब आप ये बताइए हम तो आदिवासी लोग हैं, कम पढ़े-लिखे लोग हैं, हम जाति प्रमाण पत्र एप्लाई करते हैं और संवैधानिक लिस्ट में मीना है, तो मीणा के नाम से प्रमाण पत्र रेवेन्यू वाले बनाते ही क्यों हैं? बताइए आप, उनको कहना चाहिए मीणा तो इस लिस्ट में है ही नहीं, बहुत से जाति प्रमाण पत्र मीणा के नाम से बना दिए गये, उसको लेकर के हममें तनाव पैदा होता है। लोग परेशान होते हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिन अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र बनाए, वैसे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और मीना जाति उसमें लिखी हुई तो चाहे कोई मीणा के नाम से एप्लाई करे, चाहे मैणा के नाम से एप्लाई करे, मीना शब्द लिखना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री मुरारी लाल (दौसा): बैठिए, बैठ जाओ। मेरा निवेदन यह है कि वह लिस्ट तहसीलदार के सामने, एसडीओ के सामने रखी हुई होती है और संविधान में एसटी जाति के लिए मीना लिखा हुआ होना चाहिए। मीना लिखा

(श्री मुरारी लाल)

हुआ है, कोई गलत एप्लाई कर देता है तो उसे तुरंत कह देना चाहिए कि भइया मीणा तो एसटी में नहीं आते हैं, मीना के नाम से ही बनेगा। मीणा तो एसटी में नहीं आते हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र दुनिया भर के बना दिए, वैसे तो रेवेन्यू वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, आपने प्रमाण पत्र क्यों बनाए? अब मेरा तो आपसे निवेदन है एक जनरल आदेश ऐसा जारी कर देना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंदर मीना जाति एसटी में आती है और मीणा तो बोलचाल का शब्द है गलत प्रमाण पत्र बना दिए तो पूरे प्रदेश में उनका शुद्धीकरण होना चाहिए ताकि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मान्यवर, यह समस्या रोज हमारे सामने आती है।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सर्विसों में सभी ने मांग रखी थी, बैकलाग भरना चाहिए। दूसरी बात मेरा आपसे एक निवेदन है आप सब लोग सुन रहे हो, अभी दो-चार रोज पहले आरपीएससी का रिजल्ट आया। एसटी के लड़के का लास्ट सलेक्शन हुआ है शायद 131 नम्बर पर, जनरल का हुआ है 101 नम्बर पर, आप ये बताओ ये जो 50 परसेंट छोड़ रखा है, क्या हमारी इसमें हिस्सेदारी नहीं है? पहले हमारे जो लड़के जनरल मेरिट में आते रहे हैं, चाहे टीएसपी एरिया के हों, चाहे हमारे एरिया के हों, उनको जनरल में काउंट करना चाहिए था। यह तो यह हुआ कि 20 परसेंट के लिए 50 परसेंट आरक्षण हो गया। जो लड़के हमारे जनरल मैरिट में आ रहे हैं, उनको जनरल में काउंट करो, ये तो अभी पांच-सात दिन पहले की बात है। मैं वह लिस्ट लेकर नहीं आया, कल आप चाहो तो मैं यहां पर लाकर रख दूंगा। एसटी का लास्ट सलैक्शन एईएन की पोस्ट पर 131 नम्बर पर हुआ है और जनरल का 101 नम्बर पर हुआ है। इसलिए जो हमारे लड़के जनरल मैरिट में हैं, उनको जनरल में ही भेजना चाहिए। यह बहुत बड़ा अत्याचार सब जगह ही हो रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): जैसा मैंने बताया समाधान करो, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसा हम सभी बता रहे हैं, अब लोग जागृत हो गये हैं। पहले वाली बात नहीं रही है। अभी हमारे कई भाई बात कर रहे थे कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): 45 परसेंट तो बंटवारा नौकरी का हमने हिल-मिलकर कर लिया था, हमने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, हमारी 25 एन एल की सीट रिजर्व हैं, 17 सीट हमारे भाइयों के लिए हैं, हमारे लिए मात्र 8 ही हैं। वैसे तो 45-55 होता है, लेकिन हम 8-10 एमएलए जनरल सीट से भी जीतकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी संख्या इधर की बहुत ज्यादा है। टोटल विधायक 33 हैं, भाइयों 33 एससी आप हों। मेरा निवेदन है एससी, एसटी वालों, सुन लो मेरी बात, कोई की बड़ाई, बुराई मत करो, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर यह सोच लो कि कौनसी सरकार, कौनसी पार्टी ऐसी है, जो हमारे पक्ष में फैसला करती है। मैं समझता हूं, निष्पक्ष रूप से सोचोगे, दिल पर हाथ रखकर सोचोगे, बीजेपी से तो कांग्रेस ठीक है, यही हमारे पक्ष में फैसला करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बी.डी. कल्ला।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में गम्भीर पेयजल संकट

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, वर्तमान में राज्य की पेयजल हेतु भूजल पर निर्भरता 78 प्रतिशत है। यद्यपि, राज्य की भूजल उपलब्धता का 13 प्रतिशत ही पेयजल हेतु उपयोग होता है। राज्य की कुल ग्रामीण आबादी 43289 मुख्य ग्राम तथा 78237 ढाणियों में बसती है। राज्य के सभी 222 शहरों/कस्बों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। इनमें से लगभग 28 प्रतिशत शहरों को सतही जल स्रोतों से एवं 50 प्रतिशत शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, शेष लगभग 22 प्रतिशत शहरों की पेयजल योजनाएं सतही एवं भूजल दोनों स्रोतों पर आधारित हैं। राज्य की छितराई हुई बसावट एवं सीमित सतही जल स्रोतों के कारण पेयजल योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत अत्यधिक है। जनवरी, 2019 से अब तक लगभग 4420 नये हैंड पम्प एवं 1907 नये नलकूपों का निर्माण कर, उनको चालू किया जा चुका है एवं वर्तमान में 830 हैंड पम्प एवं 700 नलकूपों का निर्माण करवाया जा चुका है जिन्हें आगामी 10-15 दिन में चालू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। गांवों में पेयजल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हैण्ड पम्पों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हैंड पम्पों की मरम्मत के लिए 43 व हैंड पम्प अभियान 1 अप्रैल, 2019 से प्रदेश भर में शुरू कर दिया गया। इसके तहत वर्ष 2019-20 में शहरी और ग्रामीण

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

क्षेत्रों में क्रमश: 13155 और 81258 हैंड पम्प चालू किये जा चुके हैं। हैंड पम्प मरम्मत अभियान एवं जल योजनाओं के संधारण के लिए किराये के 531 वाहन एवं 2500 संविदा श्रमिकों की स्वीकृत दी गयी है। माह अप्रैल से जुलाई 2019 तक ग्रीष्म ऋतु में पेयजल परिवहन हेतु शहरी क्षेत्र में 33.25 करोड़ रुपये की एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 करोड़ 14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे।

वर्ष 2018 में इसी अवधि के लिए शहरी क्षेत्र में 21 करोड़ 96 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में 23 करोड़ 4 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में 3797 गांव/ढाणियों में 1110 टैंकरों के माध्यम से 4154 टैंकर ट्रिप प्रति दिन पेयजल परिवहन किया जा रहा है। ग्रीष्म काल में 2019 के दौरान दिनांक 28 जून, 2019 को अधिकतम 7154 गांव/ढाणियों में 2250 टैंकरों के माध्यम से 9386 टैंकर ट्रिप प्रति दिन पेयजल परिवहन करवाया गया। इसी तरह वर्तमान में 46 शहरों में 542 टैंकरों के माध्यम से 3493 टैंकर ट्रिप प्रति दिन पेयजल परिवहन किया जा रहा है। ग्रीष्म काल में 2019 के दौरान दिनांक 21 जून, 2019 को अधिकतम 60 शहरों में 628 टैंकरों के माध्यम से 4234 टैंकर ट्रिप प्रति दिन पेयजल परिवहन करवाया गया। सभी समस्याग्रस्त जिलों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जिला कलेक्टर की अभिशंसा अनुसार आवश्यकतानुसार जल परिवहन जारी रखने के भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पेयजल व्यवस्था सुचारु रखने के लिए जल परिवहन के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में 361 कार्य राशि रुपये 184.34 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 1364 कार्य राशि रुपये 197.62 करोड़ के स्वीकृत किये गये जिनमें से लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

सभापति महोदय, अब तक प्रदेश में 187.53 मिलीमीटर बारिश ही हुई है जबकि सामान्यत: अब तक 209.94 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। पिछले वर्ष इस समय तक 277.40 मिलीमीटर बरसात हो चुकी थी। इस तरह से सामान्य से 10.6 प्रतिशत कम बारिश अभी तक हुई है। 15 जिले जिनमें बीकानेर, अलवर, बारां, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, नागौर, जयपुर और टोंक जिलों में तो सामान्य से 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इनमें से अधिकतर जिलों में मानसून 2018 में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। इंदिरा गांधी नहर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सिस्टम पर आधारित जिले जिनमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनूं आंशिक में पेयजल आपूर्ति संतोषप्रद रहेगी क्योंकि वहां सतही पानी उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार नये जल स्रोतों का विकास एवं जल परिवहन के माध्यम से भी जहां आवश्यकता होगी पेयजल की कमी को पूरा किया जाएगा। चम्बल नदी पर आधारित जिले यथा कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा इत्यादि में चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति संतोषप्रद रहेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार नये जल स्रोतों का विकास एवं जल परिवहन के माध्यम से पेयजल की कमी को पूरा किया जाएगा। नर्बदा नहर आधारित जिले जालोर एवं बाड़मेर में नर्बदा नहर से पेयजल आपूर्ति के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार नये जल स्रोतों का विकास एवं जल परिवहन के माध्यम से पेयजल की कमी को पूरा किया जाएगा। सिरोही जिले में अभी तक काफी कम वर्षा हुई है लेकिन माउण्ट आबू कस्बे के मुख्य जल स्रोत में पानी की आवक अच्छी हुई है। जिले में पहले से ही कंटींजेंसी प्लान के कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

उदयपुर संभाग के जिले क्रमश: उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व राजसमन्द में अब तक सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है परंतु क्षेत्र के बांधों में पानी की आवक नगण्य है। इन जिलों में पेयजल आपूर्ति संतोषप्रद है। राजसमन्द जिले के बागेरी का नाका बांध आधारित 269 गांव एवं आमेट कस्बे में पेयजल परिवहन शुरू कर दिया गया है एवं आवश्यकतानुसार इसे जारी रखा जाएगा। श्री नाथद्वारा कस्बे के स्रोत नन्दसमन्द में अनुमानित 15 दिन का पानी है। श्री नाथद्वारा कस्बे की पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने हेतु चीकलवास बांध से नन्दसमन्द तक पूर्व से डली पाइप लाइन की टैस्टिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। साथ ही कस्बे में तीन नलकूप भी खोदे गये हैं जिन्हें एक सप्ताह में चालू कर दिया जाएगा।

बीसलपुर बांध से पेयजल की उपलब्धता 31 अगस्त, 2019 तक रहने की संभावना है। अत: बीसलपुर बांध पर निर्भर जिलों यथा जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभाग को अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। राज्य सरकार इन चार जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। बीसलपुर बांध के लेवल 304.94 मीटर पर 1.45 टीएमसी उपयोगी पानी उपलब्ध है। वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर शहर को 330 एमएलडी, जयपुर ग्रामीण को 65

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एमएलडी, अजमेर जिले को 275 एमएलडी एवं दौसा को 2 एमएलडी पानी वितरण किया जा रहा है। प्रति दिन कुल 0.027 टीएमसी पानी लिया जा रहा है बीसलपुर से। बीसलपुर बांध में दिनांक 31.8.19 तक का पानी उपलब्ध है। जयपुर शहर के लिए दो चरणों में 683 नलकूप, ट्रांसफर पाइप लाइन, टैंकर परिवहन एवं अन्य कार्य कुल लागत रुपये 115 करोड़ के कार्य आवश्यकता पड़ने पर हाथ में लिए जाएंगे। अजमेर जिले के लिए कंटींजेंसी के फेज प्रथम अगस्त, 2019 से सितम्बर, 2019 के तहत 46 नलकूप, 440 हैंड पम्प कुल लागत रुपये 10.81 करोड़ की राशि स्वीकृत है। अगले दो चरणों में 259 नलकूप पुराने बनास सिस्टम से, सांडला पर 50 नलकूप एवं पाइप लाइन व 773 हैड पम्प भीलवाड़ा से रेल परिवहन इत्यादि कार्य लागत रुपये 180 करोड़ के कार्य आवश्यकता पड़ने पर हाथ में लिए जाएंगे। बीसलपुर में पानी की कम आवक की स्थिति में दौसा के लिए बाणगंगा नदी में दस अतिरिक्त नलकूप लगाये जा रहे हैं जिससे एक एमएलडी पानी का उत्पादन किया जा सकेगा।

पाली जिले की पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत जवाई बांध है। विगत वर्ष 2018 में पाली जिले में अल्प वर्षा होने एवं इस वर्ष भी मानसून में विलम्ब होने के कारण दिनांक 24.7.2019 को बांध का लेवल 3.10 फीट था एवं क्षमता 567 एमसीएफटी है जिसमें से उपयोग जल 185 एमसीएफटी है। प्रति दिन 6 एमसीएफटी पानी उठाया जा रहा है एवं जल दिनांक 20 अगस्त, 2019 तक का है। कल आप बता रहे थे 5-6 दिन का है, यह 5-6 दिन का नहीं 20 अगस्त, 2019 तक का पानी उपलब्ध है। मानसून के 28 जुलाई, 2019 से 4.8.2019 तक आरम्भ होने का पूरा अनुमान है। दिनांक 20.7.2019 से जवाई बांध के डैड स्टोरेज से पंपिंग प्रारम्भ कर दी गयी है। सभापति महोदय, जोधपुर जिले से रेल मार्ग द्वारा जल परिवहन आज 2 बजे रेलगाड़ी रवाना कर दी गयी। सवा तीन बजे पाली पहुंच गयी और वहां पानी खाली हो चुका दूसरा फेरा और करने की कोशिश है। इस हेतु रुपये 13.07 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। 6 पुराने ट्यूबवैल चालू कर दिए हैं। 10 ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये हैं पाली के लिए। 3 खुद गये, शेष बीस दिन में खोद कर चालू कर दिए जाएंगे।

केवल भू-जल स्रोतों पर आधारित जिलों यथा अलवर, दौसा, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर इत्यादि में आवश्यकतानुसार नये जल स्रोतों का विकास एवं जल परिवहन के माध्यम से पेयजल की कमी को पूरा किया जाएगा।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कम वर्षा के कारण प्रदेश के अधिकतम बड़े एवं छोटे बांधों में जल की आवक नहीं होने से जलदाय विभाग और अधिक मुस्तैद और सजग हो गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को खास निर्देश जारी कर अविलम्ब तीन चरणों में आकस्मिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये हैं। प्रथम चरण में अगस्त एवं सितम्बर माह में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल परिवहन को चालू रखने पर जोर दिया जा रहा है।

सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह के दौरान मानसून की स्थिति का पुन: अवलोकन कर आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय चरण हेतु कार्य योजना प्रारम्भ कर दी जाएगी जिसके तहत अक्टूबर, 2019 से 2020 तक नये नलकूप, हैंड पम्प, पाइप लाइन के विस्तार कार्य के साथ सड़क मार्ग द्वारा अथवा रेल परिवहन भी करवाया जाएगा। इसी तरह आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण में माह अप्रैल, 2020 से जुलाई, 2020 तक पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सभी आवश्यक कार्य करवाये जाएंगे। इस हेतु राज्य मद एवं केन्द्र सरकार से आपदा राहत कोष के तहत समुचित बजट जिलों को उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी फील्ड अधिकारियों को प्रति दिन समस्याओं के निस्तारण करने के लिए निर्देश दे दिए गये हैं। निर्देशों के अनुसार प्रदेश के आमजन तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में कोताही या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन की पेयजल की समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर-181 के अतिरिक्त सभी फील्ड कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें शिकायत पंजिका का संधारण कर दर्ज शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की पेयजल स्थिति की लगातार मानिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस संबंध में 23 जुलाई को सभी संबंधित अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों की एक आवश्यक बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस हेतु धन अथवा स्वीकृति की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सदन के माननीय सदस्यों के माध्यम से मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि वह जल की आवश्यकता, उपलब्धता एवं उपयोग की गणित को समझें एवं न सिर्फ जल के अपव्यय को रोकें अपितु बारिश की एक-एक बूंद को सहेजने, उसके संरक्षण करने और पानी की बचत के उपायों को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर इस हेतु सभी लोग सहयोग करें। वरुण देवता है और मैं इस

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
अवसर पर ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट, ओमनी प्रजेंट, भूत भावन भगवान शंकर जी, वाहे गुरुजी, परवरदिगार, खुदा, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को, गॉड को, सबको प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान में अच्छी बरसात करे ताकि हम जल संकट से मुक्ति पा सकें, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, आपने जो अभी वक्तव्य दिया ...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 290 के तहत मंत्री के वक्तव्य पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) मंत्री का वक्तव्य है, 290 के तहत इस पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। माननीय राठौड़ साहब, आप हमेशा किताब दिखाते हो, आज मैं आपको किताब दिखा रहा हूं। पेज नंबर 122, नियम 290, कोई प्रश्न नहीं हो सकता। (व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, शायद मुख्य सचेतक जी ने पहली बार किताब पढ़ी है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके कारण से मुझे मौका मिला लेकिन आप पढ़ लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के बारे में आप अनभिज्ञ हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को ठीक कीजिए। सभापति महोदय आसन से व्यवस्था दे देंगे, आप मान लीजिए, मैं भी मान लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): पेज नंबर 122 नियम 290 के तहत प्रश्न नहीं होगा। आपको अलाउ नहीं किया है, आपको आसन ने अलाउ नहीं किया है। माननीय राठौड़ साहब, आपको अलाउ नहीं किया। अलाउ करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): नियम 290 ...(व्यवधान) पेज 122 नियम 290, सभापति महोदय, मैं आपको किताब पेश करूं? (व्यवधान) मैं आपको नियम पेश करूं? पेज नंबर 122 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें, शांत रहें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सैक्रेटरी कहां है आपका, सैक्रेटरी? (व्यवधान) चिट पर लिखकर दे दो, इनका सैक्रेटरी है नहीं। बताते क्यों नहीं हो आप लोग। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पानी पर चर्चा हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पूरे दिन भर पानी पर चर्चा हो चुकी है और आपको व्यवस्था दे दी क्या ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। (व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया और यह आसन की व्यवस्था थी कि मंत्री वक्तव्य देंगे और मंत्री ने वक्तव्य दे दिया। अब इसमें क्या पूछना बाकी रह गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप अनुमति देंगे तो मैं सिर्फ दो मिनट ही बात कहना चाह रहा था कि बीसलपुर और जवाई, दो ऐसे बांध हैं जिसमें जवाई में 20 अगस्त और बीसलपुर में 31 अगस्त तक का पानी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं 6 ट्यूबवैल पाली जिले में नये खोदकर आप आपूर्ति कर रहे हो, 46 ट्यूबवैल पूरे अजमेर जिले में और 10 ट्यूबवैल दौसा में, हम तो यह कह रहे हैं कि यह सारी चीजें अपर्याप्त हैं। आपको सदन को विश्वास में लेना चाहिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिए, बोलिए, मैं अलाउ करता हूं, आप बोलिए।

(16.45 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था नियम 290 के तहत मंत्री जी के वक्तव्य पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आपकी सहमति से मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। यह प्रश्न पूछना चाहते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था अपेक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। जो वक्तव्य है वह किसका

(श्री अध्यक्ष)

आउटकम है, दो सदस्यों ने प्रश्न पूछे, तो पहला अधिकार उनका है, यदि उनको पूछना है। बाकी तो इसमें कोई डिस्कस नहीं हो सकता। मेरे अंदाज से राजेन्द्र जी राठौड़ का उसमें नहीं था। जिसने क्वेश्चन दिये थे, वे दूसरे लोग थे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, क्योंकि उस दिन दो इश्यू थे और दो इश्यू को क्लब करके हमने कहा कि पानी की गंभीर समस्या है, वैसे तो थोड़ी-बहुत समस्या बरसात के कारण मानस बदला है, पर मेन उद्देश्य यह था कि जयपुर और अजमेर के पानी के संबंध में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है आज डिमांड है, वक्तव्य को सुनने के बाद न तो इनके हाथ में है, कंटींजेंसी प्लान की व्यवस्था करनी है, क्या व्यवस्था करनी है, उसके संदर्भ में मंत्री जी ने बात कह दी है। अब कोई क्वेरी करनी है तो वैसे क्वेरी होती नहीं है, आप सब जानते हैं। फिर भी मेरी माननीय सदस्यों से अपील है, माननीय सदस्य रामलाल जी और वासुदेव देवनानी जी, ...(व्यवधान) नहीं, बाकी अलाउ नहीं है ...(व्यवधान) नहीं, चर्चा समाप्त। डिमांड पर आगे बोलें, कौन बोल रहा है, किसका बाकी है। खिलाड़ी लाल बैरवा। नहीं, प्लीज हो गया खतम। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, श्री पृथ्वीराज।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उधर से बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अच्छा उधर से, श्री फूल सिंह जी मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट घोषणा की थी, उस बजट को मैं पढ़कर आया हूं, हमारे ट्राइबल के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। केवल और केवल जनजाति छात्राओं की कोचिंग सेंटर के लिए बोला है। यह व्यवस्था तो पूर्व सरकार ने ही की है मगर मुझे उम्मीद है, हमारे ट्राइबल के मंत्री महोदय बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी जब रिप्लाई दें तब हमारे जनजाति समाज का, ट्राइबल एरिया का ध्यान रखते हुए और हमारे ट्राइबल के सभी सदस्यों ने जो डिमांड रखी उनके ऊपर ध्यान देते हुए सबका मान रखें और घोषणा कराएं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अरावली

(श्री फूल सिंह मीणा)

पर्वतमाला के बीच में टोटल ट्राइबल एरिया बसा हुआ है। वहां पर जनजाति परिवार रहता था और रहता है। वन उपज के आधार पर यह जीवित रहते थे। बरसात से जो फसल होती थी उसके अलावा और कोई साधन नहीं था। हमारी उपज, वन उपज है। सफेद मूसली, जो हमारे एक टीपी कानून था, टीपी कानून की वजह से सारा का सारा माल गुजरात में जाता था। पूर्ववर्ती सरकार में हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी और हमारे गृह मंत्री गुलाब जी भाई साहब ने मिलकर उस टीपी कानून को खतम किया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब टीपी कानून लागू था तब उसकी रेट क्या थी। सफेद मूसली 300 और कानून खतम होने के बाद 900 रुपये। मालकांगड़ी 60 रुपये और 275 रुपये। सूखा आंवला 38 रुपये और 125 रुपये, निबोली 5 रुपये और 15 रुपये, शहद 60 रुपये और 180 रुपये, रतनजोत 12 रुपये और 22 रुपये, महेड़ा ढाई रुपये और 22 रुपये, महुवा 18 रुपये और 65 रुपये, पुआण 8 रुपये और 15 रुपये। ये 503.50 रुपये टीपी कानून नहीं था उससे पहले की रेट थी और 1619 रुपये बाद की किलो की रेट आयी है। इससे हमारे राजस्व का कितना नुकसान हुआ था? इस टीपी के खतम होने के बाद हमारा राजस्व इतना बढ़ा... अध्यक्ष महोदय, यह ट्राइबल बैल्ट की बात करते हैं। हमारे सदस्य महोदय कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने इतना किया, यह किया, वह किया। 70 साल में एक रुपया लग रहा था, टीपी का, उसको खतम नहीं किया। हमने आते ही यह किया, उसके बाद में यह सब कुछ हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेवाड़ संभाग में टीएसपी एरिया का विस्तार करके हमारी गिर्वा पंचायत समिति जो जनरल में थी, वहां पर आज हमारा प्रधान भी एसटी का बनेगा, सारे सरपंच एसटी के बनेंगे। पूर्व सरकार ने यह किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ट्राइबल की बात करते हैं कि हमने किया, हमने किया। मैं तो यह कह रहा हूं कि पंचायतों का पुनर्गठन, क्या पता भैरोंसिंह सिंह जी शेखावत ने किया और पूर्व सरकार में हमारे पंचायती राज मंत्री गुलाब जी भाई साहब ने किया, जिससे हमारे ट्राइबल में पंचायत मुख्यालय पर जो 12वीं की स्कूल खुली, उससे शिक्षा में बालिकाओं को भी प्रोत्साहन मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको खजूरी पंचायत के बारे में बताना चाहता हूं। जब पंचायत मुख्यालय पर 12वीं की स्कूली खुली। पहले हमारे वहां 8वीं से

(श्री फूल सिंह मीणा)

9वीं की स्कूलें खुली थीं तो हमारी बालिकाएं 12 किलोमीटर नहीं जाती थीं खुलते ही उसमें 35 बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें 30 बालिकाएं थीं और 5 बालक थे। जो बालिकाएं पढ़ाई से वंचित हो गयी थीं और पढ़ाई छोड़ दी थी, खेती का काम करती थीं, मवेशी चराती थीं। उनको पढ़ने का मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि एक बालिका जो ट्राइबल बैल्ट में जन्म लेती है, अगर वह जनरल पंचायत में ब्याह कर चली जाती है तो उसको टीएसपी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं तो यह कह रहा हूं कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिले, क्योंकि जनरल में चली गयी है, मगर उसका क्या दोष है जो जनरल में पैदा हुई और टीएसपी में आ गयी। उसका भी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि उस बालिका को या तो बाप के नाम से सर्टिफिकेट दें या फिर पति के नाम से सर्टिफिकेट दें। हमारे वहां यह अन्याय हो रहा है। उस बालिका को अधिकार मिले।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जनजाति बहनों को कृषि मंडी में कभी भी आगे नहीं बढ़ाया, मगर पूर्व सरकार में कृषि मंडी में जब दुकानों का आबंटन हुआ तो हमारी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया, इसके लिए हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन विभाग के अंदर हमारा जनजाति परिवार रहता है और वन जीव चाहे पैंथर हो, बघेरा हो, वे जब मार देते हैं तो उनको केन्द्र सरकार केवल चार लाख रुपये देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की यह राशि कम पड़ती है। राज्य सरकार भी इसमें राशि जोड़ने का प्रयास करे। मैं आपको कल की घटना बताऊं। फोटो बताऊं। कल गिर्वा पंचायत समिति में बारा ग्राम पंचायत में 20 वर्षीय देवीलाल पिता काला जी की पैंथर ने ऐसी दुर्दशा की और उसको मारकर खा गया। वहां पर जनजाति का आंदोलन हुआ। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं शोर्ट में ही कहूंगा। मेरी मांग ही रखूंगा। उसमें अगर आप 20 लाख की राशि तय करवाएंगे, तो हमारे जनजाति परिवार के लिए अच्छा रहता है। वन में वन्य

(श्री फूल सिंह मीणा)

जीव रहते हैं और वन में ही जनजाति परिवार रहता है। यह उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय को इतना ही बताऊंगा आप हमारे ट्राइबल को देखते हुए टीडी में इंजीनियरिंग कालेज खोलकर जनजाति बालकों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इतना बताना चाहता हूं कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर ट्राइबल को आरक्षण की सुविधा भी दिलवायी जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट लूंगा। मालविया जी हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे थे। हम उधर बैठे थे और आप इधर बैठे थे। आपने बताया था कि ट्राइबल में हमारा डिवीजनल कमिश्नर टीएसपी का बनाएंगे तो वास्तव में इस ट्राइबल का भला होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, केवल एक पाइंट रह गया। मैं बताना चाहता हूं कि देवनारायण योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत में स्कूटी मिलती थी और मिलती है। हमारे ट्राइबल ने कौनसा गुनाह किया? देवनारायण योजना वाले पैसे वाले हैं, वे सम्पन्न हैं। ट्राइबल व वन में रहने वालों के पास कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से बच्चियों को पढ़ाया जाता है और 65 परसेंट अंक लाती है, तब उसको स्कूटी का फायदा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हमारी बच्चियों को भी 50 प्रतिशत अंक पर स्कूटी दिलाएं। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण बिंदु पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 1974-75 में अलग से उप योजना बनायी थी, लेकिन 2017-18 में पता नहीं, केन्द्र और राज्य सरकार की ऐसी क्या विडम्बना आ गयी कि 2017-18 में यह जो उप योजना थी, उसको केन्द्र और राज्य सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया। इसमें एक जनजाति सलाहकार परिषद् बनी हुई है। इसका पहले जो अध्यक्ष हुआ करता था, वह जनजाति मंत्री हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकार में मुख्य मंत्री को उसका अध्यक्ष बना दिया। मुझे यह जानना है कि जो राज्य का मुख्य मंत्री होगा वह ही जनजाति सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष होगा तो फिर सलाह किसको देंगे? सलाहकार परिषद, जनजाति की जो समस्या है, जनजाति के विकास के लिए जो योजना बनी है, उसके संबंध में सलाह देनी है। सलाहकार परिषद् में जो पहले मंत्री हुआ करता था, उसी को वर्तमान सरकार बनाए।

अब आगे की कड़ी में, सभी सदस्यों ने बताया कि संभागीय आयुक्त है तो वही जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त बनाया गया है, कम से कम जनजाति आयुक्त अलग से लगाना चाहिए क्योंकि जो संभागीय आयुक्त रहता है, जो शासन व्यवस्था वहां पर बनी हुई है, वह उसी में ही समय निकालता है और जनजाति सलाहकार परिषद् के लिए अलग समय नहीं निकाल पाता है। अलग से जनजाति आयुक्त बनाया जाए। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो बनाया गया है, वह जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।

(17.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस विभाग के माध्यम से हमें शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। इसमें जो आवासीय विद्यालय बने हुए हैं, आश्रम छात्रावास बने हुए हैं, इसमें सरकार की तरफ से बहुत बजट जाता है परन्तु वहां मानिटरिंग सही तरीके से नहीं हो

(श्री राजकुमार रोत)

पाती है। वहां लड़कों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। हमारे एरिये में मां-बाड़ी योजना चल रही है। कक्षा एक से चौथी तक उस बच्चे को मां-बाड़ी में पढ़ाया जाता है। वह एक साल के लिए दूसरी स्कूल में वापस जाता है। इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि एक साल के लिए दूसरी जगह पढ़ने नहीं जाएगा। यह योजना 2007 से लागू है। वहां जो कार्मिक लगाए गये हैं, वे अब तक अस्थायी हैं। उस एरिये में इतनी मां-बाड़ी चल रही हैं, उस एरिये के बच्चों को वह सेवाएं दे रहे हैं तो कम से कम उनका जो मानदेय है, वह भी बढ़ाया जाए।

हमारे ट्राइबल एरिये में अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची के अनुरूप इस देश में दस राज्य आते हैं। इसमें राजस्थान राज्य भी है। पांचवीं अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण का प्रावधान है, मुझे आज बड़ा दु:ख हो रहा है कि संविधान लागू हुआ 1950 में, आज तक उस एरिये के लोग आरक्षण की व्याख्या क्या है, आरक्षण क्या चीज है? समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने ये कर दिया। आज इतना समय हो गया है, अब तक क्यों नहीं किया? अभी हाल ही में रीट की जो भर्ती हुई है 2018 में, कांग्रेस सरकार ने ही वहां आरटेट के लिए 36 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया। 36 परसेंट वाला पात्र विद्यार्थी है, उसको आरटेट में माना जाएगा लेकिन आज रीट के जो रिक्त पद हैं, उन लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। जो बाद में जुड़ा, वह एरिया जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बाद जुड़ा है। उस विज्ञप्ति के अनुसार उन लोगों ने आवेदन नहीं किये। उस एरिये का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, फिर भी उन लोगों को बैक डोर एंट्री दी जा रही है। यह सरासर अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, एक टापिक और है। अभी हाल ही में नीट, 2019 इसमें चार सीटें एसटी की थीं। कहीं न कहीं उन चार लोगों के साथ अन्याय किया गया है। उसमें भी सुधार किया जाए। मेरा अगला उद्देश्य है कि इस जनजाति कल्याण समिति के माध्यम से या जनजाति क्षेत्रीय विकास के माध्यम से सभी जिलों में सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाए। वहां जो संस्कृति थी, वहां जो इतिहास है, वह लुप्त हो रहा है। उस संस्कृति को, उस इतिहास को, उस रीति-रिवाज को जीवित रखने के लिए प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाए।

(श्री राजकुमार रोत)

एक विडम्बना जो वहां आ रही है और जैसा कि पूर्व के सभी सदस्यों ने बताया, शराब के संबंध में। उस संबंध में मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां जो अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली हुई हैं, वहां पारम्परिक रूप से कोई भी त्यौहार होता है तो आदिवासी समाज जो महुवे की दारू बनती है, उसको धार देनी पड़ती है। कोई भी त्यौहार होता है, पूर्वज होते हैं, कुल देवी होती है, उनको धार देते हैं। वहां जो अंग्रेजी शराब है, उसको बेचने के चक्कर में आदिवासी जो महुवे की दारू बना रहा है, उसको कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अनुसार जो पेसा एक्ट लागू हुआ है उस पेसा एक्ट के माध्यम से जो महुवे की दारू है, उसमें छूट दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30-अनुसूचित जनजाति एवं मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति कल्याण, दो महत्वपूर्ण मांगों पर आज चर्चा के लिए आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सुबह से चर्चा हो रही है और इस चर्चा के अंदर सबसे पहले शुरुआत में मैं उस अमर आत्मा को शत-शत नमन, बाबा साहब के चरणों में शत-शत नमन करता हूं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। उनकी सोच थी कि उनके साथ जो असमानता, छुआछूत, भेदभाव हुआ और वह जमाना था, उस जमाने के अंदर मनुष्य को पशुओं से भी निम्न स्थिति में देख रहे थे। उस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। समाज में असमानता थी। स्कूलों में नहीं आने देते थे। बाहर बैठकर उन्होंने अध्ययन किया। इस समाज के लिए, इस देश के रहने वाले गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान वर्ग के लोग, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, समाज के अंदर असमानता थी, उनकी भिन्नता मिटाने के लिए इन्होंने संविधान के अंदर प्रावधान किया। वह संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। यह संविधान है, जो भारत का ग्रन्थ है। मैं उस अमर आत्मा को याद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत हमारे विपक्ष के सदस्य अभी बोल रहे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी सभी बातों के अंदर हम

(श्री पदमाराम)

राजनीति करें परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हम जिस समाज से आते हैं, आरक्षण के रूप में आते हैं, उनका हित हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, उनके कल्याण की कोई बात हो, उसके अंदर राजनीति नहीं करें। यह मेरा निवेदन है। कई माननीय जो वरिष्ठ लोग हैं, कई बार जीतकर आ गये। यहां आकर पार्टी के अंदर मान-सम्मान बढ़ाने के लिए, पार्टी के नंबर बढ़ाने के लिए वह सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते हैं। झाड़ोल से आने वाले माननीय सदस्य कई बार मंत्री रहे। अभी उन्होंने जो भी गाथा गाई अपने नेताओं की, संविधान की बात पर एक भी शब्द नहीं बोला कि एससी के, एसटी के लिए अच्छी होस्टल होनी चाहिए, अच्छी उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका न्याय होना चाहिए। उसका निवारण होना चाहिए। यह एक शब्द भी नहीं बोला। वह एक ही शब्द बोले कि हमने बाबा साहब के लिए ये किया। अच्छी बात है कि आपने बाबा साहब के नाम पर वहां भवन बना दिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब जब संविधान को लोक सभा में प्रस्तुत करके बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने जब कहा कि आज मेरा लिखा हुआ संविधान कानून बन गया है, वह पास हो गया है। उस समय बाहर बैठे लोगों ने क्या किया? उसके बारे में थोड़ा वर्णन करते, वे जानकार हैं। हम तो नये आदमी हैं। इतनी हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि कौनसा संविधान लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, यह देश को आगे बढ़ाने वाला संविधान नहीं है। हम मनु स्मृति वाला संविधान लागू करना चाहते हैं। उनके बारे में विचार करते तो ठीक रहता।

मेरा आपसे निवेदन है कि आज भी हम जिस स्थिति में हैं, संविधान के प्रावधान हैं, हम चुनाव जीतकर आते हैं। यहां आकर हम मंथन करते हैं। परंतु कहीं न कहीं इसके पीछे किसी न किसी का हमारे ऊपर हाथ रहता है। वह जैसे कहते हैं, उसके आधार पर हम बोलते हैं। ज्यादा आगे बोल नहीं सकते। ज्यादा अपने क्षेत्र की बात नहीं रख सकते हैं। ज्यादा समाज की बात नहीं कर सकते हैं।

(श्री पदमाराम)

(17.08 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आज भी हमारे साथ यह तकलीफ है। आज भी हमारे को यह समस्या है। आज भी कोई कह सकता है कि भाई आप यह बात नहीं बोल सकते। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए, इनके साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप भले ही जीतो, आप भले ही अपनी पार्टी की बात करें। हम हमारी बात करेंगे। आप अपनी बात करें परंतु समाज हित के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के हक के लिए जो भी बात आए, उनके अंदर हम साथ मिलकर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। दो तारीख का मामला क्या था? संविधान के अंदर छेड़छाड़ कौन कर रहा है? क्या समस्या आई कि संविधान के अंदर जो कानून था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक्ट के अंदर छेड़छाड़ की। दो तारीख को आंदोलन हुआ, उस समय किसकी सरकार थी। हमारे कितने लोगों के असत्य मुकदमे बनाए। हमारे बच्चे होस्टल में बैठे थे, उठा-उठाकर अंदर डाल दिया। उनके साथ मारपीट की। उनके साथ मनुष्य की तरह नहीं, पशु से भी घटिया व्यवहार किया। उस समय कौन थे? उनके हाथ-पैर टूट गये थे और टूटे हुए पैरों के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जान बूझकर टार्चर किया। थाने के अंदर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। एक-एक जेल के अंदर सौ-सौ आदमियों को डाल दिया और चौबीस घंटे बेइज्जती की कि खड़े भी नहीं रह सकते। उस समय कौन था? उस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि दो तारीख को जो घटना हुई, उस घटना में जो लोग गुनाहगार हैं, उनका हम पक्ष नहीं करते हैं। परन्तु बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, शांतिपूर्ण अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ जो भी मुक़दमे हुए वह विड्रा करने की हम सरकार से मांग करते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है, अनुसूचित जनजाति के लिए टीएफसी, टाडा-माडा एक्ट बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पिछड़े हुए लोग हैं। आदिवासी लोग हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है, उनके खेत नहीं है, जमीन नहीं है, पहाड़ी में रहते हैं। उनका निम्न जीवन स्तर है। उनके उत्थान के लिए काम किया जाए।

मेरा छोटा-सा निवेदन है कि हमारा बाड़मेर जिला सीमावर्ती क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है, वहां रहने वाले हमारे भील समाज के लोग हैं, एस टी के लोग

(श्री पदमाराम)

हैं, उनका जीवन बहुत निम्न स्तर का है। कई सरकारें आईं, हमारी भी आई, सामने वालों की आई, उनके लिए सिर्फ वोट लेने के अलावा कोई काम नहीं किया।

मेरा निवेदन है कि उनको ज्यादा कुछ नहीं दें, उनके बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। नये होस्टल खोले जाए। उसके साथ-साथ कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाए। इतना ज्यादा धन नहीं लगेगा। जो भी लगे, कोई दूसरी कटौती करें, नहीं तो हमारे एमएलए फण्ड से पैसे लें, परन्तु अनुसूचित जनजाति के भीलों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाए। यह मेरा निवेदन है।

दूसरा निवेदन है, हमारे समाज कल्याण के छात्रावास हैं, दूसरे सभी विभागों के अंदर बजट बंट जाता है। सब कुछ हो जाता है। बात हम भी बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, हमारे सामने वाले भाई भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम अनुसूचित जाति के लिए यह कर देंगे, उनकी रक्षा करेंगे। समाज कल्याण की, जब से स्टार्ट हुई, आज तक छात्रावास को मार्डन बनाया, वहां शिक्षा के लिए कोई इंतजाम किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की, बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था की? कोई नहीं करते। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि और कुछ करो या न करो, समाज कल्याण के छात्रावास हैं, उसके अंदर रहने गरीब तबक़े के आते हैं, गरीब किसान के बेटे आते हैं। पैसे वाले लोग बड़े-बड़े होस्टल, बड़ी-बड़ी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। गरीब तबके के लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वह होस्टल में रहते हैं। उनका जीवन सुधारने के लिए आप मेहरबानी करके कुछ धन बंटाएंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, दो-तीन मिनट और।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इनमें धन बंटाएं। गरीब तबक़े के बच्चों के लिए व्यवस्था कराएं। आजादी के 75 साल बाद भी हमारा जीवन स्तर इतना नहीं सुधरा है। हम दूसरों की बराबरी करने की बात करते हैं, सिर्फ बात करके रह जाते हैं। आज आजाद भारत के अंदर

(श्री पदमाराम)

भी हमारा कहीं संगठन नहीं है। हमारा कोई नेता नहीं है। हमारा कोई नेतृत्व नहीं है। हम तो परजीवी, जिस प्रकार अमरबेल है उसके समान हैं।

कोई साइड में बैठा हुआ बात करेगा, हमारा दिमाग वहां चलेगा। हमारा खुद का दिमाग हमारे खुद के लिए नहीं चलेगा। दूसरों की बातों पर वाह-वाही करने के लिए, तालियां बजाने के लिए, हम सब कुछ कर देंगे। परन्तु हमारे समाज के लोग, हमारे आदमी के लिए, हमारे नेता के लिए हम कुछ नहीं करते। इसके बारे में भी हमें आपस में मिलकर विचार करना चाहिए।

मेरा एक और निवेदन है कि जहां भी 40 परसेंट एससी, एसटी की आबादी है वहां संबल योजना चालू थी। पिछली गहलोत सरकार में 30 से 40 लाख रुपये तक दिए। पिछली सरकार के अंदर पता नहीं, राठौड़ साहब, पंचायती राज मंत्री थे, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, बिलकुल बंद कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति की जहां 40 परसेंट से ज्यादा आबादी है वहां संबल योजना लागू करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बिजली, पानी की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि आरक्षण के अंदर हमारा जो हक है, पिछले समय में, अभी जो बात कर रहे थे, समता आंदोलन के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण था, उसको बंद कर दिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करें। हमारे जो विद्यार्थी टाप आते हैं उनका आरक्षण के तहत...

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्री पदमाराम (चौहटन): सलैक्शन करने का प्रावधान करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वह अभी तक भी गरीब हैं। उनके रहने के लिए घर नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। सरकार सुविधा देती है परन्तु उन तक पहुंचती नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं उन गरीब लोगों, शिडयूल्ड कास्ट के लोगों का घर होना चाहिए। उनके लिए सुविधा

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

होनी चाहिए। ग़रीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं आती है। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि उन को छात्रवृत्ति मिले। अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो वह ढंग से पढ़ सकते हैं। उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 51 और 30 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा ऐसे वर्ग के लिए है जो वर्षों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी शैक्षणिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहा है।

बहुत बातें हुईं। हमारी सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बहुत देर से यही चर्चा हो रही है। मैं समझती हूं कि 75 वर्षों तक यह समाज, जो सवर्ण समाज के समकक्ष खड़ा नहीं हुआ है, इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सिर्फ इसमें उलझकर रह जाते हैं, आपने क्या किया हमने क्या किया, पर यह नहीं सोचते कि अब आने वाले समय में हम यह पांच चीज़ें करने वाले हैं या पांच वर्षों में हमारी यह ठोस रणनीति है, इस पर कोई अपनी बात नहीं करता है। बस एक-दूसरे की आलोचना करते हुए हम समय पास करते हैं, फिर लगता है कि हमने बहुत अच्छी चर्चा की। इतने अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। उन सुझावों पर आने वाली सरकार क्या काम करने वाली है, यह यदि स्पष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि इस समुदाय के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे से हम काम कर पाएंगे।

माननीय अम्बेडकर जी ने एक संदेश दिया था। मैं वहां से अपनी बात को शुरू करती हूं। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। माननीय अम्बेडकर जी ने यह संदेश दिया, इस संदेश को सब लोगों ने नारा बनाया। जब उनकी जन्म शताब्दी आती है या उनका निर्वाण दिवस आता है तो हम इस नारे के साथ उनकी बात शुरू करते हैं लेकिन शिक्षित बनने के लिए सरकारों ने क्या किया

(श्रीमती अनिता भदेल)

ताकि इस वर्ग को ऊंचा उठाया जा सके, आगे लाया जा सके, उसके लिए मैं चर्चा करना चाहूंगी। इस देश में 70-75 साल से जिस पार्टी ने शासन किया, इस वर्ग के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गयी क्या, नहीं किया।

सरकारी स्कूल जहां टीचर नहीं है, आज भी यह समस्या है। 75 साल बाद भी यह समस्या है। जहां टीचर नहीं है, जहां स्कूल के भवन नहीं है, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, जहां बच्चों का नामांकन नहीं है। जिन स्कूलों में टीचर नहीं हो, ऐसी स्कूलों में इस वर्ग के बच्चे जाएंगे तो क्या हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन बच्चों के समकक्ष खड़े हो जाएं, जो सवर्ण समाज से आते हैं या वहां से आकर स्कूल में पढ़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं, क्योंकि मुझे बहुत दु:ख होता है जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि आप तो आरक्षण के कारण से आ गये हैं। आपमें तो योग्यता ही नहीं है। आपमें तो कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। जो वर्ग हज़ारों सालों से दलित रहा है, उस वर्ग से आप अपेक्षा करें कि वह सीधे इन 50 सालों में आपके समकक्ष आकर खड़ा हो जाए वह भी तब जब आपने संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, आपने उनको आगे बढ़ाने की इतनी अच्छी कोशिश नहीं की जितनी अच्छी कोशिश होनी चाहिए थी। दस गुणा कदम आगे बढ़ाते तब जाकर हम समाज में समरसता कायम कर सकते थे। तब जाकर हम समाज में सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर सकते थे। माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज हो क्या रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब संविधान लागू हुआ, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई।

माननीय अम्बेडकरजी ने छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया और सभी को समानता का दर्जा दिया, सभी को मौलिक अधिकार दिये। लेकिन उस समय हमारे समाज की परिस्थितियां क्या थीं। उस समय हमारे समाज की परिस्थितियां यह थीं कि जातिवाद के नाम से आधा समाज तो पिछड़ा था और आधा समाज अग्रणी था। ऐसी स्थिति में जो पिछड़ा समाज था, उसको शिक्षा देने की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की गयी। सरकारी स्कूल उनके लिए बनाये गये। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था उनके लिए की गयी लेकिन इन 40-50

(श्रीमती अनिता भदेल)

सालों में वह जो पिछड़ा वर्ग का समाज था न, आज भी, माननीय मंत्री महोदय, एक सर्वे करवा लेना, आंकड़े उठा करके देख लेना, हायर एजुकेशन में और टैक्निकल एजुकेशन में एस.सी., एस.टी. के छात्रों की संख्या नगण्य के बराबर है। आज अनुसूचित जाति के जो माता-पिता हैं, जिनकी पीढ़ी में आज कोई दसवीं पास भी नहीं है, आज के समय में, जिन घरों में, जिनकी पीढ़ियों में किसी ने दसवीं पास नहीं की, वे बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा दसवीं पास हो गया, मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया, देखो यह तो कालेज चला गया। लेकिन उस मां-बाप को यह पता नहीं है कि आज का सिम्पल ग्रेजुएशन उसके बच्चे का भविष्य नहीं बना सकता क्योंकि आज जिस व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, टैक्निकल शिक्षा की आवश्यकता है, उस तरफ उसका कदम नहीं उठ सकता।

एक ब्राह्मण का बच्चा जब पैदा होता है तो वह मां से गर्भ में संस्कार लेकर आता है। वह मंत्रों को सीख करके आता है जबकि अनुसूचित जाति के एक परिवार में बालक पैदा होता है न तो दिन-भर की रोजी-रोटी की मशक्कत करते हुए, उसको पता नहीं होता है कि घर में बोलने वाली चीज और स्कूल में बोलने वाली चीज में कितना अन्तर है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगी, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, मंत्री महोदय, इस बात में मत पड़ियेगा कि बी.जे.पी. ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। यह करियेगा कि आने वाले समय में हम और चार गुना गति से इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की। मैं आफिसर्स गैलेरी में देख रही थी कि कौन-कौनसे अधिकारी बैठे हैं। जिस विभाग को यह काम करना है डी.ओ.पी. को, यह जो आदेश हुए थे, माननीय सभापति महोदय, यह 11.09.2011 की जो अधिसूचना जारी हुई है, पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ रोस्टर के बिंदुओं तक आरक्षण का प्रावधान किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये, जिसके कारण विभिन्न विभागों द्वारा डी.ओ.पी. की कार्यवाही के दौरान आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता को लांघकर सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया जाता है। स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में यह अधिसूचना सामान्य वर्ग के कार्मिकों हेतु पदोन्नति में आरक्षण के रूप में परिलक्षित

(श्रीमती अनिता भदेल)

होती है। अत: संविधान में दिये गये प्रावधानों के तहत इस अधिसूचना की स्पष्ट व्याख्या करते हुए दिशा-निर्देश जारी कराएं।

माननीय सभापति महोदय, जिस डी.ओ.पी. को यह काम बाकी के विभागों से कराना है, आश्चर्य की बात तो यह है कि उस डी.ओ.पी. ने ही यह रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया हुआ है। जब कार्मिक विभाग में ही यह रजिस्टर मेन्टेन नहीं है तो नीचे के विभागों से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह यह प्रमोशन, जो रोस्टर प्रणाली से अनुसूचित जाति-जनजाति के कार्मिकों का प्रमोशन होना है, वह उनको कैसे लागू करा पाएंगे, यह अब चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात कर रही थी। जब मैं शिक्षा की बात करूं तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही सामान्य वर्ग से आती हूं, और हमने भी शिक्षा सरकारी स्कूल से ही प्राप्त की है। स्कालरशिप के बेस पर हमने शिक्षा प्राप्त की है। स्कालरशिप नहीं होती तो शायद हम इतना आगे तक नहीं पढ़ सकते थे लेकिन आज हो क्या रहा है। अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कालरशिप दिल्ली से नहीं आ रही है, इसलिये हम स्कालरशिप नहीं दे पा रहे। उन्होंने यह उल्लेख किया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, दो मिनट में, माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल टू-द-पाइण्ट ही बोलने वाली हूं, और कुछ नहीं बोलने वाली हूं।

मैं निवेदन करूं, माननीय मंत्री महोदय, यह आरोप लगाना अब बंद करें कि आपकी सरकार दिल्ली में है, इसलिये नहीं आ रहा है। पिछला रिकार्ड उठाकर देखा है क्या? यू.पी.ए. सरकार के दस साल जब मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे, उसका रिकार्ड, आप तो पहले भी मंत्री थे न, शिक्षा मंत्री थे, आपके पास शिक्षा का दायित्व था। उस समय से लेकर के अब तक यह स्कालरशिप नहीं आई। पिछली बार मुझे मालूम है, जब माननीय अरुण चतुर्वेदीजी मंत्री थे और मैंने रिक्वेस्ट किया, तब वे वहां से पैसा ले करके आये। केन्द्र सरकार ने डबल पैसा दिया कि अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कालरशिप में डिले नहीं होनी चाहिए। मैं आज का आंकड़ा बताना चाहूंगी कि 2017-18 में लगभग 4 लाख 75 हजार विद्यार्थियों ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

(श्रीमती अनिता भदेल)

हेतु आवेदन किया, जिनमें से एक लाख 20 हजार विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ। अभी जो बाकी विद्यार्थी हैं, तीन-साढ़े तीन लाख के आस पास, अब बताइये जो बच्चे छात्रवृत्ति के आधार पर ही शिक्षा का काम करते हैं, वे आगे की पढ़ाई के लिए, आगे नया सैशन शुरू होगा जुलाई में, लेकिन इस सैशन में वे शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें, इसलिये कम से कम यह छात्रवृत्ति तो उनको समय पर मिले। इसकी सुनिश्चितता तो हम करें। कोई-सी भी सरकार हो, बी.जे.पी. की, कांग्रेस की, केन्द्र की, चाहे राज्य की, पर इस चीज को हमें एंश्योर करना चाहिए कि हम किसी तरह से उसको बढ़ाएं।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि छात्रवृत्ति बहुत कम है। एस.सी., एस.टी. वर्ग की कक्षा 6 से 12 तक की जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, वह छात्रों हेतु 700 रुपये और छात्राओं हेतु 1250 रुपये जबकि अल्पसंख्यक समुदाय को जो छात्रवृत्ति मिलती है, माननीय सभापति महोदय, जैसे जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम आदि समाज के लोगों को, उनको पांच हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। अगर कम्पेयर करें तो इनको ज्यादा आवश्यकता है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को ज्यादा आवश्यकता है, बशर्ते कि अल्पसंख्यक वर्ग को जबकि इनकी छात्रवृत्ति अधिक है और उनकी छात्रवृत्ति कम है।

इसी तरह से छात्रावासों के लिए निवेदन करना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रावासों के लिए भत्ता दिया जाता है, कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसलिये मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, तो वह जवाहर नवोदय छात्रावासों में जितना भत्ता दिया जा रहा है, उसी के अनुसार इस भत्ते को दिया जाए।

अभी एक बहुत लम्बी डिमांड आई है, जो नि:शुल्क स्कूटी योजना है, माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति की बालिकाएं, जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 85 प्रतिशत और 75 प्रतिशत लेकर आते हैं, लेकिन उनके लिए यह स्कूटी की व्यवस्था नहीं है। गांवों में अभी भी संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि सारी स्थितियां ठीक हो गयी हैं। शहरों में हमको लगता है कि सारी स्थितियां ठीक हो गयी हैं लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी जाकर देखेंगे तो वही के वही हालात हैं। इसलिये उन गांवों, आप शहरों की बच्चियों को नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पर ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां पढ़कर आती हैं, यदि वे 50 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर आती हैं, 60 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर आती हैं तो उनको स्पेशली स्कूटी की व्यवस्था करनी चाहिए और अम्बेडकरजी के नाम से यह व्यवस्था की जाए तो निश्चित ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हरीश चन्द्र मीना।

सूचना

सवाई माधोपुर जेल के अंदर मृत्यु

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): पाइण्ट आफ इंफॉर्मेशन। एक सैकण्ड। मैं अभी-अभी सवाईमाधोपुर से आ रहा हूं। आधे मिनट में खाली सूचना ही देनी है।

सवाईमाधोपुर की जेल के अन्दर राजेश मीणा, जिसको 151 में बंद किया था, परसों रात को जेल के अन्दर उसकी मृत्यु हो गयी। जिसको लेकर कल सवाईमाधोपुर में चक्काजाम और काफी चीजें हुई थीं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): उस चीज को लेकर, मैं सवाई माधोपुर से ही आ रहा हूं, इस समय उस राजेश मीणा का पोस्टमार्टम चल रहा है। सूचना इतनी-सी देनी है कि पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। यह चीज सदन की नालेज में लाना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, दो पाइण्ट और हैं। एक-एक मिनट में मैं पूरा कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति-जनजाति के वर्ग से जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

भी अभी पढ़े-लिखे आ रहे हैं और नौकरियों में लग रहे हैं, अधिकतर लोगों का यह रहता है कि सरकारी नौकरी में चले जाएं तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा लेकिन जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वही नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकता है। नौकरी में आरक्षण, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतने वर्षों तक, 70 वर्षों तक, जो पढ़े-लिखे थे, तब पढ़े-लिखे कितने थे, यदि 16 प्रतिशत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करिये, समाप्त करिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं समाप्त कर रही हूं, बस, यह बता करके समाप्त कर रही हूं।

जो 16 प्रतिशत आरक्षण है, उस 16 प्रतिशत में जो पढ़े-लिखे लोग थे उन्हीं को आरक्षण मिला है। 100 प्रतिशत में अभी भी नहीं मिल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो 100 प्रतिशत को नहीं मिलेगा। फिर जब 100 प्रतिशत को आरक्षण नहीं मिल रहा है, वे नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, कैटरिंग का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे कामों में लगे हुए हैं, बुनकर का काम कर रहे हैं तो ऐसे छोटे-छोटे काम में लगे हुए लोग भी जीवन स्तर अच्छा उठा सकें, वे भी कोई काम-धंधा कर सकें, अनुसूचित जाति के लोग रिस्क लेने में माहिर नहीं हैं। वे रिस्क नहीं ले सकते। उनको डर लगता है क्योंकि उनके पास छोटी पूंजी होती है, थोड़ी पूंजी होती है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वे सोचते हैं यदि मैं बिजनस करने वाला हूं और बिजनस करते हुए मेरे को नुकसान हो गया तो मैं इसका क्या करूंगा, मेरा तो बचा-बचाया भी खतम हो जाएगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिये उद्यम में हमारे अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग कैसे आएं, उनके लिए कैसे रियायतें हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप सहयोग करें। सहयोग करिये, विराजिये। विराजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, धन्यवाद, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, आज अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के विषय के बारे में चर्चा हो रही है। इन दोनों वर्गों को समाज का कमजोर तबका मानकर इनको कुछ अधिकार दिये गये थे। वह अधिकार संविधान में निर्देशित हैं, संविधान द्वारा दिये गये हैं और उनकी रक्षा करना सरकार का, संविधान का, सबका कर्तव्य है। उन्हीं अधिकारों के तहत, सर, जब इस वर्ग के लोगों को लगा कि 2 अप्रैल, 2018 को उनका हनन हो रहा है तो पूरा देशव्यापी एक आंदोलन किया और उन्होंने जगह-जगह पूरे हिन्दुस्तान में इन हितों की रक्षा के लिए एक रैली निकाली। उसी क्रम में राजस्थान के अनेक शहरों में रैलियां निकाली गयीं। जो शांतिपूर्ण रैली थी, इसमें ज्यादातर छात्र थे, कुछ सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर वह भी इसमें शरीक हुए थे तो उन्होंने बाकायदा छुट्टी ली थी और कलेक्टरों से उन्होंने प्रोसेशन का लिखित परमिशन लिया था। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो करौली जिले के हिंडौन में और दूसरा सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में, इस शांतिपूर्ण जुलूस को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा-पीटा गया। पहले तो वहां के स्थानीय लोगों ने पीटा और फिर पुलिस ने वहां के प्रशासन के साथ मिलकर, हिंडौन के जाटव छात्रावास में अंदर घुसकर बच्चों को पीटा, पूरा फर्नीचर तोड़ा और कमरों में आग लगाई। इन पिटने वालों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज किये, इन्हीं को बंद कर दिया। आज तक एक भी आदमी जिन्होंने उन निर्दोष बच्चों को उनके छात्रावास में पीटा, तोड़-फोड़ की, गिरफ्तार नहीं किया गया।

सर, इसी तरह की घटना गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर जिले में हुई। मेरा आपसे यह आग्रह है कि जब यह अपने अधिकारों की, जो संविधान द्वारा इनको प्रदत्त है, उन्हीं अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जो असत्य मुकदमे दर्ज हुए हैं, वह मुकदमे विदड्रा किये जाएं और जिन अधिकारियों या व्यक्तियों ने इन लोगों को पीटा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

दूसरा, सर, इन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान है कि कम से कम इतनी इनको नौकरी मिलेगी। दस दिन पहले आर.पी.एस.सी. के ए.ईएन. का रिजल्ट आया है। दुर्भाग्यवश यह कहूंगा कि यह तो पढ़ ही नहीं सकते, इनमें तो अक्ल है ही नहीं पर उसमें जो सबसे ऊपर आए वह अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स आये, वह जनरल से भी ऊंचे आये और ओ.बी.सी. से भी ऊपर आये। एस.टी. की कट-आफ है 131 और जनरल की कट-आफ है 102, फिर भी उन ऊपर आने वाले को कहते हैं कि आप रिजर्व केटेगरी के हो, आप रिजर्व में पास हुए हो, क्योंकि आपकी जाति वह ही है तो उसका ऊंचे नम्बर प्राप्त करना गुनाह हो गया? यह उनको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन दिया था, आज इनको दबाने के लिए रिजर्वेशन का प्रयोग किया जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और जब मंत्री महोदय जवाब दें तो कृपया इनका स्पष्टीकरण अपने जवाब में दें। क्योंकि, मैं यह मानता हूं कि रिजर्वेशन कम से कम इतना होगा, अधिकतम पर कोई सीमा नहीं थी, जो जनरल में आएगा वह तो आएगा ही। इसका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण मैं सरकार से चाहूंगा।

सर, इसी तरह से छात्रवृत्ति के बारे में निवेदन है। बिना शिक्षा के विकास नहीं हो सकता। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत बताया इसलिए मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को अगर 65 प्रतिशत उसके नम्बर आते हैं तो स्कूटी दी जाती है, स्वागत योग्य है, इसको कमजोर तबका माना है। पर, देवनारायण योजना, जो बाद में यह योजना आई उसमें 50 प्रतिशत पर ही दिया जा रहा है। मैं यह नहीं चाहता कि और किसी के साथ अन्याय हो पर उनको 50 प्रतिशत पर दे रहे हैं तो यह तो उनसे भी कमजोर हैं। इनका भी आप 50 प्रतिशत कर दो तो सरकार से मैं यह आग्रह करता हूं कि न्याय करें, गरीबों के साथ अन्याय नहीं करें।

दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति को समाज का कमजोर तबका मानकर इनके खिलाफ अपराधों के निवारण के लिए कानून बनाया गया था। Prevention of S.C., S.T. Atrocities Act, यह माना जा रहा था कि यह समाज के कमजोर तबके हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कानून बन गया, कुछ स्टेट्स में थाने भी खुल गये। राजस्थान में थाने भी खुल गये और अलग-अलग ब्रांचेज खुल गयीं, इनके कोर्ट अलग खुल गये। सर, कानून के आने के बाद अपराध बढ़ गये। कानून बनाया था अपराध रोकने के लिए और आप

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

आंकड़े उठा लीजिए, आंकड़े प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। इसमें उस सरकार का, इस पार्टी का कोई वह विषय नहीं है, यह समाज का विषय है। गरीबों के हितों की रक्षा का है तो ऐसी क्या व्यवस्था है, क्या हमारा कानून प्रभावी नहीं है? कानून प्रभावी है तो उसको लागू करने वालों में कोई कमी है? अगर वह ठीक है तो क्या न्यायपालिका में कोई कमी है? जहां पर भी जो कमी हो, मैं यह मानता हूं कि इनके हितों के लिए कानून में जो अधिकार दिये हुए हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको न्याय मिले। क्योंकि, सर, इसमें आपको मैं बता सकता हूं कि पूरे राजस्थान में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी दलित की शादी हो रही हो और उसकी बिंदौरी घोड़ी पर जा रही हो। अगर घोड़ी पर गयी तो पुलिस के प्रोटेक्शन में जाएगी। कोई बैंड बजता हो किसी गांव में, शहर का मुझे पता नहीं है कि जयपुर शहर में क्या होता है, गांव में मुझे बता दीजिए, मैं उस गांव में जाना चाहूंगा कि यह बिना पुलिस प्रोटेक्शन के या बिना उसके हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? उनके मान-सम्मान की, उनके अधिकार की रक्षा कौन करेगा? यह पूरे समाज का दायित्व है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, प्रगतिशील समाज में, प्रगतिशील देश पर कलंक है। यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

सर, बात यह भी आती है कि इनके विकास के लिए बहुत बजट दिया गया है। अब आप टी.एस.पी. क्षेत्र में बजट देते हैं, टी.एस.पी. क्षेत्र में विकास के लिए तो वह बजट खर्च करते हैं रोड के लिए। रोड क्या इन्हीं के लिए है क्या? उसको आप पी.डब्ल्यू.डी. में क्यों नहीं डाल देते हो? इनके नाम पर पैसा होता है, प्रथमत: तो वह खर्च ही नहीं होता और खर्च हो जाता है तो वह डाइवर्ट किया जाता है। इनका विकास बिलकुल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका डवलपमेंट टार्गेटेड होना चाहिए अन्यथा क्या होगा उनके नाम पर, जैसे टी.एस.पी. क्षेत्र में अभी रिजर्वेशन हुआ है, सर, वहां पर उनकी आबादी 80 प्रतिशत है, 45 परसेंट उनके लिए कर दिया और कह दिया आपको दे दिया। 5 परसेंट एस.सी. को दिया है। यह आबादी दोनों की मिलाकर कितनी है? यह 80 प्रतिशत से ज्यादा है और जो 20 प्रतिशत आबादी है, वह वहां का 50 प्रतिशत खा रही है तो रिजर्वेशन तो उस 20 प्रतिशत आबादी के लिए है। यह इनका टी.एस.पी. का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके कंधे पर रखकर पता नहीं कौन बंदूक चला रहा है, मेरी इस पर आपत्ति है तो जिस भावना से, जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, उसी के लिए लागू किया जाए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

छात्रवृत्ति के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति का इन बच्चों को प्रावधान है, बच्चों और बच्चियों को जो इन वर्गों के पढ़ते हैं, इनको सालाना स्कूल और कालेज में छात्रवृत्ति मिलेगी। आप आज पूछ लीजिए चाहे इस पार्टी की सरकार हो या उस पार्टी की सरकार हो, उससे बात अलग है। इनकी छात्रवृत्ति में हरदम तीन-तीन साल का बैकलाग रहता है। 12वीं पास को जाना है यूनिवर्सिटी में तो उसको फीस जमा कराने की तारीख होती है कि इस तारीख तक पैसे चाहिए। छात्रवृत्ति आई ही नहीं तो बांटेगा कौन? उसके अभाव में उसका एडमिशन नहीं होता है। फर्स्ट ईयर पास कर ली, सैकिण्ड ईयर में चला गया, पैसे आए ही नहीं, कालेज में तो लास्ट डेट होती है फीस जमा करवाने की तो इस तरह से हमारे काफी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं यह मानता हूं कि जिस समय इसकी आवश्यकता होती है, वह समय पर मिले। छात्रवृत्ति का कुछ अंशदान राज्य सरकार देती है और कुछ भारत सरकार से भी आता है तो जो भी तालमेल हो, वह बेहतर हो ताकि इन बच्चों को समय पर इनकी आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति मिल सके।

सर, राजस्थान की विधान सभा के 200 सदस्य हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, बिलकुल सही। 200 सदस्यों में जैसा कि मुझे बताया गया है 66 विधायक अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं और आज 200 में से मुझे लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा वर्ग होगा और आज यह मांग क्या रहे हैं कि जो हमारे कानून में अधिकार दिये हैं, उनको लागू कर दो। सबके लिए अधिकार, कानून बनाते हैं यह, सबके हितों की रक्षा करते हैं पर जब खुद की इनकी बात आती है तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है तो मेरा आग्रह यह है कि जो जिसका अधिकार है, वह उसको मिले और सब सदस्यों को, सब पार्टियों को इसमें मिलकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गरीब के कल्याण की बात है, उसके अधिकार की बात है, हम सब मिलकर इन गरीब लोगों की सहायता करें। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आपको

(श्री लक्ष्मण मीणा)

धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच-छह घंटे से लगातार डिबेट चल रही है और अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या कमियां रही हैं और किस सरकार ने कितना क्या-क्या किया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय सभापति महोदय, डिबेट को देखने और सुनने से जो मेरी समझ में आया, वह यह है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, काफी बजट मिलता है। सरकार की मंशा भी रहती है कि इनका कल्याण हो। इनका जीवन स्तर सुधरे और इनके लोग भी समाज के अन्य लोगों के समकक्ष प्रगति कर पाएं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा है, जो सरकारें यहां विधान सभा में कानून पास करती हैं, जो सरकार का विजन होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, उसकी वजह से इन लोगों का जो कल्याण होना चाहिए, इनका जो विकास होना चाहिए, उसमें कमी रह रही है। इसके बारे में खेरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से चर्चा की है।

माननीय सभापति महोदय, करीबन 44 साल पहले, 1975 में जो टी.ए.डी. डिपार्टमेंट बना, तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से हमेशा ही यह मांग रही होगी कि उसका अलग से एक कमिश्नर हो, जिस तरीके से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में कमिश्नर है, उसी तर्ज पर यहां भी होना चाहिए। लेकिन, इसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। दोनों ही पार्टियां कहती हैं 20-25 साल तक एक पार्टी ने राज किया, वहीं दूसरी पार्टी ने 20 साल तक राज किया है। इसके लिए एक अधिकारी अलग से लगाने में मेरे खयाल से सरकार को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो उसका सरकारी अमला है, जो योजनाओं को लागू करेगा, अगर वही कमजोर है तो न तो पूरा बजट खर्च होगा, न सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप विकास होगा। मेरी भी आपके माध्यम से, सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हो, उतना जल्दी एक अलग

(श्री लक्ष्मण मीणा)

से टी.ए.डी. का कमिश्नर जयपुर या उदयपुर में, जहां भी सरकार उचित समझे, वहां लगाया जाना चाहिए। अभी डिवीजनल कमिश्नर उदयपुर को लगा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, डिवीजनल कमिश्नर के पास बहुत काम होते हैं और मुझे सरकार यह बताए कि आपका टी.ए.डी. का कमिश्नर, जो डिवीजनल कमिश्नर है, वह कितनी बार कोटा गया, कितनी बार सवाई माधोपुर गया, कितनी बार उसने अलवर और दौसा का भ्रमण किया है? मेरे खयाल से आज तक कभी भी वह टी.ए.डी. कमिश्नर होने के नाते गया ही नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि एक बार अलग से टी.ए.डी. का कमिश्नर बनाया गया लेकिन वह आदिवासियों के भले के लिए नहीं था, वह कोई आई.ए.एस. आफिसर, पति-पत्नी दोनों की एक जगह पोस्टिंग करने के लिहाज से किया था। ज्यों ही उनका स्थानान्तरण हुआ, उस पोस्ट को ही खतम करके उसमें मर्ज कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह पूरा महकमा ही दूसरे के किराये के लोगों को लेकर चलाया जा रहा है। इसमें कोई सैपरेट काडर नहीं है। यहां जो अध्यापक, दूर-दराज में पड़े हुए हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वह ही इसके अंदर डेपुटेशन पर आते हैं। वह स्पेशल-पे भी लेते हैं। पूरी तनख्वाह टी.ए.डी. डिपार्टमेंट से लेते हैं और काम बिलकुल नहीं करते हैं। इसी की वजह से आप देखिए, जितने भी आपके आश्रम विद्यालय हैं, एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, उनमें अधिकतर में वार्डन नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आपने एक टी.ए.डी. का कमिश्नर वहां पर बिठा रखा है, लेकिन कम से कम क्षेत्रीय आधार पर तो एक-एक एडिशनल कमिश्नर बिठाया ही जाना चाहिए। एक एडिशनल कमिश्नर कोटा में हो, एक जयपुर में हो, उदयपुर में हो और उसी हिसाब से जिलों के अंदर भी अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर जिले के अंदर जो एडिशनल सी.ई.ओ. है, उसको यह ड्यूटी दे रखी है कि वह होस्टल्स को देखें, इनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उनका निरीक्षण करे, वह क्षेत्र में जाएं। आज तक कोई भी एडिशनल सी.ई.ओ. इस काम को नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप आपके जितने भी होस्टल्स हैं, उनकी दुर्गति हो रही है। उनके पास बैड्स नहीं हैं, उनके टायलेट्स बहुत गन्दे रहते हैं, वहां पर साफ-सफाई

(श्री लक्ष्मण मीणा)

नहीं है, खाने का सामान समय पर नहीं आता है और होस्टल्स के अंदर पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है। कई-कई बार तो ऐसा देखा गया है कि गांवों के लोग अपने पैसों से वहां पर पानी की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लिए पहले माननीय सदस्यों ने बोला परिषद्, जो ट्राइबल्स की सलाहकार समिति है, उसके बारे में बिलकुल सही बात है। उसमें माननीय सभापति महोदय, मेरी तो राज्य सरकार से मांग है कि आप जो टी.ए.डी. का मिनिस्टर है, उसको कैबिनेट का दर्जा दें। उसको इतना पावरफुल बनाएं कि वह जितना भी बजट आता है, उसका सही समय पर, जो एक साल का समय है, उसको पूरा का पूरा लगाए और वह यह देखें मंत्रीजी, कि बजट जिस काम के लिए दिया गया है, उसी काम के लिए उस बजट का उपयोग हो। जैसे अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि बजट टी.ए.डी. के ट्राइबल्स के लिए आता है, उसको शहरों में लगा दिया जाता है। अभी उनियारा-देवली से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि उनका बजट रोड के लिए लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह से बजट को दायें-बायें डायवर्ट किया जाएगा तो कभी भी इनका विकास नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 50-60 साल में जितने पैसे खर्च किये अगर उनको वैसे भी ट्राइबल्स में बांट दिया जाता तो मेरे खयाल से जो आज उनकी स्थिति है, उससे तो बैटर ही होती। लेकिन हुआ यह है कि सही तरीके से बजट का सदुपयोग नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, यह हम सभी आदिवासियों की मांग है कि जो 9 अगस्त अन्तरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, उस पर यहां एक सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। इस पर हम सबकी भावना के अनुरूप आप विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति विभाग के होस्टल्स भी मैंने देखे, उनकी भी दुर्गति है। समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, होस्टल्स में खाना समय पर नहीं मिलता, कभी उनके वहां राशन नहीं आता, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, तो वह बच्चे इस तरीके से रहेंगे तो किस तरह से वह वहां पढ़ाई कर पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि उन होस्टल्स को भी देखें, उनकी व्यवस्था ठीक करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): हां, करता हूं माननीय सभापति महोदय। मेरा एक सुझाव है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जितने भी गांव हैं, अभी आपने गौरव पथ बनाये थे और ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का गांवों में सबसे बाहर मकान होता है। जो उनकी लोकेलिटी होती है, मौहल्ला होता है, वह सबसे बाहर होता है और मेन प्राइम लोकेशन दूसरी जातियों की होती है। उनमें कहीं भी गौरव पथ की सड़कें नहीं बनीं। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विकास पथ की 10 हजार किलोमीटर सड़कें पांच साल में बनाने का प्रावधान किया है, उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो कालोनीज हैं, उन पर विशेष ध्यान रखकर बजट दिया जाकर उनमें सड़क बनायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, जो स्कालरशिप का मामला है, वह समय पर मिले, क्योंकि स्कालरशिप में इनके लिए कई राइडर लगा रखे हैं। दुनिया भर के राइडर्स होने की वजह से बच्चे सही समय पर पूरा फार्म नहीं भर पाते, वहां के अध्यापक उनकी मदद नहीं करते और ज्यादातर बच्चे स्कालरशिप से वंचित रह जाते हैं। उनके स्कालरशिप देने के जो कानून-कायदे और नियम बना रखे हैं, उनमें भी रिलेक्सेशन किया जाए और जो छात्रवृत्ति पहले की बकाया है, वह भी उन लोगों को दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की जितने भी जमीनें हैं और विशेषकर कमाण्ड एरिया में, मैं बारां की बात करूं तो बारां में सहरियाओं की जो भी प्राइम लैंड है उसमें एस.टी. वालों को तो मीणों को तो मना कर रखा है, वहां के कलेक्टर ने एक आदेश निकाल रखा है कि सहरियाओं की जमीन मीणों के नाम से नहीं होगी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है कि दूसरी जाति के लोगों ने उनकी जमीनों पर बड़े-बड़े फार्म बना रखे हैं, कब्जे कर रखे हैं तो उनको भी छुड़ाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): इसी तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीनें बांसवाड़ा में हैं, कोटा में हैं, जयपुर में हैं, आपके गंगानगर में है कमाण्ड एरिया में, उनसे उनके कब्जे हटाकर और उनको उनका

(श्री लक्ष्मण मीणा)

मालिकाना अधिकार दिलाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचंद मीणा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपसे दो-तीन मिनट ज्यादा लूंगा, मुझे प्रथम बार बोलने का मौका मिला है।

मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो वेणेश्वर धाम के नाम से पूरा राजस्थान जानता है, उस वेणेश्वर धाम के बारे में मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा, दूसरी बातें बाद में कहूंगा। इस अवसर पर हमारे जितने भी अनुसूचित जनजाति के भाई-बंधु यहां हैं, वह एरिया हमारा आदिवासी अंचल एरिया है और वेणेश्वर धाम हमारा आदिवासियों का कुम्भ मेले के रूप में माना जाता है। यह भी कह सकता हूं कि राजस्थान का फर्स्ट नम्बर का मेला वहां लगता है। संत मावजी महाराज ने ग्रंथ में लिखा है कि इस सृष्टि का जो सेन्टर पाइण्ट है वह हमारे वेणेश्वर धाम को माना गया और इस अवसर पर मैं कह सकता हूं कि भगवान ने इस धरती पर नौ बार, दस बार अवतार लिया लेकिन संत मावजी महाराज के रूप में 304 साल पहले अवतरित हुए थे, इस देश की सारी भविष्यवाणी वहां लिखी गयी है। सदन में जितने भी हमारे सदस्य महानुभाव हैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आपका भी वहां पधारना हो और आप भी वहां आकर दर्शन करें। त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज के रूप में उसको मानते हैं। उस क्षेत्र में जो हम हरिद्वार के रूप में जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, वह हमारी गंगा जी वहीं है। आज हमारे बीच में यहां पर जितने भी आदिवासी, जनजाति के जितने भी विधायकगण हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं हमारे जनजाति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 255 करोड़ का मास्टर प्लान बना करके हमने राजस्थान सरकार को भेजा था, मैं चाहूंगा उसको आप वापस एप्रूव करके भारत सरकार को भेजें ताकि हमारे उस वेणेश्वर धाम का विकास हो सके। 255 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान बना करके भारत सरकार के लिए भेजा गया है, वह शायद आपके द्वारा भेज देंगे, जनजाति विभाग से हमको उसका बजट मिले और उसका विकास हो सके। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

(श्री गोपीचंद मीणा)

इस सदन में सारी बातें आज हमारे सभी सदस्य महानुभावों ने कही थीं, मैं उसके ऊपर जिक्र नहीं करूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जितना जनजाति का विकास हुआ है, जिसके बारे में मैं स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा, हमारे टीएसपी एरिया में इनका राज था और जितना विकास हुआ, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं किसी सरकार की टीका-टिप्पणी नहीं करता लेकिन जिन्होंने विकास किया उनका गुणगान तो हम करेंगे। इस अवसर पर मैं यह कहूंगा कि उस टाइम में हमारे क्षेत्र में आठवीं, मिडल स्कूल पंचायत स्तर पर खोलने का काम उन्होंने किया था। हमारे बीच में प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब बैठे हैं, जिस टाइम हमारे वहां पर बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं मिलती थीं, बच्चों के लिए फीस नहीं मिलती थी, इन्होंने फीस माफ की और हर जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों के बच्चों को पुस्तक देकर पढ़ाने का काम शुरू किया। इसके बाद में वापस जब वसुन्धरा जी की सरकार बनती है, हमारे पंचायत मुख्यालय पर दसवीं की और दसवीं करने के बाद में उस क्षेत्र के जितने भी जो अनपढ़ लोग थे वे सब पढ़-लिख करके होशियार हुए और दसवीं तक पढ़ने का काम किया। इसके बाद में फिर वहां जहां के तहां रहे, वापस वसुन्धरा जी का राज बनता है और हर पंचायत क्षेत्र में हमको बारहवीं स्कूल की, सीनियर की, आज हमारे उस स्कूल में जाकर हम देखते हैं सारे बच्चे और बच्चियां पढ़े-लिखे मिलते हैं, हर घर के अन्दर हमको दो-चार बच्चियां पढ़ी-लिखी मिलती हैं, बच्चे पढ़े-लिखे मिलते हैं। यह सारा श्रेय जाता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं इस अवसर पर यह कहूंगा, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब आप इस सत्ता में आये हैं तो आप भी जितना भी सुधार टीएसपी एरिया में कर सकते हैं उसके लिए आपके भाव सही रहें। मैं मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आप भी राजनीति से उठ करके इस काम को करेंगे तो जरूर क्षेत्र का विकास होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने पिछले टाइम में एक हजार मां-बाड़ी वसुन्धरा जी ने दी थीं और इसके पहले दो साल 300 और दी थीं, 1300 मां-बाड़ी केन्द्र खोल करके उदयपुर संभाग में हर क्षेत्र में मजरा, ढाणी में जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रहते थे उन सबको लाभ पहुंचाने का काम किया। मैं इस अवसर पर यह कहूंगा कि 1300 तो इस पांच साल में खुले और 1300 मां-बाड़ी पिछले सारे कार्यकाल में खुले थे, टोटल 2600 मां-बाड़ी केन्द्र

(श्री गोपीचंद मीणा)

उदयपुर संभाग में चल रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो पिछले तीन साल से पहले खुले हुए हैं उनको डेकेयर में परिवर्तन करके उस मां-बाड़ी में सैकण्ड शिक्षा सहयोगी लगाने का काम करेंगे, उस क्षेत्र में कम से कम 1300 से 1400 बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। मैंने पिछले समय में कमिश्नर साहब के द्वारा फाइल चलवायी थी लेकिन किसी कारणवश काम नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि डेकेयर में परिवर्तन करके उस क्षेत्र में उन बच्चों को लाभ पहुंचाएं। मैं इस अवसर पर कहूंगा कि जो मांबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, नन्दलाल जी मीणा जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था उसको आप सुचारु रूप से चलाएंगे। उन बच्चों के लिए पोषाहार इतना बढ़िया आता है, वे बच्चे खा-पीकर इतने हृष्ट-पुष्ट भी हैं, मैं चाहूंगा कि इसको आप सतत शुरू रख करके और भी किसी प्रकार का सुधार करना चाहें तो करें ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र में शिक्षा के बारे में हमारी स्कूल में कोई कमी नहीं रही लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितना टीएडी का बजट आपके पास आता है, पंचायत मुख्यालय पर सीनियर स्कूलें खोली हैं, पर वहां कक्षा कक्ष नहीं हैं, उन कक्षा कक्षों की स्वीकृति निकाल करके वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था करेंगे ताकि हमको सुविधा मिले। और मैं ज्यादा आपसे क्या कहूं। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो मिडल स्कूलें हैं, प्राइमरी हैं लेकिन पानी टपक रहा है, बच्चे अन्दर नहीं बैठ सकते हैं, हमारे इस टीएसपी एरिये में जितने भी विधायक महोदय हैं इनसे मांग करके जहां-जहां आवश्यकता है वहां पर आप स्वीकृति जारी करेंगे तो हम लोगों को यह लाभ मिल सकेगा।

इस अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपका भाव हमारे जनजाति क्षेत्र पर बना रहे। हमारे सभी मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जितने भी काम आधे-अधूरे हैं, जो काम नहीं हुए उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित रहे और हमारे क्षेत्र में इनको हर प्रकार से सुविधा मिले ताकि आप सभी की सद्भावना से, जितने लोग अनपढ़ हैं वे सभी हमारे बराबर की लाइन में आ सकें, तभी आ सकेंगे जब आपका भाव हरेक जनजाति लोगों के प्रति बना रहे। यह कहूंगा।

(श्री गोपीचंद मीणा)

ज्यादा कुछ नहीं कहकर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सबका ध्यान रखते हुए क्षेत्र के विकास में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करें, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार रख करके क्षेत्र का विकास करेंगे। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री मालविया जी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी जितना भी वेणेश्वर धाम के बारे में सहयोग कर सकते हैं, करें।

(18.00 बजे)

हमारे यहां पर जिस दिन बजट पेश हुआ था, उस दिन मुख्य मंत्री जी ने एक पुल की डीपीआर तैयार करने की घोषणा की है। मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं कि डीपीआर तैयार करने की क्या घोषणा की, आप तो पुल बनाने की घोषणा करते, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों के अंदर यह भाव होता। खाली डीपीआर की घोषणा की है, मैं चाहूंगा कि आप उस पुल को भी जल्दी से जल्दी बनाकर उस क्षेत्र को भी लाभ पहुंचाएं।

सभापति महोदय, जितने भी हमारे टीएसपी एरिया के सदस्य बोले हैं, उनकी बातों पर ध्यान देकर, क्षेत्र का मंत्री जी विकास कराएंगे, इसी सोच के साथ मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री पृथ्वीराज। (अनुपस्थित) श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 30 और 51 पर अनुसूचित जाति व जनजाति की मांग पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, काफी लंबा विचार-विमर्श हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद संविधान बना। उससे पहले राजतंत्र था और हम सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, इसमें यह शर्त रखी कि हमारे देश में विविध जातियां और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उसमें से जो जाति गांव में रहती थी, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और जनजाति वह थी जो जंगलों में रहती थी लेकिन मैं अभी जो देखता हूं और बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि जनजाति के साथ में इतना अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता था, छुआछूत का व्यवहार

(श्री गोविंद राम)

नहीं होता था। जो अनुसूचित जाति है, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार होता था।

सभापति महोदय, यह कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, उसकी जो मूल भावना थी, वह यह थी कि जिस तरह से हमारी बोडी में कोई अंग कमजोर होता है, उसको दवाई देकर ठीक किया जाता है ताकि अपाहिज नहीं कहलवाएं। उसी प्रकार ही हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। तीनों का भार हमारे ऊपर था। बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश का विकास करना है तो इस खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो। सबको समानता का दर्जा दे दो। हमारे देश को कोई विकास से रोक नहीं पाएगा। इसी भावना के अनुरूप कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को मान्यता दी। वह जब संविधान का एनक्लाज लिखते थे तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी, सब उसको स्वीकृति देते थे। संविधान बना, उस वक्त जिनका यह विवरण दे रहे हैं, इन लोगों का कोई लेना-देना भी नहीं था। अब यह बात भी आई कि गांधीजी और उनका विवाद था। इस तरह की कोई बात नहीं थी लेकिन बाबा साहब ने यह जरूर कहा था कि हम हमारे देश को आजाद करवा रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं तो इसके अंदर जो गरीब तबक़ा है, जिसको हम अछूत समझकर बाहर रख रहे हैं, वह पशुओं की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, अगर उन्हें बराबर लाना है तो हमें आरक्षण देने की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने यह कहा कि यह आरक्षण तब तक ही रहेगा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी।

सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस देश में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, तब तक यह आरक्षण जारी रहेगा। चाहे आरक्षण आज ही खतम कर दें, आरक्षण के नाम पर हमें बहुत गालियां पड़ती थीं। लेकिन अब तो ठीक हो गया, क्योंकि ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण और 10 परसेंट सवर्ण जातियों को आरक्षण मिल गया है। कुछ गालियां कमजोर हो गयीं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमारे धर्म में सबसे पहले, जो हमारे समाज के ऊपर यह छुआछूत का कलंक है, इसको खतम करना पड़ेगा। छुआछूत हम तो करते नहीं। इस कारण से हम चाहते हैं कि जिन्होंने यह गलती की है, यह सुधार उनको करना चाहिए।

(श्री गोविंद राम)

सभापति महोदय, मैं आज देख रहा हूं कि एससी और एसटी के मुद्दे पर ज्यादातर एससी और एसटी के एमएलएज बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सवर्ण जाति के नेताओं को बोलना चाहिए। यह बात गांव में जाकर बोलनी चाहिए आज पूरे विश्व में एक बात की चर्चा है कि यह देश ऐसा है जो जातियों में बंटा हुआ है।

सभापति महोदय, यहां आजादी से पहले मुगल आए। उनसे पहले तुगलक आए। उससे पहले गुलाम वंश आया। उससे पहले गोरी आया। मुझे याद आता है अटल बिहारी जी का एक वीडियो मैंने देखा। वह अफगानिस्तान में गजनी गये। उन्होंने कहा कि मैं गजनी देखना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि गजनी देखकर क्या करोगे? गजनी देखा, एक छोटा सा गांव, तो अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं गजनी इसलिए देखना चाहता था कि गजनी बदमाश, साथ में 10-20 असामाजिक तत्व लेकर 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट गया। उसके पास ज्यादा संख्या नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गजनी देखना चाहता हूं। सभापति महोदय, वह क्यों लूट करके ले गया, क्योंकि हमारा समाज जाति और वर्ण व्यवस्था में फंसा व बंटा हुआ था। हमारे में एकता नहीं थी। जो हमारे जैसे समाज के शूद्र लोग थे, उनको हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी। अब बंदूक कौन उठाएगा? क्षत्रिय उठाएगा। पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। उस फूट का फायदा उठाकर एक छोटा-सा आदमी हमारे सोमनाथ के मंदिर को 16 बार लूटकर, हमारी मूर्तियां तोड़कर, सोने-चांदी को खच्चर पर भरकर अफगानिस्तान ले गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अटल बिहारी जी वाजपेयी का वीडियो है। हमें समझना चाहिए, महान पुरुष चाहे बीजेपी में रहा हो, चाहे कांग्रेस में रहा हो, हम सबका सम्मान करते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सामाजिक अस्पृश्यता का हम अपमान सहन करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम यह कहें कि हम हिन्दू हैं तो वह संतुष्ट नहीं होगा, जब तक कि हम जाति नहीं बताएंगे। आप बोलते तो ठीक हो। फिर कहेंगे जाति क्या है? फिर यह बात कहेंगे कि आपका इस जाति में जन्म कैसे हो गया? यह हमें बहुत पीड़ा है। इस देश में नेता बहुत हैं। इस देश में नीति बहुत हैं। कमी है तो नीयत की है। अगर शासन करने वालों की नीयत ठीक हो जाए तो जाति की असमानता, ऊंच नीच की बात कोई लंबी नहीं चल सकती। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि

(श्री गोविंद राम)

संविधान बड़ा है, लिखित में है, अच्छा है। पूरे विश्व में आज भी प्रशंसा होती है लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग अगर इस संविधान को ठीक तरह से नहीं चलाएंगे तो यह संविधान गलत कहलाएगा, गंदा कहलाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि हमें आरक्षण दे रखा है, लेकिन यदि शासन चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो हम कभी रोड मांगेंगे, कभी हम स्कूल मांगेंगे। फैक्ट्रियों की दौड़ में तो हम हैं ही नहीं। अभी तो हम सरकारी नौकरियों में ही उलझे हुए पड़े हैं। उसमें भी मलाई वाले पद हमारे वालों को कम मिलते हैं। हमारे को पद कौनसे मिलेंगे, वह मिलेंगे जो रूखे-सूखे हैं। मैं ज्यादा उस गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर पिछली सरकार में देखेंगे तो कोई ढंग का कैबिनेट मंत्री भी एससी का नहीं मिलेगा। हम तो आपके ऊपर आधारित रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई हमारा तेज-तर्रार आदमी बोल गया तो टिकट की गड़बड़ हो जाएगी। उसकी टिकट कट जाएगी। पिछली बार कुछ लोग बीजेपी में बोले। डांगावास कांड हुआ, एक एमएलए चली गयीं, थोड़े दिनों बाद मैंने पढ़ा कि कोटा में पुलिस के द्वारा उसकी बेइज्जती की जा रही है। उसके ऊपर उलटा मुकदमा हो रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज हमें यह विचारविमर्श करना पड़ेगा, सामने जो हैं वे भी बुद्धिजीवी हैं, शासन चला चुके हैं। सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं।

सभापति महोदय, हमारी एक पीड़ा है। हम आर्थिक कमजोर रहने को तैयार हैं। हम झोंपड़ी में रहने को तैयार हैं। हमने मोमबत्ती की रोशनी का उजाला करके रात को एमए तक मैंने पढ़ाई की है। समाज कल्याण होस्टल में रहे, हमें कोई दर्द नहीं है। हमें रूखी-सूखी रोटी मिली। आज भी हमारा जो बच्चा समाज कल्याण होस्टल में रह रहा है, उसको किसी तरह की बड़ी सुविधा नहीं है। हम जब होस्टल में जाते हैं तो गद्दे पुराने, चद्दर मैली पड़ी है, आटे में इल्लियां पड़ी हैं, सब्जी आती है उसमें भी आधा सुपरिंटेंडेंट माल बना जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वे परिस्थितियां हम झेलने को तैयार हैं।

सभापति महोदय, एक समय था कि पानी 2-2 किलोमीटर से लाकर पीते थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम 200 आदमी यह सोच लें कि

(श्री गोविंद राम)

हमारे देश में समानता हो, जाति के नाम पर किसी को अपमानित न किया जाए, जाति के नाम पर कहीं ऊपर से पानी न पिलाया जाता हो। जब मैं नोखा में गया तो मेरे से जो पहले एमएलए थे, उनको खाने के बर्तन साथ में रखने पड़ते थे। उनको पानी का लोटा साथ में रखना पड़ता था। मैं तो कहता हूं एक दिन अछूत बनकर हमारी तरह आप जीकर देखो ताकि आपको भी एहसास हो कि अछूत का जीवन क्या है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं न आपसे धन की मांग कर रहा हूं, इस संविधान के अंदर जो सुविधाएं हैं, वह दें। मैं तो आपसे एक ही मांग कर रहा हूं कि हमें आत्मसम्मान चाहिए। आप जाति के नाम पर हमें नीचा मत समझिए। यह इस देश पर छुआछूत के नाम का कलंक लगा हुआ है। इस कलंक को जल्दी से जल्दी जितना मिटाओगे, उतना ही आप विश्व में बराबर का दर्जा प्राप्त करेंगे।

आज आप विश्व शक्ति कहलाते हो। आप विश्व गुरू कहलाने की बात करते हो। हम बड़ी-बड़ी बात करते हैं। डा. अम्बेडकर ने कहा था, और उनसे पहले उनके गुरू ने कहा था कि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है। आज आईएएस बने बैठे हैं। सभापति महोदय, आज आप बैठे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते, हम किताबें नहीं पढ़ते तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमें अंधविश्वास की तरफ मत ले जाइए। आज पूरे देश का पिछले 5 साल से माहौल खराब है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। जगह-जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। आखिर यह कौन करवा रहा है? क्या यहां कोई विदेशी ताकत है, क्या यहां पाकिस्तान का कोई इन्वोल्वमेंट है, या कोई चाइना का इन्वोल्वमेंट है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखते हैं वीडियो, एक गरीब, दलित बच्चे को पीटकर बुरी तरह से बांधकर, पीटकर हत्या कर दी जाती है। एक अल्पसंख्यक को, किसी को भी जाति या धर्म के नाम पर अपमानित मत करो। आज यूपी के अंदर रामराज्य है? वहां आज गांव के गांव में दलितों व अल्पसंख्यकों को पीटा गया, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो भी अपराध करेगा वह दबंग जाति का होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, कोई दबंग जाति का नेता ही यहां पावरफुल होगा तो फिर आखिर उन अपराधियों को कौन पकड़ेगा? इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमें कुछ मत दो मगर हमें बराबर का सम्मान दे दीजिए ताकि हमारे देश की तरक्की हो और विश्व में जो हमारी असामाजिकता का कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को हम मिटा सकें ताकि आपको बार-बार धर्मांतरण के नाम पर प्रदर्शन नहीं करना पड़े। एक आदमी की क्या औकात कि ईसाई धर्म के नाम पर वह धर्मांतरण करवा रहा है, देश हमारा है, हम देश के हैं, चूंकि आपको मीडिया में खबर बनानी है, उसकी बजाय एक प्रभावशाली आदमी अगर उस गरीब आदमी को इज्जत देगा, वह आदमी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर बैठूंगा। मेरे यहां एक छगनाराम मेघवाल अलादीन बन गया। मुसलसमान धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं गया, थोड़े दिन पहले की ही बात है, कोई दस-बीसेक साल पहले की। मैंने कहा कि आप अलादीन कैसे बने? उसने कहा कि गोविन्दराम, मेरे कोई बीस हजार रुपया कर्जा था, मैं किसी के पास जाता हूं, बनिया उधार नहीं देता, किसी के पास जाता हूं तो वह उधार पैसा नहीं देता, किसी के पास जाता हूं कहता हूं पानी पिला तो जाति पहले पूछते हैं। आज मैं अलादीन बन गया हूं, मस्जिद में बैठा हूं, चारों तरफ से आराम से मेरे को नोनवेज बकरे भी बढ़िया-बढ़िया काटकर खिलाते हैं, अच्छी मेरी सेवा करते हैं, 'मौलवीजी' कहकर मुझे बुलाते हैं, तो मेरे ऊपर का कलंक मिट गया छुआछूत का।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब आदमी, गरीब जातियां, हम गरीबी से पीड़ित नहीं हैं लेकिन आप जो अपमान करते हैं, छुआछूत करते हो गांव में, हम उससे पीड़ित हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो माननीय सदस्य बैठे हैं, आपकी भावना गलत है लेकिन अभी तक आपका प्रचार का ऊंच नीच जिसमें मुद्दा होना चाहिए गांव में कि, ऐ मेरे सवर्ण जाति के भाइयों, यह दलित हमारा भाई है, इसने कभी देश के प्रति विद्रोह नहीं किया, कभी भूखा रहा तो भी विद्रोह नहीं किया, हमारे घरों में ये काम करने वाले लोग, हमारे घरों की सफाई करने वाले लोग, हम उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं!

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं

(श्री गोविंद राम)

निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें देश को विकास की ओर ले जाना है तो बाबा साहब ने यह कहा है- 'वे धन्य हैं जो अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है, उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। धन्य हैं वे जो गुलामी का खात्मा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। धन्य हैं वे सुख और दु:ख, मान और सम्मान, कष्ट और कठिनाइयों, आंधी और तूफान की परवाह किये बिना तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक अस्पृश्यों को, अछूतों को उनके मानवीय जन्मसिद्ध अधिकार न मिल जाएं।' माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सब साथियों की सलाह है कि मैं धीमा बोलूं। कोशिश करूंगा लेकिन आपको मुझे दो मिनट अतिरिक्त देने पड़ेंगे।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है कि आप समय से विराज जाएंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।

माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति, जनजाति की डिमांड पर चर्चा है। हमारी मांग है कि अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची को ईमानदारी से लागू करो, जनसंख्या के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकार आदिवासियों के विकास हेतु बजट का आबंटन करे। बजट दूसरी जगह पर खर्च न किया जाए, बजट लैप्स न किया जाए, ऐसा कानून बने। खनिज के लाभ का 26 प्रतिशत स्थानीय विकास पर खर्च करें। वन अधिकार कानून के तहत किये गये सभी दावे स्वीकार किये जाएं। जो बेदखली हिन्दुस्तान भर में और राजस्थान भर में इस तरीके के षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ रचे जा रहे हैं, वह षड्यंत्र यही है कि इनको खनिज सम्पदा से बेदखल किया जाए इसलिए वन अधिकार कानून यूपीए के शासन में केन्द्र में लागू हुआ था, उसके तहत सारे दावे स्वीकार किये जाकर वन सम्पदा पर आदिवासियों का कब्जा कायम हो।

महंगाई के अनुपात में छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय बढ़ाए जाएं, सभी ब्लाक्स पर सरकारी कालेज खोले जाएं।

(श्री बलवान पूनियां)

राज्य प्रशासनिक सेवाओं में मेडिकल तर्ज पर जनजाति आरक्षण में पांच प्रतिशत पृथक् से आरक्षण हो। एससी, एसटी के 2 अप्रैल, 2018 में जो मुकदमे हुए थे, वह मुकदमे वापस लिए जाएं। एससी, एसटी की जमीन किसी भी सूरत में दूसरे लोगों के नाम नामांतरण न हो। हम इस बात से कतई सहमत नहीं हैं कि एससी, एसटी की जमीन का जनरल या किसी दूसरे के नाम नामांतरण हो।

माननीय सभापति महोदय, 'धानक' जाति जो ट्राइबल की श्रेणी में 'धानका' जाति के नाम से है, उनको एसटी का प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसमें कोर्ट ने भी आदेश किये हैं, लेकिन कुछ के जारी हुए और उसके बाद में बंद कर दिए गये। समाज कल्याण में महिला छात्रावासों की संख्या बढ़े। प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण लागू हो। ये सारी बातें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लोगों की हैं और हमारी भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग यह भी है कि 2014 में गत सरकार ने कहा था कि टीएसपी क्षेत्र में जो लोग नोन टीएसपी क्षेत्र से नौकरी कर रहे हैं, उन सारे कार्मिकों को वापस नोन टीएसपी क्षेत्र में भेजेंगे और टीएसपी क्षेत्र के लोग खुद जहां के हैं, उन लोगों को वहां रोजगार दिया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि नोन टीएसपी संघर्ष समिति के लोगों ने बार-बार ज्ञापन भी दिए हैं कि हमें वापस नोन टीएसपी क्षेत्र में भेजा जाए। दस-दस, बारह-बारह साल से वहां हैं। यहां के जितने भी, 850 के आस पास पद खाली होते हैं, वहां टीएसपी क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ये सारी मांगें हैं, ये मांगें आपके मार्फत सरकार तक हमने भेजीं, पर मैं जो बात कहना चाहता हूं वह बात यह है कि जब किसी नक्सली का सरैण्डर होता है, अख़बार में उसका फोटो आता है, टेलीविजन में उसका फोटो आता है तो नक्सली वज़न में बहुत कम होता है। और कोई फूलन देवी न हो इसके लिए बराबरी का हक कायम हिन्दुस्तान की व्यवस्था में हो।

माननीय सभापति महोदय, आर्थिक सुधार में भी बराबरी का हक कायम हो। जब बराबरी की बात आती है तो आज बार-बार विभिन्न मांग पत्रों के माध्यम से जो उठ रही है तो फिर बराबरी का जिक्र करना बहुत लाजिमी

(श्री बलवान पूनियां)

हो जाता है। बच्चों की स्थिति हमने देखी, 3 अक्टूबर, 2017 में जो एक सर्वे हुआ, जो आदिवासी क्षेत्र के लिए सर्वे हुआ, जो पूर्ण टीकाकरण था वह 10.3 प्रतिशत था और घर में प्रसव लेडीज का 86 प्रतिशत था, अप्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रसव 75 प्रतिशत था। महिलाओं का body mass index दिया दुर्बलता का, वह 18.5 प्रतिशत और एनीमिया, खून से कमी आई वह 314 बच्चों में, प्रजनन में संक्रमण 42 प्रतिशत महिलाओं में, मलेरिया, पोलियो, डायरिया, टीबी के अलावा मुफ्त दवा का प्रावधान इन क्षेत्रों में न करने की वजह से आज भी उन क्षेत्रों में 46 प्रतिशत लोग बचपन में, जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक बीमार रहते हैं। यह जो स्थिति बनी है असमानता की, आज भी वहां 40 प्रतिशत महिलाओं में शिक्षा है, 60 प्रतिशत आज भी अनपढ़ हैं। इनमें बराबरी की स्थिति कायम करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे समाज में व्यवस्था तेजी से पनप रही है। जिस तरीके से मेरे एक साथी ने चर्चा की, केन्द्र की सरकार ने लागू किया है कि आईपीएस और आईएएस सीधे के सीधे ले रहे हैं, वह प्राइवेट सैक्टर से लिए जाएंगे, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रतिबिम्ब नहीं है कि वह एक अफसर को नियुक्त कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतिबिम्ब है कि आरक्षण की जरूरत नहीं। आज केरल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले में यह कहा गया है, प्रतिबिम्ब बता रहा हूं आपको कि आर्थिक आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम समझते हैं आज भी आंकड़े यह बात कहते हैं 2017-18 के कि आज भी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि आरक्षण की बात को जातीय आधार पर छोड़ दें और आर्थिक आधार पर आगे चल पड़ें। हां, दस प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं लेकिन हमारा मानना यह है कि आज भी जातीय आरक्षण को आप खतम करने की बात को सोच नहीं सकते क्योंकि आज भी छुआछूत है, भेदभाव है, हमें इसको तेजी से मिटाना पड़ेगा। हम सिर्फ कानून में उलझ जाएं, बातों में उलझ जाएं। हमने देखा कि 2 अप्रैल को जो लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग जो सड़कों पर आए उसका कोई नेता नहीं था, उस पूरे के पूरे मूवमेंट का कोई न कोई अगुवा था ही नहीं, लोग स्वत:स्फूर्त आए। मैं बाबा साहब के नारे को कोट करना चाहूंगा आपके सामने, वह नारा यह बात कहता है कि 'शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो' वह संघर्ष, अभी भी बाबा साहब के संविधान की

(श्री बलवान पूनियां)

इज्जत करते हैं इसलिए संघर्ष के मैदान में मैं खुद साक्षी था उस आंदोलन का, उसमें हमारा भी बहुत सारी बीमा की मांग को लेकर धरना था, हजारों लोग इसमें शामिल थे लेकिन किसी के हाथ में डण्डा नहीं, जिस दिन डण्डा थाम लेंगे उस दिन? यह परिस्थिति पैदा न हो। मैं आगाह करना चाहता हूं राजस्थान के इस सदन को, जहां कानून बनते हैं, यह स्थिति पैदा हो उससे पहले, उससे पहले ही हमें बराबरी के हक को कायम करना पड़ेगा। आज अगर यह किसी के लिए मुगालता हो कि हम केन्द्र या राज्य के राज से किसी को पीछे छोड़ सकते हैं तो आपने बराबर अपना दुश्मन भी खड़ा किया, वह दुश्मन है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया के जरिये जाति घृणा पैदा करने की कोई बात करेंगे तो उसके बराबर खड़ा होने की बात भी वायरल होती है, इसलिये किसी मुगालते में नहीं रहें।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान की सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा। बजट में जब घोषणा हुई और घोषणा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात आयी तो उसमें सिर्फ छह लाइनें हैं। इन छह लाइनों से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब बात बराबरी की करते हैं तो छह लाइनों से हम संतुष्ट नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, लक्ष्मण जी मीणा ने जो बात कोट की थी, यह बात भी गलत नहीं है। इतना जो बजट आज तक दिया गया, अगर प्रति परिवार में बांट दिया जाता तो आज लोगों की पोजिशन कायम होती।

सभापति महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आरक्षण का फायदा लिया, वे भी अपने आपका अवलोकन करें। मैं एक बार अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में चला गया और मैंने यह बात कह दी कि आप बराबर वालों को खींचकर लाएं, उनकी जमीनों की तरफ न देखें। दस साल तक मुझे बुलाया ही नहीं, आज एमएलए बन गया तो बुलाया। यह विडम्बना है। सच अगर कोई कह देगा तो उसकी विडम्बना है।

श्री सभापति: धीरे, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): महोदय, मैं जब स्पीड पकड़ जाता हूं तो मेरी आदत ऐसी बन गयी...

श्री सभापति: ज्यादा जोश में नहीं। मुझे पता है आदत है आपकी। दो मिनट में आप विराज जाएं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिक तथ्यों की रिपोर्टें इन विभिन्न पत्रिकाओं में, विभिन्न चैनलों तथा सर्वेक्षणों के जरिये आयीं राजस्थान की सरकार में, मैं आपकी इजाजत से मेरी ये तीनों चीजें टेबल करूंगा, राजस्थान सरकार इन चीजों पर गौर फर्माए और लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना किसी भेदभाव के बराबरी का दर्जा दे। देश में जब गैर बराबरी की बातें होंगी तो लोग समानता के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान फिर मेरी उस बात की तरफ इंगित करना चाहूंगा जो पिछले सैशन में मैंने उठायी थी। जब कट-आफ मार्क्स की यह लिस्ट आये कि सामान्य की मैरिट 47 और आरक्षित वर्ग की मैरिट 96 प्रतिशत तो फिर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर गौर करना पड़ेगा। आपने मुझे वक्त दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मुझे जनजाति और जाति पर बोलने के लिए आपने आदेश दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। हमारे यहां पर शास्त्रों में कहीं पर भी जाति व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भगवान राम से लगाकर देखते हैं तो भगवान राम के जो सेनापति थे, वे निषादराज थे जो उनके साथ लड़े। आजादी के आंदोलन के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, उनके सेनापति राणा पूंजा थे, इसलिये हमारे यहां पर जाति व्यवस्था के नाम पर, क्योंकि हमारे यहां अशिक्षा हुई, हमारा जो आदिवासी समाज, आप देखें, मैं जिस क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान से आता हूं, लगभग 90-95 परसेंट आदिवासी समाज रहता है।

मैं वर्षों से वहां रह रहा हूं। आदिवासी गरीब है, मजदूरी करके पेट भरता है, परंतु मैंने अपने पूरे जीवन में एक भी आदिवासी को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा कि वह भीख का कटोरा लेकर चल रहा है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। स्वाभिमानी कौम है यह। 2011 की जनगणना में प्रदेश की जनसंख्या 13.18 प्रतिशत जनजाति की है। क्या 13 प्रतिशत जनसंख्या वाले वर्ग को उनकी आवश्यकता के अनुरूप हम साधन दे रहे हैं? यह बहुत गम्भीर विषय है।

सभापति महोदय, जिसे आपने विकास कहा, आजादी के तीस वर्ष बाद पहली बार तहसील केन्द्र पर लट्टू जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। अभी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

भूरिया आयोग का विषय आया। भूरिया आयोग कब बैठा, कब लागू हुआ, इस पर नहीं जाना चाहता हूं मैं, परंतु वे भैरोंसिंह जी शेखावत थे। अभी बहन मिल गयी मुझे गंगा, मैंने पूछा गंगा आजकल क्या कर रही हो? कोटड़ा की प्रधान थी वह 1995 में, उसने कहा, मैं बीएड कर रही हूं। यह भैरोंसिंह जी शेखावत की देन है कि गंगा प्रधान बनती है, चूना भील प्रधान बनता है। हमारे बाबुलाल जी बैठे हैं, कोटड़ा ऐसा क्षेत्र है, आपको आश्चर्य होगा मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, बीस मुस्लिम परिवार कोटड़ा में रहते थे, 29 में से 16 पंचायतों के सरपंच उस एक ही परिवार के बेटे, बेटी, भाई-बंध होते थे किसी जमाने में। यह जो बाध्यता है 1995 के बाद समाप्त हुई।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। आपस में बात नहीं करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, अनेक सदस्यों ने अपनी बातें बतायीं। भैरोंसिंह जी के शासन में ही सरकारी नौकरी में ग्रेड 1 से 8 तक में 45 प्रतिशत आरक्षण ट्राइबल को मिला। वसुन्धरा जी के शासन में नौ श्रेणी के पदों पर 45 प्रतिशत आरक्षण मिला। सभापति महोदय, भाजपा शासन में है। सलूम्बर, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कालेज खुले। कांग्रेस के शासन में एकमात्र कालेज कुशलगढ़ का खुला। आप आदिवासियों के हित की बात करते हैं? और तो और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कालेजों को पीजी कालेजों में चेंज किया। कांग्रेस शासन में एकमात्र कुशलगढ़ का कालेज खुला।

स्वतंत्रता आंदोलन में जलियांवाला बाग़ कांड की चर्चा होती है। यह कांड 13 अप्रैल, 1919 में हुआ। उससे पहले 1913 में मानगढ़ धाम में गोविन्द गुरू के नेतृत्व में हुंकार भरने वाले डेढ़ हजार वनवासी भाइयों का नरसंहार अंग्रेजों ने किया। गोविन्द गुरू ने 'नहीं मानूं रे भूरेटिया नहीं मानूं, मालविय जी विराजमान हैं यहां, उन्होंने कहा, गोरी चमड़ी वाले तेरी बात को मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने अस्वीकार किया और अस्वीकार करने से 1500 आदिवासी भाइयों का कत्लेआम अंग्रेजों ने किया। उसे उन्होंने स्वीकार किया।

बड़े दु:ख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है, हम मानगढ़ धाम और गोविन्द गुरू का इतिहास आने वाली पीढ़ी को नहीं बता सके। वेणेश्वर धाम जी महाराज जिन्होंने चार सौ वर्ष पहले भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आज भी सत्य है उनकी। आज भी मावजी महाराज का चौपड़ा खुलता है। उन्होंने भविष्यवाणी की, 'ऊंधा दीया बळेगा', दीपक उल्टा जलेगा। इस लट्टू के बारे में चार सौ साल पहले कहा उन्होंने। पानी बेचा जाएगा, यह चार सौ साल पहले कहा उन्होंने। हवा में बात होगी, यह चार सौ साल पहले कहा उन्होंने। बिना सड़क के गाड़ी चलेगी, यह चार सौ साल पहले उन्होंने कहा। यह मावजी महाराज का चौपड़ा है।

जनजाति में साक्षरता की बात हो रही है। 19 जून, 1947 की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। नाना भाई और सेंगा भाई विद्यालय चलाते थे 1947 में। शासन का दबाव था विद्यालय बंद करो। अंतिम चेतावनी देने के बाद पुलिस आयी। उनकी बेंत से पिटाई की, पर वे अड़े रहे कि विद्यालय नहीं बंद करेंगे। मार खाते-खाते नाना भाई शहीद हो गये। सेंगा भाई को पुलिस ने ट्रक के पीछे बांधा और बांधकर उन्हें खींचा। एक बारह वर्षीय कालीबाई, माननीय मंत्री महोदय, आप पूरी घटना को जानते हैं, इतिहास साक्षी है। कालीबाई आयी, उसके हाथ में दांतली थी, दांतली से ट्रक की रस्सी काटी और सेंगा भाई को बचा लिया, परंतु अंग्रेजों की गोली ने कालीबाई को मार गिराया, ऐसा हमारे वागड़ का जनजाति इतिहास रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, गोविन्द गुरू, नाना भाई, सेंगा भाई, कालीबाई जैसे बलिदानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की गाथाएं आप पाठ्य पुस्तकों में शामिल करें। जनजातियों के आस्था के केन्द्र वेणेश्वर धाम, घोटिया आम्बा, ऋषभदेव, त्रिपुरा सुंदरी, अंदेश्वर तीर्थ का विकास, किन सरकारों के कार्यकाल में हुआ? घोटिया आम्बा तो ऐसा स्थान है जहां पांडवों ने कुछ समय बिताया था। ऐसा स्थान बांसवाड़ा में मिलेगा। आपको आश्चर्य होगा, हमारा कडाना डैम गुजरात में है। माननीय सभापति महोदय, हमारा आदिवासी भाई पानी को दूर से देखता है, आनन्दपुरी का भाई पानी को दूर से देखता है, उसके पास पानी नहीं है, क्योंकि बैक वाटर है कडाना का। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बैक वाटर में कुआं खोदने की परमिशन नहीं है। बाकी पानी लेने की परमिशन है, वह परमिशन भी सरकार को दिलायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, माही बांध बना उस समय 1966 से 1980 तक माही बांध का काम चला, 112 गांव बांध की डूब में आये, करीब 200 से ज्यादा परिवारों का आज भी पुनर्वास नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना के

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आधार पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र का विस्तार 2015 में वसुन्धरा जी के कार्यकाल में माननीय नन्दलाल जी मीणा ने छोटी सादड़ी, गोगुन्दा, मावली, वल्लभनगर, पिण्डवाड़ा, नाथद्वारा के कुछ भाग इसमें शामिल किये। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों को बसाया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए।

एक विशेष बात मैंने कल भी निवेदन की थी जब मुझे अवसर मिला। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी भाई 100 साल से वन विभाग की जमीन पर बसे हुए हैं और उनके लिए कहा कि इनका निर्धारण करो तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बिला नाम जमीन पर, सरकारी जमीन पर जो 100 साल से आदिवासी भाई बसे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की व्यवस्था सरकार करे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): एक और निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। हमारे पूर्व मंत्री महोदय विराजमान हैं खेरवाड़ा के, आपको आश्चर्य होगा कि खेरवाड़ा तहसील गुजरात से लगी हुई है और गुजरात में शिक्षा का प्रभाव होने के कारण एक भी आदिवासी परिवार, 20 साल की महिला, 25 साल की महिला होगी तो वह शिक्षित होगी क्योंकि वहां शिक्षा का प्रसार पहले हो गया। एक आदेश से 8वीं की मिडिल स्कूल हमने खोले, एक आदेश से सैकण्डरी स्कूल हमने खोले, एक आदेश से 12वीं तक के स्कूल हमने खोले तो फिर विकास कहां गया? विकास कहां घुस गया? आप विकास-विकास की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधान मंत्री जी के लिए कि आपको आश्चर्य होगा जिस देश के प्रधान मंत्री, वे जब पहली बार मुख्य मंत्री बने तो घर में पूजा-पाठ किया और आदिवासी दलित बच्ची का पूजन करके घर में गृह प्रवेश किया। आज भी हमको गर्व है इस बात का कि हमारे ऋषभदेव का आदिवासी बालक प्रधान मंत्री की रोटी बनाता है। ऐसे प्रधान मंत्री पर भी हमको गर्व है।

एक और अंतिम निवेदन कर अपनी बात खतम करता हूं। हमारे यहां पर एक माननीय सदस्य ने दारू निकालने के लिए बताया था कि देशी दारू बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आज उदयपुर की जेलों में 60 परसेंट आदिवासी केवल इसलिए बन्द हैं कि हाई कोर्ट में उनकी कोई एप्लीकेशन देने वाला नहीं है। पुलिस ने छोटे-छोटे केस बनाकर, दो लीटर दारू का, एक लीटर

(श्री धर्मनारायण जोशी)

दारू का केस बनाकर उनको गुण्डा एक्ट में बन्द कर रखा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाई कोर्ट बैंच की स्थापना उदयपुर में की जाए, आदिवासियों के लिए नि:शुल्क न्याय व्यवस्था की जाए ताकि वे आदिवासी जेलों से छूटें। माननीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है उनका आप अध्ययन करवाएं कि कितने लोग जेलों में किस कारण से बन्द हैं इससे उनका समाधान होगा। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 व 51 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आज इस मांग में जनजाति क्षेत्रीय विकास और अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के तहत चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं इस सरकार का, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपया उन बालिकाओं को देने की घोषणा की है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक हैं। इसमें मैं सरकार की सोच को भी साथ ही बताना चाहूंगा कि 8वीं की बच्चियों के लिए यह योजना लागू होगी। जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पता चला तो यह बात हुई कि 21 हजार रुपये उस गरीब परिवार के लिए अच्छी रकम होती है और अगर बच्ची को 8वीं तक पढ़ाया जाए ताकि वे 21 हजार रुपये मिल सके तो इससे डबल फायदा मिलेगा। एक तो साधारण परिवार, एक गरीब बीपीएल परिवार जो बच्ची को पढ़ा नहीं सकता, वह इसी लालच में पढ़ाने की कोशिश करेगा तो बच्ची की एजुकेशन होगी और एजुकेशन के साथ में जो 21 हजार रुपये कन्यादान के रूप में सरकार की तरफ से मिलेंगे तो उसको बड़ा फायदा मिलेगा इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनजाति विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कोचिंग सेंटर की जो सरकार ने बात की है, उसके लिए भी साधुवाद है।

सदन में चर्चा हो रही है और 2 अप्रैल, 2018 के मामले का जिक्र चल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 अप्रैल, 2018 को जो एक तूफान आया इसमें कोई लीडर नहीं था, इसमें कोई संगठन भी नहीं था, यह आटोमैटिक एक मैसेज वायरल हुआ, लोगों की भावनाएं थीं और वे भावनाएं इस कदर हो गयीं कि गली-गली और मौहल्ले-मौहल्ले के लोग

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

सड़कों पर आ गये। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा था संविधान में बदलाव की बात करने का। आज इस पूरे हिन्दुस्तान में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मैं सदन के माध्यम से उन सभी लोगों को दोषी नहीं ठहराना चाहता जो कि सवर्ण जाति से रिलेटेड हैं, केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति लोग करते हैं और कचरा डालकर, कचरे को साफ करने की बात करते हैं वही लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, वे लोग इस देश के लिए कितने घातक हैं।

आज बात आरक्षण की आई। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं एससी, एसटी को आरक्षण है, जाति के नाम पर आरक्षण है और यह आरक्षण इसलिए है कि इसमें काफी कुछ कमियां थीं। देश की आजादी के बाद जब यह तय हुआ कि ये जातियां बहुत पिछड़ी हैं और इनको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया। महोदय, मैं आज एक बात सदन में आपको कहना चाहता हूं...(व्यवधान) बीच में मत टोकियेगा आप, आपका नम्बर आए तब आप बोलिएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर आइये आप। अपने स्थान पर आइये, वहां बैठकर मत बोलिये आप।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): यह कहने की जरूरत नहीं है, सदन जानता है। महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आरक्षण की बात चल रही है। आरक्षण की बात में जो बराबरी का मामला है उसको बराबरी में लाये जाने के लिए यह आरक्षण पैदा हुआ। सन् 1947 की आजादी के बाद में ये बातें आईं और आज चलते-चलते जब उठाव हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने की बातें हुईं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वही लोग, जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं तो फिर यह आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात क्यों आ रही है। जब आरक्षण की जरूरत ही नहीं, आरक्षण को खतम करने की जब बात पैदा होती है तो फिर यह आर्थिक आधार पर आरक्षण कहां से आया? क्योंकि यह भी वही सोच है, आर्थिक आधार पर आरक्षण से ये लोग भी यही चाहते हैं कि बाकी के जो लोग हैं, जो पीछे रह गये हैं वे समाज की बराबरी पर आ जाएं। महोदय, जो आरक्षण का मुद्दा है यह बराबरी के लिए है, जो आरक्षण 10 परसेंट आर्थिक आधार पर हुआ यह भी बराबरी के लिए मांग है।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गाड़ी के दो बैल होते हैं। अगर एक बैल ज्यादा तेज चलता हो और एक बैल अगर नहीं चले तो वह गाड़ी चल नहीं सकती। आज हमको हिन्दुस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में, विश्व मार्केट में देखना होगा कि अगर हम इन जातियों को छोड़ते चले गये और उनको बराबरी से साथ लेकर नहीं आये तो हिन्दुस्तान की जो पोजिशन है वह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पिछड़ जाएगी। इसलिए महोदय, आवश्यक है कि जहां-जहां भी ये दिक्कतें हैं और जहां-जहां भी समाज पिछड़े हुए हैं, चाहे वे एससी, एसटी हैं और हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अच्छी बात है, होना चाहिए लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीपीएल की लिस्ट बन रही है और सरकारी नौकरी वाले, ट्रैक्टर वाले, ज्यादा जमीन वाले तो बीपीएल में हैं और वे गरीब लोग आज भी उसी लाइन में खड़े हैं जिनका कोई धणी-धोरी नहीं है। अगर नीयत और नीति में परफैक्ट तरीके से वर्किंग हुआ तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा और आज इसी की जरूरत है। महोदय, मैंने पहले ही आपको फर्माया था कि वह 10 परसेंट कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उनसे इस देश को बचाने के लिए ये सभी कार्य करने होंगे।

महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि एससी, एसटी पर जो गैंगरेप और बलात्कार के केस होते हैं, इन केसेज को भी सीधे पोक्सो एक्ट में लेकर बहुत लिमिटेड पीरियड में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरह के शैतान और बदमाश लोग हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, शैतान लोग होते हैं, जो बलात्कारी लोग होते हैं वे किसी समाज के नहीं होते, उनकी एक अलग जाति है। उनको निश्चित रूप से बहुत जल्दी से जल्दी दण्ड दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस मौके पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। अभी देवली-उनियारा से आए हुए हमारे सम्माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था, मैं भी जिक्र करता हूं। आज 70 साल बाद भी किसी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को, ट्राइब के व्यक्ति को बिंदोरी घोड़े पर बैठकर नहीं की जाने दी जाती। दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। ये कौनसा समाज है, 70 साल बाद क्या हो रहा है? हम कहां जाएंगे? हम बात कर रहे हैं देश को ऊपर उठाने की। हम बात करते हैं हिन्दुस्तान को इंटरनेशनल फीगर बनाने की, यह एक कहावत है अगर कोई सुनेगा या देखेगा या पढ़ते होंगे तो क्या कहते होंगे, हिन्दुस्तान की

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

क्या स्थिति है। यह क्या स्थिति है महाराज? सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नामजद ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग जो समाज में इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं, लोगों को नामजद करके, इन पर वहीं एससी, एसटी एक्ट लगाया जाना चाहिए और नोन बेलेबल आफेन्स में लाना चाहिए ताकि यह बीमारी खतम हो सके और धीरे-धीरे देश तरक्की पर आए और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को उनका सम्मान मिल सके।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, मैं इसी मामले में जो जमीन जायदाद के, इन पर भी बहुत अतिक्रमण हो रहे हैं, कब्जे बहुत हो रहे हैं, निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि बड़ी संवेदनशील सरकार है हमारी। अब एक मिसाल पेश करें कि मिशन बनाकर, एक मंत्री को डेप्यूट करें जितने भी केसेज ऐसे हैं, जहां एससी, एसटी की जमीनों पर कब्जे हैं दूसरे लोगों के, उनको तुरंत छुड़वाया जाए और उनको कब्जा दिलाया जाए। जो भी ऐसे लोग हैं, जो इसके बावजूद भी नहीं करते, उनको सीधा जेल में डाला जाए और वही एक्ट लगाया जाए नोन बेलेबल आफेन्स, तब जाकर समाज का भला होगा।

सभापति महोदय, हम बातें बहुत करते हैं, व्यावहारिकता में कितनी सामने आनी चाहिए और उस पर कितना असर होना चाहिए, यह बात मैं सदन में आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा मेरा निवेदन है मेरे विधान सभा क्षेत्र से रिलेटेड है, बसेड़ी में एक एससी का होस्टल खोला जाए और सरमथुरा में एसटी का होस्टल खोला जाए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और मांग संख्या 51 को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूंगा कि सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों ने एससी और एसटी को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। इस सदन के अंदर 66 माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो एससी. एसटी. की मेहरबानी से आए हैं और बाकी लोगों को भी एससी, एसटी का सहयोग रहा है।

(श्री कान्ति प्रसाद)

माननीय सभापति महोदय, आज जिन चीजों को लेकर चिंता हो रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे बजट का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, मैं आज इस सदन के माध्यम से ये एससी, एसटी के जो माननीय सदस्य हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। आज मौजूदा सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत हैं, इस सरकार के अंदर 7 मंत्री एससी, एसटी के बैठे हुए हैं। इन माननीय मंत्री महोदयों से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो आप एकजुट हों, एकजुट होकर एक जगह बैठें ताकि संवैधानिक व्यवस्था, जो एससी, एसटी को मिली हुई है, उसको लेकर आप चर्चा करें, माननीय विधायकों को साथ में लें, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं बैठोगे, अपने संविधान की रक्षा नहीं करोगे, तब तक यही हालात रहेंगे। आप लोग यहां जो चर्चा कर रहे हैं, ये जनता को बताने के लिए, किताब में छपवाने के लिए, इस सदन के अंदर जो बोलते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति एकजुट नहीं होंगे, तब तक जनता को फायदा मिलने वाला नहीं है। यह तो रोज की चर्चा है, अब से पहले और सरकार आ गयी, अब आप आ गये, आगे जाकर और कोई सरकार आएगी। उसमें जिसको मंत्री बनना है, उसको मंत्री बना देंगे। इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि टिकटों की चिंता नहीं करें, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज के नाम से आप इस सदन में आए हैं, उस समाज के लिए आप यहां आकर अपनी सरकार से वार्ता करें और संविधान के दायरे में जो हमको सुरक्षा मिली हुई है जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की रक्षा करें।

मैं तो इतना ही इस सदन के माध्यम से सभापति महोदय, आपसे कहना चाहूंगा हमारे माननीय सदस्य 66 हैं और साथ में और भी लोग हैं, सुबह से एक ही चिंता कर रहे हैं, हमारे आरक्षण में यह हो रहा है, हमारी इसमें ये हो रहा है। भाई, इससे काम चलने वाला नहीं है, पहले राज्य सरकार में हमारे मुख्य मंत्रीजी से मिलो, सातों मंत्री मिलो, आप लोग हमारे सदस्यों को लेकर मिलो और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों की बात करो। जब अधिकार हमको मिल जाएंगे तो न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। जब तक हम हमारे पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक हमारी कोई मदद करने वाला ही नहीं, यही मैं कहना चाहूंगा। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय योजना विकास, मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनजाति के संबंध में बजट भाषण में केवल तीन पैरा और तीन पैरा में भी भीखा भाई और हमारे हरिदेव जोशी कैनाल के लिए, उसके विषय में आपने 25 करोड़ रुपया दिया। हमारे आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा के वेणेश्वर धाम पर आप हाई लेवल पुल का निर्माण करेंगे और उसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। अब ये तो कल्पना है, समय कितना है, कितना कर पाएंगे, करेंगे तब पता लगेगा।

सभापति महोदयजी, आज हम यहां जिस समाज की चिंता कर रहे हैं, देश आजाद हुए 72 साल से भी ऊपर का समय हो गया और राजस्थान में 1975 में यह विभाग अस्तित्व में आया था। अब तक जितना भी बजट आया, इस विभाग के लिए अगर उसका उपयोग सही ढंग से होता तो आज जो ये जनजाति समाज है, जो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है, उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से नहीं, आदिवासियों का इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है। ये अभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी है। इन पर अंगुली नहीं उठा सकते। ये विश्वासपात्र हैं, कभी विश्वासघात नहीं करता। मुझे गर्व है, मुझे आनन्द का अनुभव होता है, मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ।

सभापति महोदयजी, इस समाज का इतिहास रहा है। आज से नहीं सदियों पुराना, आप कोटा की चर्चा करेंगे कोटिया भील के नाम से आज कोटा शहर बना। हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, डूंगरिया भील की वजह से डूंगरपुर बना। ऐसे एक शासक नहीं थे, कई शासक थे। देश की आजादी के लिए इस समाज ने जो योगदान दिया, उसको इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं गया है क्योंकि अनपढ़ थे, वे यह भरोसा भी नहीं करते कि मेरा नाम कहीं आएगा या नहीं आएगा। मैं कुछ कर रहा हूं उसकी कुछ आलोचना, समालोचना करेगा नहीं करेगा, उसकी चिंता नहीं की।

जो समझदार लोग थे, उनका उपयोग किया और उसके बाद में अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा। मैं चाहूंगा कालीबाई नानाबाई का जो जिक्र किया, आप उस इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में लाएं और आने वाली पीढ़ी को

(श्री बाबुलाल)

यह बताएं कि आपके समाज के लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। आज इतिहास नहीं है। आज हम मानगढ़ की चर्चा करते हैं 1500 लोग, जलियांवाला बाग़ में 500 लोग मरे थे, दुनिया में इतिहास पढ़ाया जाता है। मानगढ़ को हम नहीं पढ़ाते, मानगढ़ में कभी चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भैरोंसिंह जी शेखावत ने की, उसको विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, उसको समाज के सामने लाने का काम किसी ने किया तो उनका नाम भैरोंसिंह जी शेखावत है।

हमारे खेरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, अपने स्वरूपगंज में, बालोलिया में अंग्रेजों ने गांव के गांव जला दिये। मैं जहां से आता हूं उस विधान सभा क्षेत्र का भी कूकावास ग्राम था। केवल इस देश की आजादी के लिए गांव जला दिये। मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में मीटिंग कर रहे थे। अंग्रेज आये, गोलियां चलाईं और गांव के गांव जला दिये। अब इस इतिहास को कोई जानता ही नहीं है और नहीं जानता तो वह अपना स्वाभिमान कैसे बताये किसी से कि मैं यह हूं।

सभापति महोदय जी, मंत्री महोदय जी मेरे मित्र भी हैं। मैं चाहूंगा, पहले वालों ने क्या किया, क्या नहीं किया, समाज की अगर चिन्ता करनी है तो बिना भेदभाव, बिना दुर्भाव से उस समाज की चिन्ता हम बराबर रूप में करें। मुझे विश्वास है आप करेंगे। अभी हमारे पास में जो आपकी आर्थिक समीक्षा की पुस्तक है, 2013 से लगाकर 2018 तक का जो व्यय हुआ इस मद का वह भी आपने बताया। 96 परसेंट व्यय हुआ आबंटित बजट का। अभी ये 6-7 महीनों का जो हम अंतरिम बजट लाये थे उसका जो आया है, सारे आंकड़े मैं पढ़ूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। कुछ मैं बताना चाहता हूं। आपने व्यक्तिगत पंप सैट में लक्ष्य तो रखा सौ का, अब यहां पर उपलब्धि जीरो है। पंप सैट हम देना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसान आर्थिक रूप से ऊपर कैसे आएगा। अगर हम पंप सैट देते तो वह नाले से पानी लेकर अपने खेतों में इस जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता। खुद खाता, अपने बाल-बच्चों को खिलाता और औरों को खिलाता लेकिन हम नहीं कर पाये। इसी प्रकार कूप ब्लास्टिंग में, आज हर व्यक्ति अपने कुएं को गहरा करवाना चाहता है लेकिन इसमें कमी है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह जो आप फार्म भराते हैं मार्च में शुरू करते हैं। मार्च में वह शुरू करता है। जमा कराता है। महीने भर वहां रखता है। मई-जून तक पास होता है और पास होने के बाद में

(श्री बाबुलाल)

आपके जो ब्लास्टिंग की मशीनें हैं वे विभाग के पास में पूरी नहीं हैं, कम हैं फिर भी आप निविदाएं आमंत्रित करके प्राइवेट मशीन वालों को नहीं देते जिसके कारण से वह जैसा का जैसा रह जाता है। हमको उपलब्धि नहीं होती। मैं चाहूंगा कि जनवरी से आप फार्म भरना शुरू करें या पूरा साल ही आप शुरू करो और मार्च, अप्रैल, मई में उनके जितने भी कुए ब्लास्टिंग कराने हैं, गहरे कराने हैं उनको गहरे करा दो न, तभी तो हम कहेंगे कि हमने कुछ किया है लेकिन दिखावे के लिए हम कहें कि हमको आपने इतना बजट दिया और हम आपके लिए यह कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आज आपके छात्रावासों की हालत क्या है। छात्रावासों की हालत यह है कि वहां पर जो शौचालय बने हैं उनकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। आपके छत्रावासों में जो आप उधार के कर्मचारी वार्डन लेते हो, विभाग अपने स्वयं के कैडर बेस वार्डनों की भर्ती करें तो कम से कम वह दबाव में रहेगा, उनकी देखभाल करेगा। वह उधारी का है वह कितना करेगा, कितना नहीं करेगा उस पर आप कार्यवाही नहीं कर सकते हो। उस पर कोई दबाव नहीं है। आप शौचालय ठीक कराएं। आज भी बालक शौच के लिए...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): बाहर जाता है, खुले में जाता है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं। सभापति महोदय जी, आप एनीकट जितने बना सकते हो उतने बनाओ। कारण कि उस एनीकट से लिफ्ट करके वह पानी भी ले सकता है। नाली भी बनाओ, धोरा भी बनाओ तो कम से कम कुछ लोगों की तो खेती सिंचित होगी। आज आपने सामुदायिक जलोत्थान की बात की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी काफी लिफ्ट योजना हैं जो आज बंद पड़ी हैं। कारण बंद पड़ने का यह है कि वहां पर उनका बिजली का जो बिल है, वे भर नहीं पाते हैं। कारण यह होता है कि उसमें कई लोग होते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, वह कहता है कि मैं अकेला क्यों दूंगा। अब सौर ऊर्जा के मार्फत से आप लिफ्ट योजना चलाएंगे तो बिजली का जो संकट है वह नहीं रहेगा और ठीक प्रकार से चल पाएगी। यह मेरा सुझाव है। आप करें या नहीं करें और करना चाहिए। (व्यवधान)

दूसरा मैं आपसे दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा मुझे आप रोकेंगे इसलिए मैं इन आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है। हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, दौसा से

(श्री बाबुलाल)

आने वाले माननीय सदस्य ने, वह बात मैं कहना नहीं चाहता था सभापति महोदय, इन्होंने 45 परसेंट की चिन्ता की। 12 परसेंट का 45 परसेंट। आज मैं कहना चाहता हूं कि इधर जो हमारे भाई हैं मीना और मीणा, प्रत्येक परिवार में कोई न कोई अधिकारी होगा। चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो, आज वह उपयोजना क्षेत्र है वहां पर एक भी आईएएस नहीं है, एक भी आईपीएस नहीं है, आरएएस नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने जो किया है 45 परसेंट का, वहां का बालक आपकी बराबरी नहीं कर सकता। इस 45 परसेंट के कारण वहां का बच्चा आज नौकरियों में लगा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा।

मां-बाड़ी केन्द्र का मैं आपसे कहूंगा अभी विषय आ गया, डे केयर रूप में आप जरूर क्रमोन्नत करें क्योंकि उससे काफी लड़के भी रोजगार पर आएंगे और उसके बाद में नयी मां-बाड़ी खोलना, क्योंकि वास्तव में बेरोजगार युवा है, वह कम से कम रोजगार की अपेक्षा रखता है तो इस कारण से बच्चे भी पढ़ जाएंगे और उन बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। आप ज्यादा बोलने नहीं देंगे इसलिए मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। बोलना तो मुझे बहुत कुछ था लेकिन इतना ही कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री पृथ्वीराज।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अनुसूचित जाति और जनजाति

(श्री पृथ्वीराज)

से बीजेपी का तो कोई लेना-देना ही नहीं है। एससी/एसटी का कुछ भला किया तो कांग्रेस ने किया। बुरा मत मानना इसका एक किस्सा सुना रहा हूं। यूपी. में चुनाव हुए तीन साल पहले तो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। मैं अख़बार में पढ़ रहा था। रिजल्ट आ गये। सरकार बन गयी तो वहां के एससी के लोग यह कह रहे थे कि हम कल तक तो हिन्दू थे अब हम दलित हो गये, क्योंकि सरकार बन गयी उनकी इसलिए आपका तो एससी/एसटी से ज्यादा हक है ही नहीं। मांगते भी नहीं हो। अब ये तो वोट की राजनीति है। खुश करने के लिए आप कुछ भी करते रहो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूं। कांस्टीट्यूशन के शिड्यूल फिफ्थ में जो नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है उसके कुछ अधिकार हैं। उसमें उनकी आबादी मेरे खयाल से 70 परसेंट मानता हूं मैं। मिनरल राइट, ये ट्राइबल एरिया खुद इतना धनवान है कि अगर इनके अधिकार इनको दे दिये जाएं तो ये आपके राजस्थान को लोन और दे सकते हैं, इनको कोई बजट की जरूरत नहीं है। ट्राइबल एरिया में 99.9 परसेंट खनिज सम्पदा पर जनरल जाति के लोगों का कब्जा है। 99.9 परसेंट जितने भी खनिज हैं, खनिज से भरपूर हैं लेकिन आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी प्रस्ताव बनाकर, इसका सिस्टम यह है कि प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल महोदय को भेजना पड़ता है। राज्यपाल महोदय उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 70 परसेंट ट्राइबल की होगी, 30 परसेंट जो भी है राज्य सरकार निर्धारित करती है। 99.9 परसेंट एरिये पर दूसरे लोगों का कब्जा है जनरल वालों का, जबकि कांग्रेस की भी सरकार आयी, बीजेपी की भी आयी।

(19.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारी सरकार अगर इनका भला चाहती है तो यह भी प्रस्ताव बनाकर दे, जिससे यह एरिया अधिसूचित हो सके कि इतने परसेंट खानें इन लोगों को मिलेंगी, 70 परसेंट, 80 परसेंट जो भी हो। दूसरा मेरा यह प्रस्ताव है, वहां पर जो खानें चालू हैं, क्या वह भी इनकी ही होगी? सरकार यह स्पष्ट करे कि वहां की खनिज सम्पदा पर इनका कितना अधिकार रहेगा।

दूसरा, अभी सवर्णों को 10 परसेंट का आरक्षण दिया गया है, एसटी

(श्री पृथ्वीराज)

का 12 परसेंट और एससी का 16 परसेंट। जो लोग भी जनरल मैरिट में स्टेंड करते हैं उनको भी एसटी, एससी में ही काउंट करते हैं तो जो यह जनरल लोगों को 10 परसेंट आरक्षण मिला है, क्या इन लोगों को भी उसी श्रेणी में काउंट करेंगे? सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह मंशा है कि सरकार इसे स्पष्ट करे।

और सभी विषयों पर बहुत सारे लोग बोल लिए लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि खनिज राइट तय कर दें। समता बनाम आंध्रप्रदेश, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है जिसमें ट्राइबल लैंड पर ट्राइब को ही खनिज आबंटन होगा, ऐसा निर्णय है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता आपके मार्फत यह दोनों बिन्दु लागू हो जाएंगे तो उसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया (अनुपस्थित), श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास पर जो आज सार्थक चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। देश जब आजाद हुआ था, संघर्ष किये जा रहे थे, गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे तो सारी जाति-बिरादरियों ने एक साथ संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में साथ दिया था। किसी ने कम दिया, किसी ने अधिक दिया, किसी ने तन का दिया, किसी ने धन का दिया तो किसी ने मन का दिया। उस सब सहयोग से हमारा देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हमारे समाज में दलित, पिछड़े, वंचित का भला कैसे हो, उनको अधिकार कैसे मिले। एक देश में रहने वाले नागरिकों को समानता का अधिकार कैसे मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, सही मायने में उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है माननीय सभापति महोदय, वह समानता का अधिकार है। चाहे राजा हो या रंक, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। कानून के समक्ष हर व्यक्ति को, अगर वह जुल्म करेगा, अपराध करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत आगे की सोचकर संविधान की रचना की। हालांकि अमरीका

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

के संविधान की बात करें, चाहे ब्रिटिश संविधान की बात करें, चाहे जापान के संविधान की बात करें, उनमें से भी बहुत अच्छी-अच्छी चीजें जो देश हित में थीं, वह ली गयीं। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को समानता का अधिकार देने के लिए संविधान की रचना की। माननीय सभापति महोदय, मैं बाबा साहब के चरणों में दो पंक्ति कहना चाहूंगा, यह भारतीय कह रहा है,

हमारे सिर का यह सम्मान तेरे संविधान से मिला है,
हमारे चेहरे की यह मुस्कान तेरे संविधान से मिली है।
गौरों को जो मिला है उनके नसीब से मिला है
लेकिन भारतीयों को जो भी मिला है,
तेरे संविधान से मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है।

अभी हमारे सम्माननीय सदस्य खिलाड़ी जी बोल रहे थे, कान्ति जी बोल रहे थे कि हम 66 लोग हैं। 66 नहीं, यह बाबा साहब के संविधान का ही परिणाम है जो राजस्थान की 200 विधान सभा क्षेत्र में पहले सदस्य के रूप में आज यहां कानून बनाने का अधिकार साढ़े चार करोड़ मतदाताओं ने हम 200 लोगों को दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सही मायने में जब बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख भरी कहानी है। यह 21वीं सदी का भारत है, जब मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करते हैं, एससी के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को दबंग लोग, जब 2018 का चुनाव हुआ है माननीय सभापति महोदय, तब भी उनको वोट नहीं डालने दिया जाता, यह हमारे लिए लोकतंत्र पर धब्बा है। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जहां हमारा दलित, मजदूर, पिछड़ा, वंचित वर्ग कम से कम स्वतंत्र रूप से अपना मतदान कर सके और राजस्थान में विधान सभा में विधेयक बनाने वाले सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक वह भेज सकें। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं अभी हमारे माननीय सदस्य खिलाड़ी जी कह रहे थे कि हमारे पास अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मैंने जब 2018 का चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव के दौरान दो घोषणा की थीं कि अगर 2018 में मुझे विषम परिस्थितियों में जीत मिलेगी तो जीतने के बाद मैं सबसे पहले वाल्मीकि समाज के घर जाकर खाना खाऊंगा। सभापति महोदय, मैंने जीतने के तुरंत बाद ही सबसे पहले वाल्मीकि समाज के घर खाना खाया। हमारे साथी मित्रों ने उसकी आलोचना की। हमारे जाति के लोगों

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

ने उसकी आलोचना की। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मैंने दूसरे ही दिन, जब मेरी आलोचना होने लगी, मेरे साथी मित्र जब आलोचना करने लगे तो मैंने उसमें और जोर दिया और महुवा के मुख्य बाजार में मोची की दुकान में जाकर बैठ गया। बैठकर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आज का यह सामान आपका कितना है, इसका मूल्य क्या है? उन्होंने कहा यह सामान डेढ़ सौ रुपये का है और दो सौ से ढाई सौ रुपये मैं पूरे दिन में कमा लेता हूं। मैंने कहा अगर मैं इस काम को आज करूं, इस डेढ़ सौ रुपये के सामान के मैं 500 रुपये दे दूं तो क्या दो घंटे मुझे इस दुकान पर आप काम करने दोगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं विधायक साहब, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरी मोची की दुकान पर राजस्थान की विधान सभा में पहुंचने वाला विधायक अगर बैठकर आने-जाने वाले किसानों के, मजदूरों के, वंचितों के जूतों की पालिश करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने जूते पालिश की ब्रश उठाई, डब्बी में से पालिश ली और आते-जाते 110 लोगों के जूतों की पालिश कर दी। अगर इस तरह का वातावरण हमारे विधायक देंगे तो अपने आप जातिवाद का भाव खतम हो जाएगा।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं इधर वाले लोग उधर पर आरोप लगाते हैं, उधर वाले लोग इधर आरोप लगाते हैं। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, सरकारें आती हैं, और जाती हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके खो जाने के बाद पता चलता है। माननीय सभापति महोदय, जिस दिन हमारी जेब में पैन नहीं होता, ज्यादा नहीं तो दिन में बीस बार हम पैन ढूंढते हैं और जिस दिन हमारी जेब में पैन होता है, हम पैन नहीं ढूंढते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो सरकार चली जाती है वह यह सोचती है कि हम यह काम कर देते तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र क्या पूरे प्रदेश की स्थिति यह है हमारे अनुसूचित जाति की बहनों की छात्रवृत्ति कई सालों से अटकी हुई है। सब लोग इसकी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पर चिंतन नहीं करते। इसका समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका स्थायी समाधान ढूंढें, जिससे हमारी बहनों को छात्रवृत्ति मिलने लगे। साथ ही साथ, एक निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस की बात चल रही है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सब चीजों का ध्यान रखते हुए 9 अगस्त आदिवासी दिवस को जब आधे राजस्थान में छुट्टी की जा रही है तो आधे राजस्थान में भेदभाव न हो, पूरे राजस्थान में आदिवासी दिवस की छुट्टी हो।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकारों ने जयपुर में एक अंबेडकर पीठ की स्थापना की है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से बिरसा मुंडा जी के नाम पर एक आदिवासी पीठ की भी राजस्थान के जयपुर में स्थापना की जाए। मेरे यहां नया गांव, उकरूंद और कोट, तीन में छात्रावास चल रहे हैं। आप एक बार निरीक्षण करवा लें। अगर विधायक कोष से जरूरत पड़ेगी तो विधायक कोष से भी देंगे। आपके पास धन की व्यवस्था होगी तो आपसे भी धन लेंगे, उन छात्रावासों की अच्छी व्यवस्था कराएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना, आज विशेष तौर पर जनजाति विकास को लेकर हमारे पूरे माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है और जनजाति विकास के लिए अपने-अपने आधार पर आंकड़े भी बताये। आज सुबह से अब तक जो बातें कही हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के अंदर विकास को देखने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग प्रदेश में आज दूरदराज के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जहां समग्र विकास नहीं हैं। जैसे सड़क, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रोजगार, महिला एवं बालकों का विकास, बैंकिंग सुविधा, संचार सुविधा, खेल व युवा मामले, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, सिंचाई आदि सरकार की विभिन्न योजनाओं व्यक्तिगत हित लाभ की योजनाओं से प्रदेश का बहुत बड़ा जनजाति तबका वंचित है। सभापति महोदय, मैंने यह बात इसलिए बतायी है कि विधान सभा में मेरे द्वारा 8 जुलाई को जो लिस्टेड सवाल लगाया था। हम जनजाति क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ जो बातें हैं, जब तक वे गांवों में नहीं जुड़ेंगी जैसे बिजली, पानी,

(श्री जगसी राम)

शिक्षा, चिकित्सा, तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के अंदर विकास नाम की चीज नहीं होगी।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 10 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया है, उसके अंदर जनजाति क्षेत्र विकास के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केवल और केवल सागवाड़ा और उदयपुर के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 10 करोड़ की लागत से काउंसिलिंग सेंटर के लिए प्रावधान किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरोही जिले के अंदर आबू रोड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आबू रोड ग्रामीण अंबाजी गुजरात से पूरा लगता हुआ क्षेत्र है। वहां पर जो लोग काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जाते हैं, आबू रोड शहर और रीको आबू रोड में। उन सारी बातों को देखकर उन आदिवासी भाइयों के लिए, जिस प्रकार से अभी यह चिकित्सा का सवाल भी लगा था कि सिलिकोसिस की बीमारी होती है। इस बात को भी इसमें शामिल करें, आदिवासी क्षेत्र के भाई मजदूरी करने जाते हैं।

वहां शिक्षा का भी अभाव है। वहां पर मूलभूत संसाधन नहीं होंगे तो शिक्षा भी नहीं होगी। शिक्षा नहीं होगी तो वे नौकरियों में नहीं जाएंगे। क्यों न आज इसके लिए मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो छोटी -छोटी बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए, इनकी अधिक व्यवस्था की जाए। आने वाले समय में आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ी सुविधा रहेगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती वसुन्धरा जी की सरकार में आबू रोड आदिवासी क्षेत्र में 43 सड़कें बनी थीं, देश आजाद होने के बाद में भी इतनी सड़कें नहीं बनी थीं। पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल फैल गया है। उसका नतीजा यह हुआ कि लोक सभा चुनाव में एक तरफा बहुमत मिला। जो काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो सड़कें बनी हैं गिरवार वाली ब्रिज बनी है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारी जो आवल-मावल वाली सड़क है, वहां पर आदिवासी भाई रहते हैं, इसको भी आप उसमें सम्मिलित करें। आने वाले समय में यह बहुत बड़ा मायने रखेगा।

इसी तरह रेवदर विधान सभा क्षेत्र में आबू रोड तो पूरा टाडा माडा में जुड़ा हुआ है। रेवदर ब्लाक है उसमें जो आदिवासी भाई रहते हैं, भील मीणा,

(श्री जगसी राम)

गरासिया जो हैं, उसमें उनको सुविधा नहीं मिल रही है। रेवदर तहसील में बड़े-बड़े गांव हैं जैसे अनादरा है, मंडार है, सिरोड़ी है, भाटना है, दंताड़ी है, ऐसे गांवों को भी आप इसमें सम्मिलित करें। जैसे बिजली के अंदर उनको कनेक्शन लेना होता है तो आबू रोड के क्षेत्र में तो आओ और पाओ मिल जाता है लेकिन यदि रेवदर में आदिवासी भाई को लाइट का कनेक्शन लेना है तो इस चीज में सामान्य श्रेणी के तौर पर कनेक्शन मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर इसमें कोई न कोई ऐसी योजना लागू करें, जिससे उसको फायदा मिल सके। जो छात्रावास हैं, आबू रोड टीएसपी क्षेत्र में जो छात्रावास चल रहे हैं, दानावाव है, संतपुर है, सियावा है। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने काफी बात कही है। छात्रावास चल रहे हैं, लेकिन उनका संचालन करने में, देखरेख करने में, मैं समझता हूं कि उनकी निगरानी करने के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए समय-समय आपके अधिकारी लोग आकर देखें क्योंकि मैं समझता हूं कि आबू रोड में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे टीएसपी के अधिकारी नहीं हैं। मैं पहले भी यह एक बार बता चुका हूं। मैं समझता हूं कि इन वनवासी भाइयों के क्षेत्र का विकास होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वनवासी जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र की दुविधा है कि कोई भी छोटा-मोटा काम है तो उसके लिए एडीएम कार्यालय माउंट आबू है। कोई भी साइन है, पेशी है। हर समय उनको दिक्कत आ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। आबू रोड का उपखण्ड स्तर माउंट आबू है, यदि इसको आबू रोड में किया जाए तो पूरे क्षेत्र के लिए सही रहेगा। इसमें पिण्डवाड़ा का भी हिस्सा आ रहा है, रेवदर, आबू रोड का भी आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो मां-बाड़ी केन्द्र है, एजुकेशन के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए जो मां-बाड़ी केन्द्र है। इसका मैंने पूरा सर्वे कराया है, न के बराबर है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जब भी सेंटर मां-बाड़ी केन्द्र खोलें तो ज्यादा से ज्यादा आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र में खोलें ताकि आने वाले समय में वहां का बच्चा पढ़कर आगे बढ़े, ऐसी हमारी मंशा है।

पानी का जो रिसाव है। माउंट आबू का पानी पूरा गुजरात में बहकर चला जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

(श्री जगसी राम)

हूं कि वहां पर चैक डैम, एनीकट बना दिये जाएं। आदिवासी भाइयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। वहां पर सिंचाई के लिए काम किया जाए, जिससे वे पालन पोषण करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री जगसी राम (रेवदर): दो मिनट में समाप्त करता हूं। सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अभी मेरे से पूर्व भाई बता रहे थे कि पहाड़ों का पानी पीते हैं। वहां पर ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था के लिए आर.ओ. लगवाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां सामुदायिक भवन के लिए, वन क्षेत्र में आते हैं तो हम एमएलए लैड भी करते हैं तो वह मंजूर नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि वहां पर सरकार उनको परमिशन दे ताकि उनको कभी उत्सव, त्यौहार हो तो सभी को एक जगह बैठने का अवसर मिले, ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप इसमें भी कोई न कोई व्यवस्था करें।

एक और बात है। आदिवासी क्षेत्रों में कुंओं के अंदर ब्लास्टिंग करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कुआ खुदवाकर या कुओं को गहरा करवाने के लिए वहां ब्लास्टिंग योजना लागू की थी। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो सरकार ऐसी योजना लागू करे।

रेवदर ब्लाक में एससी के छात्रावास नहीं हैं। रेवदर उपखण्ड स्तर पर मात्र एक बना हुआ है। कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर के दायरे में रेवदर तहसील आया हुआ है। मंडार, भटाणा, अनादरा, सिरोड़ी, दातड़ी। इन गांवों के अंदर एससी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करने के लिए मैं समझता हूं कि उनको सिरोही जाना पड़ता है या आबू रोड जाना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में समग्र विकास होगा। विकास करने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, अभी सबने अपनी-अपनी मंशा जाहिर की है। मेरी बात को भी सम्मिलित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सभी वर्गों को और सबको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे एससी, एसटी के भाइयों को भी आगे बढ़ाने के लिए यदि शिक्षा है तो सब कुछ है। इन्हीं आशाओं के साथ खूब-खूब धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 8)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मध्यान्ह पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई, 2019 से शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2019 तक सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2019	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 26 जुलाई, 2019 को मध्याह्न पश्चात् 4:00 बजे मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2019 रविवार, दिनांक 28 जुलाई, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2019 ; 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2019 ; एवं 3- राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019 ; - पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2019	1-राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 ; 2-विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 ; एवं

(डा. महेश जोशी)

	3-राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2019 ; - पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2019 गुरूवार, दिनांक 01 अगस्त, 2019	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त, 2019	1-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। 2- गैर सरकारी कार्य दिवस।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री जे.पी. चन्देलिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और मांग संख्या 51 पर आपने बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। टीएसपी एरिया की जो बातें हम अधिकारी दीर्घा में बैठकर सालों पहले देखते थे, लगभग वही बातें, थोड़ा-बहुत वेरिएशन है, अब भी सुनने को मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि जो कार्यक्रम शुरू किये गये थे, जो टीएसपी एरिया को डवलप करने का सपना देखा गया था, वह सपना उस गति से पूरा नहीं हो रहा है, जिस गति से उसको पूरा होना चाहिए था। समस्याएं वहीं हैं। परिवर्तन मात्र एक लग रहा है कि अब जो माननीय

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

सदस्यगण इस विधान सभा में उस क्षेत्र से आए हैं, उनमें सजगता दिख रही है। उनमें आशा की किरण दिख रही है। उनके बोलने का जो तरीका है, वह थोड़ा अच्छा हुआ है। इस बात के लिए निश्चित रूप से हम यह आशा कर सकते हैं कि उनकी सजगता के कारण, उनकी सावधानी के कारण एरिया जल्दी डवलप होगा।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी एरिया के लिए ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर का पद अलग से सृजित होना चाहिए। इस बात पर काफी सदस्यों ने बात की है। मैं स्वयं संभागीय आयुक्त रहा हूं इसलिए मैं अनुभव रखता हूं कि संभागीय आयुक्त के रूप में जो अधिकारी पदस्थापित रहता है, वह दूसरे काम के लिए इतना टाइम नहीं दे पाता। पांच-पांच, छह-छह जिले होते हैं संभागीय आयुक्त के पास में और काम ही इतना ज्यादा होता है, रेवेन्यू का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, कलेक्टर्स के काम हैं, और कई काम होते हैं, जन-प्रतिनिधियों के भी काम आते हैं, इसलिए वह टाइम नहीं दे पाता है। मेरे विचार से जहां तक मुझे याद आता है पहले व्यवस्था थी कि जोधपुर में डिवीजनल कमिश्नर के अलावा एक डेजर्ट डवलपमेंट कमिश्नर होता था। उदयपुर में ट्राइबल डवलपमेंट कमिश्नर होता था। मैं भी इस बात के लिए सहमति प्रकट करता हूं। अपनी राय देता हूं और समर्थन करता हूं मेरे साथी विधायकों की राय और मांग का कि उदयपुर में अलग से ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कमिश्नर का पद होना चाहिए। उसके लिए सुपरटाइम के आईएएस अधिकारी को या चाहे जैसा भी सरकार उचित समझे वह इंडिपेंडेंटली लगना चाहिए ताकि काम पर पूरा फोकस हो सके।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया प्लान में जो राशि आई है और राशि खर्च की जा रही है, उसका डिटेल आडिट बहुत ढंग से होना चाहिए। बड़ी गहराई से होना चाहिए। बाहर से लगता ऐसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर किये गये ख़र्चे का आडिट अच्छी तरह होगा तो मेरे विचार से बातें कई निकलेंगी। कई गहराई अंदर जाएंगी और जिन लोगों ने मजे किये हैं, जिन लोगों ने घोटाले किये हैं, उन लोगों का नाम उजागर होगा और एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा। आगे बात करने से पहले मैं छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, यहां विराजमान हैं। कल सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए कई माननीय सदस्यगण ने बात उठाई थी। सारी बातों को सुनने के बाद हमारे

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने उस पीड़ा को स्वीकार किया और जो गलतियां हुईं भर्ती में, उसको स्वीकार किया। कुछ वह अपनी कांग्रेस की इस सरकार की नीतियों के बारे में, आगे के कार्यक्रम के बारे में घोषणा करने वाले थे। माननीय उप नेता माननीय राठौड़ साहब बैठे हैं, मैं जानता हूं सर्वसमाज के प्रति यदि उनका बड़ा अच्छा दृष्टिकोण है, यदि सर्वधर्म के प्रति उनका अच्छा दृष्टिकोण है, यदि मैं उनके यहां कलेक्टर रहा हूं, मैं जानता हूं उनका सबसे अच्छा संबंध था। माननीय मंत्री जी जब वह घोषणा करने लग गये, उस समाज के प्रति या सफाई कर्मियों के प्रति अपनी नीति बताने लगे, इतने में उप नेता, प्रतिपक्ष अचानक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से किया है। मैं आपके माध्यम से उप नेता महोदय को पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिया था कि उस पद के लिए जिस पद के लिए उनकी भर्ती हुई है, उससे भिन्न काम उनसे लिया जाए। ऐसा तो मेरे विचार से, मेरा लीगल परसेप्शन कहता है, मैं भी राजस्थान हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं। मेरा लीगल परसेप्शन कहता हैं कि समान पद के लिए भर्ती जिनकी की गयी है, उनसे समान काम लिया जाना चाहिए। ऐसा कोई कोर्ट नहीं कह सकता कि भर्ती समान पद पर करें, एक से तो सफाई करवाएं और दूसरे को बाबू बना दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि सफाई कर्मचारियों के भी कई लड़के-लड़कियां ऐसे हैं जो 10+2 पास करके लगे हुए हैं इसी काम में, नौकरी नही है। बीए, एमए भी हैं, एमए से ज्यादा क्वालिफिकेशन रखने वाले भी हैं। अगर ऐसा दूसरों के लिए किया गया है तो जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे-बच्चियां हैं, जो इस काम में लगे हैं उनको भी डेपुटेशन करके या रेगुलराइज करके अन्य पदों पर लगाया जाए, उनसे सफाई नहीं कराई जाए। मेरी भावना उप नेता प्रतिपक्ष महोदय के लिए कोई ऐसी नहीं है लेकिन उनके अचानक खड़े हो जाने से हमारे स्वायत्त शासन मंत्री दूसरी बात बोलने लग गये। वह जो नीति बताना चाहते थे, मेरे विचार से वह नहीं कर पाए। माहौल दूसरा हो गया। मैं उस दूसरे माहौल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आज दस बजे आपकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें जो कुछ निर्णय हुआ है वह सर माथे पर जिससे सदन निर्बाध चलता रहा।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी की वैलफेयर स्कीम को अपन चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट करना है। दूसरा, उनका इकोनोमिक एम्पावरमेंट करना है। तीसरा, उनका सोशल एम्पावरमेंट करना है। चौथा, अन्य स्कीम्स हैं।

एजुकेशनल एम्पावरमेंट है उसमें Pre-metric Scholarships, Post-metric Scholarships, National Fellowships, Higher Education के लिए Scholarships, National Overseas Scholarships और free coaching for SC/ST students. इन सबकी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, हम एप्रिशिएट करते हैं। एससी, एसटी के सभी सम्माननीय विधायकगण यहां हैं, मैं खुद भी। लेकिन इन योजनाओं की स्केल है, पैसा है, रेट है वह रेट बढ़नी चाहिए। वह रेट अभी कम है। समय की आवश्यकता के अनुसार हम मांग करते हैं कि दर में वृद्धि होनी चाहिए, दर में वृद्धि होना जरूरी है। यह है एजुकेशनल एम्पावरमेंट।

दूसरा, इकोनोमिक एम्पावरमेंट के लिए कारपोरेशन बनी हुई है गवर्नमेंट आफ इंडिया में, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC), Central Assistance के लिए अलग कारपोरेशन वहां बनी हुई है। Venture Capital Fund के लिए अलग बनी हुई है। क्रेडिट देने के लिए अलग बनी हुई है। इन सब कारपोरेशन में सरकार की गारंटी होती है। एससी डवलपमेंट कारपोरेशन का मैं एमडी रहा हूं। मुझे मालूम हैं स्टेट गवर्नमेंट जितनी गारंटी देती है, उतना ही लोन दे सकते हैं। उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, एससी, एसटी या सफाई कर्मचारियों को। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इन एससी कारपोरेशन में, एसटी कारपोरेशन में भी सफाई कर्मचारियों की कारपोरेशन बनी हुई है उसमें राज्य सरकार की गारंटी है वह सीमा बढ़ाई जाए ताकि उनको अधिक लोन दिया जा सके।

तीसरा, सोशल एम्पावरमेंट से मतलब यह है कि एससी, एसटी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनको अच्छा सोशल स्टेट्स प्रदान करने के लिए कुछ एक्ट बने हुए हैं समय की आवश्यकता के अनुसार उनमें संशोधन हो। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया सोचे। स्टेट

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सोचे। परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। कई काम्प्लेक्स सिचुएशंस भी आती हैं उन काम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करने के लिए जैसे नये कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उस तरह का सोचा जा सकता है। जैसे The Protection of Civil Rights Act, 1955 में बना था। अब 2019 है उसमें विचार किया जा सकता है। Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 में आया, Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act के रूल्स, जो उसके अंतर्गत बनाए वह 1995 में आए, उन रूल्स में भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 में आया।

दूसरी स्कीम है वह वैलफेयर की स्कीम है तो यह सारा स्ट्रक्चर है एससी, एसटी के लोगों के लिए। यह स्ट्रक्चर चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सोशल एम्पावरमेंट का हो, चाहे वह इकोनोमिक एम्पावरमेंट का हो, कोई कमेटी बनाकर 2019 के परिप्रेक्ष्य में उन सबका अध्ययन किया जाना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में कहां संशोधन की जरूरत है। कहां नया क्लाज उसमें जोड़ने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन करने चाहिए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, कल ठेका प्रथा के बारे में हमारे कई साथियों ने बात उठाई थी लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कहना जरूरी है कि ठेका प्रथा है वह बिलकुल बंद होनी चाहिए। ठेकेदारों के माध्यम से जो काम कराया जाता है, विशेषकर म्युनिसिपेलिटी में, म्युनिसिपेलिटी कौंसिल में, म्युनिसिपेलिटी कारपोरेशन में, उसमें कर्मचारियों का शोषण होता है, सफाई कर्मचारियों का शोषण होता है। वह मिनिमम वेतन भी नहीं देते हैं और काम पूरा कराते हैं। ठेकेदार के मजे हो जाते हैं। ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। संविदा के आधार पर जो लोग लिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिजर्वेशन खतम होता है। इसलिए अगर किसी को संविदा पर भी लिया जाना है तो उसमें प्रपोर्शनेटली एससी, एसटी और ओबीसी, सभी वर्ग के लोगों को लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारी राज्य सरकार एससी, एसटी वर्गों के प्रति काफी संवेदनशील है, लेकिन फिर भी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

आज की 2019 की सिचुएशन में जो पुराने रूल्स, पुराने एक्ट बने हुए हैं, पुरानी स्केल्स है स्कालरशिप की, पुरानी दरें हैं अन्य योजनाओं में लाभ देने की, उन पर दुबारा विचार होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, सुबह से एससी, एसटी पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा पर सबसे पहले एससी, एसटी के लिए, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, ऊंच-नीच के खिलाफ, हिन्दुस्तान की धरती पर जिसने आवाज उठाई, काम किया, उसका नाम महात्मा बुद्ध था।

उसके बाद दूसरे नम्बर पर यदि हम राजस्थान में यह चर्चा करें और हम रूणीचा वाले बाबा रामसा पीर को याद नहीं करें, जिन्होंने आज से 600 साल पहले दलितों के बीच में, वंचितों के लिए, बाबा रामदेव जी ने जो किया अगर हम उनको आज याद नहीं करते हैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम याद नहीं करें तो भी यह चर्चा अधूरी रहेगी। लेकिन डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने से पहले उनको अमरीका पढ़ने भेजने वाले बड़ौदा महाराज गायकवाड़ साहब को भी हमें याद करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईपीएस बन गये, आईएएस बन गये, बड़ी-बड़ी पोस्ट पर चले गये, उनके सगे भाई के बच्चे भट्टों पर, ईंटों पर, बंधुआ मजदूरी का काम करते हों, उनके लिए काम नहीं कर पाते और एक दलित के बच्चे को अमरीका पढ़ने के लिए भेजा, उनको याद करना बहुत जरूरी है।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें किसी एक जाति का संबंध नहीं हो सकता। किसी एक वर्ग का संबंध नहीं हो सकता। हर वर्ग में लोग अच्छे और बुरे हुए हैं। डा. अम्बेडकर के सबसे पहले गुरू ब्राह्मण थे, हमको उनको भी याद करना चाहिए।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां बीजेपी की बात चल रही है, कांग्रेस की बात चल रही है। इसके अंदर यदि हम वी पी सिंह जी को याद नहीं करें, जिन्होंने 11 महीने की सरकार में, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र संसद के पार्लियामेंट के सैंट्रल हाल में सबसे पहली बार लगाया। डाक्टर

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी करने का काम किया। एट्रोसिटी के मुक़दमे का इंवेस्टीगेशन एक कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल करता था, डीवाईएसपी से नीचे का अधिकारी वह इंवेस्टीगेशन नहीं करेगा, यह अधिकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दिया था। एससी, एसटी के कोटे को दूसरों से भर दिया जाता था। पार्लियामेंट में बिल लाकर कि इस एससी, एसटी के कोटे को कोई दूसरे से भर देगा उसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान करने वाला व्यक्ति था। आज मंडल कमीशन लागू करने वाले व्यक्ति को अगर इस 70 साल के इतिहास में 11 महीने की सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो किया, उससे पहले यदि बाकी के प्रधान मंत्री, बाकी की सरकारों का जिक्र किया जाए, उनका जिक्र नहीं हो तो यह उस शख़्सियत के साथ न्याय नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सभी तरह की बातें चलीं। जहां तक मैं समझता हूं डाक्टर अम्बेडकर ने जो किया, उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। खेतड़ी के हमारे डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं और खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जी, जो संविधान कमेटी के मैम्बर थे और जिन्होंने डाक्टर अम्बेडकर के साथ 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन तक लगातार कंधे से कंधा मिलाकर संविधान को लिखने का काम किया, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जी को भी हम याद करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस ऊंच-नीच के खिलाफ राजस्थान की इस धरती पर डाक्टर अम्बेडकर का चित्र हाई-कोर्ट के बाहर है और मनु की मूर्ति अन्दर लगी हुई है, यह किसने किया, मैं उन पर नहीं जाना चाह रहा, पर हर समय में, चाहे सरकार इधर की हो, चाहे उधर की हो, काफी अच्छे काम हुए हैं।

किसी एक सदस्य ने यहां मेरे से पहले कहा कि आज कहीं भी दलितों को घोड़ी पर चढ़कर बिंदोरी नहीं निकालने दी जाती। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, ऐसी घटनाएं मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे क्षेत्र में तो बिलकुल भी नहीं हैं। बच्चे ही नहीं, बच्चियों की भी खूब बिंदोरी निकालते हैं घोड़ी पर बैठाकर। हमारे शेखावाटी के अन्दर ले लो, चाहे बाकी के ले लो, हो सकता है, कहीं-कहीं कुछ सिरफिरे किसी नशे में, किसी के बहकावे में आकर, ऐसी घटनाएं हो जाती होंगी, हो भी जाती हैं, लेकिन अमूमन ऐसी चीजें अब नहीं बची हैं।

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर वर्ग के अन्दर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इसके लिए मेरे से पहले किसी सज्जन ने विचार व्यक्त किये थे कि मीराजी को याद करना पड़ेगा, जिन्होंने उस युग के अन्दर रैदासजी को अपना गुरू बनाया। हर समय में अच्छे और बुरे लोग होते रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एससी., एस.टी. के आज सभी लोग, लगभग स्थिति ठीक है, और इसमें जो-जो, कहीं-कहीं भी अन्याय है, उसको ठीक किया जाए।

आपने मुझे समय दिया, हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए पार्टी है, हम दलितों के लिए काम करते हैं और मेरा तो, सभापति महोदय, कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, एस.सी., एस.टी., मीणा, मुसलमान, ब्राह्मण इन सबमें थ्रू-आउट फर्स्ट-क्लास हूं। मेरे तो एक-आध जगह ही सप्लीमेंट्री आती है। जिस जिले से मैं आता हूं, वह जिला तो सबसे ज्यादा महिला शिक्षा में नम्बर-वन पर आता है। हमारे इस तरह की कोई बात नहीं है। यह है कि एस.सी., एस.टी. के लिए काम करना किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग की कोई बपौती नहीं है। इसमें सभी ने अच्छा काम किया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने आज एस.सी., एस.टी. के कल्याण के विषय में मांग संख्या 30 और 51 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज लम्बे टाइम से अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के बारे में हमारे कई साथियों ने बात रखी है। उन्हीं के साथ मैं भी रखता हूं।

आज देश के अधिकांश राज्यों में जनजाति के भाई निवास करते हैं। वहां की राज्य सरकारें, वहां के रहन-सहन, वहां की संस्कृति, वहां की भौगोलिक स्थिति को देख करके, वहां की राज्य सरकारें एस.सी., एस.टी. के विकास के लिए कानून भी बनाती हैं, विधेयक भी लाती हैं और विकास की योजनाएं भी लाती हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की उस धरती से आता हूं, जहां गोविन्द गुरू पैदा हुए, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को हटाने के लिए, आदरणीय मालविया साहब बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने संत सभा की स्थापना की। मानगढ़ के धाम पर सभा करते समय

(श्री हरेन्द्र निनामा)

उन पर अंग्रेजों ने गोली चलाई और हमारे 1500 आदिवासी वहां पर शहीद हुए, स्वाभिमान से उन्होंने मौत स्वीकार की। उस धरती से, उस जिले से मैं आता हूं। मैं आज उन गुरू गोविन्द को याद करता हूं, क्योंकि अभी मेरे साथियों ने अलग-अलग जिलों में अपने-अपने जो संत रहे हैं, उनका नाम लिया। इस मौके पर गोविन्द गुरूजी ने जिस भजन के माध्यम से उस भक्ति आंदोलन को तैयार करके भक्ति के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ने का तय किया था, उसकी चार लाइनें मैं समर्पित करता हूं। हमारे मालविया साहब अच्छी तरह से बार-बार इस भजन को गाते भी हैं।

मानगढ़ में म्हारी धूणी तो अवध में म्हारी थाली है भूरेटिया
नहीं मानो रे नहीं मानो,
अवध में म्हारी थाली है कांबोइये म्हारी कोंडी है, भूरेटिया
नहीं मानो रे नहीं मानो,
कांबोइये म्हारी कोंडी है अहमदाबाद में म्हारी जाजम है भूरेटिया
नहीं मानो रे नहीं मानो,
अहमदाबाद में म्हारी जाजम है, दिल्ली में म्हारी कलम है भूरेटिया
नहीं मानो रे नहीं मानो,
दिल्ली में म्हारी कलम है, वेणेश्वर म्हारो सपणो है भूरेटिया
नहीं मानो रे नहीं मानो।

साथियों, इस भजन के माध्यम से आदिवासी इलाके के अन्दर क्रांति की भावना जागृत करने वाले गोविन्द गुरू थे। अभी डूंगरपुर से मेरे सदस्य गणेशजी घोघरा साहब, अच्छा होता कि, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नामकरण विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में करते, आप विरोध करते तो मुझे आपत्ति नहीं होती, मैं आपका समर्थन करता। लेकिन उस गुरू गोविन्द के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बांसवाड़ा जिले की यूनिवर्सिटी का नाम अगर रखा है तो कोई गलत काम नहीं किया है। बहुत अच्छा काम किया है। इसलिये आदिवासियों के विकास के लिए सरकार योजना बनाती है और विकास होता आया है, होता रहेगा।

(श्री हरेन्द्र निनामा)

इस मौके पर मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को याद करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के अन्दर जनजाति विभाग का गठन किया, विभाग का गठन करने के बाद में नन्दलालजी मीणा को जनजाति विभाग का दायित्व दिया और उस मेवाड़ी ने पूरे जनजाति अंचल के अन्दर विकास करके दिखाने का काम किया।

इस मौके पर मैं देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी याद करना चाहता हूं कि उन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई., प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क के नाम से एक योजना बना करके पूरे देश में सड़कों का जाल बनाया। जाल तो बनाया सड़कों के लिए, लेकिन उन्होंने भूरिया कमेटी, जो दिलीपसिंहजी भूरिया, एम.पी. से जीतकर दिल्ली में जाते थे, उनके नाम से कमेटी बनाई। वह भूरिया कमेटी लागू होने के बाद में पूरे टी.एस.पी. एरिये के अध्यक्ष के पद पर आदिवासी भाई भी चुनाव में जीतते हैं। चाहे वह सरपंच का पद हो, चाहे वह प्रधान का पद हो, चाहे वह विधायक का पद हो, चाहे जिला प्रमुख का पद हो, यह सब भूरिया कमेटी की देन है तो यह भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है हमारे राज में आने के बाद में।

हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 तारीख को वेणेश्वर पुल बनाने के लिए डी.पी.आर. की घोषणा की। मैं स्वागत करता हूं आपने डी.पी.आर. बनाई। लेकिन आपने बजट का भी उसके अन्दर, विकास के लिए प्रावधान किया होता तो बहुत ही बढ़िया होता। उसमें बजट का प्रावधान नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में डी.पी.आर. बना करके 41 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखा है, ताकि हाई-लेवल का पुल वेणेश्वर में बने। यही नहीं वेणेश्वर का विकास करने के लिए 8 करोड़ की लागत से सुन्दर एनीकट बना है। बाहर से जो पर्यटक आते हैं, वहां पर उस पुल को देख करके याद करते हैं कि यह भी किसी ने काम किया है तो वह काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

इस मौके पर मैं पूर्व माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धुरा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके राज के अन्दर आपने प्रतापगढ़ जिले के अन्दर आश्रम विद्यालय ही नहीं खोले, हाड़ी रानी बटालियन के नाम पर वहां लड़कियों की भर्ती की गयी, उस बटालियन की स्थापना की गयी, जिसमें आदिवासी बालिकाओं को नौकरी करने का मौका मिला। यही

(श्री हरेन्द्र निनामा)

नहीं, माननीय वसुन्धरा जी ने बांसवाड़ा जिले में सुरक्षा की दृष्टि से एम.बी.सी. बटालियन एक हजार की भर्ती करके वहां पर बोर्ड का गठन किया। जमीन का आबंटन किया, पैसा दे दिया और आज वहां पर काम भी चल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): इस तरह का एक ऐतिहासिक काम अगर किसी ने किया है तो वह काम वसुन्धरा जी ने किया है। मैं इस मौके पर आज एकलव्य को याद करना चाहूंगा। एकलव्य हमारे आदिवासी समाज का वह बालक था जो स्वाभिमान से, गुरू द्रोणाचार्य ने कहा कि आपका अंगूठा काटकर मुझे दे दो तो हंसते-हंसते एक आवाज पर अंगूठा काटकर देना वाला यह आदिवासी समाज, आदिवासी भाई बड़े स्वाभिमान के साथ में जीने का हक रखता है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया। यही नहीं, देश के प्रधान मंत्री मोदीजी ने वह काम करके दिखाया, मैं अपनी बात खतम करने से पहले कहूंगा कि पी.एम.जी.एस.वाई. में मकान बनाने की योजना लागू करके देश में एस.सी., एस.टी. के परिवारों को जिस तरह से पक्के मकान में रहने की जो व्यवस्था की, मैं आपको और सदन को यह बताना चाहता हूं वर्ष 2016-17 के अंदर जब यह योजना लागू हुई तो उस समय में मैं घाटोल पंचायत समिति का प्रधान था। प्रधान था तो मैंने वहां पर इस तरह से काम किये कि जिससे 12918, एक साथ काम करने के बाद राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर घाटोल पंचायत समिति को प्रथम स्थान पर लाने का काम किया। इसी वजह से हमारे माननीय कटारिया जी बैठे हैं और माननीय वसुन्धरा जी ने मुझे बुलाकर भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया और जीतकर यहां आपका साथी बनकर इस सदन में बैठा हुआ हूं।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा। विराजिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मैं मेरी बात को खतम करूंगा। यह तो काम किया है लेकिन, बांसवाड़ा जिले के उस पार जो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है और जयसमंद झील है, सुंदर झील है, सोम-कमला-अम्बा है, जो उदयपुर संभाग के अंदर है। इन तीनों

(श्री हरेन्द्र निनामा)

जगह काम करने का, नहरों का सुदृढ़ीकरण करने का काम, करोड़ रुपये देने का काम भी वसुन्धरा जी ने किया था, यह भी एक ऐतिहासिक काम हुआ था। हमारे यह पुराने साथी हैं जो कभी-कभी इस सदन में मजाक करते हैं। प्रताप सिंहजी खाचरियावास साहब का नाम लेते हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब का नाम लेते हैं, कभी-कभी चौधरी साहब का नाम लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): मैं आपको इसलिए यह बात कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। आप विराजिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-30 और 51 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्वी राजस्थान से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र से आती हूं और जहां तक मैंने महसूस किया है मैंने देखा है कि कुछ गांवों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, जहां जिनके पास शिक्षा पहुंच गयी, जो शिक्षित हो गये, उन लोगों को हम छोड़ देते हैं और उन गांवों को भी छोड़ देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और जाति के सभी लोगों की गांवों में अगर उनकी स्थिति देखें तो आज भी पिछड़ापन है। कई सालों से मैं ऊपर के लेवल पर यह सुनती आई हूं कि अब पिछड़ापन कम से कम दूर हो गया, आरक्षण की वजह से लेकिन मैंने जो महसूस किया है आज भी बहुत पिछड़ापन है और बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन लोगों तक वह पहुंच नहीं पातीं। आज हम देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में जनजाति मंत्रीजी थे तो हम यह सुना करते थे कि इस क्षेत्र को नहीं दे रहे, उस क्षेत्र को नहीं दे रहे। मेरे पूर्वी राजस्थान को माडा योजना के अंतर्गत कई सारे कामों के बारे में हमने भी

(श्रीमती इन्द्रा)

विचार किया, बात की तो हमें मालूम चला कि इस गांव को इधर से नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में माननीय जनजाति मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपको तो कम से कम भेदभाव नहीं करना है। आपको सबको देना है। जिन्होंने भेदभाव किया, उनके लिए भी एक समान रहना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बौंली में, बौंली क्षेत्र और पूरा बामनवास विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है जनजाति बहुल क्षेत्र है। उसमें कई सारी योजनाओं को चालू करने की आवश्यकता है और हम माडा योजनान्तर्गत कई सारे काम करवा सकते हैं। भवन निर्माण, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों एवं इनके अलावा और भी कई सारे काम हम करवा सकते हैं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट में पांच सालों से हमने वहां पर काम नहीं देखा। हम आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहेंगे कि माडा योजनान्तर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसमें हमारे क्षेत्र में इन कामों को गति दी जाए और इनमें अधिक से अधिक काम करवाए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बौंली में चालीस गांव माडा योजना के अंतर्गत आते हैं और लगभग 70 गांव बामनवास के अंतर्गत आते हैं। इतने गांवों के आने के बावजूद भी पानी की इतनी समस्या गांवों के अंदर है। माडा योजना के अंतर्गत पानी की समस्या का हम समाधान करवा सकते हैं। हम आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहेंगे कि सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कनेक्टिविटी नहीं है तो योजना बनाकर उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए और पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को अम्बेडकर योजना से स्कूटी वितरण की जाए और यह योजना लागू की जाए। आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति की बालिकाएं क्षेत्र के अंदर बहुत पिछड़ी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुझे कई जगह पर यह महसूस हुआ कि गांवों में बालिकाओं को दूरी की वजह से पढ़ाई छुड़वा लेते हैं

(श्रीमती इन्द्रा)

और उनको पढ़ाई से वंचित रख दिया जाता है। बालिकाओं ने कई जगह पर स्कूटी की मांग की है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगी कि इस योजना को लागू किया जाए।

अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में शुद्ध पेयजल, सड़क में नाली निर्माण, ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करना भी अति आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के छात्रावास खोले गये हैं लेकिन उनमें सिर्फ गार्ड के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर पढ़ाई कराने के लिए शायद टीचर्स की व्यवस्था की जाती है लेकिन आज मैंने जो मालूम किया है, मुझे जितनी जानकारी है, वहां पर कोई भी पढ़ाता नहीं है। बालिकाएं जैसे गांव के अंदर स्कूल में जाती हैं और फिर घर आ जाती है। खाना खाया, अपना दैनिक जीवन का काम किया और फिर स्कूल चले जाना, वहां होस्टल में रहने का मतलब, उनको पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पाता है इसलिए उनकी पढ़ाई की प्रोपर व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बौंली और बामनवास दोनों जगह पर मेरे छात्रावास हैं। बामनवास के अंदर जो छात्रावास है वह बालिकाओं का और बालकों का कम्बाइंड है। दिन के अंदर एक दिन मैं वहां पर चली गयी तो देखा कि शौचालय में पानी नहीं आ रहा था।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्री के जवाब तक ही बढ़ा दो।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप तो रहते नहीं हो उस टाइम पर। हां, मेरे को ध्यान है, अटैची लेकर अभी चल देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप चिंता मत करो, यहीं पर हूं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या करूं, मैं आपको यहां से देखता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, जनजाति विकास योजना के अंतर्गत जो छात्रावास बनाये गये हैं उनमें पानी की अति आवश्यकता है और सुबह से दिन में ही पानी खतम हो जाता है। बालिकाओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समय-समय पर जांच करवाई जाए और सभी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी जांच करवाई जाए।

(20.00 बजे)

सभापति महोदय, जनजाति कस्बों को विद्युत पम्प सैट एवं कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की अति आवश्यकता है और यह गांवों के अंदर अगर हम उपलब्ध करवाते हैं तो ग्रामीण विकास में बहुत ही फायदा होगा। आपने हमें बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदयजी, मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के विषय को लेकर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदयजी, जनजाति क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के आस्था के केन्द्र वेणेश्वर धाम, आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम, पांडवों की तपोभूमि घोटिया अम्बा धाम, त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ, यह जो स्थल हैं, वह आदिवासियों के उस क्षेत्र के आस्था के केन्द्र हैं और प्रति वर्ष इन स्थलों पर मेलों का आयोजन होता है। उन मेलों में राजस्थान के अलावा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी कई प्रान्तों के लाखों आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।

माननीय सभापति महोदयजी, उन स्थलों के लिए विकास का श्रीगणेश पूर्व मुख्य मंत्री सम्माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत के हाथों से किया

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

गया था। इसके पहले उन स्थलों पर किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ था। माननीय सभापति महोदयजी, मानगढ़ धाम शहीद स्थल का आधा हिस्सा हमारे गुजरात क्षेत्र में आता है और आधा हिस्सा हमारे राजस्थान के हिस्से में आता है। हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने गुजरात का जो हिस्सा था, बहुत ही सुंदर बागवानी और विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों को लगाकर उसको सुंदर बना रखा है। हमारे राजस्थान के हिस्से में जो हिस्सा आता है, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी और हमारे वागड़ मेवाड़ की चिन्ता करने वाले सम्माननीय कटारिया साहब के द्वारा वहां की पूरी योजना बनाकर करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान करके वहां पर संग्रहालय, शहीदों की यादगार में विभिन्न कार्य-पेयजल, सड़क, बागवानी, हरियाली की पूरी व्यवस्थाएं स्वीकृत करके कार्य प्रगति पर हैं। हमारे आदिवासियों के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया गया। माननीय सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गुजरात की तर्ज पर यह आदिवासियों के आस्था के जो केन्द्र हैं, उनको आप बजट उपलब्ध कराकर अति सुन्दर बनाने का काम कराएं।

(20.02 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, सबसे बड़ी विडम्बना है कि वर्ष 2018 में पूर्व मुख्य मंत्री सम्माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी और सम्माननीय कटारिया साहब का बांसवाड़ा जिले में जनजाति सम्मेलन का कार्यक्रम था। इस विशाल कार्यक्रम में इनके द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जनजाति क्षेत्र के किसानों को दो-दो लाख रुपया जनजाति विकास विभाग से उपलब्ध करवाकर इनके कुए गहरे कराये जाएंगे। उसमें लगभग 9 से 10 हजार कुए हमारे बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में और अधिक हैं, इनकी स्वीकृति प्रदान हुई। उसके अंदर श्रमिक का जो भुगतान है वह मनरेगा योजना के अन्तर्गत उसमें शामिल किया गया था। सभी किसानों ने अपने-अपने कुए गहरे कर दिये और कर्ज लेकर काम पूर्ण कर लिया है। डेढ़ साल होने के बाद अभी तक मनरेगा योजना का पैसा, जो श्रमिक के रूप में नहीं मिला, इस कारण से किसानों को अभी तक इसका भुगतान नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

महोदयजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि अगर हमारे किसानों को मनरेगा योजना में श्रमिक का पैसा नहीं मिलता है तो आपसे निवेदन है कि दो लाख रुपया, जो हमारी स्वीकृति जनजाति विकास विभाग से हुई है, उसी में लेबर कम्पोनेंट जोड़कर इनका भुगतान किया जाता है तो काफी किसान उससे राहत प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पूर्व सरकार के द्वारा गुरू गोविन्द सामुदायिक भवन स्वीकृत हुए थे। मेरे क्षेत्र में काफी सारे किसानों को कृषि के लिए सौर ऊर्जा चलित लिफ्टें स्वीकृत हुई थीं, जिसमें लालपुरा, ओडवा, बिलड़ी, खेरिया, मादेला पाड़ा, ठिकरिया, माही बिलोदा बेडिया आदि क्षेत्र जो कडाना बैक वाटर के अंदर आता है, उनकी जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। वर्तमान सरकार ने आते ही यह कृषकों के लिए जो लिफ्ट योजनाएं थीं, उनको निरस्त कर दिया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि उनको पुन: स्वीकृत कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण जंगलों में, पहाड़ियों में और बिखरी बस्तियों में अलग-अलग रूप से हमारे आदिवासी लोग निवास करते हैं। जहां पर शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क आदि सुविधाओं से वंचित रहते आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक बच्चों की शिक्षा के लिए मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाएं, हैण्ड पम्प खोदे जाएं, ग्रेवल सड़क, एनीकट निर्माण, लिफ्टों का निर्माण किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा कक्षा-कक्षों का निर्माण हमारे क्षेत्र में करवाया जाए। प्रार्थना स्थलों के लिए वहां पर टीन-शेड से प्रार्थना सभा स्थल बनाये जाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा अनुरोध है कि हमारा बांसवाड़ा टी.एस.पी. क्षेत्र 80 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी) : सर, पहली बार बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष: आप सब लिखकर दे दें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): एक मिनट सर। जनजाति क्षेत्र आता है। माननीय, हमारे जनजाति क्षेत्र में 12.56 प्रतिशत जो जनसंख्या है, उसके आधार पर हमारे यहां बजट का आबंटन होना है और जनजाति विकास विभाग से जो बजट आबंटन हो रहा है, उसमें मेरा निवेदन है कि टी.एस.पी. क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बजट होता है, विधायक कोटे के अलावा टी.एस.पी. क्षेत्रों के जितने विधायक हैं, उनको टी.ए.डी. विभाग के मद में से तीन-तीन करोड़ रुपये का अतिरिक्त अगर उनको बजट दिया जाता है तो समान रूप से सभी विधान सभा क्षेत्रों में इससे विकास हो सकता है जो नियमानुसार आवश्यक हो।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के कुल बजट में से 13 प्रतिशत बजट जनजाति क्षेत्र का हक है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसमें 13 प्रतिशत बजट हमारे क्षेत्र को उपलब्ध कराकर क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग हमारे साथ रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा निवेदन है कि जनजाति बहुत क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग भी निवासरत हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए राजस्थान में 16 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है, परन्तु टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी एवं पंचायती राज में मात्र 5 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाता है। आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जाति का जो 16 प्रतिशत आरक्षण है, वह दिया जाए एवं टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और बच्चों को कोचिंग सुविधाओं से जो वंचित रखा जा रहा है, उससे उनको जोड़ा जाए। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में संचालित योजनाओं का समस्त लाभ इन्हें मिलना चाहिए।

इसके साथ-साथ जिला स्तर पर बालक-बालिका कोचिंग सेंटर, छात्रावास खोला जाए ताकि इन बच्चों का कल्याण हो सके। अध्यापक लेवल प्रथम एस.सी., एस.टी. के रिक्त पद इन्हीं वर्ग से भरे जाएं। रीट उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): 30 प्रतिशत एसटी वर्ग का मापदण्ड रखा

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

गया है और एस.सी. के लिए जो 60 प्रतिशत मापदण्ड रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा निवेदन है कि इनके लिए भी 36 प्रतिशत मापदण्ड रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा एक अंतिम निवेदन है सदन में अभी एक बात उठी थी कि 2 अप्रैल, 2018 को एस.सी., एस.टी. एट्रोसिटी कानून एक्ट को लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे जनजाति के लोगों को भ्रमित करके आंदोलन करवाया गया। सड़कों पर लोगों की मौतें हुईं, कई सारी दुर्घटनाएं हुई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एस.सी., एस.टी. एक्ट का जो कानून था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लचीला किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मेरा निवेदन है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया हो गया। प्लीज, समाप्त करें। निर्मला सहरिया। आप समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): उसको हमारे देश के प्रधान मंत्री ने पुन: यथावत रखने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा नहीं, आप बैठें। आप नहीं सुन रहे। गलत परम्परा ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, आप नये सदस्य हैं, नियमों को समझें।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। मांग संख्या 30 और 51 पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सर, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं सहरिया बहुल क्षेत्र है वहां पर सहरियाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा की बात कहूं तो सहरियाओं के बच्चे छात्रावासों में, आवासीय विद्यालयों में पढ़कर बारहवीं और दसवीं तो कर लेते हैं, साथ ही बी.ए. फाइनल भी कर लेते हैं लेकिन इन्हें आगे बढ़ने के लिए या कोचिंग करने के लिए कोटा या बारां आना पड़ता है। इनके पास आय कम है, ये अपने लिए मेहनत मजदूरी करके जैसे-तैसे बच्चे ऊपर तक आ जाते हैं। मंत्री महोदय जी से मेरी तो यही मांग है कि यह बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए या तो कोटा में इनके लिए एक सहरिया होस्टल खोला

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

जाए ताकि सहरियाओं के बालक-बालिकाएं कोटा रहकर उच्च कोचिंग कर सकें। आप अगर कोटा में व्यवस्था नहीं कर सकें तो बारां में तो इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करें, सर। मंत्री महोदय से मेरी यही मांग है।

सर, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वहां स्वच्छ परियोजना चलती है, मंत्री महोदय से मेरी यही मांग है कि वहां पर जो मां-बाड़ियां चल रही हैं उन मां-बाड़ियों में जो रोटियां बनाने वाली हैं, खाना बनाने वाली हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए।

साथ ही मैं यह कहूंगी कि वहां के जो स्कूल खुले हुए हैं उनमें एक एक कमरा है, तीस बच्चे हैं। आपने जब मां-बाड़ियां खोली थीं जो नियम बनाये थे कक्षा एक से लेकर कक्षा तीन तक के लिए, मैं मांग रखती हूं कि बच्चों को कक्षा एक से तीन के बजाय उनको कक्षा पांच तक किया जाए ताकि बच्चे इधर-उधर नहीं भटकें। कक्षा तीन तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन बच्चों को आगे दूसरे स्कूल में नहीं लिया जाता इसलिए उन बच्चों की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि कक्षा पांचवीं तक उनका स्कूल किया जाए ताकि बच्चे आगे पढ़ सकें।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग रखती हूं कि मां-बाड़ियों में बच्चों को खाना खाने के बाद हाथ धोने, पानी पीने के लिए घरों में जाना पड़ता है क्योंकि स्वच्छ परियोजना के जरिये ये मां-बाड़ियां चल रही हैं, इनमें पैसा बहुत अधिक नहीं आता है, तो मैं मांग रखती हूं कि इनके लिए वहां स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए टंकियां बनायी जाएं ताकि इनको घरों में नहीं जाना पड़े।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि पिछले टाइम सहरियाओं के लिए 25 परसेंट जो आरक्षण मिला...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सर, दो मिनट। सर, मांग ही रख रही हूं, दो मांग हैं मेरी।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सर, जो 25 परसेंट आरक्षण दिया गया है तो 25 परसेंट आरक्षण में नीचे स्तर पर ही सहरियाओं को लिया

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

जाता है, पटवारी, मास्टर, सैक्रेटरी इनमें, सर, मैं चाहती हूं कि सहरियाओं को उच्च स्तर पर भी लिया जाए, उसके लिए इनका भी कोई नया प्रावधान करें ताकि वे बड़े स्तर पर भी नौकरियां पा सकें।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सहरिया जंगल में रहते हैं सर, अधिकतर जंगल में निवास करते हैं। सुबह जंगल में निकलते हैं और जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आते हैं। पास में ही मेरे मध्य प्रदेश सटा हुआ है वहां पर यह अपनी जड़ी बूटियों को बेचते हैं क्योंकि दूसरे राज्य में इन जड़ी बूटियों का दाम अच्छा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे ही क्षेत्र में कस्बा थाना शाहबाद में, पास पड़ता है, इन दोनों जगह अगर उचित मूल्य की दुकान खोली जाए, मेरे ही एरिया में दुकान खोली जाए ताकि उनको अच्छा दाम मिल सके साथ ही अपनी रोटी-रोजी के लिए उन्हें एम.पी. में नहीं जाना पड़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा। माननीय सदस्य, पांच-पांच मिनट में बोलेंगे। माननीय सदस्य, अब पांच-पांच मिनट में अपनी बात बोलेंगे, नई बात बोलें जो अभी तक चर्चा में नहीं आई।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 51 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने जहाजपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति प्रकरण जो 30 साल से पैंडिंग था, माननीय पूर्ववर्ती सरकार के नेतृत्व में मूर्ति स्थापना की, हमारे एस.सी., एस.टी. के भाइयों को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सम्मान मिला। पूर्ववर्ती सरकार में माननीय वसुन्धरा राजे जी के समय राजस्थान के सर्वोच्च पद चीफ सैक्रेटरी की पद पर नियुक्ति की गयी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गयी। यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्मान मिला। इसी तरह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एस.सी. के भाइयों को सम्मान मिला, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया गया तो श्री रामनाथ कोविन्द को भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र है, आप हमारे वहां के लोकप्रिय सांसद रहे हो, अति पिछड़ा क्षेत्र है। वहां एक तरफ तो बनास नदी है और एक तरफ पूरी अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां लोग शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी है वहां ट्राइबल फंड से कक्षा कक्ष स्वीकृति की जाए। स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहां शिक्षकों के रिक्त पद हैं विषय अध्यापक के पद भरे जाएं, खेल मैदानों की व्यवस्था की जाए और वहां जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं उन लोगों को कृषि कनेक्शन का प्रावधान किया जाए, सामान्य श्रेणी में लागू किया जाए क्योंकि हमारे गरीब लोगों को आठ-आठ, दस-दस साल से सामान्य श्रेणी में कनेक्शन नहीं मिलता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की समस्या है वहां एनीकट्स बनाये जाएं। वहां आश्रम छात्रावास खोले जाएं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम छात्रावास खोले जाएं। वहां भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एकलव्य माडल स्कूल खोलकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, बच्चों को शिक्षा मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों ने मांग की है कि 9 अगस्त को राजस्थान आदिवासी दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया जाए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): एस.सी., एस.टी. को 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरीश जी जो अभी गुणगान कर रहे थे उनसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हरभजन मीणा की जो पुलिस वालों ने निर्मम हत्या कर दी थी, बजरी ट्रैक्टर ले जा रहा था और 500 रुपये रिश्वत के नहीं देने के कारण उसका पीछा करके 20 किलोमीटर उनियारा थाने से नगरफोर्ट थाने में आकर उसकी हत्या की गयी, अभी भी उसके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं मानता हूं कि मैं आपका बहुत लाड़ला विधायक हूं इसलिए मुझे बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र के युवाओं की मांग को देखते हुए उन्होंने सागवाड़ा, उदयपुर और जयपुर में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने के लिए जो सेन्टर खोले हैं, मैं पूरे आदिवासी क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

कुछ समय पहले भाजपा के माननीय सदस्य कह रहे थे, उससे पहले डूंगरपुर के एमएलए साहब बात कर रहे थे जीजीटी यूनिवर्सिटी के बारे में, उनसे बात करते-करते ही यह बात निकल गयी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नाम बदलने का काम करती है। हम सब चाहते हैं और गोविंद गुरू को कौन नहीं मानता? गोविंद गुरू उदयपुर संभाग के लिए भगवान हैं। लेकिन उनको अगर गोविंद गुरू के नाम से यूनिवर्सिटी शुरू करनी थी तो नई यूनिवर्सिटी खोलकर बांसवाड़ा में स्थापित करते तो मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम किया है। आज इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं लेकिन केवल नाम परिवर्तन करने का ही काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। कल भी मोदी जी के नाम पर बहुत बहस चली। जिस दिन, 2014 से मोदी जी केन्द्र में बैठे हैं, उस दिन से भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासियों को जो मिलने वाली योजना है, 2013-14 में 3225.31 करोड़ थी। 2015-16 में और उसके बाद 2016-17 में 3470 आई। 2017-18 में 1710 आ गया, आधे पर आ गया बजट। उसके बाद 2018-19 में 2222 पर आ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि क्या हो गया? क्या सब लोग शिक्षित हो गये? विकसित हो गये? जो इस प्रकार से हमारे हर बजट को आधा कर दिया जाता है। यह हस्ताक्षरशुदा आंकड़ा मैं कह रहा हूं। मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि केन्द्र में जो मोदी जी की सरकार है, आप उनसे आग्रह करें कि इस प्रकार से आदिवासियों का शोषण नहीं करें। खैर, आपने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया है। यह आपका सबके सामने है।

(श्री रामलाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो अब सीधे-सीधे मांगों पर आता हूं। मेरे क्षेत्र में नवीन छात्रावासों की आवश्यकता है जिसमें रायपुर, अरनोद में, बोरी है पीपलखूंट में, हिंगलाड अरनोद में, कानगढ़ अरनोद में, चकुंडा अरनोद में, देवपुरा प्रतापगढ़ में, पाल प्रतापगढ़ में, मोड़दामनियां पीपलखूंट में, कचौटिया पीपलखूंट में बालक आश्रम छात्रावास खोलने की मांग करता हूं। इसके अलावा दलौठ में, धरियावद में, छोटी सादड़ी में, देवपुरा में आवासीय विद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि जब पूर्व में गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय कृषि यंत्रों पर भी 90 परसेंट सब्सिडी जनजाति को दी जाती थी। जनजातियों को तो पाइप, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सारे फ्री में दिए जाते थे लेकिन वसुन्धरा जी की सरकार आई तो सारी की सारी सब्सिडी को खतम करके भोले-भाले आदिवासियों को 50 परसेंट की सब्सिडी कर दी। उनको सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाई। मैं वापस आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो सब्सिडी आदिवासियों को दी जाती थी 90 परसेंट और फ्री में जो यंत्र दिये जाते थे, वे पुन: फ्री में दिए जाएं। गहलोत साहब के टाइम पर खाद, बीज फ्री में दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो खाद, बीज बंद कर दिया था। पुन: खाद, बीज दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी भी यहां पर विराजमान हैं। वहां एससी की जनसंख्या भी है और जिनकी स्थिति भी बहुत गंभीर है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर एक एससी का होस्टल दिया जाए। आज तक वहां एससी का होस्टल नहीं है। इससे एससी के लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। दूसरा एमबीसी में भी देवनारायण बोर्ड से भी होस्टल की सुविधा हो तो प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर गुर्जर, गायरी, रेबारियों के लिए भी देवनारायण बोर्ड से छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग में लगभग सभी विभागों में कई सारी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरे प्रतापगढ़ की ही कहूं तो 2012 शिक्षक भर्ती में 316 पद बाकी रह गये थे, जो 2013 में जोड़ने थे लेकिन सरकार परिवर्तित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी वह सीटें बाकी पड़ी हैं। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और सरकार से

(श्री रामलाल मीणा)

मांग करता हूं कि सभी डिपार्टमेंट्स की जितनी भी बैकलाग सीटें पड़ी हैं, एक साथ करके भरी जाएं।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय और दीजिए। उसके बाद में जितनी भी मां-बाड़ी केन्द्र हैं, उनके बारे में सभी सदस्य कह रहे थे कि इनकी तीसरी कक्षा को बढ़ाकर के पांचवीं तक किया जाए। मां-बाड़ी के जो शिक्षा सहयोगी हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। उनकी सीएल, पीएल की व्यवस्था भी कराई जाए। एक-एक मां-बाड़ी केन्द्र पर एक-एक सहयोगी है, वह जब छुट्टी पर जाता है तो मां-बाड़ी केन्द्र बंद कर दिया जाता है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मां-बाड़ी केन्द्रों में एक की जगह दो शिक्षा सहयोगी किये जाएं। विभिन्न क्षेत्रों में और मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मां-बाड़ी केन्द्रों में गैस के सिलेंडर के नाम पर भी बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। उसकी भी जांच कराई जाए। स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत जो प्रबंधक हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर कई शिकायतें आईं। भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें आईं। पोषाहार वितरण के बारे में भी शिकायतें आईं। उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। उनका अब रिटायरमेंट होने वाला है। उन मिश्रा जी को एक्सटेंशन देकर वापस नहीं लगाया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति मंजूर की जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज जनजाति मद से राशि विभिन्न संस्थाओं के मार्फत दी जाती है, उसमें जो अर्पण सेवा संस्थान है, उसने बहुत सारा गड़बड़झाला किया है। मैं सदन में मांग करता हूं कि 5 साल तक के अर्पण सेवा संस्थान ने जो काम किये हैं, उनकी जांच कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय, बीएड और एसटीसी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग के लिए टीएसपी क्षेत्र के युवाओं को टीएसपी क्षेत्र के अलावा कालेज मिलते हैं, जो कि काफी दूर पड़ते हैं। वह गरीब रहते हैं। मैं मांग करता हूं कि उनको उन्हीं के एरिये में कालेज आबंटित की जाए ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज सभी ने, माननीय दयाराम जी परमार ने,

(श्री रामलाल मीणा)

देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मुरारीलाल जी ने आदिवासी दिवस की बात की। उसके लिए भी सभी जगह छुट्टी घोषित की जाए। इसे सभी मुख्यालयों पर मनाया जाए। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 12 में से 5.5 जो डिमांड कर रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में, इसकी भी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त हो गया। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)। श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 51 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर महापुरुष को नमन करता हूं। उनके संविधान की वजह से आज मैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके सामने उपस्थित हूं।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो प्रधान मंत्री आवास योजना चलाई, उससे गरीब परिवारों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 70 परसेंट लोग कच्चे मकानों में निवास करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इनका सर्वे करवाकर जो बाकी लोगों के मकान बचे हैं इनको भी पक्का बनाया जाए।

हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहली सरकार में दसवीं का स्कूल और बाद में जब हमारी सरकार बनी तो बारहवीं का स्कूल खोला। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों और बच्चों को गांव में ही पढ़ने का मौका मिला। पहले दूरदराज जाना पड़ता था। इससे गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे, बच्चियां पढ़ने से वंचित रह जाते थे। इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

(श्री कालूराम)

अध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड से जो 30 हजार से 3 लाख तक का इलाज मुफ्त मिला, यह भी एक बहुत बड़ी योजना थी।

इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक कूप निर्माण से जोड़ा जाए। यह नरेगा की स्कीम है। इसको अगर हम सार्वजनिक कूप निर्माण से जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान को एमपी की सरकार ने कुए का निर्माण कराया। अगर इस तरह से हम राजस्थान में भी कुआं खुदवाएंगे तो किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पोप योजना में 10 हजार रुपये की अनुदान राशि मिलती है। 10 हजार से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। पोप योजना की सारी फाइलें बैंक लौटाकर वापस भेज देते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पोप योजना में आप बैंकों को पाबंद करें और इसका लोन दिलाएं। आप इसकी जानकारी कर लें कि वित्तीय वर्ष में कितनी पोप योजना की फाइलें आपकी गयीं और कितनों में लोन स्वीकृत हुआ?

अध्यक्ष महोदय, पंप सैट की योजना भी केन्द्र की योजना है। इसमें भी 10 हजार रुपये की अनुदान सहायता मिलती है। इसको भी बढ़ाकर करीब 40-50 हजार रुपये किया जाए ताकि गरीब लोगों को पंप और उसके साथ जो भी सामान आए, वह मिल सके। कृषि कनेक्शन लघु, सीमांत किसानों को 10 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। उसमें भी किसानों का पूरा नहीं होता है। इस पर जितना खर्च आए, वह दिया जाए। शिल्पकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार रुपये कार्यशाला के लिए दिया जाता है। कार्यशाला की दुकान बनाने में कम से कम 1 लाख रुपये लगते हैं, 10 हजार में तो नींव ही नहीं भराई जाती है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह राशि भी बढ़ाई जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कूप ब्लास्टिंग योजना में भी 10 हजार रुपये कूप ब्लास्टिंग के लिए दिए जाते हैं। इन 10 हजार रुपये में कूप ब्लास्टिंग नहीं की जा सकती इसलिए माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कूप ब्लस्टिंग में राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जाए।

(श्री कालूराम)

सम्बल ग्राम विकास योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर 40 परसेंट जहां एससी की जनसंख्या निवास करती है वहां इस योजना में जो पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने चलाई थी, उसमें यह जानकारी की जाए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों को इस योजना से पैसा मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री आदर्श आवास योजना में अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत से अधिक गांव वालों को इसका फायदा नहीं मिला है, इसकी भी जानकारी करके इसका फायदा दिलाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति डग में छात्रों का एक आवासीय स्कूल खोला जाए ताकि दूरदराज से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष में कितने किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया, इसकी भी जानकारी दिलाई जाए। समाज कल्याण द्वारा एक लाख का ऋण दिया जाता है, इसकी जानकारी लेकर कि दस वर्ष में कितने किसानों को इसका लाभ मिला, यह भी बताया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों द्वारा समय पर फार्म न भरवाए जाने के कारण अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है, उनको समय पर छात्रवृत्ति दिलाए जाने पर भी ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की इन समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 51, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम, सभी क्षेत्रों की नगरीय सीमा व अनुसूचित जाति की खातेदारी जमीन जो वाणिज्यिक उपभोग में आती है, सरकार द्वारा अन्य समुदाय को बेचने पर लगी पाबंदी के कारण अनुसूचित जाति खातेदारों को अपनी जमीन की आधी कीमत भी नहीं मिल पाती है। मेरी सरकार से मांग है कि वह

(श्री अमर सिंह)

नगरीय क्षेत्र की एक निश्चित सीमा तय कर ऐसी व्यवस्था या कानून बनाए जिससे कि अनुसूचित जाति के लोग अपनी जमीन बाजार के भाव से अन्य समुदाय को विक्रय कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं इसलिए उनको पढ़ाई हेतु नजदीक कस्बे या शहर में प्रति दिन आना-जाना पड़ता है। अधिकांश अनुसूचित जाति वर्ग आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है इसलिए रोजाना आने-जाने का खर्च वहन करना उनके लिए मुश्किल होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण अधिकांश बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं इसलिए मेरी मांग है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को घर से और विद्यालय या महाविद्यालय तक आने-जाने हेतु नि:शुल्क पास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकंड।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के पास खेती हेतु जमीन का आबंटन न होने के कारण अधिकांश व्यक्ति मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई करने के उपरांत अगर व्यवस्थित नौकरी न मिले तो वह किसी काम का नहीं रहता है इसलिए मेरी मांग है कि प्रदेश में प्राइवेट सैक्टर में अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 51 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी और हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिण्डवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित किया। जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र के अंदर काम हुआ, मेरे पिण्डवाड़ा तहसील के अंदर, दो आवासीय जनजाति बालिका

(श्री समाराम गरासिया)

छात्रावास खोले। जो एससी की चिंता करते हैं, एससी वालों के लिए भी छात्रावास और तीन जनजाति छात्रावास हमारी सरकार ने बनाए, मैं उसके लिए हमारी सरकार का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। जैसी आप चिंता करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं लेकिन हर नगरपालिका के अंदर, बाबा साहब भवन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपने जरूर नकल मारकर पंचायत समिति में बनाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन आपने फिर भी नकल तो भारतीय जनता पार्टी की ही की इन्होंने बाबा साहब का नाम सबसे आगे रखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी पूर्ववर्ती सरकार को जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र के अंदर इतना विकास हुआ, जिस प्रकार से जनजाति की चिंता की, मां-बाड़ी को देखते हुए, मां-बाड़ी कितनी खोली। कुछ आंशिक भाग रहा उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहूंगा कि कम से कम यह बाकी पंचायतों को भी टीएसपी में लिया जाए और कृषि कनेक्शन दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार को भी लिखें कि पूरे प्रदेश में एसटी के लोग जो नोन टीएसपी में रहते हैं, उनका कृषि कनेक्शन क्यों नहीं होता है? जिस प्रकार से अधिकार सबका बराबर है, एससी और एसटी का कानून सबका बराबर बना हुआ है लेकिन कृषि कनेक्शन के लिए उनको बाहर क्यों रखा गया? जनरल में क्यों दिया गया? कम से कम यह भी व्यवस्था आपके माध्यम से हो कि एक नया कानून और नया विकास हमारे एसटी वालों को मिलेगा तो आपका बहुत उपकार मानेंगे कि वास्तव में इस सरकार ने कुछ भला किया है जनजाति विकास के लिए। कम से कम इसका कुछ करें, आप करेंगे तो एसटी वाले लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता, नोर्म्स के आधार पर मिलता है, यह आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे। जिस प्रकार से नया टीएसपी क्षेत्र बना है, माननीय मंत्रीजी विद्वान हैं, 2003 से 2008 तक मंत्री रहे थे, इनका मार्गदर्शन हमें मिला था, जनजाति की खूब चिंता करते थे, मैं मानूंगा कि हमारे सियारा में जनजाति छात्रावास बने, कम से कम एक तो बना दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि जब आपकी सरकार थी 2009 से 2013 तक उस समय आपने कई स्मारक और शिलालेख लगाए

(श्री समाराम गरासिया)

थे, यदि फिर से घोषणा होती है तो भी मानता कि वास्तव में जनजाति की चिंता करने वाली यह कांग्रेस की सरकार है। यह आप लोग जोर-जोर से इधर से बोलते हैं, हमने तो कुछ बोला नहीं, हम तो चुपचाप सुनते थे क्योंकि हमारी सरकार में काम करने की क्षमता थी। आपमें तो काम करने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता जरूर है। क्योंकि आपकी सरकार में तो यह है कि असत्य बोलो, जोर से बोलो और झट बोलो। यह आपका सिस्टम चला है। लेकिन वास्तव में हमारी सरकार में यशस्वी मुख्य मंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आपने ऊंट के मुंह में जीरा ही दिया है। भाषण के अंदर जनजाति को कुछ दिया किया नहीं है। जनजाति के लोग सोच विचार करते हैं और आपके पास में सामान नहीं है। भले ही कुछ भी चिल्लाओ, कुछ भी करो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आपके सात-आठ महीने तो निकल गए, पंचायत समिति के चुनाव आ जाएंगे, फिर आपके तीन साल बचेंगे तो मंत्री महोदय को माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहता हूं कि जनजाति का कल्याण करो, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आप हैं तो कम से कम नाम रहेगा। जैसे अभी भी जनजाति क्षेत्र में जाते हैं तो लोग याद करते हैं कि वास्तव में सरकार ने क्या किया। अब कहते हैं क्या एमएलए साहब, कुछ होगा क्या। मैं कहता हूं पांच साल तक तो भजन बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की स्थिति है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपकी विचारधारा के लोग भी कहते हैं, एमएलए साहब, आपकी सरकार के टाइम में क्या काम हुए हैं, लेकिन वास्तव में धन्यवाद देता हूं हमारे सिरोही, पाली, जालौर, मेवाड़ के उन मतदाताओं को कि वास्तव में एकतरफा मत दिया है, ठीक है कुछ कारण था पाली में, जालौर की एक सीट नहीं आई, एक ही सीट आई मात्र।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, धन्यवाद।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं, लोग सुनते हैं, एक, दो, तीन, चार लोन माफ, आपकी सरकार बना दी लेकिन फिर भी हमारे यहां से एक भी सांसद की सीट नहीं आई। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30-जनजाति और अनुसूचित जनजाति और मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उसके ऊपर मैं एक शेर कहना चाहूंगा,

झूठ के आरोप पर इतना ही कह सकता हूं,

बहुत हमको कहे 'काफिर', अल्लाह की मर्जी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथियों सुबह से काफी सदस्यों ने बोला है और बताया है कि हमारी सरकार में हर पंचायत पर स्कूल खोली है, मैं कहना चाहूंगा इतना असत्य मत बोलो, आठ पंचायत अभी भी बाकी हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है सीनियर स्कूल, आठ पंचायतें हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तालियां बजा रहे थे उसके बारे में बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब का सपना था कि सभी शिक्षित बनें परंतु भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सपने रोकने का काम किया है क्योंकि एसटी-एससी, गरीब पढ़-लिखकर आगे न बढ़ें, इसलिये इन्होंने 21 हजार स्कूलें बंद कीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के नाम से जो विश्वविद्यालय बना था, उसे बंद करने का काम किया। मैं इतना कहना चाहूंगा हमारे राजेन्द्र जी गुढ़ा महाराजा साहू जी को याद कर रहे थे कि उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

हम सभी दो सौ सदस्यों को भी दुनिया याद करे और आगे तक इतिहास याद करे कि हम भी कोई गरीब, पिछड़े बच्चे को पढ़ाकर विदेश में भेजें और जब वह पढ़-लिख आए तो देश-दुनिया का नाम रोशन करे। सुबह से सभी सदस्य आपस में एक-दूसरे के बारे में बोल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो संविधान सभा का चेयरपर्सन बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, वे चाहे जिसे चेयरपर्सन बना सकते हैं।

मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य

(श्री गोपाल लाल मीना)

न्यायाधीश नियुक्त करें। कौन मना करता है? उस समय राष्ट्रपति पहले कांग्रेस पार्टी बनाती थी। आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाएं। कौन मना कर रहा है? कांग्रेस पार्टी थी, जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने मिलकर संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन किया जो इस देश का संविधान बनाने के लिए सक्षम थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं एक मिनट में अपने सुझाव दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: दें न फिर आप। इंतजार क्यों कर रहे हैं?

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 9 अगस्त, आदिवासी दिवस को छुट्टी हो और वह पूरे प्रदेश में हो। यह नहीं कि आदिवासी एक तरफ रहते हैं और बाकी अलग। हम सब एक हैं। 9 अगस्त को छुट्टी होनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो मांबाड़ी केन्द्र खुल रहे हैं, उनमें जो सामग्री खरीदी जा रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वहां की जो भी खाद्य सामग्री है, वह प्राइवेट से न खरीदकर सहकारी उपभोक्ता केन्द्र से खरीदें ताकि उसमें भ्रष्टाचार न हो पाये।

जो भी टीएडी में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो दस-दस वर्षों से वहां बैठे हैं, उन्हें बदला जाए। वे जानते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। उन सब अधिकारियों को बदला जाए ताकि वे सही ढंग से काम कर पाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टीएसपी और नोन-टीएसपी एरिया में तत्कालीन मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब टीएसपी एरिया में स्कूटियां बंट रही थीं तो नोन-टीएसपी के लिए हमने निवेदन किया और मीटिंग में बात रखी तो उन्होंने उस समय नोन-टीएसपी में भी स्कूटी देने का काम किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): वन्य क्षेत्रों में पट्टे देने की घोषणा आदरणीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी, उसके लिए पूरे आदिवासियों को, जो वन्य क्षेत्र में पट्टे देने का काम किया, काफी कुछ हो भी गया, लेकिन टीएसपी एरिया में हुआ है, नोन-टीएसपी में अभी तक भी वह

(श्री गोपाल लाल मीना)
काम पूरा नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन कामों को भी पूरा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रसाद।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 51 पर जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले हम जो आदिवासी थे, आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं थे और अंग्रेजों के समय आदिवासियों को बाहर रखने के लिए 1874 में शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। उसमें सैक्शन 91 और 92, जिसके तहत हमें उनके नियंत्रण से बाहर रखा और भारत के संविधान में ये जो सैक्शन 91 और 92 थे, वे पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के रूप में आये।

यह पांचवीं अनुसूची जो आज तक लागू नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पांचवीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसमें आदिवासियों को शासन और प्रशासन पर नियंत्रण मिलना चाहिए और उसमें शत प्रतिशत पद रिजर्व होते हैं। इसमें जो नियंत्रण है, वह आदिवासी सलाहकार परिषद् और जो ग्राम सभा अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत होती हैं, उसके नियंत्रण में होती हैं। इसके पीछे हम यूं समझ सकते हैं कि आदिवासी आदिवासी पर राज कर सकता है, आदिवासी गैर आदिवासी पर राज कर सकता है, लेकिन गैर आदिवासी आदिवासी पर राज नहीं कर सकता है, यह पांचवीं अनुसूची में दे रखा है।

हमने जब संविधान की पांचवीं अनुसूची की बात करनी शुरू की तो आसपुर में भाजपा के शासन में आदिवासी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो 2 अप्रैल को पूरे देश में था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उस वक्त उन्होंने तलवारें चलायीं। आदिवासियों और एससी-एसटी समाज के ऊपर तलवारों से हाथ-पैर काटे। साथ ही 17 आदमियों पर असत्य मुकदमे लगाये। हम जो खास तौर से शिड्यूल्ड एरिया में हैं, हमारे खिलाफ जो बात चलायी जाती है कि आदिवासी इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये सामाजिक समरसता बिगाड़ते हैं लेकिन आदिवासियों का एक भी ऐसा मामला देश में कहीं भी नहीं होगा जब आदिवासियों ने किसी पर हमला किया होगा।

(श्री रामप्रसाद)

आदिवासियों को बदनाम करने के लिए, उन्हें खतम करने की जो यह साजिश है, उसके तहत ही लगातार हम पर आरोप लगाये जा रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है, उससे हम समझ सकते हैं कि देश के आदिवासियों पर सीआरपीसी, आईपीसी नहीं लगती है और साथ में ही समता जजमैंट जिसमें बोला गया है कि इस देश में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या गैर आदिवासियों की इस शिड्यूल्ड एरिया में एक इंच जमीन नहीं है। यह बात हाई कोर्ट में जब कांग्रेस ने 41, 5 और 50 का अधिनियम जारी किया, उस वक्त उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने जब समता जजमैंट का हवाला देते हुए यह कहा कि जिस एरिया में एक इंच जमीन नहीं है, वह अपना मकान नहीं बना सकता। मकान नहीं बना सकता तो रह नहीं सकता और रह नहीं सकता है तो वहां का निवासी नहीं हो सकता है।

ऐसा करके स्थानीय निवासियों के नाम से जो अधिसूचना जारी की थी, उसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और उसे दोबारा भाजपा की सरकार ने आनन-फानन में, नंदलाल जी जो चेयरमैन थे आदिवासी स्वरोजगार परिषद् के, उन्हें हटाकर खुद चेयरमैन बन तुरंत आनन-फानन में स्थानीय निवासी की जगह सद्भावी निवासी करके उसे वापस ले आयी और हम पर इस तरह से कुठाराघात किया। यह सब जिस तरह से चल रहा है, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आप अभी बोल रहे थे कि आदिवासी हैं, वे आदिवासी कभी भीख नहीं मांगते हैं। हम उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि भीख मांगने वाला कौन है? ये लोग करोड़पति-लखपति कैसे हो गये? आदिवासी हमेशा मेहनत करके जिंदा रहता है, वह भीख नहीं मांगता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो अनुच्छेद 13(3) का है, वह आदिवासियों की रूढ़िगत परम्पराओं, प्रथाओं को संवैधानिक अधिकार देता है। विधि का बल है, वह अपना जो निर्णय करते हैं, सब करते हैं और उधर से....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): इसके अन्दर यह निर्णय हुआ कि न लोक सभा, न विधान सभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): उसके लिए मैं करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासी इलाका है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो दोनों पार्टी को बोलना। प्लीज, अब हो गया।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): उनके जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों की मूर्तियां और चौराहों का निर्माण करके आदिवासी संस्कृति को जिन्दा रखा जाए। श्रीमान् से हमारा निवेदन है कि जो 5वीं अनुसूची है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। छठी अनुसूची में हम प्रवेश करेंगे और छठी अनुसूची ही, हमारे भील प्रदेश की मांग है, उससे साकार होगी। यही बात करके मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, जनजाति क्षेत्रीय विकास। एक मिनट मंत्री जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 30 और 51 के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्वीकृति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 व 51 पर विचार

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव पर भिन्न-भिन्न मुद्दे सदन में उठाये हैं। माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव के जवाब निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। जनजाति समूह के सर्वांगीण विकास हेतु माननीय सदस्यों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को ध्यान

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

में रखा जाएगा। आज सदन की चर्चा में शामिल हुए माननीय सदस्यों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

हमारी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु कटिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सात माह के अल्पकाल में जनजाति समुदाय के उत्थान हेतु कई कदम उठाये गये हैं। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विभाग की राशि 639.64 करोड़ बजट में अनुमानित प्रस्तावित की गयी है जो गत वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमानों से 88.58 करोड़ रुपया यानी 16.7 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पुन: आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जनजाति समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मार्फत कराये जाने वाले विकास कार्यों के लिए जनजाति उप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 15953.89 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है जो राज्य के कुल बजट का 13.67 प्रतिशत है। गत वर्ष 2018-19 से 1369.69 करोड़ रुपये यानी 9.39 प्रतिशत अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति समुदाय के समग्र, समन्वित, सुनियोजित विकास हेतु संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की। राज्य की कुल जनसंख्या की 13.45 प्रतिशत आबादी जनजाति समुदाय की है जिसमें 39.27 प्रतिशत जनजाति वर्ग की आबादी अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में निवास करती है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में जनजाति वर्ग की विकास योजना के संचालन के लिए माडा, क्लस्टर, बिखरी बस्ती, सहरिया क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य सरकार इन सभी जिलों के लिए संकल्पबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें ग्रीन हाउस, स्टोरेज, जिन्स, सिंचाई हेतु पाइप लाइन इत्यादि पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

जाएगा। वर्ष 2019-20 में 1,65,905 कृषक लाभान्वित होंगे। इसी के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति पशुपालकों की आय में वृद्धि करने हेतु कम दुधारू उत्पादक पशुओं की नस्ल सुधार कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा जिसके लिए पशुपालन विभाग के साथ कृत्रिम गर्भाधान की योजना लागू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में करीब 4 हजार पशुपालक इससे लाभान्वित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति उप योजना क्षेत्र में तीन उत्पादक सहकारी संघ उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में स्थापित हैं। इनको सुदृढ़ करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 5.25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी तथा बांसवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को सुदृढ़ करने हेतु एक परियोजना तैयार की जाकर राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में जनजाति उप योजना क्षेत्र में सिंचाई हेतु माही, कडाना, सोम, कमला डैम उपलब्ध हैं। जिन सिंचाई परियोजनाओं पर इन क्षेत्रों में कृषकों की खेती पर पानी नहीं जा रहा है उन क्षेत्रों को, उन काश्तकारों को सिंचाई हेतु 50 नवीन जलोत्थान सिंचाई योजना सोलर के माध्यम से स्थापित करके लाभान्वित किया जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ में 4952 कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के क्षेत्र में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक विचाराधारा से ऊपर उठकर छोटे-छोटे एनीकट बनाकर सिंचाई विभाग के माध्यम से उन एनीकटों को बनाकर, समस्त टीएसपी क्षेत्र में उन किसानों को पानी दिया जाएगा और उनके खेतों में सिंचाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में माननीय सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आने वाले समय में जहां अधिक से अधिक एनीकट बनाकर किन-किन एरिया में काश्तकारों को लाभान्वित किया जाएगा, उसके लिए प्रस्ताव तैयार करके आने वाले समय में वहां एनीकट बनाकर उन काश्तकारों को लाभान्वित किया जाएगा।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में, मैं वनाधिकार के बारे में कहना चाहूंगा कि जन घोषणा पत्र की मन्शा के अनुरूप वनाधिकार अधिनियम के लिए आनलाइन पोर्टल प्रारम्भ करके दावे प्राप्त किये। उसके साथ में हमने 1 जून, 2019 से 15 जून, 2019 तक विशेष अभियान चलाकर जो तमाम निरस्त दावे थे उनको उन शिविरों के माध्यम से वन अधिकार पट्टों को उन काश्तकारों के 38124 दावे सत्यापित, पुनरीक्षण करके कार्यवाही की गयी जिनमें 29597 दावे व्यक्तिगत किये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार सृजन के लिए किसी भी स्वस्थ एवं उन्नत समाज हेतु युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

(21.00 बजे)

जनजाति युवकों को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने हेतु तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण व होटल व्यवसाय के क्षेत्र में भी जनजाति युवक-युवतियों को फूड क्राफ्ट संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गत वर्ष में 590 जनजाति विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इस प्रकार जनजाति समुदाय के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास योजना के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय रोजगारोन्मुख लघु अवधि पाठ्यक्रम में अब तक 16758 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं 4800 को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गये हैं। इसी कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा स्वयं के 5 कौशल केन्द्रों का निर्माण जिला उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा में किया जा रहा है, जो इस वर्ष में पूर्ण होना संभावित है। इन प्रत्येक केन्द्रों में प्रति वर्ष लगभग ढाई सौ जनजाति युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति के योग्य युवकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आगामी समय में उदयपुर में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को रोजगार हेतु मध्य प्रदेश के रोजगार प्रदान करने वाली प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों को भी, इस मेले में आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा अभी जनवरी के अंदर जनजाति वर्ग के लिए

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

आदिवासी एकता परिषद् द्वारा दादर नागर हवेली में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हमने दो हजार व्यक्तियों को टीएसपी क्षेत्र के पांच जिलों से भेजा था।

जनजाति कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करने हेतु जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा प्रथम बार तीन दिवसीय उत्सव, आदि महोत्सव उदयपुर के अंदर हमने आयोजित किया जो 14 से 16 जून तक किया गया था जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से जनजाति कलाकारों के दलों द्वारा परम्परागत नृत्य, कलाएं, संस्कृति की प्रस्तुति दी गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस देश की संस्कृति और कलाएं अगर कहीं विद्यमान हैं तो आदिवासी समाज के अंदर है, जो विभिन्न तरह से दिखाई जाती है।

मैं इसके साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमने इधर नेशनल लेवल पर भी एक आयोजन रखने का प्रस्ताव रखा है। अभी कई माननीय सदस्यों द्वारा माननीय वीर राणा पूंजा की स्थिति के बारे में बताया था, उनके बारे में काफी जिक्र किया था कि महाराणा प्रताप के बाद में अगर भीलों के राजा के रूप में देखा जाता है तो वीर राणा पूंजा के नाम को जाना जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजसमन्द में मचीन्द के अंदर वीर राणा पूंजा की मूर्ति के आगे, वन विभाग ने ईको-टूरिज्म स्थल के रूप में, वहां पर एक अच्छा सा ईको-टूरिज्म डवलप किया जाएगा जिसको 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति अभी-अभी जारी कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खेलों की जो चीज सामने आई थी, खेलों में भी वीर एकलव्य के बारे में, द्रोणाचार्य ने जब अंगूठा काटा था, तब भी उन्होंने तीर धनुष चलाना सीखा, अंगूठे से नहीं, दो अंगुलियों से तीर चलाकर, आज भी हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग है, अभी भी जैसे मेरे को भी कहो, दो अंगुलियों से तीर चलाना, अभी भी हमारे समाज में, आदिवासी समाज में ऐसे आदिवासी युवा में विद्यमान है। इसके लिए आर्चरी का खेल पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उसमें भी कई लोग खेल के माध्यम से आगे आते हैं। उस हिसाब से जनजाति वर्ग की खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 13 खेल छात्रावासों का संचालन कर रहे हैं। प्रति वर्ष 475 छात्र एवं 400 छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में प्रशिक्षण के फलस्वरूप विगत वर्षों में 33 छात्र-छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लिया गया जिसमें तीन खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त किया गया। तीर और धनुष के नाम से, हमारे यहां कई ऐसे खिलाड़ी निकले, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वर्ण पदक भी लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आवासीय विद्यालय में जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनको हम डेपुटेशन पर शिक्षा विभाग से लेते हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे छात्रावासों को ध्यान में रखते हुए अभी-अभी 112 विषय विशेषज्ञों को एनओसी देकर इन आवासीय छात्रावासों को लाभान्वित करने का काम किया है। कुछ आवासीय विद्यालय जहां विषय विशेषज्ञों की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होगी कि स्वच्छ परियोजना के माध्यम से विषय विशेषज्ञ, सब्जैक्ट टीचर लेकर तमाम आवासीय विद्यालयों में जहां रिक्त पद हैं, उनको भरकर वहां छात्र-छात्रा जो रहने वाले हैं, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कटिबद्ध है, यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार बनने के ठीक दो महीने बाद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों का आवासीय कैम्प रखकर, उनके कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से प्रत्येक जिले में आवासीय कैम्प लगाकर उनको हमने गाइड लाइन दी और उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद में हमने फिर रिजल्ट आने के बाद में वापस कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से मीटिंग की और उन मीटिंग के माध्यम से मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि 140 बच्चों ने नीट की तैयारी के लिए कोटा और उदयपुर के अंदर अभी तक एडमिशन ले लिया है। हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूं कि एक बच्ची, सलूम्बर के अंदर गरीब बच्ची थी, जिसने होस्टल के अंदर अध्ययन करके 85 परसेंट बनाया। वह एक सपना देख रही थी कि मैं एक नर्स बन जाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारी उस परिवार से जाकर मिले, दो बार मिले और उसके बाद में उस बच्ची को मोटिवेट करके कोटा में नीट की तैयारी के लिए लाया गया।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

पिछले समय में उन बच्चों को जहां तक विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती थी, साल के अंत में दी जाती थी और जो-जो बच्चे उन कोचिंग में प्रवेश ले रहे हैं, उन बच्चों को एडवांस में सहायता राशि मुहैया कराकर, हमने उनकी तैयारी की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं आपके माध्यम से इन तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन विपक्ष के मेरे साथी तमाम सदस्य मिलने के लिए आए थे। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में विकास करना है, टीएसपी क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा जगत में आप सब मदद करें और जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे पढ़ने योग्य हैं, जो बच्चे आज हताश होकर बैठे हैं, उनको इस विभाग से जोड़ें और हम अधिक से अधिक उन बच्चों को आर्थिक सहायता दिला करके विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विभाग द्वारा जनजाति बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रशिक्षण परीक्षाओं की तैयारी एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क आवासीय एवं भोजन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा एवं बारां में कुल 560 बालिकाओं की क्षमता के बहूद्देशीय आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जहां बहूद्देशीय छात्रावास चल रहे हैं, जहां बच्चियां रह रही हैं उनको हम नये सिरे से उन बच्चियों को जो गांव से आने वाली बच्चियां हैं और गांव में रहती हैं तो अंग्रेजी सब्जैक्ट में उनकी कमाण्ड नहीं होती है इसलिए हम अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स भी महीने में दो दिन, चार दिन चलाएंगे और उन बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

उसके साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का, जयपुर में 388.33 करोड़ रुपये की लागत से सौ छात्राओं की क्षमता वाला बहूद्देशीय छात्रावास भवन प्रगति पर है और बहुत कम समय में उसको संचालित करेंगे।

विभागीय विद्यालय, माडल पब्लिक स्कूल, डीकली, उदयपुर एवं डूंगरपुर के सेन्टर आफ एक्सीलेंस इस सत्र में प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इससे व्यक्तित्व विकास, कैरियर काउन्सलिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, अंग्रेजी एवं गणित विषयों की विशेष क्लासें लगायी जाने के साथ उक्त दोनों विद्यालयों

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

में कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग में परीक्षा के साथ प्रवेश परीक्षा नीट एवं आईटी की तैयारी करने हेतु विशेष कोचिंग प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि इस प्रतियोगी युग में जनजाति छात्र-छात्राओं को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष के बजट में जनजाति विभाग के लिए की गयी घोषणा हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा एवं उदयपुर में उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर खोले जाने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास के लिए जयपुर में जहां गरीब आदिवासी का बच्चा रह नहीं सकता था, जहां गरीब क्षेत्र का बच्चा पढ़ नहीं सकता था, उसके लिए दस करोड़ का प्रावधान करने व काउन्सिलिंग सेन्टर प्रारम्भ करने की बजट घोषणा की है। उसकी बजट घोषणा ही नहीं निविदा भी लग चुकी है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पूरे टीएसपी क्षेत्र और जनजाति विभाग की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि पहली बार आजादी के बाद में जयपुर के अन्दर टीएसपी और तमाम जनजाति के छात्रों के लिए सौ बच्चों के लिए काउन्सलिंग का प्रावधान रखा है। उपरोक्त प्रत्येक सेन्टर पर सौ विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्ष, ट्रेनिंग सेन्टर, कैरियर काउन्सलिंग, कम्प्यूटर, लाइब्रेरी, डाइनिंग हाल एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित सौ दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। उसके तहत तीन हजार स्कूटियां स्वीकृत की गयीं। सौ छात्रावासों में आरओ वाटर कूलर स्थापित किये गये तथा 63 जनजाति कन्या छात्रावास विद्यालयों में सैनेटरी नैपकिन निस्तारण संयंत्र स्थापित किये गये हैं। पचास नवीन मां-बाड़ियों के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि तीन सौ मां-बाड़ी भवन बनाना प्रस्तावित हैं और प्रत्येक मां-बाडी की 6 लाख की कोस्ट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

हूं कि कैरियर काउन्सलिंग को निरन्तर बनाये रखने हेतु एक टीम गठित की जाकर विवरण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। शीतकालीन अवकाश में टीएसपी क्षेत्र और सहरिया क्षेत्र में हम 10-10 दिन का कैम्प करके 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को उनके भविष्य के बारे में जानकारी देंगे। आगे कैसे बढ़ा जाए, कम्पीटिशन कैसे दिया जाए, आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत की जाए, यह सारा हमारे शीतकालीन शिविर में लगाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के साथ में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कट-मोशन का जवाब दे देना, माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, चालीस माननीय सदस्यों ने अपने कट-मोशंस में सुझाव दिये हैं उनको लिखित में जवाब दे दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मांग स्वीकार कर दी जाए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-30 और 51 के ऊपर चालीस माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही अमूल्य सुझाव और अपने विचार रखे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 115 सदस्यों ने अपने कट-मोशंस विभाग के सामने रखे और मैं कहना चाहूंगा कि जो कट-मोशंस विभाग को प्राप्त हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी लिखित में उनके घर के पते पर जवाब भेज दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू ने 1951-52 में पहली पंचवर्षीय योजना में यह समझा, देखा कि इस देश में एससी/एसटी और गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं इसलिए एक विभाग का गठन किया जाए और 1951-52 में, उस पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के नाम से एक विभाग का गठन किया। उसके बाद में 1955-56 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया ताकि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में एससी/एसटी के गरीब

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से किया जाए। उसके बाद 21.2.2007 को राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने इसका नाम समाज कल्याण से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया, क्योंकि इसके अन्दर कम से कम सौ से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जो इस विभाग से संचालित होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि विभाग की सबसे बहुत बड़ी योजनाएं हैं, वे योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। उसके अन्दर विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन और दूसरी जितनी पेन्शनें हैं जो अलग-अलग प्रकार की पेन्शन हैं ये सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हैं और ये विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं।

उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए डाक्टर अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास सुविधा और आवासीय विद्यालय योजना जैसी योजनाएं इस विभाग के द्वारा शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं।

महिला एवं बाल कल्याण की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। महिला सदन, नारी निकेतन, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना, सहयोग योजना, महिला स्वयंसिद्धा योजना, राजस्थान राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार एवं पालनहार योजना।

इसके अलावा वृद्धजनों के लिए वृद्ध कल्याण योजना, इसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं, यह भी इस विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उत्थान की योजनाएं भी इस सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती हैं जिनमें अनुसूचित जाति उपयोजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास एवं सहकारी निगम द्वारा राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम योजना द्वारा, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, 20 सूत्री कार्यक्रम में कई प्रकार की योजनाएं, संबल ग्राम योजना, यह भी इसी में है। प्रधान मंत्री आदर्श

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

ग्राम योजना, गाड़िया लुहारों की विशेष योजना, चाहे भवन निर्माण की हो, चाहे कच्चा माल खरीदने की हो, आर्थिक उत्थान की ये योजनाएं भी इसमें चलती हैं।

सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण योजना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो एससी, एसटी एक्ट, जैसा सब माननीय सदस्यों ने बोला है, 2 अप्रैल, 2018 की बात सभी ने बोली है, इस अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे।

इसके अलावा डाक्टर संविता बेन अम्बेडकर अन्तरजातीय विवाह है, अम्बेडकर पुरस्कार योजना है, अंत्येष्टि अनुदान योजना है। जहां लावारिस लाशें मिल जाती हैं, उनको कोई जलाने वाला नहीं है, उनके लिए भी पैसा इस विभाग के द्वारा दिया जाता है।

देवनारायण योजना में, राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने पिछली हमारी सरकार के समय देवनारायण योजना चालू की। इस योजना के अंतर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण योजना के अंतर्गत अनुप्रति योजना, देवनारायण योजना में घोषित 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज, देवनारायण योजना में छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि और देवनारायण गुरुकुल योजना, ये योजनाएं हैं जो इस देवनारायण योजना में संचालित हो रही हैं।

विभाग द्वारा चलायी जा रही समाज सुधार की अन्य योजनाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं हैं, नशा मुक्ति के लिए हमारे एनजीओ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और एनजीओ के मार्फत, हमारे राजस्थान में काफी एनजीओ हैं जो नशा मुक्ति केन्द्र चलाते हैं। नशे में शराब का नशा हो, अफीम का नशा हो, दूसरे नशे हों, उनको छुड़ाने का काम विभाग द्वारा किया जाता है।

नव जीवन योजना, यह योजना वह योजना है जो हमारे ऐसे व्यक्ति जो शराब निकालते हैं या शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है। ज्यादातर पाली, जोधपुर इधर के इलाके में काफी लोग हैं जिनको हम इससे लाभान्वित कर रहे हैं और उनके बच्चों को स्कूल में हम फ्री एजुकेशन दिलाते हैं।

कारागृह कल्याण सेवाएं, निराश्रित संबल योजनाएं, यह ऐसी योजना है जो हमारे विभाग द्वारा चलाई जाती है।

विशेष योग्यजन, इनका नाम पहले निःशक्तजन था, दिव्यांगजन हुआ, उसके बाद इसका नाम विशेष योग्यजन हो गया। विशेष योग्यजन योजना के अंतर्गत हम छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं। मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए उनको पैसा दिया जाता है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

आस्था योजना चलाते हैं, सुखद दाम्पत्य विवाह जीवन के लिए भी हम पैसे देते हैं। संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान भी उनको दिया जाता है। विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना भी चलाई जा रही है। विशेष योग्यजन पेंशनधारी को भी एकमुश्त राशि देने की योजना है। पोलियो करेक्शन योजना, विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना भी इस विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनते ही राजस्थान में कई आदेश निकले जो हमारी अलग-अलग प्रकार की योजनाएं थीं, वृद्धावस्था पेंशन में हमने 500 से 750, 750 से 1000 रुपये पहले ही दिन, कैबिनेट की पहली बैठक में हमने किया। विधवा पेंशन में भी हमने 55 से 60 वर्ष की विधवा की पेंशन 500 रुपये से 750 रुपये प्रतिमाह चालू कर दी। हमने विशेष योग्यजन के लिए 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को पेंशन का 750 रुपये से 1000 रुपये हमने वृध्दि कर दी। यह हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में हुआ था, लेकिन यह बताना जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ इनका। 75 वर्ष से ऊपर की आयु के पेंशनर की पेंशन भी 750 से बढ़ाकर, विशेष योग्यजन को 1250 रुपये किया गया है। राजस्थान में आजादी के बाद पहली दफा ऐसे कई किसान वंचित थे जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, उस लघु व सीमांत कृषक के लिए हमने तय किया, वह भी पहली बैठक में, कि राजस्थान में हमने 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये और 75 से अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये, यह लघु एवं सीमांत कृषक के लिए नई योजना हमने चालू की है।

अध्यक्ष महोदय, पेंशन योजना यह इतना कठिन कार्य था, मैं कहना चाहूंगा पिछली सरकार में 4 लाख पेंशनधारियों को मृत घोषित कर दिया। उनकी पेंशन बंद कर दी मृत घोषित कर। लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री जी ने फिर आदेश दिया कि इसकी जांच करो। जांच में यह 2 लाख पूरे के पूरे पाये गये, क्योंकि जब आदमी का अंगूठा नहीं लगता, अंगुली नहीं लगती है तो बैंक वाले कहते हैं कि एक साल बाद पेंशन, इसलिए इसको मृत घोषित किया जाता है। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर पिछली सरकार द्वारा सही तरीके से इसका सरलीकरण किया होता तो कोई भी व्यक्ति मृत घोषित होता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में 74 लाख 13 हजार पेंशनर्स हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे विभाग में मैंने सबसे पहले एक ही बात देखी कि जो आदमी पेंशन लेता है वृद्ध व्यक्ति का अंगूठा नहीं मिलता, अंगुलियां नहीं

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

मिलती। मैंने तय कर लिया कि 15 दिन में, क्योंकि आवेदन पड़े रहते हैं, मैं पहले आवेदन की बात कर लूं, 15 दिन के अंदर-अंदर पेंशन आवेदन पत्र स्वीकृत होने चाहिये थे, डेढ़-डेढ़ साल तक, दो-दो साल तक पड़े रहते थे। मैंने टाइम बाउंड प्रोग्राम तय कर दिया कि 30 दिन के अंदर-अंदर, अधिकारी की जांच 30 दिन में और 15 दिवस में अधिकारी और अगले 45 दिन में पूरी प्रक्रिया करके 90 दिन में उस व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, यह हमने सरलीकरण किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह टाइम बाउंड प्रोग्राम तय कर दिया। पेंशन लेने वाला व्यक्ति सबसे पहले ई-मित्र के पास जाएगा और ई-मित्र ज्यों ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र के आधार कार्ड के आधार पर या ई-मित्र कियोस्क पर, कहीं भी जा सकता है। जो जांच अधिकारी ग्रामीण का तहसीलदार है, ईओ नगरपालिका शहर का है, उसको 30 दिन के अंदर-अंदर उसका निपटारा करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्वीकृति के लिए बीडीओ और एसडीएम को 15 दिन का समय दिया गया है। भुगतान अधिकारी, उप कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उसको 45 दिन का समय दिया गया है। कुल मिलाकर 90 दिन में पेंशनधारी को पेंशन मिलेगी। वह सीधा हमारे पोर्टल पर आ जाएगा, वह ई-मित्र पर या कहीं पर भी फार्म जमा कराएगा, वह सीधा पोर्टल पर आ जाएगा। हमने यह काम चालू कर दिया है। हमने डेढ़ सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है। ऐसा नहीं है।

आज वृद्धावस्था पेंशन में 48 लाख 84 हजार 879 व्यक्तियों को हम पेंशन दे रहे हैं। एकल नारी पेंशन 17 लाख 55 हजार 959 को दे रहे हैं। विशेष योग्यजन में 4 लाख 93 हजार 259 को दे रहे हैं। लघु एवं सीमान्त वृद्धजन में 2 लाख 79 हजार 432 को हम पेंशन दे रहे हैं। इतने दिनों में हमने लघु एवं सीमान्त को 2 लाख 79 हजार 432 को पेंशन स्वीकृत कर दी है, यह उनके खाते में जा रही है।

पालनहार योजना। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिनके पिता की डैथ हो जाती है या दोनों मां-बाप की डैथ हो जाती है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, या ऐसे बच्चे जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए पालनहार योजना का संचालन हमारे विभाग द्वारा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके सरलीकरण के लिए, छोटे बच्चे कहां जाएं, कोई संभालने वाला नहीं। एक-दो साल से भटक रहे थे। उनको कोई देखने वाला नहीं। 18.03.2019 से हमारे विभाग के जरिये सरलीकरण कर

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

पेंशन पोर्टल, पीडीएस पोर्टल, शाला दर्पण आदि अन्य पोर्टलों के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया है। पालनहार योजना में पात्र श्रेणी के व्यक्ति, अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड, आजीवान कारावास वाले माता-पिता के बच्चे, निराश्रित की पेंशन पात्र विधवा माता के तीन बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे। हमने भामाशाह और आधार दोनों की एक साथ की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। आधार या भामाशाह में से किसी एक के द्वारा आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन पेंशन, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड आवेदक लाभार्थी के आवेदन में मूल निवास एवं आय प्रमाण पत्र की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है। ये सारा सरलीकरण कर दिया। ये सारा पड़ा रहता था। उनको कोई संभालने वाला नहीं था।

पहले क्या था? पहले तीन भाई-बहन थे। उनमें से एक ज्यों ही 18 साल से ऊपर हो जाता था तो उससे दोनों छोटे बच्चों को लाभ नहीं मिलता था। मैंने वह बाध्यता हटा दी। 18 वर्ष से ऊपर होने पर ही उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाता था, उन्हें पालनहार नहीं बनाया जाता था। उक्त में हमारे द्वारा संशोधन कर सगे भाई-बहन की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें पालनहार बनाकर योजना से लाभांवित किया जा रहा है। यह गरीब व्यक्तियों का डिपार्टमेंट है। एससी, एसटी, गरीब, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अब तो 10 परसेंट आर्थिक आधार वर्ग वाला भी इसमें आ गया।

स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया - स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया को हमने सरल किया है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह आप पहले ही कर सकते थे। हमारी सरकार वाले भी कर सकते थे। मैं कोई आप अकेले को दोष नहीं दे रहा हूं। यह सरलीकरण किया है, मैंने हर प्रकार की योजना का सरलीकरण किया है। आवेदनकर्ता द्वारा ई-मित्र, ई-कियोस्क पर आनलाइन आवेदन, आवेदन ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच एवं स्वीकृति, केवल जो ब्लाक अधिकारी है, जो एसएसओ है, वही इस पेंशन को

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

स्वीकृत करेगा। अब उसको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आक्षेप की कोई भी बात होगी तो तुरंत एक महीने में उस आक्षेप को पूरा करेंगे।

अनुदान राशि व शर्तें - इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु पांच सौ रुपये, लेकिन आंगनबाड़ी में जाना जरूरी। 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1 हजार रुपये, लेकिन उसको स्कूल में जाना जरूरी है। वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए एकमुश्त दो हजार रुपये उसमें विधवा पालनहार और नाता पालनहार, इन दोनों को छोड़कर सबको दी जाएगी। बच्चे की अधिकतम उम्र 18 साल होगी। (व्यवधान) अगर ये सुनना चाहते न तो 41 में 4 आदमी जनरल वाले नहीं बोलते। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि साथियों यह एससी, एसटी का डिपार्टमेंट, एससी, एसटी की योजना, यह एससी, एसटी की मांग, उसमें से 41 में से मात्र 4 हमारे ऐसे साथी थे, जिन्होंने इनके ऊपर अपने विचार व्यक्त किये, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले भाई संयम लोढ़ा, भाई धर्मनारायण जी जोशी, बलवान जी पूनियां और राजेंद्र जी गुढ़ा। ये चार आदमी एससी, एसटी पर बोले हैं। अध्यक्ष महोदय, वोट तो सब लेना जानते हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें। गलत काम कर रहे हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वर्तमान में लगभग 3 लाख 18 हजार 291 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और 2019-20 के बजट में इसके लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह भी मैं कहना चाहता हूं।

छात्रवृत्ति - अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यह विभाग मिला तो मेरे सामने जब यह बात आयी कि पिछली सरकार ने यह क्या किया? 4 लाख ऐसे छात्र थे, जिनकी छात्रवृत्ति पिछले चार साल से, तीन साल से, दो साल से, एक साल से पैंडिंग थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने इसका इतना सरलीकरण कर दिया कि कल तारीख 24 जुलाई, 2019 को मात्र 5057 बाकी रहे हैं और आज ही शाम को हमारे पोर्टल से पता लगा कि केवल 3035 शेष रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उन छात्रों को पिछले चार सालों में जो भटकाया

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

है, उन छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने अखबार में दिया, टीवी में दिया, एसएमएस किया, फोन किया और हमने कहा कि आप सीधा डायरेक्ट फार्म भरिये। आप आफलाइन फार्म भर सकते हो, आनलाइन फार्म भर सकते हो। उसी का नतीजा है कि आज सात महीने के अंदर मात्र 3035 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हैं, छात्रवृत्ति सबको दे दी गयी है। आपके समय चार लाख थे। आज कई माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में किसी भी प्रकार कोई छात्र आपको मिले तो आनलाइन से अपना आवेदन कर सकता है। आफलाइन से अपना आवेदन कर सकता है। उसकी छात्रवृत्ति चाहे तीन साल हो, दो साल हो, चाहे चार साल हो, वह छात्रवृत्ति मैं, मेरा विभाग और मेरी सरकार उस बच्चे को छात्रवृत्ति देंगे।

नया कार्य मैंने किया है योजनाओं का सरलीकरण किया है, वह सुन लो। काफी माननीय सदस्यों ने छात्रवृत्ति और पेंशन के ऊपर बात रखी है। इन योजनाओं के ऊपर किसी ने नहीं रखी है। इन योजनाओं का पता ही नहीं है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्या है? इनको पता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं, प्रतिवेदन पढ़ते तो इनको पता लगता कि अपने को बोलना चाहिए, पता लगना चाहिए, कमी हो तो कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा दिया है, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें।

श्री अध्यक्ष: बहुत ज्यादा हो गया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपने इतना काम किया है, जितना कम शब्दों में इसका वर्णन करो, उतना बढ़िया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गरीबों का डिपार्टमेंट है, सबको थोड़ी जानकारी मिल जाए। सबको जानकारी मिलना जरूरी है। हमेशा रात को 11.00 बजे तक बैठे रहते हैं। क्या ये एससी, एसटी विभाग के लिए नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, ये सब सुनने के लिए तैयार हैं। मधुर भाषा में आराम से बोलें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): तब ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि छात्रवृत्ति के लिए हमने नये

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

सिरे से तय किया है। ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाइन आवेदन, शैक्षणिक संस्था द्वारा 21 दिन में आवेदन की जांच कर स्वीकृत अधिकारी के पास भेजना। स्वीकृति अधिकारी जिला अधिकारी होता है। उसके पास 21 दिवस में जांच कर उसका निस्तारण करना। आवेदन में कोई कमी रह जाती है तो आक्षेप पूर्ति के लिए विद्यार्थी को दिए जाएंगे 30 दिन। आक्षेप की पूर्ति 21 दिन के अंदर वापस करके छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। यह हमारे पोर्टल पर डाइरेक्ट आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने, इस छात्र या छात्रा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। मैंने जैसा पहले कहा है, 150 करोड़ रुपया पोर्टल के आधार पर डाइरेक्ट जारी किया है, अखबार में छपा। बिना आवेदन के, बिना किसी प्रकार के 150 करोड़ रुपये जारी कर दिए। तत्काल सबकी छात्रवृत्तियां स्वीकृत हो गयी हैं, यह मैं कहना चाहूंगा।

छात्रावास की दयनीय स्थिति की माननीय सदस्यों ने बात बहुत की है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में एससी/एसटी के छात्रावासों के हालात खराब हैं। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं और मेरी सरकार हमारा विभाग आने वाले समय के अंदर इन छात्रावासों को सुधारने के लिए पूरी तरह से कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। इस विभाग के अंदर 719 सरकारी छात्रावास हैं और 82 अनुदानित छात्रावास हैं। उनमें क्या होता था उनमें राइडर लगा दिया कि इतने परसेंट बच्चे के नंबर आएंगे तो उस बच्चे को छात्रावास में एडमिशन दिया जाता था। अब एससी/एसटी के बच्चे, ओबीसी के गरीब बच्चे, मैंने तय कर दिया कि 40 परसेंट तक के बच्चों को भी भर्ती किया जाएगा, न 60, न 70, न और। हमने राइडर खतम कर दिया। यह भी मैं कहना चाहूंगा और जो ढ़ाई लाख रुपये का राइडर मां-बाप की ढाई लाख रुपये तक की आय है, वही बच्चा-बच्ची उसमें भर्ती हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से आठ लाख की सीमा तय कर दी, यह भी मैं कहना चाहता हूं। उसकी सीमा आठ लाख कर दी। इसके अलावा हमारे विभाग के अंदर जिन छात्रावासों की दूरी दो किलोमीटर से ज्यादा है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी अब तक। मैं कहना चाहूंगा अगर छात्रावास और स्कूल की दूरी दो किलोमीटर से ज्यादा है तो उन छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

कई वर्षों से छात्रावासों की मरम्मत नहीं हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर छात्रावासों की मरम्मत के लिए हमारा विभाग वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च कर रहा है लेकिन इस राशि को भी बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी।

हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि छात्रावास की हालत खराब है। कोचिंग की कहीं व्यवस्था नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा, कोटा और जयपुर में 500-500 बच्चों को जेईई मेन्स और नीट के अंदर, आईआईटी, आईआईएम, क्लेट (विधि) की कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति में निम्नानुसार प्रावधान किया है:- एससी के विद्यार्थियों के लिए लिए 6 लाख के बजट का प्रावधान, एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 लाख के बजट का प्रावधान और उनको कोचिंग दी जाएगी। यह भी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा। मैं अब संक्षेप में करना चाहूंगा क्योंकि मामला तो अभी डेढ़ घंटे का है लेकिन मैं संक्षेप में कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मामला तो बहुत लंबा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी कर दूंगा। संबल ग्राम, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि राजस्थान के अंदर 40 परसेंट जहां पर पापुलेशन शिड्यूल्ड कास्ट की है, वह गांव संबल विलेज है। पिछले पांच साल के अंदर हमारे एससी/एसटी वित्त निगम है, उनमें एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया। एक नया पैसा खर्च नहीं करने की वजह से पैसा भारत सरकार का आता है, वह कटता-कटता जीरो हो गया। जीरो हो गया, आपने पैसा दिया ही नहीं जिससे राशि लैप्स हो गयी। आपके मंत्री ने, आपकी सरकार ने जहां पर 60 करोड़ में से हर साल 6 करोड़ रुपया गांवों में बांटा जाता, खुर्रा बनता, खरंजा बनता, पाइप लाइन बनती, बिजली लगती, अनेक प्रकार के काम होते, वह आपने नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा अन्याय हमारे उन संबल गांव के लोगों के लिए पिछली सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय 2014 से 2018-19 तक 93.62 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसमें से 11.09 करोड़ रुपये खर्च किये, पांच साल में। सारा बजट लैप्स हो गया। इसी तरह संबल ग्राम है, उसके अंदर 121.52 करोड़ था सामाजिक न्याय और वित्त निगम दोनों में, उसमें से केवल मात्र 19.62 करोड़ रुपये खर्च किये। पांच साल कुछ

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

नहीं। गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुए। एससी/एसटी का मामला था। हमारी सरकार ने अब इस योजना में शत-प्रतिशत व्यय करने का सुनिश्चित कर लिया है, यह मैं कहना चाहूंगा।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सबको दी जाएगी। अब कोई कमी नहीं रहेगी। आवासीय विद्यालय, हमारे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी सहयोग चाहूंगा कि यह जो टीएडी के स्कूल, हमारे देवनारायण के स्कूल शिक्षा विभाग से हम उनको लेते हैं, शिक्षा विभाग आनाकानी करता है। मैं मुख्य मंत्री जी से बात करके चेष्टा करूंगा कि इनका अलग ही काडर बना दिया जाए ताकि कोई प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आए। तभी काम चलेगा। मैं दोनों-तीनों विभागों सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि यह काम भी हमें करना है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण, अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। थानों के अंदर, कोई थाना ऐसा नहीं है जिनमें एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज नहीं होता। प्राय: एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज होता है, चालान भी होता है। चालान होने के बाद कोर्ट के अंदर जो भी होता है, फैसला होता है। उसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि पैसा मिलता है, 8 लाख 25 हजार रुपये तक मिलता है। पहले एफआईआर पर, उसके बाद चालान पर, उसके बाद कोर्ट में फैसला होने पर। लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हमारी सरकार पूरा कमप्लीट डेटा मंगा रही है और उन लोगों की व्यवस्था करेंगे।

बाल कल्याण बजट, बाल कल्याण सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। यह तीन-चार डिपार्टमेंट हैं सामाजिक न्याय में-बाल कल्याण, विशेष योग्यजन, वित्त निगम और सामाजिक न्याय। इसके अंदर 57.60 करोड़ का प्रावधान इस बार रखा है। पिछली बार 42.86 करोड़ का था। इसको भी हम खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, किशोर न्याय बोर्ड, इसके अंदर बाल संरक्षण आयोग और किशोर न्याय बोर्ड के अंदर अध्यक्ष व मैम्बर के पद खाली पड़े थे। हमने तय किया और हाई कोर्ट से हमने निवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हाई कोर्ट का जज, जो रिटायर है, वह इसका चेयरमैन है। हमने पिछले 10-15 दिन से प्रक्रिया लगातार चालू कर दी और हर जिलेवाइज बुलाकर इसको भी

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

हम जल्दी से भरने की कार्यवाही कर रहे है। अनुसूचित जाति निगम के अलावा कई प्रकार के काम हम देख रहे हैं। उनको भी मैं कहना चाहूंगा।

समेकित बाल संरक्षण योजना। छोटे-छोटे बच्चे, एक दिन का बच्चा, सात दिन का बच्चा, झगड़कर बच्ची घर से भागकर आ गयी, अट्ठारहह साल से पहले, अट्ठारह साल से ऊपर, नारी निकेतन, छोटी बच्ची बाल संरक्षण गृह में, पांच मिनट का समय और लूंगा। पिछले साल का बजट था 6875 करोड़ 34 लाख और इस साल का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने, 8790.12 करोड़ रुपये,...(व्यवधान) इस साल जो बजट दिया है, वह दिया है 8790.12 करोड़ रुपये। विशेष योग्यजन के लिए, मानसिक रूग्णता वाले रोगियों के लिए, मैं कहना चाहूंगा जामडोली के अंदर हमारे विमंदित बच्चे रहते है। अध्यक्ष महोदय, 2016 के अंदर 12 बच्चों की मौत हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप उसको देखें, ऐसा बना दिया जैसे कोई फाइव स्टार होती हो। जाकर आप देखिए। वहां पर होस्टल देखिए, वहां पर इन बच्चों की स्कूल देखिए, बच्चों को पढ़ाने वाले देखिए, यह भी मैं कहना चाहूंगा।

यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। हम सामूहिक विवाह के लिए भी पैसा देते हैं। कन्यादान के लिए भी हम पैसा देते हैं। कन्यादान के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 हजार रुपये तय किये हैं। बहुत बजट घोषणाएं हैं आप कहो तो थोड़ीसी पढ़ दूं।

भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राज्य स्तर पर चार प्रकार के राज्य स्तरीय पुरस्कार तय किये जाते हैं। हमारी सरकार ने इन पुरस्कारों का दायरा और बढ़ाते हुए जिला स्तर पर भी उक्त चारों पुरस्कार देने का निर्णय किया है। जिला स्तर पर प्रथम बार 14 अप्रैल, 2020 को अम्बेडकर पुरस्कार दिए जाएंगे।

बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में 91 लाख रुपये का बाल परामर्श एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

अभिनव पहल के रूप में अनाथ बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक भावनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं समुचित पुनर्वास के लिए विशेष नीति तैयार की जाएगी।

राज्य में बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम एवं उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए चालू वित्त वर्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय स्तर पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

उक्त पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, योगा, ध्यान, जीवन कौशल एवं पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में हमने बजट प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष के बजट प्रावधान से लगभग 1916 करोड़ रुपये अधिक है। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, समग्र कल्याण एवं उत्थान के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। (व्यवधान) इसके लिए विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना, विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने के पूर्ण प्रयास किये जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूं।

मैं बजट पारित करने हेतु सदन को प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या 30 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,00,21,99,000/- (एक सौ तिहत्तर अरब इक्कीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 51 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,76,37,36,000/- (दौ सौ आठ अरब छिहत्तर करोड़ सैंतीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलत है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.54 बजे दिनांक 26 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पावटा तहसील कार्यालय में रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

333. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा को तहसील बनाने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील पावटा में तहसीलदार व अन्य स्टाफ पदस्थापित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) तहसील पावटा में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उन पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा को तहसील बनाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.07.2018 को जारी की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) तहसील पावटा में तहसीलदार के पद का कार्यभार कार्यालय जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा नायब तहसीलदार, पावटा को दिया गया है तथा अन्य स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1 तहसील राजस्व लेखाकार का पदस्थापन राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13.06.2019 द्वारा किया गया है तथा 2 कनिष्ठ सहायक, 1 भू-अभिलेख निरीक्षक एवं 17 पटवारी पूर्व से ही पदस्थापित हैं।

(3) नवीन तहसील पावटा में स्वीकृत एवं पदस्थापित कार्मिकों का विवरण-

क्र. सं.	स्वीकृत पदनाम	संख्या	पदस्थापन	रिक्त	विशेष विवरण
1	तहसीलदार	1	-	1	श्री जगदीश प्रसाद, नायब तहसीलदार को अतिरिक्त कार्यभार

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	स्वीकृत पदनाम	संख्या	पदस्थापन	रिक्त	विशेष विवरण
2	टीआरए	1	1	-	श्रीमती सुनील यादव
3	आफिस कानूनगो	1	-	1	राजकुमार शर्मा, पटवारी को अति. कार्यभार
4	रिसोर्स पर्सन	2	-	2	-
5	कनिष्ठ लेखाकार	1	-	1	-
6	कार्यालय अधीक्षक	1	-	1	-
7	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड-1)	2	-	2	-
8	कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-1)	2	2	-	श्री कैलाश चन्द सैनी, श्री संदीप गुर्जर
9	सूचना सहायक	1	-	1	-
10	वाहन चालक	1	-	1	-
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	-	5	श्री महेश कराला प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है।
12	भू अभिलेख निरीक्षक	6	1	5	सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।
13	पटवारी	25	17	8	
	योग	**49**	**21**	**28**	

उक्तानुसार रिक्त पद दिनांक 16.07.2018 से रिक्त है। कार्मिकों का पदस्थापन एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ में विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत

348. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में कौन-कौन से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन कब से मरम्मत योग्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु कितनी राशि का आबंटन कब-कब किया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त विद्यालयों के भवनों की मरम्मत अथवा नवीन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत योग्य भवनों की विद्यालयवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत 5 वर्षों में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवनों की मरम्मत एवं निर्माण की वर्षवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ख पर तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षों/अन्य गतिविधि निर्माण की वर्षवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

विगत 05 वर्षों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य नहीं करवाये गये हैं।

(3) जी हां। समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अनुमत निर्माण कार्य/गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में कन्या महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

349. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले की छात्राओं के उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिला मुख्यालय पर सहशिक्षा का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करौली संचालित है, जिसमें सत्र 2018-19 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

वर्तमान में करौली जिला मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली स्नातक स्तर पर संचालित है।

वर्तमान में करौली जिला मुख्यालय पर निजी क्षेत्र में सहशिक्षा के 02 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली में स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय संचालित है। करौली जिला मुख्यालय पर सहशिक्षा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करौली में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर तीनों संकाय कला, वाणिज्य व विज्ञान संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में खाद्य वितरण प्रणाली अन्तर्गत आबंटित अनाज

350. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में खाद्य वितरण प्रणाली के तहत जिले की समस्त तहसीलों को अनाज आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2017 से जून 2019 तक किस-किस तहसील को कितना-कितना अनाज आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के कई डीलरों की अनाज नहीं देने, कम देने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस डीलर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उक्त में से किस-किस डीलर के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले की समस्त तहसीलों को खाद्य वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2017 से जून 2019 तक आबंटित किये गये अनाज की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर जिले में अनाज नहीं देने, कम देने की शिकायत प्राप्त होती रही है। प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल में सरकारी भूमि पर कब्जेधारी किसान

351. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में किसानों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे कर खेती की जा रही है? यदि हां, तो कितने किसानों के विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त धारा के अन्तर्गत कब्जेधारी किसानों को नियमों में खातेदारी हक देने का प्रावधान है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त किसानों को खातेदारी देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में इस वर्ष 2019-20 में राजस्व की भूमि पर किसानों द्वारा कब्जे कर खेती किये जाने के कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। अत सूचना शून्य है। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के तहसील क्षेत्र झाड़ोल तथा कोटड़ा का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें वर्ष 2018-19 में कुल 3954 किसानों द्वारा अतिक्रमण कर खेती की गयी थी, जिनके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही कर दी गयी है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत कृषि प्रयोजन हेतु राजकीय भूमि पर भूमिहीनों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को बेदखल किये जाने के स्थान पर नियमित किये जाने का प्रावधान विद्यमान है। उक्त नियम के तहत अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 जारी कर दिनांक 01.01.2005 से पूर्व किये गये अतिक्रमणों को नियमानुसार नियमित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 352

(स्थगित)

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजनान्तर्गत दर्ज प्रकरणों में मुआवजे का प्रावधान

353. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विगत 1 जनवरी, 2013 से 15 जून, 2019 तक जयपुर जिले में कितने प्रकरणों में अन्तरिम प्रतिकर व मुआवजा जारी किया गया? वर्षवार एवं प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अब तक कितने प्रकरणों में बच्चों को अन्तरिम प्रतिकर व मुआवजा जारी किया गया है? वर्षवार एवं प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अन्तरिम प्रतिकर व

(श्री नरेन्द्र नागर)

मुआवजा जारी करने के क्या प्रावधान हैं? आवेदन करने के उपरान्त कितनी समयावधि में अन्तरिम प्रतिकर जारी करने का प्रावधान है तथा उक्त जिले में कितनी समय अवधि में इसे जारी किया गया? विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त जिले में कितने पीड़ितों ने कब-कब इसके लिए आवेदन किया तथा कब इनको अन्तरिम प्रतिकर जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिले में कितने पीड़ितों को मुआवजे की सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करायी गयी? वर्षवार व लाभार्थियों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत विगत 1 जनवरी, 2013 से 15 जून, 2019 तक जयपुर जिला (जयपुर महानगर व जयपुर जिला) में 767 प्रकरणों में अन्तरिम प्रतिकर जारी किया गया। जारी किये गये अन्तरिम प्रतिकर की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	अन्तरिम प्रतिगत दिए गए प्रकरणों की संख्या
1.	2013	-
2.	2014	27
3.	2015	258
4.	2016	207
5.	2017	79
6.	2018	117
7.	2019	79

वर्षवार एवं प्रकरणवार जारी अन्तरिम प्रतिकर का विवरण प्रदर्श-1/1 एवं 1/2 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना में 1 जनवरी, 2013 से 15 जून 2019 तक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत जयपुर जिला (जयपुर महानगर व जयपुर जिला) में 189 प्रकरणों में अन्तरिम प्रतिकर जारी किया गया जिनकी वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

क्र.स.	वर्ष	अन्तरिम प्रतिगत दिए गए प्रकरणों की संख्या
1.	2013	-
2.	2014	03
3.	2015	18
4.	2016	13
5.	2017	57
6.	2018	60
7.	2019	38

वर्षवार एवं प्रकरणवार जारी अन्तरिम प्रतिकर का विवरण प्रदर्श-2/1 एवं 2/2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम् 2011 में अन्तरिम प्रतिकर जारी करने के वही प्रावधान हैं, जो अंतिम प्रतिकर के हैं। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के नियम 5 के अनुसार जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 (क) की उपधारा 2 और 3 के अधीन न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश की जाती है या उपधारा 4 के अधीन किसी पीड़ित या आश्रित द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, तब जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की जांच कर रिपोर्ट किए गए आपराधिक क्रियाकलाप से उत्पन्न और पीड़ित/दावेदार को कारित हानि या क्षति के संबंध में दावे की अन्तर्वस्तु का सत्यापन व प्रक्रिया पूर्ण कर स्कीम के उपबंधों के अनुसार 2 मास के भीतर प्रतिकर प्रदान करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर, विशेष न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर संदत्त किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 की प्रति रालसा द्वारा जारी बुकलेट प्रदर्श-3 पर संलग्न है।

उक्त जिले में पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन तथा प्रतिकर जारी करने का प्रकरणवार, दिनांकवार विवरण प्रदर्श- 4/1 एवं 4/2 पर संलग्न है।

(4) विगत 5 वर्षों के दौरान जिले में (जयपुर महानगर व जयपुर

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

जिला) पीड़ितों को मुआवजे की सम्पूर्ण राशि उपलब्ध की गई का वर्षवार व लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	वर्ष	जयपुर मैट्रो के प्रकरणों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या	जयपुर जिला के प्रकरणों प्रकरणों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या	जिले के कुल लाभार्थियों की संख्या
1.	2015	20	28	48
2.	2016	43	11	54
3.	2017	48	12	60
4.	2018	20	50	70
5.	2019	2	25	27
	कुल	133	126	259

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में संचालित पेयजल योजनाओं के मानदण्ड

354. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए इससे निपटने के लिए अलवर जिले एवं बानसूर विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बानसूर में संचालित पेयजल योजनाओं के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौनसे कस्बे व गांव हैं जो पेयजल योजना संचालित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हैं किन्तु उक्त क्षेत्र के कस्बे एवं गांव अब तक पेयजल योजनाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे गांव एवं पंचायतें जो निर्धारित मानदण्ड पूरे करते हैं उनमें पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बानसूर सहित अलवर जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्य ट्रांसमिशन मेन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों का प्रावधान सम्मिलित करते हुए राशि रुपये 4718.67 करोड़ की तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तकनीकी क्लीयरेंस विभाग की तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 17.03.2016 को दी जा चुकी है।

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में चम्बल-अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिलों के 14 कस्बों एवं 3072 गांवों में चम्बल नदी से रुपये 4,718.00 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की गई है।

(2) विभागीय नीति निर्धारण समिति की 188वीं बैठक दिनांक 24.08.2012 में राज्य के ग्रामों के लिए योजना का प्रकार तय करने हेतु वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए पेयजल योजनाएं लागू करने के मानदण्ड निम्नानुसार तय किये गये हैं:-

(अ) 1500 की जनसंख्या तक - हैण्ड पम्प योजना

(ब) 1500 से अधिक एवं 4000 की जनसंख्या तक-पम्प एवं टैंक योजना

(स) 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम - पाइप्ड जल योजना

इसके अतिरिक्त जल प्रदाय योजनाओं/परियोजनाओं के डिजाइन एवं निर्माण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 08.09.2017 को जारी दिशा-निर्देश एवं नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 176 ग्रामों में से 25 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 50 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा शेष 101 ग्राम हैण्ड पम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

विभागीय नीति अनुसार पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित एक ग्राम श्यामपुरा (जनसंख्या वर्ष 2011-4393) पाइप्ड जल योजना के तथा 1500 से अधिक एवं 4000 तक की जनसंख्या वाले हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित 14 ग्राम पम्प एवं टैंक योजना के मानदण्ड को पूरा करते हैं। इन ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) दिनांक 10 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में राज्य में 4000 या अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। इस वर्ष डीपीआर तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य करवाया जाएगा। योजना की कुल लागत रुपये 950 करोड़ होगी, बाबत घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के अनुरूप 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु पाइप्ड जल योजनाओं की स्वीकृति पर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध रूप से विचार करना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के उक्तानुसार हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित 14 ग्रामों की पम्प एवं टैंक जल योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। विभागीय नीति निर्धारण समिति से इन योजनाओं का परिवर्तन अनुमोदन होने के उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेने हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध रूप से इनकी स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनियमितता के लम्बित प्रकरण

355. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत प्रस्तावित चार्ज शीट के कितने प्रकरण अंतिम निस्तारण हेतु कब से एवं क्यों लम्बित हैं? उक्त प्रत्येक प्रकरण किस स्तर पर लम्बित हैं? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनियमितताओं के गंभीर प्रकरणों में विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण कर दोष सिद्धता के बाद भी विभागीय उच्च स्तर पर सीसीए 16 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का अन्तिम निस्तारण लम्बे समय से नहीं होने से सरकार की अनियमितता के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की जन हितकारी नीति वाली छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है?

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

यदि हां, तो इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदारी तय कर, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो समयबद्ध कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत प्रस्तावित चार्ज शीट के कुल 2 प्रकरण अन्तिम निस्तारण हेतु लम्बित हैं जिनमें से एक प्रकरण सहायक अभियन्ता के विरुद्ध दिनांक 01.04.2019 से कार्मिक विभाग में एवं दूसरा प्रकरण खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध दिनांक 04.02.2015 से महालेखाकार, राजस्थान जयपुर में लम्बित है।

(2) विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अतः विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। अनियमितता के गम्भीर प्रकरणों में विभागीय जांच प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर अन्तिम निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की देखरेख व अनुरक्षण

356. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमंद जिला मुख्यालय पर पुलिस द्वारा कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा रखे हैं? इन कैमरों की क्या लागत आई एवं इन्हें लगाने के लिए किन-किन अधिकरणों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे चालू हैं एवं कितने कब से बंद पडे हैं? सी.सी.टी.वी. कैमरे की नियमित देखरेख एवं अनुरक्षण की क्या व्यवस्था है एवं उसकी पालना में शिथिलता पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिला मुख्यालय पर पुलिस विभाग द्वारा नगर परिषद् राजसमन्द के सहयोग से कुल 42 सीसीटीवी कैमरे वर्ष 2016 मे लगाये गये थे। सीसीटीवी कैमरे लगाने में कुल राशि रुपये 31,83,912/- की

(गृह मंत्री)

लागत आई थी। नगर परिषद् द्वारा राशि रुपये 31,76,765/- की सहायता प्रदान की गई थी। स्वीकृत राशि से 7,147/- रुपये अधिक व्यय हुए हैं, जो नगर परिषद् द्वारा प्राप्त रुपये 31,76,765/- को बैंक में जमा कराने पर ब्याज के रूप मे प्राप्त हुए थे। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जिला मुख्यालय राजसमंद पर कुल 42 कैमरे लगाये गये थे, जिसमें से कुल 34 कैमरे सुचारु रूप से चालू हैं। 08 कैमरे तकनीकी खराबी की वजह से विगत 6 माह से बंद हुए हैं। उनमें से 2 कैमरे रिपेयर किये गये हैं एवं 6 कैमरे रिप्लेसमेंट हेतु फर्म द्वारा दिनांक 09.07.2019 को भेजे गये हैं, जिन्हें लगाया जाना शेष है। जिले में सीसीटीवी कैमरों की नियमित देखरेख एवं निगरानी हेतु 3 कांस्टेबल लगाये गये हैं, जो नियमित रूप से कैमरों की निगरानी एवं देखरेख कर रहे हैं। कार्यादेश में निविदादाता को स्थापित की जाने वाली समस्त प्रणाली के स्थापित होने की दिनांक से 04 वर्ष की रख-रखाव की वारन्टी एवं वारन्टी अवधि में स्थापित की गई प्रणाली में किसी भी प्रकार की कमी/खराबी होने पर 12 घण्टे में ठीक करने तथा ठीक नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता की risk and cost पर अन्य फर्म से कार्य करवाकर आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता से उक्त राशि वसूली की शर्त का प्रावधान किया गया है। शिथिलता पर फर्म को नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी वसूली का निर्णय लिया जाना शेष है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संगरिया के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

357. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र संगरिया के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत अथवा नवीन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

विद्यालयों के भवनों की मरम्मत अथवा नवीन निर्माण यथा : कक्षाकक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य/ गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। इन आवश्यक कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान विश्वविद्यालयों में बंद हो रहे पाठ्यक्रमों के पुनर्स्थापन की योजना

358. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और अन्य कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो पहले ही बंद हो चुके हैं तथा बहुत से अब बंद होने की कगार पर हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोर्सवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निरन्तर पाठ्यक्रमों के बंद होने के कारण विश्वविद्यालय की साख में कमी आई है? यदि हां, तो क्यों? विश्वविद्यालय की साख को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय हैण्ड बुक के अध्यादेश के अन्तर्गत दर्शाये गये पाठ्यक्रम बन्द नहीं किये गये हैं, परन्तु स्ववित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत संचालित 18 पाठ्यक्रम छात्रों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में बन्द कर दिये गये हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इन कोर्सेज को Standing Committee for SFS Courses की मीटिंग दिनांक 23.01.2014 में निर्णय लिया जाकर बन्द किये गये हैं। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् एवं सिण्डीकेट से भी इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कोर्स वर्तमान में बन्द होने की कगार पर नहीं है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) विश्वविद्यालय की साख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को NAAC Accredited A Grade प्रदान की हुई है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 77 कोर्सेज संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाल श्रमिकों से कार्य करवाने पर दर्ज प्रकरण

398. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च 2019 के दौरान बाल श्रमिकों को काम करवाने के मामलों में कितनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये हैं? वर्षवार, थाना क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में आई.पी.सी. की धारा 370 के तहत भी मुकदमे दर्ज किये गये हैं? वर्षवार, थाना क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में पुलिस द्वारा अदालत में अपराधियों के विरुद्ध चालान पेश किये गये व गिरफ्तारी की गयी? अभी तक कितने तस्करों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी? माहवार, थाना क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 के दौरान बाल श्रमिकों को काम करवाने के मामलों में कुल 2262 मुकदमे दर्ज किये गये। वर्षवार, थाना क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) उक्त अवधि के दौरान आई.पी.सी. की धारा 370 के तहत कुल 143 मुकदमे दर्ज किये गये। वर्षवार थाना क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) उक्त अवधि के दौरान पुलिस द्वारा बालश्रम के प्रकरणों में से 2159 एवं आई.पी.सी. की धारा 370 के प्रकरणों में से 130 प्रकरणों (कुल-2289) में अदालत में अपराधियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया तथा कुल 2429 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी। कुल 106 तस्करों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी। गिरफ्तारी एवं सजा का विवरण परिशिष्ट अ व ब के कालम संख्या 7 व 8 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों में नियुक्ति व पदोन्नति में बैकलाग के नियम

399. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति वं पदोन्नति में बैकलाग के नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में राजकीय विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नियुक्ति एवं पदोन्नतियों में अनेक पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजकीय विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी नियमों में संशोधन कर उक्त बैकलाग के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.1.13 जारी की गयी है। परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में विभिन्न राजकीय विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलाग को भरे जाने की कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 1.7.2015 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग, रिक्तियों को भरने हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है। परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेंशनर की चिकित्सा राशि में वृद्धि

400. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में पेंशनर को चिकित्सा सुविधा के लिए मिलने

(श्री नारायण सिंह देवल)

वाली पेंशनर डायरी की राशि कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पेंशनर डायरी राशि की लिमिट बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा के लिए पेंशनर की मेडिकल डायरी की वित्तीय सीमा निम्नानुसार है :-

1. राज्य के प्रत्येक पेंशनर्स के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक वित्तीय सीमा रु. 20,000/- है।
2. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वित्तीय सीमा की समाप्ति पर साधारण बीमारियों में रु. 50,000/- एवं कैंसर, किडनी, गुर्दे सम्बन्धी उपचार में रु. 2,00,000/- की वित्तीय सीमा जिला स्तरीय कमेटी, जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला कलेक्टर होते हैं, के द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
3. उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में दर्शायी गई वित्तीय सीमा समाप्त होने पर अतिरिक्त वित्तीय सीमा के लिए जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर सदस्य सचिव, न्यासी बोर्ड द्वारा वित्तीय सीमा बढ़ाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

(2) पेंशनर मेडिकल डायरी की प्रारम्भिक वित्तीय सीमा अभी बढाने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है क्योंकि वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेंडम क्रमांक एफ.1(2)/एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 31/01/2019 के द्वारा ही प्रारम्भिक वित्तीय सीमा बढाकर रु. 20,000/- प्रति वर्ष की गयी है।

नवलगढ़ में कृषि विपणन विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण

401. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत पांच वर्षों में सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य कहां-कहां तथा कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौनसे कार्य कितनी राशि व्यय कर

(डा. राजकुमार शर्मा)

पूर्ण किये गये तथा कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत पांच वर्षों में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास निधि (एम.डी.एफ.) से निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत पांच वर्षों में किसी भी तरह के मरम्मत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ द्वारा बचत उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़क निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये। सडक निर्माण की स्वीकृति हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 31.12.2014 में सड़क मरम्मत कार्यों की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

यमुना नदी में जल बंटवारे हेतु समझौता

402. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा व उत्तरप्रदेश के मध्य यमुना नदी के जल बंटवारे का समझौता किस वर्ष में हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समझौते के तहत प्रदेश के किस-किस जिले को कितने-कितने बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अपर रिवर यमुना बोर्ड ने किस वर्ष में उक्त समझौते को स्वीकृति प्रदान की थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजय शर्मा)

(4) अपर रिवर यमुना बोर्ड के द्वारा समझौते को मंजूरी दिये जाने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा उक्त पानी को लाने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं होने के उपरांत भी राजस्थान सरकार द्वारा पानी लाने की असमर्थता के मुख्य कारण क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा व उतरप्रदेश के मध्य हुए यमुना नदी के जल बंटवारे का समझौता 1994 में हुआ था। समझौते की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान ने वर्षाकाल में (जुलाई से अक्टूबर) ताजेवाला हैड पर आबंटित 1917 क्यूसेक पानी को चूरू एवं झुन्झुनूं जिले में उपयोग हेतु तथा ओखला हैड पर आबंटित 1281 क्यूसेक पानी को भरतपुर जिले में उपयोग हेतु योजना बनाई गई।

(3) वर्ष 1994 में हुए समझौते के अनुसरण में अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में हुई बाईसवीं बैठक, प्रति परिशिष्ट "ब" में संलग्न है, के अनुसार राजस्थान को ताजेवाला हैड पर वर्षा काल में (जुलाई से अक्टूबर) 1917 क्यूसेक एवं ओखला हैड पर 1281 क्यूसेक जल का आबंटन किया गया।

(4) राज्य सरकार द्वारा ताजेवाला हैड से एवं ओखला हैड से आबंटित यमुना जल प्राप्त करने हेतु 2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को वर्ष 2002 में प्रेषित की गई। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2003 में हरियाणा की नहरों द्वारा राजस्थान लाये जाने हेतु इन प्रस्तावों पर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई, कि हरियाणा सरकार इस पर अपनी सहमति प्रदान करे। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2003 में सहमति हेतु एम.ओ.यू. हरियाणा सरकार को भेजा गया, परन्तु अथक प्रयासों के बाद भी हरियाणा सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है। ताजेवाला हैड से राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत प्रणाली से लाये जाने हेतु दिनांक 10.07.2017 को एक एम.ओ.यू. हरियाणा सरकार को सहमति हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर सहमति आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। भूमिगत प्रणाली पर आधारित प्रस्ताव

(जल संसाधन मंत्री)

की फिजीबिलिटी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई, जिस पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माह फरवरी 2018 में डी.पी.आर. बनाने की स्वीकृति दी गई। परियोजना की डी.पी.आर. दिनांक 22.02.2019 को आनलाइन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। डी.पी.आर. केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है।

(5) हरियाणा सरकार की सहमति के अभाव में राजस्थान को अपने हिस्से का पूर्ण पानी प्राप्त नहीं हुआ है, जिस हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वाणिज्यिक कर विभाग को प्राप्त राजस्व

403. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग ने कितना राजस्व अर्जित किया? जिलेवार विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विभाग में कर चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा इन मामलों में कितना जुर्माना वसूला गया तथा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विगत दस वर्षों में उक्त विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में राजस्व संग्रहण की सूचना वर्षवार व मदवार कुल राजस्व परिशिष्ट-"अ" में एवं वैट मद में प्राप्त राजस्व का वर्षवार व संभागवार विवरण परिशिष्ट-"ब" में संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में संभाग स्तर पर कुल 24660 प्रकरण दर्ज किये गये जिनसे नियमानुसार कुल 285935.51 लाख रु. की जुर्माना राशि वसूल की गई तथा इस वर्ष 2019-20 (माह मई 2019 तक) 915 प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कुल 3000.08 लाख रु. जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है।

(3) जी हां। विगत 10 वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों संबंधी एसीबी प्रकरणों का विवरण

(वित्त मंत्री)

एनेक्सच-"ए" तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित सूचना एनेक्सच-"बी" में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों को पदोन्नति

404. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी, 2019 तक वर्कचार्ज कर्मचारियों को स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति की गई है? उपर्युक्त पदोन्नति में कितने कर्मचारियों के पदोन्नति के आदेश जारी किए गए? कर्मचारियों के नाम व पदवार आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के तहत पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो अन्य वर्कचार्ज कर्मचारियों को व शिक्षित कर्मचारियों को अन्य आदेशों के तहत पदोन्नत की गई है? यदि हां, तो पदोन्नत कर्मचारियों को कितना भुगतान पे-श्रृंखलावाइज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 365 कर्मचारियों को वित्त विभाग द्वारा स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति हेतु स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो पदोन्नति नहीं देने के क्या कारण रहे? क्या सरकार 365 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों को वर्ष 2016 में बेलदार व स्टोर मुंशी के पदों पर पदोन्नति करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालय के आदेशों के पालना के अनुसार वंचित कार्मिकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी, 2019 तक केवल माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 28 श्रमिकों को पदोन्नति दी गई थी।

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (व्यय-3, अनुभाग), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F-1(1)FD/Exp.III/93 दिनांक 28.02.1994 व प.1(3)वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 20.09.1995 द्वारा वर्कचार्ज कैडर को डाईंग कैडर घोषित किया जा चुका है। इस कारण कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वित्त विभाग के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। कर्मचारियों के नाम व अन्य विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 3708/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2014 की पालनार्थ 28 श्रमिकों का 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अर्द्धस्थाई तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थाई स्टोर मुंशी का पद दिया गया था। राज्य सरकार के आदेश से सभी 28 श्रमिकों को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार समस्त पारिणामिक लाभ-परिलाभ दिये गये।

उक्त के संदर्भ में विभाग द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.2014 के विरुद्ध अपील दायर की गई (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं. 1532/2014)। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 10.02.2016 के क्रम में गठित कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त 28 श्रमिकों की स्क्रीनिंग किये जाने पर इनमें से कोई भी कार्मिक स्टोर मुंशी पर हेतु पात्र नहीं पाया गया। अत: सभी 28 श्रमिकों के स्टोर मुंशी पद के जारी आदेश तथा दिये गये समस्त लाभ-परिलाभ वापस लेते हुए 28 श्रमिकों को किये गये भुगतान की राशि की वसूल करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध सभी 28 श्रमिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं। उक्त याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा श्रमिकों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किये गये, जो कि वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त 28 श्रमिकों को 3.00 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।

सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। कार्यप्रभारी कर्मचारियों की वित्त विभाग द्वारा स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नति हेतु स्वीकृति जारी नही की गई। उक्त 28 श्रमिकों को माननीय न्यायालय के आदेश से स्टोर मुंशी पद के लाभ परिलाभ दिये गये थे। प्रकरण वर्तमान में पुन: माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्तमान में वंचित कार्मिकों की पदोन्नति करने के संबंध में कोई प्रकरण सरकार में विचाराधीन नहीं है। सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में गौरव पथ का निर्माण

405. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम पंचायतों क्रमशः नांगल बानी, पड़ाक-छापली, लालपुरा झीरी, क्यारा, मल्लाणा, कुंडला, बीगोता, मोतीबाड़ा, दुब्बी, राजोरगढ़ आदि में विगत पांच वर्षों के दौरान एक भी ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त पंचायतों एवं पंचायतों से जुड़ने वाले गांवों की आबादी तथा ग्रामीण गौरव पथ निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांव एवं पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ नहीं बनाये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त 11 ग्राम पंचायतों (नांगल बानी, पडाक-छापली, लालपुरा झीरी, क्यारा मल्लाणा, कुंडला, बीगोता, मोतीबाड़ा, दुब्बी, राजोरगढ़) में गौरव पथ के स्थान पर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त उक्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से जुड़ने वाले ग्रामों की आबादी व ग्रामीण गौरव पथ निर्माण की संभावना का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) तत्कालीन माननीय विधायक थानागाजी की अभिशंसा पर उपरोक्त ग्रामीण गौरव पथों को निरस्त कर मिसिंग लिंक के कार्य स्वीकृत करवाये गये थे।

(3) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ के स्थान पर मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा के सड़कों से वंचित ग्राम

406. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में 250 से अधिक आबादी के ऐसे कितने गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में जनगणना 2001 के अनुसार 250 व 250 से अधिक आबादी का कोई गांव सड़क सुविधा से वंचित नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार 250 से अधिक आबादी के 9 गांव हैं जो सड़क सुविधा से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधायक आवासों की मरम्मत व रख-रखाव पर व्यय राशि

407. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 से 2018 तक विधायक आवासों पर मरम्मत एवं रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 2019 से मई 2019 तक उक्त आवासों पर मरम्मत एवं रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक नगर पश्चिम में जनवरी 2019 से 15 जून, 2019 तक आवासों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013 से 2018 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधायक आवासों के मरम्मत एवं रखरखाव पर सिविल कार्यों पर कुल 336.54 लाख रुपये एवं विद्युत कार्यों पर कुल 168.58 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(2) जनवरी 2019 से मई 2019 तक विधायक आवास पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव पर सिविल कार्यों पर कुल 45.00 लाख रुपये एवं विद्युत कार्यों पर कुल 15.70 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(3) विधायक नगर पश्चिम में जनवरी 2019 से 15 जून, 2019 तक आवासों की मरम्मत एवं रखरखाव पर सिविल कार्यों पर कुल 7.11 लाख रुपये एवं विद्युत कार्यों पर कुल 1.02 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

408. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में डांग क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कौन-कौनसे गांव व ग्राम पंचायत आते हैं? उक्त योजनान्तर्गत ग्राम व ग्राम पंचायत को सम्मिलित करने हेतु सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायत सम्मिलित की गई है अथवा सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है? ऐसे सभी गांवों व ग्राम पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस गांव में किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र की गांव व ग्राम पंचायत डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत नहीं आती है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र की कोई भी ग्राम एवं ग्राम पंचायत सम्मिलित नहीं है तथा न ही किसी ग्राम व ग्राम पंचायत को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

(2) रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम व ग्राम पंचायत डांग क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

चौमूं में शौचालयों का निर्माण

409. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाये गए हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने शौचालय बनाये गए? कितने शौचालयों का भुगतान किया गया व कितने शौचालयों का भुगतान शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर पर आज भी शौचालय नहीं है लेकिन ग्राम सचिव द्वारा यह लिखवा दिया कि मेरे घर शौचालय बना हुआ है, ऐसे कितने परिवार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प.स. गोविन्दगढ़ में अभी भी किस-किस ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाने के प्रार्थना पत्र लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत चौमूं विधान सभा क्षेत्र में 38 ग्राम पंचायतों में 14691 शौचालय बनाये गये हैं। इनमें से 14207 शौचालयों का भुगतान कर दिया गया है एवं 484 शौचालयों का भुगतान बकाया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत चौमूं विधान सभा क्षेत्र में बीएलएस सर्वे 2012 में शामिल ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिनके घर शौचालय नहीं बना हुआ है।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में शौचालय बनवाने के कोई भी प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर में प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

410. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितनी प्रधान मंत्री आवास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(2) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री आवास योजना में भुगतान दो किश्तों में किया जाता है? यदि हां, तो कितने लोगों को दूसरी किश्त का भुगतान किया जाना शेष है? क्या सरकार बकाया किश्त का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवास योजना के लिए क्या मानदण्ड है? उक्त मानदण्ड पूरे करने वाले कितने परिवार इस योजना से वंचित हैं? क्या सरकार वंचित परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत जनवरी 2018 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बानसूर में 154 आवास स्वीकृत किये गये। श्रेणीवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जाता है। योजनान्तर्गत जनवरी 2018 से अब तक स्वीकृत 154 आवासों में से 1 लाभार्थी को द्वितीय किश्त व 9 लाभार्थियों को तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना शेष है।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है। लाभार्थी द्वारा शीघ्र आवास पूर्ण कराये जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है एवं निर्धारित निर्माण स्तर दासा स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त व छत स्तर तक का कार्य पूर्ण होने के उपरांत तृतीय किश्त का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(3) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार वर्गवार वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया जिसमें पूर्व में किसी अन्य आवास योजना में लाभान्वित नहीं होने एवं योजनान्तर्गत निर्धारित निम्न 13 मापदण्ड न होने पर ही पात्र माना गया :-

1. मोटरसाइकिल,दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

2. मेकेनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन, कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान क्रेडिट कार्ड क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रु. दस हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. आयकर देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10. स्वयं का लैण्डलाइन फोन होने पर।
11. स्वयं के पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12. 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ 2 या अधिक मौसमी फसल होने पर।
13. 7.5 एकड़ भूमि के साथ या अधिक का एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थाई पात्रता सूची में शामिल नहीं, परन्तु वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल करने हेतु माह अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2019 में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर तदनुसार अनुमोदित चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम निर्णय/अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है।

उक्त विशेष ग्राम सभाओं में बानसूर विधान सभा क्षेत्र के 1814 परिवारों को चिन्हित किया गया जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन किया जाना है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पानी की लाइनों में यू पी वी सी पाइप डालने की योजना

411. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में डाली जा रही पानी की लाइनों में एचडीपीई एवं डीआई पाइप उपयोग में लिए जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में यूपीवीसी पाइप काम में लिए जाते थे? यदि हां, तो इसके स्थान पर एचडीपीई एवं डीआई पाइप डाले जाने के क्या कारण हैं? जबकि यूपीवीसी पाइप की दर अपेक्षाकृत कम होती है?

(3) क्या यह भी सही है कि यूपीवीसी पाइप की हैण्डलिंग एवं इंस्टालेशन लागत अपेक्षाकृत कम एवं यूपीवीसी पाइप में पानी का फ्लो अन्य पाइपों की तुलना में बढ़िया और तीनों तरह की पाइप की परफोर्मेंस एक ही है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकोष पर भार कम करने हेतु प्रदेश में पीवीसी पाइप काम में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजनाओं अंतर्गत डी.आई. पाइप वर्ष 2001 से उपयोग में लिए जा रहे हैं।

प्रदेश की योजनाओं/परियोजनाओं के निर्माण एवं अभिकल्पन के संबंध में विभाग द्वारा वर्ष 2010 में प्रथम बार जारी की गई पाइप पालिसी में अन्य श्रेणी के पाइप के अतिरिक्त डी.आई. पाइप भी सम्मिलित किये गये हैं।

दिनांक 07.01.2015 को जारी संशोधित पाइप पालिसी में एच.डी.पी.ई. पाइप का समावेश किये जाने के उपरान्त से ये पाइप पेयजल योजनाओं में उपयोग में लिए जा रहे हैं।

(2) जी हां। विभागीय पाइप पालिसी के अनुसार विभाग द्वारा डी.आई. पाइप का उपयोग पम्पिंग/दाबयुक्त/ग्रेविटी मुख्य ट्रांसमिशन में चट्टानी/गैर-चट्टानी क्षेत्रों में तथा इसके अतिरिक्त 200 मिलीमीटर व्यास से अधिक व्यास के डी.आई. पाइप का उपयोग चट्टानी/गैर-चट्टानी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में पूर्ववत ही किया जा रहा है। पेयजल पाइप लाइन प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, ठोस एवं भरोसेमंद बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय तकनीकी समिति की 615वीं बैठक दिनांक 13.04.2015 में यू.पी.वी.सी. पाइप का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल योजनाओं में उपयोग का प्रावधान हटाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

एच.डी.पी.ई. पाइपों का उपयोग गैर-चट्टानी क्षेत्रों में पम्पिंग/दाबयुक्त मुख्य ट्रांसमिशन में (150 मिलीमीटर व्यास तक प्रयोज्य), ग्रेविटी मुख्य ट्रांसमिशन में (200 मिलीमीटर व्यास तक प्रयोज्य) तथा वितरण पाइप लाइनों में (200 मिलीमीटर व्यास तक प्रयोज्य) उक्तानुसार वर्ष 2015 से किया जा रहा है।

(3) पेयजल योजनाओं/परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पाइप के सार-संभाल एवं स्थापना का कार्य विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगभग समान है। पाइप में पानी के प्रवाह (फ्लो) हेतु फ्रिक्शन गणना के लिए मोडिफाइड हेजन-विलियम फार्मूला कार्य में लिया जाता है तथा फार्मूले में गुणांक सीआर की वैल्यू विभिन्न प्रकार के पाइप मैटेरियल पर निर्भर करती है।

यू.पी.वी.सी., एच.डी.पी.ई. एवं डी.आई. तीनों पाइपों के लिए उक्त सीआर वैल्यू 1.0 होने के फलस्वरूप, इन पाइपों के लिए फ्लो की स्थिति समान है परन्तु पाइप की परफोर्मेन्स विभिन्न पाइपों के लिए परिस्थिति अनुसार भिन्न-भिन्न है।

उक्तानुसार पाइप पालिसी के अनुरूप ही पेयजल योजना/परियोजनाओं का अभिकल्पन किया जा रहा है तथा यू.पी.वी.सी. पाइपों को पुन: उपयोग में लिए जाने संबंधी कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रोहट में दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

412. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले के उपखण्ड रोहट में नये विद्युत संबंध के तीन या तीन से ज्यादा समूह के किस-किस व्यक्ति के किस-किस स्थान के कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से प्रकरण किस-किस स्तर पर लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण पूर्व में दीनदयाल ग्रामीण

(श्री ज्ञानचंद पारख)

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा दर्ज किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों का उक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1.) पाली जिले के उपखण्ड रोहट में ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(2.) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

दूदू व फागी उपखण्ड में सिंगल पाइंट ट्यूबवैलों की स्वीकृति

413. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में पेयजल की समस्या के निदान के लिए दूदू व फागी उपखण्ड के कुल कितने गांव व ढाणियों में कितने सिंगल पाइंट ट्यूबवैल 1 जनवरी, 2009 से दिसम्बर 2013 तक स्वीकृत हुए? उक्त में से कुल कितने लगाये गये? कितनों में बिजली की डिमांड नोट की राशि जमा कराई गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने सिंगल पाइंट संचालित हैं जिनसे जनता को पेयजल से लाभांवित किया जा रहा है? मय स्थान व सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने सिंगल पाइंट ट्यूबवैल बंद हो गये हैं तथा बंद हुए ट्यूबवैलों में मोटर, पाइप व अन्य संबंधित सामान की वर्तमान स्थिति क्या है? इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सिंगल पाइंटों के रख-रखाव में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 की अवधि में विभाग के उपखण्ड दूदू के 159 ग्राम व 154 ढाणियों में 409 सिंगल फेज नलकूप

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तथा उपखण्ड फागी के 130 ग्राम व 158 ढाणियों में 442 सिंगल फेज नलकूप निर्मित किये गये। इस प्रकार उपखण्ड दूदू एवं फागी के 289 ग्राम एवं 312 ढाणियों में कुल 851 सिंगल फेज नलकूपों का निर्माण किया गया। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्तानुसार निर्मित किये गये 851 सिंगल फेज नलकूपों को योजना अंतर्गत चालू करने हेतु विभाग द्वारा इन पर विद्युत संबंध लेने हेतु आवश्यक डिमाण्ड नोट की राशि जमा कराई गई तथा इन पर विद्युत संबंध लिया जाकर चालू करने के उपरान्त विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायत को इनके संचालन एवं संधारण हेतु सुपुर्द किया गया।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड क्षेत्रों से संबंधित अभियंताओं तथा पंचायत समिति, दूदू एवं फागी से संबंधित विकास अधिकारी द्वारा किये गये संयुक्त सर्वे में, उपखण्ड दूदू के 26 ग्राम एवं 27 ढाणियों में 58 सिंगल फेज नलकूप वर्तमान में चालू पाये गये जिनसे स्थानीय ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उपखण्ड फागी के समस्त 442 नलकूप संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालन एवं संधारण के अभाव में वर्तमान में बंद पाये गये हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार। उपखण्ड दूदू के अधीन 351 सिंगल फेज नलकूप तथा उपखण्ड फागी के समस्त 442 सिंगल फेज नलकूप संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालन एवं संधारण के अभाव में वर्तमान में बंद हैं। उक्तानुसार बंद सिंगल फेज नलकूपों में प्रयुक्त पम्पिंग सैट, पाइप एवं अन्य संबंधित सामान की वर्तमान स्थिति संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 में लिए गये निर्णयानुसार संबंधित ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय समिति द्वारा सिंगल फेज नलकूपों के संचालन एवं संधारण तथा विद्युत बिलों के भुगतान करने की शर्त एवं जिम्मेदारी पर ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इनका निर्माण एवं स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय समितियों को सुपुर्द किये गये थे। इस प्रकार इन सिंगल फेज नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय समितियों की ही है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) उक्तानुसार सिंगल फेज नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय समितियों की होने के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

पंचायती राज विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार सिंगल फेज नलकूपों के बन्द होने के कारणों की जांच कराई जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से पेयजल का वितरण

414. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रावतसर वितरिका से गंधेली व कर्मसाना से 46 कि.मी. दूर नहर के माध्यम से कर्मसाना से चूरू तक 110 कि.मी. पाइप लाइन के माध्यम से चूरू शहर व तहसील तथा तारानगर, राजगढ़ तहसील के गांवों व शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? क्या सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य कैनाल से करमसाना तक पेयजल हेतु अलग से पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गन्धेली से कर्मसाना को पेयजल हेतु मिलने वाले पानी की मांग के अनुरूप पर्याप्त है तथा पेयजल हेतु कितने क्यूसेक पानी आवंटित/निर्धारित किया गया तथा वर्तमान में कितनी आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार चूरू विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आपणी योजना में बरसों पुरानी सीमेण्ट पाइप लाइन जो अब पूर्णत: जर्जर हो चुकी है, को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल कुल कितनी क्षमता की है तथा इसमें चूरू, झुंझुनूं और सीकर को पेयजल हेतु कुल कितना पानी आबंटित किया गया है तथा सिंचाई हेतु कितना उपलब्ध है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(5) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य कैनाल से पेयजल हेतु तारानगर तक डैडीकेटेड पाइप लाइन डालने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इंदिरा गांधी नहर के मसीतावाली हैडवर्क्स से निर्गमित रावतसर वितरिका से गंधेली एवं गंधेली से कर्मसाना तक 46 किलोमीटर लम्बाई में नहर द्वारा तथा कर्मसाना से चूरू तक 110 किलोमीटर पाइप लाइन के द्वारा चूरू-बिसाऊ पेयजल परियोजना अंतर्गत कर्मसाना फिल्टर प्लांट से शहर चूरू, रतननगर, तहसील चूरू के 109 ग्राम तथा जिला झुन्झुनूं के 85 ग्राम एवं बिसाऊ कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। आपणी योजना के प्रथम चरण में तहसील सरदारशहर के 19 ग्राम, तहसील तारानगर के 112 ग्राम एवं कस्बा तारानगर, राजगढ़ तहसील के 39 ग्राम तथा हनुमानगढ़ जिले के 72 ग्रामों को कर्मसाना एवं साहवा स्थित फिल्टर प्लांट से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपणी योजना के प्रथम चरण में सम्मिलित उक्त कस्बों एवं ग्रामों तथा इसके अतिरिक्त तहसील सरदारशहर के 60 ग्रामों की योजना की अभिकल्पन अवधि वर्ष 2012 में समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, इनके पुनर्गठन के साथ-साथ रावतसर वितरिका पर विभाग के गंधेली आउटलेट से ललानिया हैडवर्क्स तक बनी हुई नहर के स्थान पर पाइप लाइन का प्रावधान लेकर, सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर द्वारा हाल ही दिनांक 01.07.2019 को विभाग में प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तकनीकी जांच की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है। तकनीकी जांच के निष्कर्षों के उपरान्त तद्नुसार आगामी निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(2) गंधेली से कर्मसाना को पेयजल हेतु 42.37 क्यूसेक पानी आबंटित/निर्धारित किया गया है जो वर्तमान मांग अनुसार पर्याप्त है परन्तु किसानों को प्रतिमाह निर्धारित चक्र के अनुरूप सिंचाई हेतु पानी दिये जाने के फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियों में उक्तानुसार निर्धारित आबंटन के विरुद्ध कम पानी मिलने पर उक्त वर्णित शहर/कस्बे एवं ग्रामों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहती है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चूरू में आपणी योजना अंतर्गत लाभान्वित ग्रामों में पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण ए.सी. पाइप लाइनों को बदलने के साथ-साथ अन्य कार्यों का प्रावधान लेकर वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य 39 योजनाओं/कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गईं। इनमें से 29 योजनाएं/कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 10 योजनाएं/कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। ये प्रगतिरत योजनाएं/कार्य चरणबद्ध रूप से माह अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण की जानी अपेक्षित हैं। योजनावार स्वीकृति एवं प्रगति पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र चूरू के 109 ग्रामों सहित आपणी योजना के प्रथम चरण में उक्तानुसार सम्मिलित कस्बों एवं ग्रामों तथा इसके अतिरिक्त तहसील सरदारशहर के 60 ग्रामों की अभिकल्पन अवधि पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इनकी पुनर्गठित योजना की सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर द्वारा हाल ही दिनांक 01.07.2019 को विभाग में प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तकनीकी जांच की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है। तकनीकी जांच के निष्कर्षों के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इसकी स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(4) इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट के हैड पर कुल 843 क्यूसेक की क्षमता है तथा पेयजल हेतु 113.7 क्यूसेक पानी आबंटित है। सिंचाई हेतु 540 क्यूसेक पानी आबंटित है तथा चूरू जिले के लिए वर्तमान में सिंचाई हेतु 161 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा झुन्झुनूं एवं सीकर को सिंचाई हेतु पानी आबंटित नहीं है।

उक्तानुसार पेयजल हेतु आबंटित 113.7 क्यूसेक मात्रा में से धन्नासर हैडवर्क्स पर चूरू, हनुमानगढ़ एवं सीकर जिले हेतु 61.82 क्यूसेक, पाण्डूसर हैडवर्क्स पर हनुमानगढ़ जिले हेतु 4.00 क्यूसेक तथा तारानगर हैडवर्क्स पर चूरू, झुन्झुनूं एवं सीकर जिले हेतु 47.88 क्यूसेक निर्धारित किया गया है।

(5) जी नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य कैनाल से पेयजल हेतु तारानगर तक डैडीकेटेड पाइप लाइन डालने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु कार्यादेश

415. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत मई 2019 तक किन-किन कार्यों के कार्यादेश दिये गये हैं? कार्यों के विवरण सहित टेंडर व कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना में प्रदेश के किस-किस शहर में क्या-क्या कार्य/ परियोजना स्वीकृत हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मई 2019 तक प्रदेश के स्मार्ट सिटी परियोजना में किस-किस शहर के लिए केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि आबंटित हो चुकी है? सरकार व स्थानीय निकायों के द्वारा कितना-कितना हिस्सा स्वीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजना के तहत किस-किस शहर में क्या-क्या कार्य वर्तमान में किस स्तर पर प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मई 2019 तक 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 29 कार्य प्रगतिरत हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1, टेण्डर व कार्यादेश जारी करने की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर शहर में स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3, उदयपुर शहर हेतु स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-4, कोटा शहर हेतु स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-5 एवं अजमेर शहर हेतु स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(3) मई 2019 तक राजस्थान के स्मार्ट सिटी परियोजना में केन्द्र सरकार से निम्न चारों शहरों में राशि आबंटित (हस्तांतरित) हो चुकी है

जयपुर	-196 करोड़
उदयपुर	-196 करोड़
कोटा	-196 करोड़
अजमेर	-196 करोड़

केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के विरुद्ध प्रत्येक स्मार्ट सिटी में राज्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सरकार की हिस्सा राशि रुपये 120 करोड़ एवं स्थानीय निकायों की हिस्सा राशि रुपये 80 करोड़ स्वीकृत है।

(4) जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर शहर में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-7, उदयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उदयपुर शहर में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-8, कोटा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कोटा शहर में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-9 एवं अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अजमेर शहर में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में चिकित्सा संस्थानों को रियायती दरों पर भूमि का आबंटन

416. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में वर्ष 2000 के उपरांत किन-किन मेडिकल कालेज, चिकित्सा संस्थानों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई गई? फर्मों, व्यक्तियों, संस्थानों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों द्वारा कितने-कितने बिस्तरों के अस्पताल प्रारम्भ किये गये? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थानों में बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क उपचार हेतु कितने-कितने बिस्तर आरक्षित किये गये? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्थानों में अभी तक कितने बीपीएल परिवारों को भर्ती कर नि:शुल्क उपचार किया गया? संस्थानवार व संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्ष 2000 के उपरान्त जिन मेडिकल कालेज, चिकित्सा संस्थानों को सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई है, उन फर्मों, व्यक्तियों, संस्थानों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1. नगर निगम जयपुर द्वारा पत्रांक 173 दि. 17.09.13 के द्वारा हरिवंश कांवटिया राजकीय चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर के विस्तार के लिए क्षेत्रफल 2163.33 वर्गगज जमीन का आबंटन किया गया था। आबंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।
2. सिविल लाइन जोन नगर निगम जयपुर द्वारा आबंटन पत्र एफ 56( )/सि.ला.जो./2017/2448 दिनांक 17.01.2017 के द्वारा 22 गोदाम कच्ची बस्ती, जयपुर की गली संख्या 3 में भूखण्ड संख्या 57 ए क्षेत्रफल 307.60 वर्ग मीटर भूमि को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार नि:शुल्क आबंटित की गई है। आबंटन पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) संस्थानों द्वारा कितने-कितने बिस्तरों के अस्पताल प्रारंभ किये गये, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर वर्णित है।

(3) संस्थानों में बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क उपचार हेतु बिस्तर आरक्षित किये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट "अ" में वर्णित है।

नारायणा हृदयालय लिमिटेड (नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल) द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क उपचार हेतु 05 बिस्तर आरक्षित किये हुए हैं।

(4) संस्थानों में बी.पी.एल. परिवारों को भर्ती कर नि:शुल्क उपचार किया गया।

नारायणा हृदयालय लिमिटेड (नारायणा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल) द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को भर्ती कर किये गये नि:शुल्क उपचार की अप्रैल 2019 तक सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना नगरपालिका में विकास कार्यों पर आबंटित राशि

417. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका डेगाना (नागौर) का गठन कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका में विगत पांच वर्ष में विकास कार्यों हेतु

(श्री विजयपाल मिर्धा)

कितनी राशि का आबंटन किस-किस मद में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबंटित राशि को नगरपालिका मंडल द्वारा पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका डेगाना का गठन विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.03.2015 के द्वारा किया गया। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका डेगाना के गठन से मार्च 2019 तक निम्नानुसार मदवार राशि प्राप्त हुई है :-

SBM (राशि लाखों में)	MJSA (राशि लाखों में)	RUIDP (राशि लाखों में)	NULM (राशि लाखों में)	14वें वित्त आयोग (TFC) (राशि लाखों में)	पंचम राज्य वित्त आयोग (SFC) (राशि लाखों में)
166.72	23.11	377.00	6.00	757.03	922.2

(3) जी हां। नगरपालिका मण्डल डेगाना में मण्डल बैठक में विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन नहीं होने के कारण पूर्ण राशि खर्च नहीं की जा सकी है। आगामी मण्डल बैठक में प्रकरण रखा जाकर मण्डल निर्णय के अनुसार कार्य करवाये जा सकेंगें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में विधान सभा नगर धावास में सड़कों की मरम्मत

418. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड, धावास स्थित विधान सभा समूह आवास योजना विस्तार (जोन-7) में सड़कें अधूरी एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो इनका पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के प्लाट संख्या 188 से 190 तथा 190 से एस-25 तक के प्लाट के सामने की सड़क नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो कब तक उक्त सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय योजना में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं और बकाया सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय योजना में पेयजल की वर्तमान में क्या व्यवस्था है और सरकार कब तक पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है उक्त आवासीय योजना के एस ब्लाक के प्लाट संख्या एस-25 के पास स्थित खाली भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टे काटकर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त अवैध कब्जे को कब तक हटाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। धावास स्थित विधान सभा समूह आवास योजना विस्तार में कुल 237 भूखण्ड तथा 155 दुकानें अनुमोदित हैं जिनमें मात्र 45 मकानों का निर्माण हुआ है एवं योजना में अभी भी मकानों के निर्माण कार्य चलने के कारण सड़क जीर्णशीर्ण एवं टूटी हुई है। इस योजना में सड़कों का नवीनीकरण कार्य अधिकांश मकानों के निर्माण उपरान्त उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होने पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। प्लाट संख्या 188 से 190 व 190 से एस-25 तक सड़क का निर्माण कार्य योजना में प्लाट एवं भूखण्ड में भवन निर्माण पूर्ण होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होने पर कराया जाना प्रस्तावित होगा।

(3) उक्त आवासीय योजना में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

सड़क : सड़क कार्य पूर्व में किया जा चुका है। सड़कों का नवीनीकरण कार्य अधिकांश मकानों के निर्माण उपरान्त करवाया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत : योजना के अधिकांश क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य करवा दिये

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गये हैं। आंशिक क्षेत्र में विद्युत वितरण निगम से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रस्तावित है।

पेयजल : उक्त योजना में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक नग नलकूप एवं पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सीवर : उक्त आवासीय योजना के आस-पास के सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु मुख्य सीवर लाइन अर्थात् "डिस्पोजल" तन्त्र विकसित करने के उपरान्त आन्तरिक सीवर कार्य किया जाना प्रावधित है।

वृक्षारोपण : धावास योजना में वर्ष 2011-12 में वृक्षारोपण के अन्तर्गत 10930 पौधे एवं झाड़ियां लगाई थीं, जिन पर राशि रु.554351.00 व्यय किया गया था। उक्त पौधे एवं झाड़ियां स्वयंपोषित हो चुके हैं।

उक्त योजना में एक बहुत छोटा तिकोना पार्क जिसका क्षेत्रफल लगभग 150 वर्गगज है, के सिविल विकास कार्य स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन दर संविदा के अन्तर्गत कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(4) उक्त आवासीय योजना में वर्तमान में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उक्त योजना में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक नलकूप एवं पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। प्रश्नगत भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। मौके पर उक्त भूमि पर अवैध निर्माण को विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर सामूहिक अभियान का आयोजन कर शीघ्र ही हटाने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

सिरोही जिले में नगरपालिकाओं को आबंटित भूमि

419. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले की नगरपालिकाओं/परिषद् को गत दस वर्ष में सिरोही जिला कलेक्टर द्वारा कब-कब कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई?

(2) उक्त भूमि की 26 जून, 2019 को क्या स्थिति है? कितने प्रकरण में किस-किस स्तर पर वाद विचाराधीन है? कितनी भूमि पर कब्जे दिये गये हैं? कितनी भूमि पर किस नियम के तहत पट्टे जारी किये गये हैं? नगरपालिका/परिषदवार/वर्षवार मय नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले की नगर परिषद् सिरोही को गत दस वर्ष में जिला कलेक्टर द्वारा आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-1, नगरपालिका माउण्टआबू को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-2, नगरपालिका आबूरोड को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-3, नगरपालिका पिण्डवाड़ा को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-4, नगरपालिका शिवगंज को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद् सिरोही को आबंटित भूमि की वर्तमान स्थिति एवं जारी पट्टों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। नगरपालिका आबूपर्वत को आबंटित भूमि नगरपालिका के स्वामित्व में है। वर्तमान में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा पट्टों का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। नगरपालिका आबूरोड को आबंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई वाद विचाराधीन नहीं है। नगरपालिका द्वारा किसी को कब्जा नहीं दिया गया है। नगरपालिका आबूरोड द्वारा वर्ष 2017 में आकराभट्टा में खसरा नं. 171/83 व 82 में 3997 वर्ग मीटर भूमि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आबंटन की गई है। नगरपालिका पिण्डवाड़ा में आबंटन भूमि यथावत है, परन्तु अधिकतर भूमि पर पूर्व से ही लोगों के कब्जे है। साथ ही उक्त आबंटित भूमि में खसरा संख्या 5317/2313, रकबा 1.03 बीघा खसरा संख्या 2316 रकबा 1.19 बीघा पर श्री नेनाराम पुत्र रमाजी मीणा के कब्जे बाबत सक्षम न्यायालय में वर्तमान में एक प्रकरण विचाराधीन है जिसका विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है। आबंटित भूमि पर नगरपालिका द्वारा किसी को भी पट्टा नहीं दिया गया। नगरपालिका शिवगंज को आबंटित भूमि की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-9 पर, वाद विचाराधीन होने का विवरण परिशिष्ट-10 पर एवं जारी किए गए पट्टों का विवरण परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर विकास प्राधिकरण के तहत विकास कार्य

420. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आमेर विकास प्राधिकरण का गठन किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) उक्त विकास प्राधिकरण में किस-किस वर्ष में किस-किस मद में कितनी आय हुई और इसका कहां-कहां व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विकास प्राधिकरण द्वारा आमेर क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाये गये? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(4) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आय का उपयोग किन-किन योजनाओं में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्राधिकरण में एक सुदीर्घ अवधि से अधिकारी/कार्मिक पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कितने अधिकारी कब-कब से? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार द्वारा इनके स्थानान्तरण की कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य प्राधिकरण के विधान में अंकित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्राधिकरण के नवम्बर, 2005 में गठन पश्चात् वर्ष 2006-07 से 2019-20 तक प्राधिकरण को सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त राशि संवेतन, गैर संवेतन एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद में वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-2 एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 ए पर संलग्न है।

प्राप्त आय (सहायतार्थ अनुदान) को प्राधिकरण कार्यालय के अतिरिक्त जयपुर शहर स्थित स्मारकों/संग्रहालयों यथा आमेर महल, अल्बर्ट हाल, जन्तर-मन्तर, हवामहल, नाहरगढ़, सिसोदिया रानी का बाग एवं विद्याधर का बाग व विरासत संग्रहालय पर व्यय किया गया।

(3) जी हां। आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आमेर क्षेत्र में स्थित संरक्षित स्मारक आमेर महल में संरक्षण, जीर्णोद्धार व विकास कार्य करवाये गये। इसके अतिरिक्त हाथी गांव में भी पर्यटन विभाग से प्राप्त राशि से विकास कार्य करवाये गये।

(4) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आय (सहायतार्थ अनुदान) का उपयोग प्राधिकरण कार्यालय के अतिरिक्त जयपुर

(पर्यटक मंत्री)

शहर स्थित स्मारकों/संग्रहालयों यथा आमेर महल, अल्बर्ट हाल, जन्तर-मन्तर, हवामहल, नाहरगढ़, सिसोदिया रानी का बाग एवं विद्याधर का बाग व विरासत संग्रहालय के प्रबन्धन संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों पर किया गया।

(5) प्राधिकरण कार्यालय में समस्त अधिकारी/कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर अंकित है।

अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(6) स्थानान्तरण नीति बनाने का विचार इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्रह्माजी मन्दिर, पुष्कर की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

421. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पन्द्रह वर्षों में पुष्कर में ब्रह्माजी के मंदिर की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण चिन्हित किए गए हैं?

(2) सरकार द्वारा मंदिर की सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए विगत पन्द्रह वर्षों में क्या-क्या प्रयास किए गए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मंदिर में विगत पन्द्रह वर्षों तक विभिन्न स्रोतों से वार्षिक आय, विभिन्न शीर्षों पर व्यय एवं अधिशेष का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मंदिर संचालन समिति द्वारा विगत पन्द्रह वर्षों तक यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार के क्या कार्य किए गए एवं उन पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार व कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अस्थायी प्रबंध समिति श्री ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर का गठन दिनांक 20.01.2017 को हुआ। ट्रस्ट द्वारा या समिति द्वारा किसी प्रकार के अतिक्रमण चिन्हीकरण नहीं किये गये। अस्थायी प्रबंध समिति के गठन के पश्चात् श्री ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर की सम्पत्तियों का हाल में ही चिन्हीकरण

(देवस्थान मंत्री)

करवाया गया तथा समिति द्वारा इस बाबत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, जिला-पाली व उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन जिला-अजमेर को समिति के पत्रांक 236-237 दिनांक 19.07.2019 तथा तहसीलदार, पुष्कर को आदेश क्रमांक 238 दिनांक 19.07.2019 से सम्पत्तियों की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए लिखा गया। उपरोक्त रिपोर्टों के अनुसार तहसील जैतारण तथा तहसील पीसांगन में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया एवं तहसील पुष्कर के ग्राम देवनगर में ब्रह्मा मंदिर की कृषि भूमियों पर अतिक्रमण पाया गया है। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा शेष ग्रामों में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना बताया गया।

(2) तहसील पुष्कर के ग्राम देवनगर में ब्रह्मा मंदिर की कृषि भूमियों पर अतिक्रमण पाया गया है जिस बाबत तहसीलदार पुष्कर द्वारा धारा 91 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) उक्त मंदिर में विगत 15 वर्षों तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वार्षिक, आय-व्यय अधिशेष का वर्षवार विवरण सी.ए. की आडिट रिपोर्ट अनुसार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) मंदिर संचालन समिति द्वारा यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा, सफाई, भोजन, बिजली, पानी, सी.सी.टी.वी., कूलर, कैमरा, कार्मिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य मदों पर व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विधान सभा नगर धोलाई में भूमि उपयोग परिवर्तन

422. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम धोलाई, विधान सभा नगर, सांगानेर, जयपुर में खसरा नंबर 152 से 156 एवं खसरा नं 167 से 185 में कितनी-कितनी भूमि किन-किन खातेदारों के नाम वर्तमान में दर्ज है? नामांतरण की प्रतियां सहित वर्तमान में भू-उपयोग आवासीय/कृषि प्रयोजनार्थ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस खसरा नं. की कितनी-कितनी भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन कर दिये गये हैं एवं किन खसरों की भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन लम्बित हैं?

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

(3) उक्त खसरों की कितनी-कितनी भूमि का विक्रय के आधार पर नामांतरण में नाम परिवर्तन किया गया? विक्रय पत्रों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त खसरा नंबरों पर खातेदारों/काश्तकारों द्वारा भूमि का विक्रय करने के बाद अतिक्रमण/कब्जा किया जा रहा है?

(5) क्या सरकार उक्त किये गये अतिक्रमण/कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त खसरा नंबर में वर्तमान में कितने मकान बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

ख.नं.	**रकबा (है. में)**	**किस्म**	**खातेदार का नाम**
152	0.24	चा.1	छोटू, पुत्र गोविन्दा हि. 1/4, नाना देवी पुत्री भूरा हि. 1/4, छीतर कालू पिता मोहरू प्रभाती देवी केली देवी, सूण्डी पुत्रियां मोहरू हि. 5/6, लाली देवी पत्नी गंगाराम गोपाल पुत्र गंगाराम, राधा पुत्री गंगाराम ना.बा. संरक्षिका माता लाली देवी हि. 1/6 दर हि. 1/12, रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा. बुद्धसिंहपुरा हि. 1/12, मु. मोहरी बेवा गोपी हि. 1/12, कमला पत्नी रामनारायण हि. 1/4, कौम जाट सा. देह
153	0.16	चा.1	
154	0.73	चा.1	
155	0.89	चा.1	
156	0.35	बंजड़ 1	
179	0.08	चा.1	
180	0.23	चा.1	
182	0.30	चा.3	
183	0.13	चा.3	
184	0.23	चा.1	
185	0.17	चा.1	
किता 11	कुल रकबा 3.51		

(राजस्व मंत्री)

ख.नं.	रकबा (है. में)	किस्म	खातेदार का नाम
167	0.01	गै.मु. चाह	नानी देवी पुत्री भूरा हि. 1/4, छीतर, कालू पिता मोहरू, प्रभाती, केली देवी, सूण्डी देवी पुत्रियां मोहरू हि. 5/6, लाली देवी पत्नी गंगाराम, गोपाल पुत्र गंगाराम, राधा पुत्री गंगाराम ना.बा. संरक्षिका माता लाली देवी हि.ब. 1/6, दर हि. 1/12, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि. 2/3
168	1.25	बा.3	
170	0.70	बा.3	
170/ 378	0.50	चा.3 0.10 जा.3 0.40	
171	0.72	जा.3 0.58 चा.3 0.14	
177	0.74	चा.1	
178	0.01	गै.मु. चाह	
181	0.35	चा.1	
किता 8	कुल रकबा 4.28		
169	2.34	गै.मु.	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
172	0.01	गै.मु. चाह	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हि. 3/4, नाना देवी पुत्री भूरा हि. 1/4, कौम जाट सा. देह के नाम दर्ज है ।
173	0.01	बा.3	
175	0.09	चाही 3	
किता 3	कुल रकबा 0.11		
174	0.31	बा.3	छोटू पुत्र गोविन्दा हि. 1/4, नाना देवी पुत्री भूरा हि. 1/4, छीतर कालू पि. मोहरू, प्रभाती देवी केली देवी, सूण्डी देवी पुत्रियान मोहरू, हि. 5/6, लाली देवी पत्नी गंगाराम गोपाल पुत्र गंगाराम, राधा पुत्री गंगाराम ना.बा. संरक्षिका माता लाली देवी हि. 1/6, दर हि. 1/12, रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा. बुद्धसिंहपुरा हि. 1/12, मु. मोहरी बेवा गोपी हि. 1/12, कमला पत्नी रामनारायण हि. 1/4, कौम जाट सा. देह दर्ज है।
176	0.22	बा.3	
किता 2	कुल रकबा 0.53		

(राजस्व मंत्री)

ख.नं.	रकबा (है. में)	किस्म	खातेदार का नाम
			प्रश्नगत खसरा नंबर 152 लगा, 156 व 167 लगा, 185 की जमाबन्दी प्रति नामा.करण प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(2) ग्राम धोलाई तहसील सांगानेर के ख.नं. 152 से 156, 167, 168, 170 से 185 की सम्पूर्ण भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी के अन्तर्गत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन किया हुआ है परन्तु खातेदार द्वारा मा. न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील संख्या 84/2014 प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 16.06.14 को निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जविप्रा, जोन-8 द्वारा धारा 90बी के आदेश दिनांक 15.02.08 को निरस्त कर दिया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त आदेश के विरुद्ध सोसायटी द्वारा निगरानी वाद संख्या 4425/2014 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.14 को निर्णय पारित कर प्रस्तुत निगरानी को संधारण योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दी गई जिसकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध विधान सभा नगर जन चेतना समिति द्वारा मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 2543/2016 प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 23.09.16 को आदेश पारित कर संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 16.06.14 एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22.09.14 को स्टे आदेश जारी किये जिसकी प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3)

नामा. करण संख्या एवं दिनांक	विक्रय पत्र दिनांक	ख.नं.	रकबा है. में	विक्रेता	क्रेता
नामा. करण संख्या 3 दिनांक 20.11.93	16.08.90 विक्रय पत्र की प्रति परिशिष्ट-र	152	0.24	छोटू पुत्र गोविन्दा हि. 1/4 बाबूलाल पुत्र भूरा हि. 1/4, मोहरू, चन्दा पिता कल्याण मु. मोहरी बेवा गोपी हि. 1/4, कमला पत्नी रामनारायण हि. 1/4, कौम जाट सा. देह	रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा. बुद्धसिंहपुरा को हि. 1/12 बाकी हिस्सेदार बदस्तूर
		153	0.16		
		154	0.73		
		155	0.89		
		156	0.35		
		174	0.31		
		176	0.22		
		179	0.08		
		180	0.23		
		182	0.30		
		183	0.13		
		184	0.23		
		185	0.17		
		किता 13	4.04		
		167	0.01	मोहरू चन्दा, पि. कल्याण व मु. मोहरी बेवा गोपी हि. 1/4 कमला पत्नी रामनारायण हि. 1/4 कौम जाट, सोनी देवी पत्नी हीरालाल, मंगली पत्नी कन्हैयालाल, अनिता पत्नी हनुमान सहाय, मीरा पुत्री चौथमल,	रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा. बुद्धसिंहपुरा हि. 1/12 बाकी हिस्सेदार बदस्तूर
		168	1.25		
		170	0.70		
		171	0.72		
		170/ 378	0.50		

(राजस्व मंत्री)

नामा. करण संख्या एवं दिनांक	विक्रय पत्र दिनांक	ख.नं.	रकबा है. में	विक्रेता	क्रेता
				कल्याणी बेवा कल्याण सहाय जाति माली सा. सांगानेर हि. 1/4 बाबूलाल पुत्र भूरा कौम जाट हि. 1/4 सा. देह	
	विक्रय-पत्र की प्रति परिशिष्ट-र पर संलग्न है।				

(4) जी नहीं। खातेदारों द्वारा भूमि का विक्रय करने के पश्चात् पुन: उनके द्वारा मौके पर विक्रय की गई भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण कर लिए जाने संबंधी कोई शिकायत जिला कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, न ही किसी तरह की कार्यवाही किया जाना जिला कार्यालय जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर अवशेष है।

(5) उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 4 के अनुसार होने से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(6) मौके पर उक्त खसरा नम्बरों में लगभग 300 मकान बने हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में राजस्व अधिकारियों के रिक्त पद

423. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्व निरीक्षक, अमीन व पटवारी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्व निरीक्षक के 31 पद, अमीन के 0 व पटवारी के 95 पद स्वीकृत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त पदों में राजस्व निरीक्षक व अमीन का कोई पद रिक्त नहीं है व पटवारी के 48 पद रिक्त हैं। जिनका पंचायतवार विवरण रिक्ति की अवधि सहित परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) पटवारी के 3835 पदों को भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शीघ्र ही भर्ती का आयोजन किया जाकर पटवारी के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्व मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पद

424. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कितने-कितने पद किस-किस कार्यालयों में कब-कब से स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर वर्तमान में कौन-कौन कार्मिक कब-कब से कार्यरत हैं? कार्यालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त पद सृजन से ही रिक्त हैं एवं उक्त पर अभी तक किसी भी कार्मिक को पदोन्नति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार 30 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले कार्मिक को अनुभव में छूट देकर वरीयता के आधार पर उक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व (ग्रुप-2) विभाग की आज्ञा दिनांक 28.05.2015 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 28.08.2015 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के निम्नानुसार पद दिनांक 01.04.2015 से स्वीकृत किये गये थे :-

(राजस्व मंत्री)

संस्थापन अधिकारी

क्र.सं.	नाम कार्यालय	स्वीकृत पद
1	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर	01 पद
2	जिला कलक्टर कार्यालय अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर	04 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 01-01 पद)
	योग	05 पद

प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम कार्यालय	स्वीकृत पद
1	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर	02 पद
2.	3 जिला कलक्टर कार्यालय यथा भरतपुर, बीकानेर, कोटा	6 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 02-02 पद)
3	शेष 30 जिला कलक्टर कार्यालय	30 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 01-01 पद)
	योग	38 पद

उक्तानुसार सृजित संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों के कैडर को राजस्व (ग्रुप-2) विभाग की आज्ञा दिनांक 13.04.2018 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 26.04.2018 के द्वारा संशोधित किया जाकर दिनांक 01.04.2017 से निम्नानुसार स्वीकृत किये गये है :-

संस्थापन अधिकारी

क्र.सं.	नाम कार्यालय	स्वीकृत पद
1	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर	04 पद
2	जिला कलक्टर कार्यालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	14 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 02-02 पद)
	योग	18 पद

(राजस्व मंत्री)

प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम कार्यालय	स्वीकृत पद
1	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर	07 पद
2	7 जिला कलक्टर कार्यालयों यथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर	14 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 02-02 पद)
3	शेष 26 जिला कलक्टर कार्यालय	26 पद (प्रत्येक जिला कलक्टर हेतु 01-01 पद)
	योग	47 पद

(2) वर्तमान में राजस्व मण्डल एवं अधीनस्थ जिला कलेक्टर कार्यालयों में स्वीकृत प्रशासनिक एवं संस्थापन अधिकारी पद की डीपीसी का आयोजन नहीं होने के कारण कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है।

(3) जी हां। पदोन्नति हेतु राजस्व मण्डल के बजाय जिला कलेक्टर को अधिकृत किये जाने हेतु नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जैरकार होने से पदोन्नति नही की जा सकी है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.07.2019 के द्वारा नियमों में संशोधन किया जाकर उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है। जारी अधिसूचना अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.09.2017 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर 3 वर्ष का कार्यानुभव तथा संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कुल 25 वर्ष की सेवा अवधि वांछित है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.02.1998 के प्रावधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार एक तिहाई अवधि के शिथिलन हेतु लोकहित में कार्मिक विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।

संस्थापन अधिकारी का पद राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 का सर्वोच्च पद है। अतः जहां कहीं भी पदोन्नति हेतु कुल सेवा अवधि वांछित है अथवा सेवा के सर्वोच्च पद पर पदोन्नति होनी है, उस स्थिति में किसी प्रकार का शिथिलन देय नहीं है।

जालौर की पंचायत समिति सायला के ग्राम ऊनडी का विभाजन

425. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की सायला पंचायत समिति के ऊनडी गांव का विभाजन करके एक नए राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त दोनों गांवों की राजस्व भूमि का बंटवारा करके सीमांकन कर दिया गया है?

(3) क्या रघुनाथपुरा गांव की राजस्व भूमि का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले की तहसील सायला के मूल गांव ऊनडी से नया राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा बनाया गया। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्व भूमि का बंटवारा करके सीमांकन कर नक्शा अलग बना दिया गया है।

(3) जी नहीं। राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की राजस्व भूमि का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है। रघुनाथपुरा गांव मूल गांव ऊनडी से बना है जिसका नक्शा व गिरदावरी पृथक कर दी गई है। चौसाला जमाबंदी पूर्ण होने पर नये राजस्व ग्राम की जमाबंदी पृथक की जाती है। वर्तमान में सेग्रीगेशन का कार्य पूर्ण होकर आनलाइन हो चुका है। अब जमाबंदी पृथक की जाएगी जिसका नक्शा व गिरदावरी तैयार कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित आवेदन

426. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारियों के लिए सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) अजमेर शहर में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में कितने नये नाम जोड़े गये? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शहर में ऐसे कितने खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारी हैं जिन्होनें अपना नाम इस योजना में जुड़ाने हेतु आवेदन किया हुआ है? पिछले छह माह के लम्बित आवेदनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत की चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। पात्रताधारियों के लिए सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए, इस विषय के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करवाया जा रहा है।

(2) अजमेर शहर में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में 356 नाम जोड़े गये हैं। वार्डवार आनलाइन डेटा संधारण न होने के कारण अजमेर शहर की नामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में अजमेर शहर में 40 आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने हेतु प्राप्त हुए हैं, जो जांच प्रक्रिया में विचाराधीन होने से लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में संचालित राशन की दुकानें

427. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में कितनी राशन की दुकानें संचालित व रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त स्थानों पर नये आवेदन लेकर बेरोजगारों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में 1055 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं जिनमें से 112 उचित मूल्य दुकानें रिक्त हैं।

(2) जी हां। रिक्त स्थानों को भरने की कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी।

महवा के विद्यालयों के भवन निर्माण

428. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2013 से 2018 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार राजकीय विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2013 से 2018 तक खर्च की गई राशि का वर्षवार एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अनुमत निर्माण कार्य/गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केशोरायपाटन व रामगंज मण्डी में रमसा के तहत कक्षा-कक्षों का निर्माण

429. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रमसा के माध्यम से कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन (बूंदी) एवं रामगंज मण्डी (कोटा) में किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी व कहां-कहां कितने कक्षों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार क्या वर्तमान वर्ष में भी उक्त योजना में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में किस-किस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

विद्यालय में कितने-कितने कक्षा-कक्षों का निर्माण कितनी-कितनी राशि से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन (बूंदी) एवं रामगंज मण्डी (कोटा) के राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण (मय संख्या) हेतु स्वीकृत राशि का वर्षवार व विद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। रमसा योजना वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा में विलय हो चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में समग्र शिक्षा अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों की अनुमानित राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विभिन्न परियोजनाओं के तहत संविदाकर्मियों की नियुक्ति

430. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में सीधे संविदा पर कर्मचारी नियुक्त करने के आदेश हैं?

(2) क्या सरकार के आदेश की पालना में सभी जिलों में शिक्षा परियोजना व कार्यालयों में समसा में प्लेसमेंट एजेन्सियों को हटा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन जिलो में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन जिलों में प्लेसमेंट एजेन्सियों को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? क्या वहां सीधे ही संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में संविदा पदों पर मानवीय संसाधनों की सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार लिए जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) राज्य में समग्र शिक्षा के अधीन वित्त विभाग से प्राप्त नवीनतम निर्देशों के अनुसरण में वित्त विभाग के परिपत्र 30.04.2018 के अनुसार मानवीय संसाधनों की सेवाएं लोक उपापन नियम 2013 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सेवाओं को आगामी आदेशों तक जारी रखने के आदेश जारी किये गये हैं।

समायोजित प्रयोगशाला सहायकों को ए.सी.पी. का लाभ

431. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में 1997 में अधिशेष घोषित प्रयोगशाला सहायक (तृ.श्रे.) को अध्यापक (तृ.श्रे.) के पद पर समान वेतनमान रु. 1200-2050 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 के अनुसार वेतनमान रु. 4000-6000 (9) पर समायोजित किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समायोजित प्रयोगशाला सहायकों की पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में अध्यापकों के समान ही वेतनमान और ए.सी.पी. का लाभ दिया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समायोजित प्रयोगशाला सहायकों (अध्यापकों) की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर मानते हुए ए.सी.पी. का लाभ ले चुके अध्यापकों से वसूली करने का विभाग ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने व्यक्ति इस प्रकार की वेतन कटौती से प्रभावित हुए हैं और उनसें कितनी राशि वसूल की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में न्यायाधिकरण के निर्णय की पालना करते हुए वसूली पर रोक लगाकर पुन्‍ इनका वेतनमान व ए.सी.पी. बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। समायोजित प्रयोगशाला सहायक (अध्यापकों) की प्रथम

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर मानते हुए, ए.सी.पी. का लाभ ले चुके 179 कार्मिक वेतन कटौती से प्रभावित हुए हैं। वसूल की गई राशि का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(4) जी हां। समायोजित प्रयोगशाला सहायकों (अध्यापकों) को अध्यापक तृतीय श्रेणी के समान ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने तथा वसूली नहीं किये जाने के संबंध में समीक्षा समिति का गठन किया जाकर समस्त समान प्रकरणों में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के दृष्टिगत समेकित निर्णय लिए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यालयों के एकीकरण से रिक्त विद्यालय भवन

432. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में विद्यालयों के एकीकरण से कितने विद्यालय भवन रिक्त हुए हैं? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त रिक्त भवनों का कोई उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इनके सदुपयोग की कोई योजना बनाई गई/बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रिक्त भवनों का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी एवज में शिक्षा विभाग को कोई किराया राशि मिल रही है? यदि हां, तो कितनी व कब से? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 05 वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के एकीकरण/समायोजन से रिक्त हुए विद्यालय भवनों का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त रिक्त हुए भवनों में से 725 विद्यालय भवन,

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

विभाग के उपयोग में लाये जा रहे हैं तथा 597 भवन स्थानीय प्रशासन/जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अन्य विभागों के उपयोग हेतु सुपुर्द किया गया है। शेष ऐसे भवन जो वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहे हैं, के सदुपयोग हेतु राज्य सरकार के पत्रांक पं. 17(2)प्राशि/आयो/भूमि-भवन/2016 जयपुर दिनांक 28.12.2016 तथा (प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न) के द्वारा उक्त रिक्त विद्यालयों के भवनों की आवश्यकता वाले अन्य राजकीय विभागों/संस्थाओं को आबंटित करने हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक शिविरा/माध्य/साप्र/डी-2/रिक्त परिसर/समन्वय/2015/23 दिनांक 16.5.2016 के द्वारा रिक्त विद्यालय परिसरों का वैकल्पिक उपयोग किये जाने हेतु प्रदत्त निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। 146 रिक्त विद्यालय भवनों को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा पत्रांक पं.17(2)प्राशि/आयो/भूमि-भवन/2016 जयपुर दिनांक 28.12.2016 द्वारा आवश्यकतानुरूप अन्य विभागों को आबंटित किये गये हैं, ऐसे विद्यालय जिनको अन्य विभागों के देने की एवज में शिक्षा विभाग को किराया राशि प्राप्त हो रही है, का जिलेवार व वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**जिला**	**वर्ष**	**विद्यालय की संख्या**	**प्राप्त किराया राशि (प्रति मासिक)**
1	सीकर	2016	01	1379/- रु.
2	कोटा	2017	01	2500/- रु.
3	भरतपुर	2016	02	100/- रु. प्रति विद्यालय
4	चूरू	2015	01	3015/- रु.

इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत सुपुर्द अन्य विभागों से प्राप्त किराया राशि का विवरण परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर के विद्यालयों में रिक्त पद

433. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार, संवर्गवार व श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का संवर्गवार/श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

संवर्ग/श्रेणी	**राप्रावि**		**राउप्रावि**	
	स्वीकृत	**रिक्त**	**स्वीकृत**	**रिक्त**
वरिष्ठ अध्यापक	5	2	71	55
तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष	13	3	258	52
तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष	498	86	257	84
शा. शिक्षक तृतीय ग्रेड	2	0	54	24
योग	518	91	640	215

उक्त स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को समय-समय पर वित्त विभाग से स्वीकृतियों के अनुसार भर्ती के माध्यम से भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के स्थानान्तरण

434. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विभिन्न कालेज व्याख्याताओं

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने स्थानान्तरण किन-किन आदेशों से किस आधार पर किस-किस महाविद्यालयों में किये गये हैं? जिलेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानान्तरणों में से कई स्थानान्तरणों पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे भी दिये गये हैं? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के कितने स्थानान्तरणों पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे कई स्थानान्तरण जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे दिये जाने के उपरान्त भी अभी तक विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया गया है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ में ऐसे कितने स्थानान्तरण के प्रकरण हैं जिन पर माननीय न्यायालय के स्टे आदेश होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा स्थानान्तरण किये गये व्याख्याता/अधिकारी/कर्मचारी को पूर्ववत अपने कार्य पर नियुक्त नहीं किया गया है व किस कारण से माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे मामलों में माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आदेशों की पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2018-19 में किये गये 675 कालेज शिक्षकों के स्थानान्तरण से संबंधित सूची परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है तथा वर्ष 2018-19 में राजकीय महाविद्यालयों में अशैक्षणिक वर्ग के कार्मिकों के किये गये 134 स्थानान्तरणों के संबंध में सूचना की जिलेवार सूची परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(2) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले के एक स्थानान्तरण (पीयूष शर्मा, सहआचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ से सोजत सिटी) पर माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या-92/2019 (चलपीठ जोधपुर में दर्ज) द्वारा अपास्त किया गया है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(3) जी नहीं। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेशों की पालना में श्री पीयूष शर्मा को राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में दिनांक 03-07-2019 को कार्यग्रहण करवाया गया माननीय अधिकरण आदेश की अवमानना नहीं की गई। (परिशिष्ट-4)

(4) माननीय न्यायालय/अधिकरण के आदेशों की अवमानना नहीं की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

435. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? प्रतिनियुक्त शिक्षकों के नाम एवं पदस्थापन स्थान की सूची सदन की मेंज पर रखें।

(2) प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शिक्षकों के स्थान पर सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग में एक ही विषय के स्वीकृत पद पर दो शिक्षकों का पदस्थापन कर रखा है? यदि हां, तो उन शिक्षकों के नाम, पदस्थापन स्थान एवं उनका वेतन आहरण कहां से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार छात्र हित में उक्त को मूल पदस्थापन स्थान पर भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने वर्तमान वर्ष में पीटीईटी का आयोजन किया है? यदि हां, तो परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेन्सी बनाने के क्या–क्या नियम हैं तथा किस शिक्षण संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) पीटीईटी सैल में कुल कितने कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनके नाम, पदनाम क्या–क्या हैं? इस सैल में सम्मिलित किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को कितनी अवधि तक कितना मानदेय निर्धारित किया गया है?

(श्री प्रताप सिंह)

पीटीईटी के आयोजन में विभिन्न मदों में व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये शिक्षकों की सूची परिशिष्ट-01, 02 एवं 03 पर संलग्न है।

किसी भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा है।

(2) प्रतिनियुक्ति पर लिए गये शिक्षकों के स्थान पर महाविद्यालयों में अध्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षकों को भेजा जा रहा है तथा RACE कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शिक्षकों को भेजकर अध्यापन कार्य करवाया जायेगा।

(3) जी हां। शिक्षकों के नाम, पदस्थापन महाविद्यालय तथा वेतन आहरण स्थान की सूची परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(4) जी हां। भावी स्थानान्तरण के समय इस पर विचार किया जायेगा।

(5) जी हां। पीटीईटी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नोडल एजेन्सी नियुक्त कर करवाया जाता है। पूर्व में यह परीक्षा विश्वविद्यालयों के स्तर से ही आयोजित करवाई जाती रही है। वर्तमान सत्र 2019-20 से प्रायोगिक तौर पर यह परीक्षा आयुक्तालय, कालेज शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा करवाये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया गया है।

(6) पीटीईटी सैल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, उनको प्रतिदिन देय मानदेय अवधि तथा विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-"5" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर (अजमेर) में विधि महाविद्यालय की स्थापना

436. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत चार वर्षों में कितने राजकीय विधि महाविद्यालय कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) क्या सरकार वर्तमान सत्र में ब्यावर में विधि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में किसी भी स्थान पर कोई भी राजकीय विधि महाविद्यालय नहीं खोला गया है।

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर ब्यावर में राजकीय विधि महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

देवली उनियारा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

437. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाते हैं। वर्तमान में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा के 02 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, देवली (जिसमें सत्र 2018-19 में 921 छात्र एवं 821 छात्राएं अध्ययनरत हैं) एवं राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (जिसमें सत्र 2018-19 में 919 छात्र एवं 795 छात्राएं अध्ययनरत हैं) संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

टीएसपी क्षेत्र में नोन टीएसपी क्षेत्र के कार्मिकों की कार्य मुक्ति

महोदय,

1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.04.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 के अनुसार स्थानान्तरण व नवीन पदस्थापन होने पर T.S.P. में कार्यरत NON TSP के कार्मिकों को TSP से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। 2015 में उक्त संबंध में विकल्प पत्र लिए गये तथा NON TSP में कार्यरत TSP के कार्मिकों को TSP के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। 2014 के बाद अब तक TSP क्षेत्र के लिए दो भर्तियां हो चुकी हैं। स्थानान्तरण व नवीन पदस्थापन से पद भरने के बावजूद भी NON TSP के कार्मिकों को TSP क्षेत्र से कार्य मुक्त क्यों नहीं किया गया है?

2. अन्य विभागों के कार्मिकों को विकल्प पत्र के आधार पर कार्य मुक्त किया जा चुका है जबकि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को कार्य मुक्त नहीं किया गया, ऐसा क्यों?

3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना में यथाशीघ्र TSP में कार्यरत NON TSP के कार्मिकों के स्थान पर रिलीवर भेजकर इनको कार्य मुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 2014 के बाद TSP कैडर की दो भर्तियां होने के बावजूद अब तक इन कार्मिकों के रिलीवर क्यों नहीं भेजे गये?

4. क्या सरकार TSP क्षेत्र में कार्यरत NON TSP क्षेत्र के अध्यापकों कार्य मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

5. जब तक NON TSP के कार्मिकों को TSP से कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक TSP सृजित रोजगार का फायदा वहां के स्थानीय निवासियों को नहीं मिलेगा। अतः सरकार TSP क्षेत्र में कार्यरत NON TSP के अध्यापकों को कार्य मुक्त कर TSP क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराएं।

बलवान पूनियां

(भादरा)

राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी के नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार एवं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर में स्थित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाओं के समाप्त होने के लगभग 3 माह बाद भी B.A., B.Sc. सहित P.G (फाइनल) परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किये गये जिसके चलते छात्र-छात्राएं पी.एच.डी. की कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, एवं उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में भी नहीं जा पा रहे हैं।

श्रीमान् बी.ए. फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने से अध्ययनरत छात्र-छात्राएं राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि अनेक विश्वविद्यालयों जिनमें प्रवेश लेने की अंतिम तिथि निकल चुकी है, उनमें प्रवेश लेने से वंचित रह गये हैं। उक्त विश्वविद्यालय के लापरवाह प्रबन्धन द्वारा लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया गया है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र बनाने व पुस्तिकाओं की जांच और प्रायोगिक परीक्षाओं के शिक्षक लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने के मामले सामने आए है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अलवर जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में सभी विषयों के व्याख्याता पदस्थापित होने के बावजूद निजी महाविद्यालयों के ऐसे व्याख्याताओं से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाई जा रही है जो उस विषय के व्याख्याता ही नहीं हैं जबकि नियमानुसार कापी चैक कराते समय प्रत्येक विभागवार एक पैनल बनता है और उसके अन्दर से एक पैनल कापियों का वितरण करता है लेकिन राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा कोई पैनल नहीं बनाया गया।

मूलभूत आवश्यकताओं व शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है। मेरी आपसे मांग है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन की उक्त लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कराकर व दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही कराने के साथ-साथ प्रवेश लेने से वंचित छात्र-छात्राओं को

राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने का एक और अवसर प्रदान करते हुए पीड़ित छात्रछात्राओं को न्याय दिलवाया जाए।

धन्यवाद।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

विजयनगर व मसूदा के सामान्य अस्पतालों में अव्यवस्था

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विजयनगर/मसूदा में संचालित सामान्य चिकित्सालय है जिसकी वर्तमान में हालात काफी खराब है जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में पर्याप्त स्टाफ नर्सिंग/डाक्टर नहीं होने के कारण मुख्य रूप से रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, न्यूरो फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ की काफी विकट समस्या है। प्रति दिन यहां आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों गम्भीर मरीजों का आवागमन होता है लेकिन रोगी शैयाओं की संख्या नगण्य होने के कारण उन्हें अजमेर व ब्यावर रैफर किया जाता है। यहां पर लैब की भी कमी है। चिकित्सालय में काफी गंदगी रहती है उसे भी सुधारा जाए। आवारा पशु भी चिकित्सालय में घुस जाते हैं जिसको भी रोका जाए।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र विजयनगर/मसूदा के सामान्य चिकित्सालय की उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने का श्रम कर अनुगृहीत करें।

राकेश पारीक

(मसूदा)

सराड़ा में वन विभाग द्वारा जब्त वाहन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दिनांक 09 फरवरी, 2019 को सूखी लकड़ी के ठेकेदार श्री हीरालाल कीर, निवासी-भूतपुरा (वल्लभनगर) जिला उदयपुर में खेरिया की सूखी जलाऊ लकडियां खरीदी थीं जिसमें से कुछ लकड़ी लगभग 5-6 क्विंटल लकड़ी ट्रक संख्या RJ-27 GA-9935 (TATA-2515) में भरकर सराड़ा से भूतपूरा जा रहे थे। तत्पश्चात् रास्ते में

फोरेस्टर व अन्य अधिकारियों के द्वारा गाड़ी रुकवाकर जब्त कर ली गई। उससे पहले उन्होंने 4 ट्रक पहले से जब्त कर रखे थे।

इसके बाद रेंजर सुरेन्द्र सिंह आये और खाली कागजों पर मोटर मालिक गणेश दास पिता शंकर दास निवासी-मोडी बाठेड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर के हस्ताक्षर करवाये। साथ ही गाड़ी छोड़ने के लिए ऊंची रकम की मांग की गयी।

उक्त प्रकरण में उदयपुर डीएफओ इन्द्रपाल सिंह सहित समस्त अधिकारियों ने उस मोटर मालिक/ठेकेदार पर गलत मुकदमा बनाया, गाड़ी जब्त कर ली तथा उक्त प्रकरण में उसी दिन ओरिजनल तस्करों की 4 गाड़ियां जब्त कीं जिसको DFO ने छोड़ दिया तथा उनकी 10 क्विंटल गीली लकड़ियों का केस भी इस पर आरोपित कर दिया। उक्त मामले में निष्पक्ष जांच की मांग चाहता हूं। उस निर्दोष व्यक्ति की गाड़ी को छोड़ने के साथ ही वन विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अमृतलाल मीणा

(सलूम्बर)

डग में आवारा पशुओं से फसल नुकसान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डग में हजारों की संख्या में आवारा पशु हैं जिससे किसानों को आये दिन पशुओं द्वारा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। गौशाला मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि झालावाड़ जिले में कितनी गौशालाएं हैं व कितने पशु गौशालाओं में पल रहे हैं?

सरकार द्वारा नंदी गौशालाएं खोलने की पंचायत समिति स्तर पर की गयी घोषणा, इसमें एक गौशाला में कितनी गायों को रखने की व्यवस्था रहेगी? हमारे क्षेत्र में काफी आवारा पशु घूमते हैं। किसी किसान के खेत में आवारा पशु चले जाते हैं। फसल को पूर्ण रूप से चौपट कर देते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोली जाए व पंचायतों में चरागाह भूमि को अभयारण्य की तर्ज पर तारफैंसिंग या चारदीवारी बनाई जाए तो पशुओं को चारे की काफी सुविधा होगी या प्रत्येक किसान को सरकार एक-एक गाय रखना अनिवार्य कर दें तो आवारा पशु की समस्या समाप्त हो जाएगी।

प्रत्येक किसान अपने खेत से निकलने वाला चारा व भूसा जला देता है। अगर एक गाय किसान रखता है तो वह चारा जलाने से बचाकर गाय के खाने में काम आएगा। सरकार यह अनिवार्य कर दे कि एक गाय किसान नहीं रखेगा तो उसको सरकारी योजना से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार यह कानून बनाये तो यह आवारा गाय घूम रही हैं वह आवारा नहीं रहेंगी। सरकार गौशाला में एक गाय पर 40 रु. प्रतिदिन का खर्च करती है। यह एक साल में 14600 रु. खर्च प्रति वर्ष एक गाय पर होता है। 14600 रु. किसान के खाते में जमा किए जाएं और एक गाय रखना अनिवार्य किया जाए तो आवारा पशु से पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। साथ ही किसान को गाय के गोबर, मूत्र से जैविक खेती की ओर बढ़ावा मिलेगा। यह बहुत गम्भीर विषय है सरकार इस पर विचार करे।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को शीघ्र रोका जाए।

कालूराम

(डग)

झुंझुनूं में खेल महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राज्य के 2013-14 के बजट में झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी थी लेकिन अभी तक खेल विश्वविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत है।

राजस्थान सरकार के 2013-14 के बजट भाषण में झुंझुनूं के लिए खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी थी लेकिन अभी तक खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ ही नहीं हुआ वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए झुंझुनूं जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर दोरासर में 50.58 हैक्टेयर जमीन पर विश्वविद्यालय निर्माण के लिए आबंटन हुआ। 25 जवम्बर, 2013 को इस कागजी विश्वविद्यालय के लिए वाइस चांसलर की भी नियुक्ति की गई लेकिन धरातल पर विश्वविद्यालय निर्माण भवन निर्माण एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गयी। अभी तक न तो विश्वविद्यालय बनी, न भवन बना और न ही विश्वविद्यालय बनाये जाने संबंधित कोई कार्य हुआ। केवल जमीन का आबंटन के अलावा कोई कार्य रूपरेखा तैयार नहीं की गयी।

इस क्षेत्र की कई खेल प्रतिभाएं निकलकर आयी हैं, जिन्होंने इस राज्य का नाम रोशन किया है लेकिन सरकार यहां केवल कागजी खानापूर्ति या लोक

लुभावन घोषणाएं कर वाहवाही ले रही है। इस विश्वविद्यालय के नाम पर समय-समय पर बजट भी मंजूर हुआ है लेकिन बजट की फूटी कौड़ी खेल विश्वविद्यालय के नाम पर खर्च नहीं हुई है।

मैं खेल विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से खेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सुभाष पूनिया

(सूरजगढ़)

तिजारा के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में एक राजकीय महाविद्यालय है, जिसमें सिर्फ कला संकाय ही संचालित है, जिसमें भी वैकल्पिक विषयों की संख्या 5 ही है। विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तो है ही नहीं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त महाविद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों की कुल स्वीकृत 23 पदों में से 14 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में छात्र-छात्राओं को अध्यापन कार्य करवाना कालेज प्रबंधन के लिए पेचीदा हो गया है तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त राजकीय महाविद्यालय में अन्य संकाय उपलब्ध करवाने, कला संकाय में नए विषय बढ़ाने एवं रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरवाने के आदेश प्रदान करें।

संदीप कुमार

(तिजारा)

भोपालगढ़ में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश

महोदय,

जोधपुर जिले की भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही हत्या व संगीन अपराधों की घटनाओं का भी पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ में दर्ज चोरी के दर्जनों मामलों का आज तक खुलासा नहीं हुआ जिसकी वजह से चोरों के हौंसले बुलंद हैं। साथ ही उक्त थाने में दर्ज कई संगीन और हत्या जैसे अपराधों की

घटनाओं का पुलिस खुलासा नहीं कर रही है जिसकी वजह से आम जन में शासन के प्रति रोष व्याप्त है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उक्त मामले में सख्त दिशा-निर्देश देकर भोपालगढ़ पुलिस थाने में दर्ज चोरी, हत्या आदि के मामलों की आईजी स्तर के अधिकारी की मानिटरिंग में शीघ्र खुलासे को लेकर व अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं।

पुखराज

(भोपालगढ़)

जोधपुर में पर्यटन हेतु कार्य योजना

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत में राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर सहित जोधपुर शहर में पर्यटन ठहराव बढ़ाने के उपायों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरी मांग है कि :

1. माचिया सफारी पार्क से संलग्न अखेराज जी का तालाब के राजस्व रिकार्ड में अंकित समस्त क्षेत्र को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त कर पर्यटन दृष्टि से विकसित किया जाए।
2. माचिया सफारी पार्क से संलग्न अखेराज का तालाब कायलाना, चिड़ियानाथ जी पार्क, सिद्धनाथ पहाड़ी, सिद्धनाथ धाम को एक समग्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। कायलाना झील को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए समुचित आकार का विशाल शेड लगाया जाए, यहां चिल्ड्रन पार्क विकसित किया जाए और पर्यटकों के ठहराव हेतु मूलभूत सुविधाओं यथा पेजयल, बैठने की बैंचें, मूत्रालय-शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए।
3. माचिया सफारी पार्क तक सीधे नगरीय परिवहन सेवा का रूट आरम्भ कराया जाए।
4. सुंदर बालाजी हिल के पहाड़ी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इसे सनसैट पाइन्ट के रूप योजनाबद्ध रूप से विकसित करने हेतु यहां मूलभूत सुविधाओं यथा जोधपुर स्थापत्य युक्त शेड पेयजल, मूत्रालय- शौचालय, प्रकाश व्यवस्था की जाए।
5. सम्राट अशोक उद्यान के ओपन थियेटर को जोधपुर के कलाकर्मियों, रंगमंच एवं संगीत कलाकारों को एक समिति बनाकर प्रत्येक शाम अलग-अलग तरह के कार्यक्रम पर्यटन आकर्षण दृष्टि से प्रस्तुत करने की योजना बनाकर क्रियान्वित की जाए. ताकि

एक शाम यहां पर्यटन ठहराव हो सके और हमारी कला विश्व के कोने-कोने में प्रचारित हो सके।

6. मेहरानगढ़ दुर्ग से संलग्न पहाड़ियों पर विकसित फूलों की घाटी, हर्बल मार्च, राव जोधा पार्क की तर्ज पर सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की अन्य वन भूमि में दर्ज पहाड़ियों का भी विकास पर्यटन दृष्टि से किया जाए।

सादर।

सूर्यकांता व्यास

(सूरसागर)

राज्यकर्मियों की तीसरी संतान पर पदोन्नति एवं एसीपी देने के दोहरे दण्ड प्रावधान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में राज्यकर्मियों के 01 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान होने पर उनको पदोन्नति तीन भर्ती वर्ष पश्चात् देने एवं एसीपी भी तीन वर्ष पश्चात् देने का दोहरे दण्ड का प्रावधान नियमों में किया हुआ है, जो कि अमानवीय है।

उल्लेखनीय है कि एसीपी लागू किए जाने की मूल भावना राज्यकर्मियों की समय पर पदोन्नति नहीं होने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने अथवा राहत देने की रही है और इस सम्बन्ध में नियम भी दोनों के समान ही बनाये गये हैं। परन्तु हो यह रहा है कि वर्तमान में उक्त नियमों को साथ-साथ लागू किया जाता है जिससे कर्मचारियों को दोहरे दण्ड की मार पड़ रही है। इसके अतिरिक्त अगर किसी वर्ष में पदोन्नति हेतु पद उपलब्ध नहीं है तो उक्त कर्मचारियों के लिए उस वर्ष की गणना नहीं की जाती है जिससे कई विभागों में उक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष के स्थान पर दस-दस सालों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त पदोन्नति से तीन भर्ती वर्ष तक वंचित किये जाने का प्रावधान एक ही पदोन्नति में नहीं होकर प्रत्येक पदोन्नति में किया गया है जिससे उक्त नियमों से पीड़ित कर्मचारियों को हर पदोन्नति में दण्डित किया जाता है। किसी भी एक अपराध में एक से अधिक बार दण्ड देने का शायद यह अपने आपमें अकेला उदाहरण हो सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि हर पदोन्नति में और हर भर्ती वर्ष में वह अपने समकक्ष से जूनियर होता जाता है जिसका असर यह होता है

कि वह अपने सेवा काल में किसी-किसी कैडर में तो हजारों समकक्षों से जूनियर हो जाता है जिससे उसको काफी मानसिक वेदना होती है। मानसिक पीड़ा के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी उक्त कर्मचारियों को काफी नुकसान होता है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा कार्मिक मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त प्रावधानों की पुनः समीक्षा की जाए तथा उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति अथवा एसीपी में से एक दण्ड दिया जाए, हर पदोन्नति में उक्त दण्ड से दण्डित नहीं किया जाए, भर्ती वर्ष के बजाय वर्ष की गणना की जाए तथा पदोन्नति पर उनकी मूल वरिष्ठता पूर्ववत रखी जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर नियमों में संशोधन/स्पष्टीकरण कराया जाए।

धन्यवाद।

धर्मेन्द्र कुमार

(पीलीबंगा)

संगरिया एवं टिब्बी की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया शहर व तहसील टिब्बी के चिकित्सालयों की हालात सुधार हेतु दिलाना चाहूंगा। महोदय, संगरिया शहर की आबादी लगभग 40 से 50 हजार के करीब है तथा टिब्बी शहर की आबादी 25 से 30 हजार के करीब है। नगरपालिका क्षेत्र में संगरिया शहर व टिब्बी दोनों जगह काफी वार्ड हैं। परन्तु दु:ख इस बात का है कि राजकीय चिकित्सालयों में बैड की संख्या संगरिया चिकित्सालय में 50 की व्यवस्था है जिसको बढ़ाकर 75 बैड की जाए तथा टिब्बी चिकित्सालय में 30 बैड की व्यवस्था है जिसको बढ़ाकर 50 बैड की जाए। संगरिया शहर व टिब्बी शहर की आबादी को देखते हुए आस पास के गांवों की संख्या भी काफी है, चिकित्सकों की संख्या नाम मात्र है। वर्तमान में चिकित्सालयों में पद के अनुसार पोस्टिंग नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां पर डाक्टरों की स्थाई पोस्टिंग करें। गांव व शहर की आबादी को देखते हुए तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र के टिब्बी में रिक्त चिकित्सकों ए एन एम के पदों को भरा जाए। एम्बुलेंस 104 तथा 108 जो जर्जर हाल में है उसकी व्यवस्था की जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलवाला खुर्द में स्टाफ के लिए क्वार्टर नहीं है। टिब्बी क्षेत्र के काफी उपकेन्द्रों पर भवन नहीं है जैसे शेरेका 4 आर पी गुड़िया, 2 केएसपी भुरानपुरा, मसानी, 2 टी. एल. डब्ल्यू, नाईवाला आदि। आमजन को लाभ मिले जिससे मरीजों को दूसरी जगह न जाना पड़े, इसके साथ ही परंतु आज संगरिया अस्पताल की बिल्डिंग के रिनोवेशन की आवश्यकता है तथा

आवासीय क्वर्टरों की हालत खस्ता है। महोदय, कभी कोई भी हादसा हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है कि संगरियाव टिब्बी शहर के आस पास की आबादी को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय में डाक्टरों की स्थाई नियुक्ति की जाए तथा संगरिया अस्पताल का रिनोवेशन किया जाए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों में जन हित को देखते हुए समस्या का समाधान करेगी।

गुरदीप सिंह

(संगरिया)

संभाग मुख्यालयों पर पृथक् से जिला कलेक्टर (ग्रामीण) की व्यवस्था

महोदय,

देश की स्वतंत्रता व राजस्थान की स्थापना के बाद से ही प्रदेश के हर जिले में एक पुलिस अधीक्षक व एक कलेक्टर कार्यरत है। आज प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ हो गयी है जो आजादी के समय से तीन गुना अधिक है। कार्य व अपराध में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस विभाग में संभाग मुख्यालयों पर वर्तमान में दो पुलिस अधीक्षक कार्यरत हैं। शहर व ग्रामीण हेतु अलग-अलग पुलिस अधीक्षक हैं मगर कलेक्टर का पद एक ही है व कार्य में बढ़ोतरी के कारण कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ग्रामीण विकास व ग्रामीण व्यवस्था पर निगरानी के लिए जिला परिषद् व पंचायत समितियों की बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। जिला कलेक्टर इन बैठकों में भाग नहीं के बराबर लेते हैं। जिला कलेक्टर कभी भी उपखण्ड पर रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय, पंचायत समिति, तहसील, उपखण्ड मुख्यालय, स्कूल छात्रावास का निरीक्षण करने का उनके पास समय नहीं है। सभी जगह निगरानी के अभाव में कार्य प्रभावित होता है। व्यवस्था सुधारने हेतु संभाग मुख्यालय पर पृथक् से जिला कलेक्टर (ग्रामीण) का पद कायम किया जाए। वर्तमान में सभी काम व निगरानी आन-लाइन व वीडियो कान्फ्रेन्स के भरोसे है, मगर व्यवस्था जमीन पर लाइन पर नहीं है। संभागीय आयुक्त के पद पर बैठे अधिकारी को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। संभाग में निकृष्ट, भ्रष्ट कामचोर व समय पर कार्यालय नहीं जाने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का अधिकार भी संभागीय आयुक्त को दिया जाए। इससे व्यवस्था में सुधार होगा।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जनजाति के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

2. जनजातीय क्षेत्रों में संचालित टाडा, माडा योजना की तर्ज पर बाड़मेर, जैसलमेर जिले के जनजाति के लोगों हेतु जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. प्रदेश में कृषि कनेक्शन में S.C. वर्ग की तर्ज पर S.T. वर्ग को भी वरीयता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. बाड़मेर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत एस.टी. बस्तियों में सी.सी. रोड, नाली निर्माण हेतु विशेष बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में S.T. बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र व स्कूल प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की स्थिति (शैक्षिक, भौतिक) को सुधारने हेतु जनजातीय विकास बोर्ड की भूमिका पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

7. विधान सभा क्षेत्र मावली की T.S.P. योजना के तहत पंचायत की प्रत्येक जनजाति बस्ती में सामुदायिक भवन निर्मित करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
8. कुराबड़ पंचायत समिति की T.S.P. पंचायतों में शुद्ध पेयजल के लिए आर.ओ. वाटर या जल शोधन यंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

9. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए छात्रावास, गांवों में पानी व सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

10. प्रदेश के रेगिस्तान व सीमान्त जिलों में निवास करने वाले भील आदिवासी जाति के क्षेत्रों को टाडा माडा की तर्ज पर विशेष क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

11. जालोर के मीणा, भील व गरासिया जाति को टाडा (TADA), MADA (माडा) में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र आहोर में जनजाति विकास के लिए आवासीय छात्रावास सहित विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

13. विधान सभा क्षेत्र दौसा की ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा, नांगल बैरसी एवं खानवास में माडा योजना के तहत आश्रम छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

14. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जनजाति बहुल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम गुढ़ा (फतेहपुर) (लालका खेड़ा) बरोदा, सरसिया-इन्टुन्दा में एक एकलव्य माडल जनजाति स्कूल खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. जहाजपुर पंचायत समिति भीलवाड़ा में माडा योजनान्तर्गत 38 ग्राम पंचायतों व 40 राजस्व ग्रामों में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लुहारी कलां छात्रावास व जहाजपुर में आश्रम छात्रावास के भवन मरम्मत की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

19. विधान सभा क्षेत्र राजसंमद की पंचायत फरारा, पीपरड़ा, सांगठ, मुण्डोल, पीपलांजी एवं बोरज के बिखरी आबादी क्षेत्र में सी.सी. रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

20. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के विकास हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ TFC एरिया से बाहर निवास करने वाले लोगों को बिजली के कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

21. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभाग द्वारा कुएं गहरे करवाने एवं नये खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आदिवासी बहुल क्षेत्र में एनीकटों का निर्माण नदियों के ऊपर पुलियों का निर्माण, मजरों, फ्लो व भवनों का निर्माण, कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सुख-सुविधा, कपड़े, बूट, मोजे, बिस्तर-गद्दे, तौलिया, साबुन, पलंग उपलब्ध कराने तथा छात्रावास भवन मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभाग द्वारा नये बालिका/बालक छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आबंटित बजट केवल टी.एस.पी. क्षेत्र में व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

27. विधान सभा क्षेत्र बाली में घोषित टी.एस.पी. क्षेत्र में नयी पंचायतों का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र बाली के टी.एस.पी. क्षेत्र में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र बाली के टी.एस.पी. क्षेत्र में राजस्व ग्राम गोरिया में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र बाली में नये घोषित टी.एस.पी. क्षेत्र को टी.एस.पी. के सम्पूर्ण परिलाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

31. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

33. प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत रायपुर (अरनोद) बोरी-A (पीपलखूंट), हिंगलाट (अरनोद), कानगढ़ (अरनोद), चकुण्डा (अरनोद), देवपुरा (प्रतापगढ़), पाल (प्रतापगढ़), मोटाधामनीया (पीपलखूंट), कचोटिया (पीपलखूंट) में बालक आश्रम छात्रावास खोलने पर चर्चा के लिए।

34. प्रतापगढ़ जिले में दलोट, धरियावद, छोटी सादड़ी, देवपुरा में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. टी.एस.पी. क्षेत्र में कृषि यंत्रों (ड्रिप, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, सीडील, मोटर पम्प) पर सब्सिडी 90 प्रतिशत करने, शेष राशि सरकार द्वारा वहन करने एवं बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. टीएसपी क्षेत्र में आदिवासी कृषकों को खाद बीज नि:शुल्क वितरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

37. प्रदेश में पांचवीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. पांचवीं अनुसूची पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

39. विधान सभा क्षेत्र भादरा के धानक जाति के व्यक्तियों के धानका जाति एस.टी. में जाति प्रमाण पत्र बनाने पर चर्चा के लिए।

40. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मानवीय विकास हेतु रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में दूसरे जिले के कार्मिकों के स्थान पर क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में स्थित जल जंगल जमीन वहां के निवासियों के स्वामित्व में ही रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

43. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जनजाति बहुल गांवों में नाली व सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जनजाति बहुल गांवों में पेयजल सुविधा हेतु पाइप लाइन व हैण्ड पम्प व पानी की टंकियां बनाने की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जनजाति बहुल गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

46. विधान सभा क्षेत्र मावली के भैसड़ा कला व खुर्द के जनजाति मौहल्लों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र मावली को टी.एस.पी. पंचायत बिछड़ी, भैसड़ा, साकरोदा व देबारी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु आर.ओ. लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

48. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की पंचायत समिति कल्याणपुर मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

49. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के भील समाज को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र चौहटन की तहसील सेड़वा में अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरपुर):

51. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों के विकास हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची को लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए।

53. टी.एस.पी. क्षेत्र में भर्ती में जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. प्रदेश में खनिज के लाभ का 26 प्रतिशत जनजाति क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. राज्य प्रशासनिक सेवाओं में मेडिकल की तर्ज पर जनजातीय आरक्षण में 5 प्रतिशत पृथक् आरक्षण टी.एस.पी. क्षेत्र को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

56. उदयपुर में पीने के पानी की भयंकर समस्या के कारण टंकिया बनाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. जनजाति परिवारों को भूमि आबंटित कर गैर खातेदारी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. उदयपुर क्षेत्र में वर्षों से निवासरत जनजाति परिवारों को उनके मकानों का पट्टा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. उदयपुर में वाटर लेवल नीचे होने के कारण जनजाति विकास हेतु आबंटित बजट से एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. जनजाति के व्यक्तियों को लघु उद्योग लगवाकर रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

61. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के तेलपीखेड़ा से उपला जोलिया सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

62. मीणा समाज के आराध्य गौतम जी के लिए पोसालिया से वाया राड़बर सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के केसरपुरा में श्मशान घाट के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के शिवगंज में आदिवासी आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. सिरोही में आदिवासी आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

66. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के टी.एस.पी. क्षेत्र के रावलिया खुर्द, ओबरा कलां तथा ढोल में पेयजल हेतु टंकी निर्माण मय पाइप व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के एकलव्य माडल रेजिडेंशियल विद्यालय गोगुंदा तथा जनजाति बालक छात्रावास, समीजा तक डामर सड़क निर्माण पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के एकलव्य माडल रेजिडेंशियल विद्यालय गोगुन्दा में छात्रों हेतु बालक छात्रावास निर्माण पर चर्चा के लिए।

69. पंचायत समिति गोगुन्दा (उदयपुर) की टी.एस.पी. ग्राम पंचायत पडावली कलां में सिंचाई व पेयजल हेतु चूली का नाका एनीकट/बांध हेतु राशि आबंटन पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

71. टोंक जिले के जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग की सरकारी भर्तियों में चल रहे बैक लाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. प्रदेश में वंचित जनजाति के परिवारों के राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

75. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनजाति के व्यक्तियों हेतु शुद्ध

पेयजल एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रधान मंत्री जन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम फरारा एवं सांगठ में अनुसूचित जनजाति का छात्रावास बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के जनजाति बहुल क्षेत्र में मां बाड़ी शुरू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

79. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजना में शामिल गांवों में विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में माडा योजनान्तर्गत लम्बित कार्यों की शीघ्र स्वीकृति जारी कर विकास कार्य करवाने पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

81. विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में शुद्ध एवं शीतल पेयजल के लिए आर.ओ. मशीन एवं वाटर कूलर तथा दूध, दही एवं सब्जी रखने के लिए फ्रीज लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला एवं उम्मेदाबाद में माडा योजनान्तर्गत जनजाति छात्रावासों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. जालौर, पाली एवं बाड़मेर जिले में निवास करने वाले भील एवं मीणा समाज के व्यक्तियों को जनजाति क्षेत्र के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं दिए जाने पर चर्चा के लिए।

84. जालौर, पाली एवं बाड़मेर जिलों के भील एवं मीणा समाज के कृषकों को कृषि कनेक्शनों में अलग प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. माडा क्षेत्र में स्थित भीलों एवं मीणों के मौहल्लों में सामुदायिक सभा भवन बनाये जाने के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

86. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की जसवन्तपुरा पंचायत समिति के आदिवासी बहुल गांवों को जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम मालवाड़ा व जसवन्तपुरा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. एससी वर्ग के कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों की भांति एसटी वर्ग के कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को भी विद्युत कनेक्शनों में वरीयता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

89. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास की माडा योजना में प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी होने के उपरान्त भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं होने पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं नि:शुल्क स्कूटी आदि दिये जाने पर चर्चा के लिए।

91. विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 7500 से अधिक आबादी पर दी जाने वाली पेयजल योजना की स्वीकृति में आबादी के मानदण्ड को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों को सिंचाई साधनों में सुधार एवं निजी कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन कराने पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कराने पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

94. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के जनजाति बहुल क्षेत्र में 'मां-बाड़ी' स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

96. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के जनजाति क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं यथा पेयजल, मां बाड़ी व छात्रावासों पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पूर्व में स्वीकृत सौर ऊर्जा चलित लिफ्टें व नवीन लिफ्ट, एनीकट तथा ट्यूबवैल स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी व बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2018-19 में जनजाति कृषकों के कूप गहरे करने हेतु स्वीकृत रुपये 8000 का कृषकों द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद भी भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

99. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए उपलब्ध राजकीय सेवाओं में आरक्षण की तर्ज पर प्राइवेट सैक्टर में भी आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए नये अवसर/कार्यों की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए।

101. अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित भामाशाह रोजगार सृजन योजना एवं भामाशाह पशु बीमा योजना में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित अनुप्रति, शिक्षा व छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए संचालित छात्रावास/छात्रवासी योजना व प्रशिक्षण योजनाओं में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

104. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में अब तक एस.टी., एस.सी. के पद नहीं भरने पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजाति छात्रवासों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में मां-बाड़ी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में कुओं का TAD मद से भुगतान करने पर चर्चा के लिए।

108. प्रदेश के टी.एस.पी. क्षेत्र में आरक्षण व छात्रवृत्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

109. प्रदेश के जनजाति के विकास हेतु जनजागरण अभियान प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. प्रदेश में जनजाति के गांवों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयों में कक्षा-कक्षों, ग्रामीण सड़कों व अन्य निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. प्रदेश के जनजाति बहुल क्षेत्र के कृषकों के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी व सुलभ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश के जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

114. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में बंद पड़ी लिफ्ट परियोजनाएं चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में स्थित कितातों का बास नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. प्रदेश के जनजाति छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की छात्र संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के मगवास, कोल्यारी, जुड़ा एवं महाद में जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

118. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में महंगाई के अनुपात में छात्रवृत्ति बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. आदिवासियों के कस्टमरी लॉ पर चर्चा के लिए।

120. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

121. आदिवासियों की संस्कृति, रीति-रिवाज, परम्परा, इतिहास व रहन-सहन की पहचान को संरक्षित करने के लिए डूंगरपुर जिले में कला व सांस्कृतिक केन्द्र बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. जनजाति क्षेत्र में संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाली बच्चियों की कक्षा 4 से बढ़ाकर 5वीं तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास के बजट से सभी छात्रावास व विद्यालयों में डी-फ्लोराइड यूनिट से स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश के जनजाति छात्रावासों में वार्डनों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

125. प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास के कार्य मानदण्ड के अनुसार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं बिक्री में लिप्त व्यक्तियों के लिए संचालित नवजीवन योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. प्रदेश की देवनारायण योजना का क्रियान्वयन चौपड़ा समिति द्वारा सुझाये गये सुझावों के अनुसार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में भवन सुधार अभियान में छात्रावास भवनों के रंग-रोगन, टूट-फूट, मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

130. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विद्यालय भवनों के लिए प्रस्तावित कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

131. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक हास्टल व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र करौली में माडा योजना के अन्तर्गत आश्रम छात्रावास पर चर्चा के लिए।

133. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों में अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के माडा के अन्तर्गत आने वाले गांवों में चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

135. विधान सभा क्षेत्र डग में जनजाति की जनसंख्या के अनुसार छात्रावास बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

136. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

137. पंचायत समिति इटावा (कोटा) के गांवों में माडा योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क आदि पर विकास कार्य में बरती गयी उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. पंचायत समिति क्षेत्र इटावा (कोटा) में जनजाति के गरीब विद्यार्थियों को छात्रावास उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. कोटा जिले की पंचायत समिति क्षेत्र सुल्तानपुर एवं इटावा के जनजाति कृषकों को विगत 5 वर्षों से विद्युत पम्पसैट वितरण एवं कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करवाने में विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

140. प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु नई योजनाएं बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. प्रदेश में जनजाति के छात्रों के लिए जनजाति क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. प्रदेश में जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिये जाने पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में जनजाति के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रावासों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

144. कोटा व बून्दी जिले में माडा योजना के तहत गांवों में किये गये विकास कार्यों के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा के लिए।

145. अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिए कानून एवं रणनीति पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विकास हेतु उपयोजना की आबंटित सम्पूर्ण राशि को इसी वर्ग पर व्यय करने पर चर्चा के लिए।

147. प्रदेश में उपयोजना की बजट आबंटन राशि का अलग स्टेटमेंट (21 एवं 21 ए) जारी करने पर चर्चा के लिए।

148. अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि को न तो लैप्स किया जाए और न ही अन्य मदों में हस्तांतरित की जाने पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

149. नायक जाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में मानते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 51 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-51 मुख्य शीर्षक अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

2. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उच्च माध्यमिक पांच-पांच विद्यालयों के समूह के बीच में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु एक छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र तक लाभ न पहुंच पाने को लेकर चिन्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2019-20 में किये गये राशि के प्रावधान के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालकों के छात्रावास की तरह प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर एक-एक बालिका का छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में एस.सी. आयोग बना हुआ है इसमें एससी. वर्ग की छोटी-छोटी जातियों को बराबर विकास कार्य न दिये जाकर वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

7. विधान सभा क्षेत्र बानूसर में अनुसूचित जाति के आवासीय छात्रावास व विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

8. डा. भीमराव अम्बेडकर भवन ब्यावर को जल्दी पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

9. अनुसूचित जाति की बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्र, सम्पर्क सड़क व सौन्दर्यीकरण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

10. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत फरारा, पीपरड़ा, बडारड़ा, सांगढ़, साकरोदा में सड़क बनवाने एवं बालबाड़ी एवं मां बाड़ी खोली जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

11. प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के उत्थान के लिए निजी क्षेत्रों के उद्योग धन्धों में नौकरी दिलाने एवं निजी व्यवसाय के लिए बैंक ऋण व अनुदान की व्यवस्था की जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

12. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

13. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के समस्त छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के हिंगी आवासीय बालिका छात्रावास की व्यवस्था में सुधार कर महिला वार्डन, महिला स्टाफ व अध्यापिका लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर उपखण्ड सराड़ा तहसील सेमारी बालिका अम्बेडर छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश में देवनारायण योजना की तर्ज पर अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को भी अम्बेडकर योजना बनाकर स्कूटी योजना लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु विशिष्ट अनुदान योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में शुद्ध पेयजल एवं सड़क नाली निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नि:शुल्क आवासीय पट्टे जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

20. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

21. रायसिंहनगर व श्रीविजयनगर के अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाए जाने तथा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष में एक बार पोशाक वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

22. अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्ले में विद्यालय खोलने तथा इनको रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. सरकारी नौकरियां कम होने के कारण निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किये जाने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कालेज में छात्रावासों की आवश्यकता पर तथा एस.सी. छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. अनुसूचित जाति/जन जाति के कल्याण के लिए विशेष अभियान चलाकर सरकारी नौकरी में बैकलाग पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

26. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों को आवासीय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

27. बिरसा मुण्डा की स्मृतियों व संघर्षों को जनता तक ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

28. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों में अनुसूचित जाति के मौहल्लों में नालियां व सी.सी. सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी गांवों के अनुसूचित जाति मौहल्लों में पेयजल की सुविधा हेतु पाइप लाइन, हैण्डपम्प व पानी की टंकियों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनुसूचित जाति के मौहल्लों में सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

31. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के तिलवाड़ा में अनुसूचित जाति हेतु छात्रावास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. जोगी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में टाडा-माडा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

34. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु आवासीय छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मंडी):

35. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आई.आई.टी. व मेडिकल कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क सरकारी खजाने से जमा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

36. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों से शराब की अवैध दुकानें हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में मकानों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सीमेन्ट रोड़ व नाली निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

41. SC/ST/OBC हेतु आवासीय छात्रावास बनाये जाने तथा उनका बजट बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

42. अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति देकर उन्हें स्वयं के पैरों पर खड़ा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

43. अनुसूचित जाति वर्ग के वंचित लोगों के लिए भी विशिष्ट योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

44. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रधानमंत्री जन आवास योजना में मकान स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. राजसमन्द जिले की बिखरी आबादी क्षेत्र की पंचायतें जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहां बालबाड़ी व मां-बाड़ी खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. राजसमन्द जिले के सांगढ़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

48. अनुसूचित जाति के लोगों को आबंटित जमीनों व खातेदारी जमीनों पर बलपूर्वक अवैध कब्जों को राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का कब्जा अभियान चलाकर खातेदार को दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के विशेष सुविधायुक्त विद्यालय डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों के बकाया बैकलाग को विशेष भर्ती योजना आयोजित कर भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को उपलब्ध करवाये जाने वाली आर्थिक सहायता तत्काल दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

52. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की 8PSD(B) ग्राम पंचायतों के वार्ड नं. 4, 9 व 11 में सी.सी. सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की 24ASC ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 17 से 24 में सी.सी. सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में एस.सी. कृषकों को ग्रीन हाउस शेड नैट योजना से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनुसूचित जाति के कृषकों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में चयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सम्बल ग्राम विकास योजना में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

57. डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम अम्बेडकर पीठ की UGC से मान्यता दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के एक हजार से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुल क्षेत्र में मुख्य मंत्री संबल योजना के तहत सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के एक हजार से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत सी.सी. सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनुसूचित जाति के कृषकों को ग्रीन हाउस एवं शेड नैट योजना से लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अनुसूचित जाति के कृषकों को प्रधान मंत्री मुद्रा स्वास्थ्यकारी योजना के तहत चयन नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

62. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में वार्डन के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में सामुदायिक सभा भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में शुद्ध पेयजल के लिए आर.ओ. मशीन, वाटर कूलर तथा फ्रीज आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला कस्बे में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

67. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम जसवन्तपुरा में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के अनुसूचित जाति श्रेणी के लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन के आवेदकों को तुरन्त कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

69. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाओं की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

71. ओसियां में अम्बेडकर छात्रावास की समस्या एवं बच्चों को निर्धारित समय पर सरकारी योजना के लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

72. प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के लम्बे समय से चले आ रहे बैकलाग को पूरा नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. अजमेर दक्षिण में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु निर्मित छात्रावासों भवन के खण्डहर में तब्दील होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. अजमेर शहर में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना के बजट अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. जिला अजमेर में अनुसूचित जाति की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

76. अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए उपलब्ध राजकीय सेवाओं में आरक्षण की तर्ज पर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए नये अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. अनुसूचित जाति के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना एवं भामाशाह पशु बीमा योजना में वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इन योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. अनुसूचित जाति के लिए अनुप्रति योजनाएं, शिक्षा योजनाएं, छात्रवृत्ति में वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इन योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए छात्रावास/छात्रवासी योजना,

प्रशिक्षण योजनाओं में वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए इन योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

81. विधान सभा क्षेत्र चूरू में सरकारी भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के आवासीय भवनों का नियमितीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. चूरू स्थित समाज कल्याण छात्रावास में आवश्यक अधिकारियों के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के बैकलाग पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में समाज कल्याण छात्रावास की जर्जर हालात के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र चूरू में अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति हर माह नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

86. टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के संबंध में चर्चा के लिए।

87. टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्राओं को स्कूटी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को रीट में 36 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

89. अनुसूचित वर्ग की कार्यशाला के लिए अनुदान को दस हजार से बढ़ाकर पचास हजार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. ग्रामीण क्षेत्र/ग्राम पंचायतों/गांवों में जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा हो वहां पर अम्बेडकर भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र डग में अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं होने से यहां आसपास के विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के निवारण हेतु यहां पर 50 बैड वाला छात्रों का छात्रावास स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. अनुसूचित वर्ग के लोगों को मनरेगा की योजना अपना काम अपना खेत में कुआ निर्माण की स्वीकृति दी जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

93. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं से वंचित रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत SC-ST के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म समाज कल्याण विभाग द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की अध्ययनरत होते हुए भी गलत सूचना संस्थान प्रधान द्वारा भिजवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार जैसी घटनाओं पर सरकारी सहायता समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए समय पर छात्रवृत्ति नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

98. अनुसूचित जाति के ग्रामीण लोगों के बच्चों को उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदान कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. अनुसूचित जाति के मौहल्लों में अम्बेडकर भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

100. अनुसूचित जाति के ग्राम झोपड़िया (पंचायत समिति इटावा) में बन्द पड़े पेयजल ट्यूबवैल मय टंकी को दुरुस्त करने में विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. इटावा पंचायत समिति के लिए सभा भवन निर्माण करवाये जाने में विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. कोटा जिले की इटावा एवं सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में डा. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र निर्माण करवाये जाने में विफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

103. इटावा (कोटा) पंचायत समिति क्षेत्र की अनुसूचित जाति बस्तियों में स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने में विफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

104. अनुसूचित क्षेत्र में एस.सी. समाज की बालिकाओं को स्कूटी एवं छात्रवृत्ति देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

105. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष आर्थिक, सामाजिक कार्य योजना बनाकर उनके उत्थान के संबंध में चर्चा के लिए।

106. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास सुविधा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. अनुसूचित जातियों की कन्याओं की पढ़ाई एवं उनके स्वावलम्बन के विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

108. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्तियों के वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के छात्र-छात्राओं के निवास हेतु निर्मित छात्रावास भवनों, स्टाफ व सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

110. उप योजना हेतु आयोजना बजट आबंटन एवं खर्च, निगरानी तथा पारदर्शिता हेतु राज्य, जिला एवं निम्न स्तर के सभी विभागों के साथ पंचायती राज संस्थाओं को दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. सभी विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजनाएं बनाकर कोष से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. अनुसूचित जाति उप योजना को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर कानून पारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

113. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अन्तर्गत रासीसर ग्राम पंचायत में मेघवाल समाज की श्मशान-भूमि का विवाद चल रहा है। इस प्रकरण में

संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश क्रमांक प-13()संआबी/मोनी/जांच/बीका/12/1773 दिनांक 23.07.2012 के द्वारा उक्त भूमि पर गलत पट्टे काटने के कारण तत्कालीन सरपंच को पद से अयोग्य ठहराते हुए हटा दिया था। किन्तु उसके पश्चात गांव के प्रभावशाली लोगों ने धनबल के आधार पर इस प्रकरण को निरस्त करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया गया था। अत: उक्त प्रकरण की जिला-प्रशासन बीकानेर से पुन: नये सिरे से जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. श्री छगनाराम के उपचार व आर्थिक मदद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. श्री तिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास, नोखा (बीकानेर) में सीटों की संख्या 49 से बढ़ाकर 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।